दसवीं लोक सभा, खंड 12, अंक 45

बुधवार, 6 मई, 1992
16 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)



[खंड 12 में अंक 41 से 49 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 12 तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 45 बुधवार, 6 मई, 1992/16 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 882 से 887	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 888 से 901	21—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 9106 से 9144, 9147 से 9215, 9217 से 9274, 9276 से 9307, 9309 से 9338 और 9338-क	32—200
कनिष्ठ अभियन्ता संघ की मांगों के बारे में दिनांक 26 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	201
सरकारी क्वार्टरों के निर्माण के बारे में दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6570 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	201—219
सभा पटल पर रखे गए पत्र	219—225
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	225
कृषि समिति दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	225
ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को सक्रिय बनाने हेतु "कर्मचारी योजना" के बारे में याचिका	226
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) आग की घटनाओं से प्रभावित निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समान योजना बनाने की आवश्यकता डा० विश्वनाथम कैनिथी	226
(दो) आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के आरोग्यग्राम चिकित्सा केन्द्र को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री ए० प्रताप साय	226—227
(तीन) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता कुमारी पदमश्री कुडुमुला	227

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृ०
(चार) मैसर्स वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, गजरौला, मुरादाबाद के बहि:स्राव से गंगा के जल के प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता श्री चिन्मयानन्द स्वामी	228
(पांच) बिहार के रांची जिले में पीने के पानी और बिजली की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार को धन देने की आवश्यकता श्री राम टहल चौधरी	228
(छः) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में विस्फोट की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाइडे	228
(सात) सुन्दरवन में मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता श्री सनत कुमार मंडल	229

वित्त विधेयक, 1992

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री वी० एस० विजयराघवन	230—231
श्री राम कापसे	231—234
श्री रोशन लाल	234—239
श्री राव राम सिंह	240—245
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	245—252
श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये	252—256
श्री आर० जी० विलियम्स	256—257
श्री भगवान शंकर रावत	257—259
श्री अन्नाराधु हरा	259—264
श्री जार्ज फर्नान्डीस	265—273
श्री इंद्र जीत	273—275
श्री ई० अहमद	275—276
श्री याइमा सिंह युमनाम	276—277
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति	277
श्री भोगेंद्र झा	278
श्री पी० सी० थामस	278—279
श्री मनमोहन सिंह	279—286
खंडवार विचार	286

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह	286

लोक सभा

बुधवार, 6 मई, 1992/16 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उद्योगों में केन्द्र सरकार का निवेश

[हिन्दी]

*882. श्रीमती शीला गौतम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से देश में गत तीन वर्षों के दौरान लघु/बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र द्वारा किए गये निवेश की केन्द्रीय सरकार ने कोई समीक्षा कराई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और रोजगार के अवसर भी पैदा किये हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं । बहरहाल, सरकार हर वर्ष विभिन्न राज्यों में किये गये केन्द्रीय पूंजीनिवेश की समीक्षा करती है तथा हर वर्ष लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रकाशित करती है । नवीनतम सर्वेक्षण 1990-91 संसद में 5 मार्च, 1992 को प्रस्तुत किया गया था । विभिन्न राज्यों में जुटाये गये रोजगार तथा उनमें किये गये पूंजीनिवेश के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विवरण

सकल परिसम्पत्ति तथा रोजगार का राज्य-वार वितरण

(सकल परिसम्पत्ति करोड़ रु० में)

(रोजगार संख्या लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	31-3-1989 को		31-3-1990 को		31-3-1991 को		31-3-1991 को शेयर की प्रतिशतता		31-3-1991 को क्रमानुक्रम	
		सकल परिसम्पत्ति	रोजगार	सकल परिसम्पत्ति	रोजगार	सकल परिसम्पत्ति	रोजगार	सकल परिसम्पत्ति	रोजगार	सकल परिसम्पत्ति	रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	9906.32	0.99	11411.82	1.01	12969.09	1.13	10.00	4.90	2	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.57	0.01	60.00	0.01	85.54	0.02	0.07	0.09	24	25
3.	असम	4733.28	0.56	5049.84	0.58	5460.49	0.58	4.21	2.52	11	11
4.	बिहार	8440.32	4.40	9637.74	4.33	10692.99	4.20	8.24	18.22	4	1
5.	गोवा	51.72	0.03	57.64	0.03	234.81	0.16	0.18	0.69	20	17
6.	गुजरात	5071.10	0.51	5660.26	0.54	6161.02	0.52	4.75	2.26	10	12
7.	हरियाणा	813.67	0.18	898.97	0.18	1070.88	0.19	0.82	0.82	17	16
8.	हिमाचल प्रदेश	915.71	0.05	1297.75	0.05	1385.36	0.05	1.07	0.22	15	19
9.	जम्मू और कश्मीर	866.88	0.09	1351.25	0.09	1270.83	0.09	0.98	0.39	16	18
10.	कर्नाटक	2180.79	1.17	2588.95	1.21	2693.24	1.09	2.08	4.73	12	8
11.	केरल	1523.81	0.33	1701.24	0.34	1852.69	0.36	1.43	1.56	14	14
12.	मध्य प्रदेश	11502.29	2.84	12580.48	2.89	12900.47	2.88	9.95	12.49	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	16179.67	2.26	19933.36	2.27	22012.36	2.35	16.97	10.20	1	4
14.	मणिपुर	148.78	0.02	158.57	0.02	159.94	0.02	0.12	0.09	22	22
15.	मेघालय	2.72	0.01	4.01	0.01	5.75	0.01	—	0.04	30	28
16.	मिजोरम	21.63	0.01	23.50	0.01	24.04	0.01	0.02	0.04	25	29
17.	नागालैण्ड	93.91	0.02	113.97	0.02	130.60	0.02	0.10	0.09	23	21
18.	उड़ीसा	5719.29	0.76	5966.27	0.76	6898.72	0.77	5.32	3.34	8	10
19.	पंजाब	802.35	0.23	836.51	0.23	889.55	0.23	0.68	1.00	18	15
20.	राजस्थान	1399.03	0.39	1716.73	0.40	2218.91	0.40	1.71	1.74	13	13
21.	सिक्किम	4.21	—	10.82	—	16.52	—	0.01	0.00	27	30
22.	तमिलनाडु	4897.71	0.88	5902.01	0.89	7139.04	0.95	5.50	4.12	7	9
23.	त्रिपुरा	294.56	0.02	352.97	0.02	360.67	0.02	0.28	0.09	19	24
24.	उत्तर प्रदेश	8295.17	1.32	8794.35	1.43	10229.26	1.36	7.89	5.90	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	5730.43	4.13	7084.18	4.06	8784.23	3.94	6.77	17.09	6	2
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11.39	0.02	12.51	0.02	14.15	0.02	0.01	0.09	28	23
27.	चंडीगढ़	8.35	0.01	31.06	0.01	163.70	0.01	0.13	0.04	21	26
28.	दादर एवं नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन दीव	—	—	—	—	10.19	0.01	0.01	0.04	29	27
30.	दिल्ली	2965.87	1.34	4561.48	1.37	6706.57	1.37	5.17	5.94	9	5
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	12.81	0.04	15.50	0.03	17.35	0.03	0.01	0.13	26	20
33.	अन्य तथा अनावंटित	4209.33	0.31	5617.16	0.36	7154.13	0.26	5.52	1.13	—	—
	जोड़	96880.67	22.93	113430.90	23.17	129713.09	23.05	100.00	100.00		

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि बी० आई० एफ० आर० संस्था जो बीमार यूनिट्स को उठाने के लिए बनाई गई थी उसमें अभी तक कोई भी जज नियुक्त नहीं हुआ है जब कि उसमें तीन जजों की नियुक्ति होनी चाहिए । न उसमें कोई कर्मचारी है, न उनके बैठने का अभी तक कोई स्थान निश्चित किया गया है, क्या वह बीमार हो गई है ? तो मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं इस बारे में उस बी० आई० एफ० आर० संस्था को ठीक से चलाने के लिए और बीमार यूनिट्स को उठाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री पी० के० थुंगन : सर, बी०आई०एफ०आर० बीमार नहीं है ।

[अनुवाद]

हम बी०आई०एफ०आर० को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे है । कुछ और सदस्य शामिल किये जाने हैं और सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य ने कहा कि बी०आई०एफ०आर० बीमार है और मंत्री जी कह रहे हैं कि बीमार नहीं है, नहीं तो क्या जुकाम हो गया है ? मान लीजिए कि पूरी बीमार नहीं है, तो क्या थोड़ा सा जुकाम हो गया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शायद बी०आई०एफ०आर० कमजोर है उसको स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं ।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि एस०एस०आई० यूनिट्स लगाने के लिए, महिलाओं के लिए सरकार क्या विशेष सुविधा देने के लिए सोच रही है । इंडस्ट्रिल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में महिलाओं के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं और जो उद्योगों का आपने राज्यवार ब्यौरा इसमें दिया है, जो आपने टेबल पर रखा है उसमें तब तक कितनी महिलाओं को किस-किस जगह पर सरकारी नौकरी मिली है, इस बारे में बताएं ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : निःसंदेह हम महिलाओं को प्राथमिकता और महत्व देते हैं । भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान काफी ऊँचा है । माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये आकड़ों का जहाँ तक संबंध है हमने इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है कि कहां-कहां पर पुरुष तथा महिलाएँ कार्यरत है । यह आँकड़े जो मेरे पास है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर और विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा बड़े उद्योग क्षेत्र, मझौले तथा लघु क्षेत्रों में लगाई गई राशि के आधार पर है और यदि माननीय सदस्य पुरुष तथा महिलाओं के आंकड़े अलग-अलग जानना चाहते है तो मैं बाद में उन्हें सूचना एकत्र करके बता दूंगा क्योंकि मेरे पास इस तरह के बिल्कुल सही आँकड़े नहीं है क्योंकि हमने उस तरीके से आकड़े एकत्र नहीं किये है ।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों में और केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र द्वारा लगाई गई पूंजी के बारे में कोई दिशानिर्देश है । मैं यह प्रश्न विशेषतया इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले पूंजी राजसहायता योजना (कैपिटल सबसिडी स्कीम) हुआ करती थी जिसके तहत सरकार पिछड़े व दूर-दराज क्षेत्रों में कैपिटल सबसिडी उपलब्ध कराती थी । जब से सरकार ने इस योजना को समाप्त किया है, सरकार के लिए यह जरूरी है कि उसी तरह की एक योजना तैयार करे जिससे दूर-दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाने को बढ़ावा मिल सके जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा है, आठवीं

पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या इन सब मामलों पर विचार किया जायेगा या नहीं । दूसरा मंत्री जी ने एक विवरण दिया है जिसमें उत्पन्न रोजगार के आँकड़े दर्शाये गये है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आँकड़ों के अनुसार वास्तव में लोगों को रोजगार दिये गये है या यह केवल उनका अनुमान है ।

श्री पी० के० धुंगन : महोदय, पहले मुझे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने दीजिए, कर्मचारियों की संख्या वास्तव में व्यक्तियों की संख्या है जो दिखाई गई है जिन्हें नौकरी दी गई है ।

विज्ञप्तिनिर्देशों के बारें में मैं कहना चाहता हूँ कि योजना आयोग ने कतिपय प्राथमिकताएँ निर्धारित की है और उन प्राथमिकताओं के आधार पर आबंटन किया जाता है । किसी प्रकार की पूँजी लगाने से पहले पी० आई० बी० विस्तार में जाता है । उसके बाद ही नई यूनिटों की स्थापना या पुरानी यूनिटों के विस्तार का निर्णय लिया जाता है । लघु उद्योगों के बारें में यह निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है राज्य सरकारें छोटे पैमाने के उद्योग को सहायता देने के लिए योजनाएँ बनाती है । अत: इस बारें में राज्य सरकारें अपनी नीति अपनाती है ।

श्री मनोरंजन भक्त : संघ राज्य क्षेत्रों के बारें में क्या है ?

श्री पी० के० धुंगन : जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, नि:संदेह केन्द्र सरकार इसके लिए योजना बनाती है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे इस जवाब से आपत्ति है । क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि इतने रोजगार पैदा हुए हैं । अगर जवाब आप देखेंगे तो पिछले साल कुल अधिक पूँजी लगायी केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में 16283 करोड़ रुपये पूँजी लगायी और रोजगार घटाए 12000, 1 साल में रोजगार बढ़े नहीं, 16283 करोड़ की पूंजी लगा कर समूचे देश के पैमाने पर आपने रोजगार घटाएं हैं । इसलिए आपका जो जवाब है, वह ठीक नहीं है कि आपने रोजगार बनाए हैं । बिहार में दो सालों में 1700 करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ा दी गयी और 20 हजार रोजगार घटा दिए गए, गुजरात में एक साल में 500 करोड़ की पूंजी लगा दी गयी और 2 हजार रोजगार घटा दिए गए, कर्नाटक में मात्र 100 करोड़ की पूंजी लगा कर 12 हजार रोजगार घटा दिए गए, पश्चिम बंगाल में एक साल में 3000 करोड़ की पूंजी लगा कर 19 हजार रोजगार घटा दिए गए और उत्तर प्रदेश में एक साल में 15 सौ करोड़ की पूंजी लगा कर 7000 रोजगार घटा दिए गए । क्या सरकार अपने जवाब को सुधारेगी ? जहाँ उन्होंने उल्लेख किया है : रोजगार सृजन के आँकड़े दर्शाने वाला एक विवरण के साथ-साथ इम्पलायमेंट जेनेरेटिड और रिड्यूस, यह जोड़ने का काम करेगी ? नीति का सवाल जहां तक है, जिनके चलते आप पूंजी लगाते हो और रोजगार घटाते हो, नीति में सुधार करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० धुंगन : महोदय, हम स्वीकार करते हैं कि कुछ मामलों में रोजगार की संख्या कम की गई है ।

कुछ राज्यों में यदि माननीय सदस्य देखें तो इनमें काफी वृद्धि हुई है । कुल मिलाकर, थोड़ी सी कमी हुई है । आधुनिकीकरण के कारण और कुछ मामलों में फालतू कर्मचारी के; उनमें से कुछ सेवानिवृत्त हो गये और हमने उन रिक्तियों को नहीं भरा ।

लेकिन मैं माननीय सदस्य से इसके विस्तार में जाने का अनुरोध करता हूँ । यह केवल रोजगार नहीं है, यदि माननीय सदस्य अन्य रिकार्ड देखे तो संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है । यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं उल्लेख करता हूँ कि 1990-91 में कुल टर्नओवर 1,18,165 रुपये था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा अभिप्राय रोजगार से है न कि कुल कारोबार के बारे में । इसी वजह से आप इतना अधिक धन रख रहे है और आप रोजगार कम कर रहे हैं ।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, इसका संबंधित उद्योग के सुधार तथा उन्नति से सीधा संबंध है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से कुल कारोबार के विस्तार में जाने का अनुरोध करूंगा और न केवल एक पक्ष देखिये बल्कि दूसरा पक्ष भी देखिये ।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी छोटा या बड़ा नया उद्योग शुरू होता है, उसमें पूंजी लगती है तो रोजगार बढ़ना चाहिए । आपने बताया है, वह कम कैसे हो गया क्योंकि जब नयी पूंजी लगती है तो रोजगार बढ़ते हैं ।.....(**व्यवधान**) श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पूछा है और थोड़ा सा खुलासा हुआ है । महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में बड़े उद्योग हैं, वहां बंबई, पूना और ठाणे में इंडस्टियल बैल्ट है । क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को बतायेगी कि वहां पर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण में नए उद्योग खुलें और उसमें ज्यादा पूंजी लगे क्योंकि केन्द्रीय सरकार को मदद होती है । ऐसी कोई गाइड-लाईन देने वाले हैं कि विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण में उद्योग लगाए और जो पूंजी लगती है तो उससे रोजगार बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं । गवर्नमेंट के जो नए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं खासतौर से डिफेंस वगैरह के, तो उनको आप इधर लाने की कोशिश करेंगे या महाराष्ट्र सरकार को बतायेंगे ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि आँकड़े जो मैंने दिये है वह केवल केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में है ।

जहाँ तक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का संबंध है इस में प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योग भी आते हैं । यदि इन सब को मिला दिया जाये तो निश्चय ही वृद्धि होती, लेकिन क्योंकि हमारे प्रयास इनको पुन: चालू करने के हैं और इसका कारण यह भी है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इसमें थोड़ी सी कमी हुई है ।

यही मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ । सरकार द्वारा यह अच्छे इरादे से किया गया है ताकि सार्वजनिक उपक्रमों को वास्तव में उद्यमशील बनाया जा सके ।

जहाँ तक पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की नीति का संबंध है और क्षेत्रों में जहाँ उद्योग बहुत आवश्यक है, नई यूनिट स्थापित करते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि उसमें तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता जरूर होनी चाहिए । निश्चय ही, जैसा श्री भक्त ने कहा है कि इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों जैसे अण्डमान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विदर्भ क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा जाता है ये सब बातें ध्यान में रखी जाती है । लेकिन तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता एक बहुत आवश्यक पहलू है और उसी आधार पर निर्णय लिये जाते है ।

दिल्ली की कालोनियों को नियमित करना

*883. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1990 तक दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में कितनी कालोनियां विद्यमान थी;

(ख) सरकार ने अब तक कितनी कालोनियों को मंजूरी दे दी है;

(ग) क्या सरकार ने इन मंजूर शुदा कालोनियों में पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) ऐसी कालोनियों में उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल रखा है ।

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार किए गए अनुभागों के आधार पर अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 1207 अनाधिकृत तथा नियमित की गई अनधिकृत कालोनियां थी ।

(ख) सरकार ने 1977 में अनधिकृत कालोनियों जो 30-6-77 से पूर्व बन चुकी थीं, को निर्धारित शर्तों और विकास प्रभारों की वसूली की शर्त पर नियमित करने के आदेश जारी किए थे । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसी कालोनियों में से 553 कालोनियों को नियमित कर दिया गया है ।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नियमित की गई 553 कालोनियों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

जल-आपूर्ति

जिनमें पूरी जल-आपूर्ति उपलब्ध है	—533 कालोनियां
जिनमें अपर्याप्त जल-आपूर्ति उपलब्ध है	—7 कालोनियां
जहां पाइप द्वारा जल-आपूर्ति नहीं दी जा सकती है	—12 कालोनियां

शेष कालोनियों के लिए प्रारम्भिक जमा के रूप में 25% विकास प्रभारों की अदायगी पर जल-आपूर्ति की जा सकती है ।

बिजली

विद्युतिकरण किया गया	—527 कालोनियां
कार्य प्रगति पर है	—21 कालोनियां
कार्य अभी आरम्भ करना है	—5 कालोनियां

चूंकि ये सुविधायें स्थानीय अवरोधों और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर हैं इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है ।

श्री चतुरलाल चन्द्राकर : दिल्ली में बस्तियों की संख्या 1207 है। जिनमें से केवल 553 बस्तियां नियमित की गई हैं। अधिकांश बस्तियां अभी तक रेगुलराइज या अथोराइज नहीं की गई हैं। इनमें गरीब लोग रहते हैं। इनको नियमित करने के लिए और इनकी ओर अधिक ध्यान देने के लिए क्या कोई मास्टर प्लान सरकार बनाने जा रहे है जिसके अन्तर्गत इन गरीबों को वहां बसाया जा सके, अगर नहीं बनाया जा रहा है तो क्यों नही बनाया जा रहा है और बनाया जा रहा है तो किस स्टेज पर है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का मास्टर प्लान बन चुका है। इसमें हम तरह-तरह की सुविधायें दी जा रही हैं जिसमें गरीबों के लिए भी हैं, झुग्गी-झोंपड़ी क्लेस्टर के लिए भी हैं। इनमें सफाई का भी मामला है। कुछ रह गई हैं, उसके लिए पूंजी की जरूरत है।

श्री चतुरलाल चन्द्राकर : ये गरीबों की बस्तियां हैं, ये लोग शांतिप्रिय नागरिक हैं और देश के विकास में अपने श्रम द्वारा योगदान कर रहे हैं। ये लोग 25—30 साल से यहीं रह रहे हैं और इन बस्तियों में जो बच्चे पैदा हुए थे आज जवान हो गये हैं, क्या वे वहीं बूढ़े हो कर मरेंगे, इसलिए इनको न्यायपूर्वक बसाना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि 1207 में जो बस्तियां रह गई हैं इनमें रहने वालों की संख्या कितनी है और 553 बस्तियों में रहने वालों की संख्या कितनी है।

श्री जगजीत सिंह बरार : दिल्ली में एम०पीज० के लिए भी कोई कालोनी रखी है। हमें दो महीने हो गये, लेकिन मकान नहीं मिला।

श्रीमती शीला कौल : 1977 में 553 कालोनीज़ को रेगुलराइज किया गया इनकी जो आबादी थी वह 12 लाख थी। इन कालोनीज़ में कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं।

श्री मदन लाल खुराना : जिस मास्टर प्लान की मंत्री महोदया ने चर्चा की है वह बीस वर्षीय है। उसे 1981 में शुरू होना था 2001 में समाप्त होना था, लेकिन वह 1989 में शुरू हुआ। आठ-नौ साल गुजर गये। लगभग साढ़े नौ सौ अनअथोराइज्ड कालोनीज़ रह गई हैं उनकी आबादी 15 लाख है और 650 झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं उनकी आबादी भी 15 लाख है। मैं इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ चुका हूं। इन तीस लाख लोगों के लिए, सुविधा के लिए एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। जो गन्दगी में रह रहे हैं, क्या मंत्री महोदया यह एश्योरेंस देंगी कि कम से कम एक निश्चित समय के अन्दर जो अनअथोराईज्ड कालोनीज़ हैं, जिनको पास करना तो बाद की बात है और लम्बा समय लगेगा, कम से कम वहां पर जो सफाई की समस्या है, सफाई कर्मचारियों को हफ़्ते में एक दो दिन प्रोवाईड करायेंगी ताकि उन झुग्गी झोंपड़ियों में जो तीस लाख लोग रहते हैं, वहां बीमारी न फैले और वहां सफाई हो सके।

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि माननीय सदस्य ने इस सवाल को एक दफा पहले भी इस हाउस में उठाया था। उसके बाद हमने कार्यवाही शुरू की है कि उन कालोनियों में, जिसका इन्होंने जिक्र किया है, वहां आदमी जाने चाहियें और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आर्डर तो इन्होंने करना है। ध्यान किस ने देना है? मैं पहले भी इस बात को इस हाऊस में उठा चुका हूं.....

अध्यक्ष महोदय : ध्यान देने का मतलब है उसका एश्योरेंस.....

[अनुवाद]

इसको आश्वासन की तरह समझा जाना चाहिए ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : कार्य योजना में उन सभी अनियमित कालोनियों को लिया जाना था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । तुरन्त कार्यवाही करने के लिए सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव है जिससे कि इन अनियमित कालोनियों का विकास संभव हो सके तथा निर्धारित अवधि में इन कालोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली प्रस्तावित अनुमानित लागत कितनी है ?

श्रीमती शीला कौल : जहां तक इस प्रश्न को मैं समझती हूं उसका उत्तर यह है कि केन्द्र सरकार ने 1977 तक कालोनियों को नियमित किए जाने की स्वीकृति दे दी है और 1977 के बाद की कालोनियों के लिए यदि सरकार आवश्यक समझेगी जो उन्हें भी नियमित किया जायेगा ।

श्री तरित बरन तोपदार : क्या 1977 आधार वर्ष है ?

श्रीमती शीला कौल : सरकार द्वारा 1977 में एक समिति बनाई गयी थी और यह निर्णय लिया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा कालोनियों को नियमित किया जायेगा । यह भी स्पष्ट किया था कि रिहायशी घरों पर ध्यान दिया जायेगा तथा किसी भी व्यावसायिक ढांचे को नियमित नहीं किया जायेगा । उस तरह से कार्य चल रहे थे और इसमें कुछ समय लग गया । हम नियमित करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा है ऐसी कई कालोनियाँ है जिसमें से कुछ को नियमित किया जायेगा और कुछ अनियमित रहेंगी । अन्य का नियमन एक अलग मामला है और हमें उन्हें देखना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, पहले यह विकास का काम डी० डी० ए० स्लम्ज़ के द्वारा होता था, अब उसको हटाकर एन० डी० एम०सी० के पास दे दिया गया है । नतीजा यह है कि पिछले एक साल से विकास का काम ठप्प है । नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है । हम लोगों ने सन् 1990 में 40 करोड़ रुपया झुग्गी-झोंपड़ियों के विकास के लिए दिया था । वह पैसा पूरे तरीके से खर्च नहीं किया गया है तो मैं सरकार और माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप यह बतायेंगी कि इन कालोनियों के विकास के लिए अलग से कोई प्रावधान रखा गया है जिससे उसके पीने के पानी, खड़ंजे या तमाम विकास के काम किये जायें । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने केवल दो करोड़ रुपया रख दिया जिसमें दो रोड भी नहीं बन सकती है । मेरा कहना है कि अलग विकास के लिए कोई बजट रखा जाता है ?

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष जी, सन् 1977 से लेकर सन् 1981 तक कहा गया है कि इन अनऔथोराईज़्ड कालोनीज़ की संख्या 404 है । जिनको कि हम टेक अप करना चाहते हैं और उसके लिए, पानी के लिए और बिजली के लिए तथा सीवरेज के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है उसके लिए पैसा रखा है कि इसमें इतना पैसा हमारा लगेगा । ऐस्टिमेंटेड कॉस्ट जो है, वह ऐक्सपैक्टेड अब 872 की है जो कि एक स्क्वॉयर मीटर पर पैसा लगेगा इस काम के लिए, तो इसलिए रेगुलराइज़ेशन ऑफ 600 कॉलोनीज़ 1977 के लिए हम ये काम करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस काम को पूरा करें ।

श्री हरचंद सिंह : स्पीकर साहब, भारतवर्ष में दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां ज़मीनों को, मकानों को कोई बेचता है, खरीदता है मगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, बाकी सारे संसार में होती है और जो रुपया होता

है रजिस्ट्रेशन का, वह पुलिस वाले और कार्पोरेशन वाले खा जाते हैं । करोड़ों रुपए का नुकसान कार्पोरेशन को है । क्या वज़ीर साहिबा यह बताएंगी कि उनकी रजिष्ट्री अब हुआ करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो होनी ही चाहिए ।

श्रीमती शीला कौल : जो ऑनरेबल मेम्बर ने बताया, वह तो होती ही है, लेकिन मेरे लिए एक तरह की खबर है ।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली शहर की आबादी लगभग 85 से 90 लाख है और दिल्ली में बाहर से आए हुए लोगों की संख्या लगभग 40 लाख है और उनको आए हुए आज से 10—15 वर्ष हो गए हैं । जो अनिधिकृत कॉलोनियाँ हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं साफ शब्दों में, कि क्या वैसी कॉलोनियों को जिनमें 15 वर्षों से, 7 वर्षों से लोग दिल्ली में अपने गृह बनाकर रह रहे हैं, उन्हें मान्यता देकर शीघ्र उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य आप करेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, जो इन्होंने सवाल पूछा है, इसके बारे में मैं कई बार बता चुकी हूं कि इसमें हम लोग लगे हुए हैं और बहुत सारी कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ किया है ।

श्री सूर्य नारायण यादव : आपने 80 करोड़ रूपया मात्र दिया है । ....(व्यवधान).....

श्री मदन लाल खुराना : 1980 के बाद एक भी कॉलोनी रेगुलराइज़ नहीं हुई है, इसमें आप कैसे लगे हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपको पूछने के लिए समय दिया, आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना निवेदन है कि केवल पूर्वी दिल्ली में 380 ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो अनऑथराइज्ड हैं । वहां न स्कूल हैं, न डिस्पेंसरी है । पिछले एक साल से मच्छर मारने वाली मशीन उस क्षेत्र में नहीं आती । मेरा निवेदन यह है कि कोई टार्गेट डेट आप बताएंगी कि इतनी कॉलोनीज़ इतने वर्ष तक कंप्लीट हो जाएंगी या उनको ऑथराइज़ कर दिया जाएगा ?

श्रीमती शीला कौल : केन्द्र सरकार की एक पॉलिसी है कि जो हमारी अनऑथराइज़्ड कॉलोनी हैं, उनको टप्पे टप्पे से रेगुलराइज़ किया जाए और उसको करने में हमारे पास कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि हम उसको कर सकें और इन्होंने जो मच्छर मारने की बात कही है, मच्छर तो सब जगह दिल्ली में हैं—छोटे भी हैं, बड़े भी हैं । मैं यह बताना चाह रही हूं कि जानकारी यह मिली है कि जो फॉगिंग मशीन थी, उससे कहते हैं कि जो धुंआ फैलता है वह इन्सान के लंग्ज़ के लिए बड़ा खतरनाक है, इसलिए उसको बंद कर रहे हैं ताकि आदमियों को परेशानी न हो, लंग्ज़ खराब न हों ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

*884. **श्री क्रिस्त बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोकार्बन, दूरसंचार और विद्युत के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इस समय ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सरकार की नीति के अनुसार हाइड्रोकार्बन, दूरसंचार तथा बिजली के संबंध में सीधे विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) विदेशी पूंजी निवेश से इन क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के वास्ते सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है :—

(I)	हाइड्रोकार्बन	: 21
(II)	दूरसंचार	: 23
(III)	बिजली	: 8

(ग) अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों का ब्यौरा अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम, देश का नाम, सहयोग का स्वरूप तथा विनिर्माण की मदें भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मासिक समाचार पत्र के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जा रहे हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

श्री चित्त बसु : विवरण से यह लगता है कि सरकार को 52 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन तीन क्षेत्रों अर्थात् हाइड्रोकार्बन, दूरसंचार तथा विद्युत में कितनी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी लगाई गई है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई शर्तें हैं जिन्हें इन विदेशी निवेशकों को उत्पादों के मूल्य निर्धारण के संबंध में लाभ स्वदेश भेजने के बारे में या निर्यात बाध्यताओं के बारे में पूरा करना होगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इन सभी 52 प्रस्तावों का जिनका यहां उल्लेख किया गया है प्रस्तावित अवस्था में है और अभी तक स्वीकृत नहीं हुए है । यह अभी बताना कठिन होगा कि कितना निवेश होगा । यह कहने से पहले कितना निवेश होगा यह स्पष्ट करना होगा कि औद्योगिक नीति में घोषित की गई शर्तों का हमें पालन करना होगा कि जहां तक संभव हो सके निर्यात किया जायेगा । विद्युत क्षेत्र में निवेश बुनियादी ढांचे के विकास के लिए होगा । अत: बुनियादी ढांचे के मामले में सरकार को इन शर्तों को हटाने का अधिकार है । ऐसे प्रस्ताव उच्च स्तर पर एफ आई पी बी द्वारा विचारणीय है लेकिन बाकी सभी मामलों में रिजर्व बैंक के पास जायेंगें और निर्धारित शर्तों को पूरा करेगें ।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि स्वदेशी औद्योगिक घरानों ने भी इन तीन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो पुरानी छूट के तहत प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं थे, यदि हां, तो कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है और उन प्राइवेट सेक्टर के औद्योगिक घरानों का नाम क्या है जो इन प्रस्तावों में पूंजी लगाना चाहते है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, निश्चय ही स्वदेशी उद्योगों ने भी विद्युत क्षेत्र के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । वास्तव में आज भी प्राइवेट सेक्टर में विद्युत उत्पादन होता है । मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए निवेशकों से 16 प्रस्ताव लम्बित हैं । उनमें से आठ स्वदेशी निवेशक हैं । फिर भी इस समय, मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि निवेश कितना होगा । मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा

कि प्राइवेट सेक्टर में विदेशी निवेश से 4890 मेगावाट की क्षमता का एक प्रस्ताव है कुल उत्पादन समूचे क्षेत्र से अर्थात् प्राइवेट विदेशी क्षेत्र से यह 8562 मेगावाट है 20,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश की आशा है । यदि यह स्वीकृत हो जाती है तो यह योजना आवंटन के अतिरिक्त है ।

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, हमारे देश में दूरसंचार और विद्युत के क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रत्यक्ष निवेश करने की आवश्यकता है । मेरे विचार से यदि अगले 5-10 वर्षों में हम अपेक्षित क्षमता लाना चाहते हैं, तो आवश्यकतायें पूरी करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक निवेश लाने की आवश्यकता है ताकि इन दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि हमें 52 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये केवल प्रस्ताव हैं और वर्तमान स्थिति में इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित शर्तों में अथवा आवश्यकताओं में काफी अधिक खामियां हो सकती हैं । मैं यहां मेरे बाईं तरफ बैठे अनेक मित्रों को बताना चाहूंगा कि दूरसंचार अथवा विद्युत ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों इत्यादि के द्वारा जितना भी निवेश किया जायेगा, इन निवेशों को वापस नहीं किया जा सकता और वास्तव में हमारी उस वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से ही इसे आगे बढ़ाने का विचार है जो पूर्णत: भारत सरकार द्वारा संचालित है । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि केवल एक क्षेत्र में ही यह लगभग 20,000 करोड़ रुपये है । मैं जान सकता हूं कि क्या वह इन प्रस्तावों और इस दृष्टिकोण से सन्तुष्ट हैं कि इन प्रस्तावों को मूर्त रूप दिया जा सकता है ? यदि वह यह समझते हैं कि कम्पनियां चाहती हैं कि उन्हें कतिपय रियायतें, छूट अथवा अधिक प्रोत्साहन दिया जाये, तो क्या सरकार अपनी शर्तों में थोड़ी ढील देगी ताकि इन दोनों क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तुरन्त ही किया जा सके ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, प्रत्येक प्रस्ताव की जांच केवल उसकी विशेषताओं के आधार पर ही की जायेगी । जी हां, सरकार शर्तों में थोड़ी ढील दे सकती है बशर्ते कि ऐसा करना राष्ट्र के हित में हो । उस मामले में हम शर्तों में छूट दे सकते हैं अन्यथा हम सामान्य शर्तों का ही अनुपालन करते हैं ।

श्री राम कापसे : महोदय, जहां तक दूरसंचार का सम्बन्ध है, जिस समय सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की गई थी, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें स्थापित किया गया था । दूरसंचार के क्षेत्र में 23 नये प्रस्ताव हैं । विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । परन्तु जहां तक दूरसंचार के क्षेत्र में निजी उद्यमों का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र की ओर से एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंजूर करते समय क्या वह इस मामले पर भी विचार करेंगे, जहां तक विशेषताओं का सम्बन्ध है, देश के विभिन्न भागों में इसका वितरण किया जाना चाहिए न कि केवल एक क्षेत्र में ही इसका वितरण किया जाये ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 23 प्रस्ताव विदेशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धी समझौतों से सम्बन्धित हैं । माननीय सदस्य के लाभार्थ मैं बता दूं कि इसमें एक प्रस्ताव मोटर-कार में 'सैल्युलर टेलीफोन' लगाने से सम्बन्धित है । बम्बई भी उसमें शामिल है । मेरे विचार से वह महाराष्ट्र में आता है ।

श्री सुख राम : महोदय, देश में विद्युत तापीय और जलविद्युत के असन्तुलित विकास को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री जी विदेशों से निधि प्राप्त करने हेतु जलविद्युत की और अधिक परियोजनाओं की स्थापना के बारे में विचार करेंगे क्योंकि जलविद्युत सबसे सस्ता, प्रदूषण-मुक्त और स्थायी संसाधन है ? विशेष रूप से क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देश की कुल जल-विद्युत सामर्थ्य का छठा भाग उपलब्ध है और क्योंकि कई परियोजनायें भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं, इस स्थिति में क्या वह विदेशों से निधि प्राप्त करने

के लिए कोयला परियोजना पर विचार करेंगे क्योंकि केवल इसी परियोजना के अन्तर्गत देश में सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी परन्तु क्या इससे भाखड़ा बांध का जीवन पचास वर्ष से 70 वर्ष तक और नहीं बढ़ जायेगा ? अतएव विदेशों से निधि प्राप्त करने के लिए क्या वह इस परियोजना पर विचार करेंगे ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, हिमाचल प्रदेश और जल विद्युत परियोजना दोनों के लिए सदस्य महोदय की व्यग्रता की मैं प्रशंसा करता हूं । परन्तु मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य विद्युत मंत्रालय से अलग से प्रश्न कर सकते हैं । केवल वे ही इस बारे में निर्णय कर सकते हैं ।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि विदेशों के साथ इसने कितने व्यापार समझौते किये हैं । आठ विद्युत परियोजनाओं में से और 23 दूरसंचार परियोजनाओं तथा 21 हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को बिहार में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है । मैं जानता हूं कि अभी हाल ही में देशभर में सौ जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया गया है । अतएव मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन सभी परियोजनाओं को पिछड़े जिलों में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-पिछड़े जिलों में इन की स्थापना की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया है । यदि आप दोहराना चाहते हैं, तब कृपया दोहराईये ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रस्ताव विदेशों के साथ व्यापार समझौते सम्बन्धी प्रस्ताव हैं और मुख्य रूप से तकनीकी, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है । आप किसी भी प्रस्ताव में किसी स्थान विशेष के लिए निदेश नहीं दे सकते । आप कभी भ्रम में भी रह सकते हैं कि यदि सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश दिया जाता है, तो किसी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जायेगी । उस स्थिति में उद्योग को लाइसेंस प्रदान करते समय किसी पिछड़े क्षेत्र में इसकी स्थापना की जानी चाहिए थी । परन्तु ऐसा नहीं है । बहरहाल सरकार बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है । बुनियादी सुविधायें प्रदान करना राज्य सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है ताकि स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जा सके । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य बिहार सरकार से पर्याप्त बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहेंगे ताकि स्वतः ही पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जा सके ।

आवास विकास वित्त निगम

[हिन्दी]

*885. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन शाखाओं को कोई सफलता प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) आवास विकास वित्त निगम भारत सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है । निगम की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ, में निगम की दो शाखाएं हैं, तथापि वार्षिक रिपोर्ट में शाखाओं के बारे में अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, क्या यह एक उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह एक निजी निगम है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ठीक यही उत्तर दिया है ।

श्री अन्ना जोशी : परन्तु हमने जानकारी नहीं मांगी है. . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से तर्क मत दीजिए । आप उत्तर पढ़िये । उत्तर में पहले ही इसका जिक्र किया गया है ।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आवास विकास वित्त निगम भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह प्राइवेट कम्पनी है सरकार की नहीं है । आपने प्रश्न दिया है इसलिए उन्होंने जवाब दे दिया ।

डा० परशुराम गंगवार : माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जिस वार्षिक रिपोर्ट की चर्चा की वह किस वर्ष की है और क्या मंत्री जी ने इस रिपोर्ट में आवास विकास वित्त निगम के कार्यकलापों और उसकी शाखाओं के विषय में अध्ययन किया है क्योंकि ये आवास विकास वित्त निगम प्राईवेट होते हुए भी अरबों रूपये का कारोबार करती है जिसमें जनता के रूपयों के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी करोड़ों रूपया लगा होता है ? इस प्रकार की कई कम्पनियां खुलती हैं और बन्द हो जाती हैं । जनता का पैसा बरबाद हो जाता है और फिर सी०बी०आई० या पुलिस वाले उनकी खोज करते रहते हैं । क्या सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से इस आवास विकास वित्त निगम की जांच कराएगी और जांच की प्रति सदन में रखेगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अभी कहा गया है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यह प्राईवेट कम्पनी है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था । सभा का समय व्यर्थ होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे इस मुद्दे पर सहमत हूं ।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस आवास विकास वित्त निगम की दो शाखाओं के विषय में जिक्र किया कि एक शाखा कानपुर में है तथा दूसरी शाखा लखनऊ में है । मैं मंत्री जी

से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने इन शाखाओं के कार्य के बारे में किसी प्रकार का अध्ययन किया है ? यदि हां तो क्या इन शाखाओं के कार्य को ठीक पाया गया ? यदि नहीं तो ऐसी कम्पनियों पर क्या सरकार रोक लगाएगी ? (व्यवधान)

कुमारी सूर्यकान्ता पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यदि ऐलाऊ नहीं किया गया होता तो माननीय सदस्य की अवहेलना नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा किया आपने पूछा कि क्यों ऐलाऊ किया । वह आपकी अथारिटी में है ।

[अनुवाद]

इसे मंत्रालय के पास भेजा गया था और मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया था अत: इसकी अनुमति दे दी गई । ये सभी स्पष्टीकरण नहीं दिये गये हैं । माननीय सदस्य को यह बात जान लेनी चाहिए । कृपया अलग प्रश्न पूछिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर नहीं ।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अनेक गृह-निर्माण करने वाले वित्त निगम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और जनता से धन इकठ्ठा करके वे गायब हो जाते हैं । क्या सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना आई है ? जिन नागरिकों के साथ धोखा हुआ है, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा ?

एक माननीय सदस्य : और उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह एक निजी संगठन है और यदि लोग जनता से पैसा इकठ्ठा कर रहे हैं, तो उनके हितों की रक्षा कौन करेगा ? उनके हितों की किस प्रकार से रक्षा हो सकेगी ?

श्रीमती शीला कौल : वित्त मंत्रालय यह कार्रवाई करने में सक्षम है ।

कनाडा के परमाणु विद्युत रिएक्टर माडल की अनुकृति

*886. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री रामाश्रय† प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अप्रैल, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग कनाडा के परमाणु विद्युत रिएक्टर मॉडल का अनुकरण करके बनाये गये रिएक्टर की क्षमता को बढ़ाने में असफल रहा है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विद्यमान और निर्माणाधीन परमाणु विद्युत स्टेशनों में 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता कम हो गई है :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) तक एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

परमाणु ऊर्जा विभाग

(क) और (ख) जी, नहीं । 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले रिएक्टरों की क्षमता को पूर्णत: स्वदेशी प्रयासों से और आगे इसलिए बढ़ाया गया है कि 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर यूनिटों को स्थापित किया जा सके । 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले स्वदेशी रिएक्टर के डिजायन कनाडा के 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले रिएक्टर के उस मूल डिजायन की क्रमश: संशोधित अनुकृति है जिसे राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के लिए अपनाया गया था ।

(ग) 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले रिएक्टर की क्षमता को पुन: निर्धारित करके 220 मेगावाट (राजस्थान I तथा 2 के रिएक्टरों को छोड़कर) करने के परिणामस्वरूप, इस समय काम कर रहे रिएक्टरों तथा निर्माणाधीन रिएक्टरों की स्थापित क्षमता में कुल मिलाकर 210 मेगावाट विद्युत क्षमता की कमी होगी । यह कमी संयंत्रों की क्षमता को और अधिक उपयोग में लाकर पूरी की जा सकती है ।

(घ) और (ङ) कनाडा रिएक्टरों के डिजायनकारों ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर किस्म के रिएक्टरों (जिनकी विद्युत क्षमता मूलत: 220 मेगावाट निर्धारित की गई थी) के क्रोड में प्राथमिक शीतलक प्रवाह को अधिक रखने तथा फलक्स को बराबर बनाए रखने से अधिक बिजली प्राप्त करना संभव हो सकेगा । इस आधार पर राजस्थान परमाणु बिजलीघर के बाद लगाए गए रिएक्टरों की विद्युत क्षमता 235 मेगावाट निर्धारित की गई । तथापि, इन रिएक्टरों को चलाने से प्राप्त अनुभव से यह पता चला कि बिजली की जिस अतिरिक्त मात्रा के प्राप्त होने का पूर्वानुमान लगाया गया था वह मात्रा, सिवाए बहुत ही अनुकूल परिचालन अवस्थाओं में मामूली से अधिक विद्युत उत्पादन के, प्राप्त नहीं की जा सकती । अत: 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले युनिटों का उत्पादन वर्तमान में 220 मेगावाट निर्धारित किया गया है । मौजूदा रिएक्टर क्रोड की क्षमता के सतत आधार पर 220 मेगावाट से अधिक बढ़ने की आशा नहीं है ।

श्री खनत कुमार मंडल : महोदय, उत्तर में दिये गये विवरण से राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में सुधार की अधिक आशा नहीं की जा सकती । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि कोटा में स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-I स्थापना के समय से ही एक 'रुग्ण' एकक रही थी और यदि ऐसा है, तो कितने समय तक यह बन्द पड़ी रही थी ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, मैं मानती हूं कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना एक में हमें काफी तकनीकी समस्या आ रही थी । 1964 में इसे स्वीकृत किया गया था । 1972 में यह काफी संकटमय हो गई थी और 1973 में व्यापार सम्बन्धी कार्यों में इसका इस्तेमाल किया गया ।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह कैनेडा का मॉडल था जिसके आधार पर राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजनायें I और II तैयार की गई थीं । मैं कहूंगा कि ये दोनों परियोजनायें कई वर्षों से संकट में चल रही हैं । शील्ड में दरार पड़ जाने के कारण कुछ समय तक इसे बन्द करना पड़ा और इसकी क्षमता को पुन: निर्धारित करना पड़ा था क्योंकि विनियमन बोर्ड की सुरक्षा कारणों के मद्देनजर आवश्यकताओं के फलस्वरूप इसकी क्षमता को प्रस्तावित 220 मेगावाट से 100 मेगावाट करना पड़ा था । यह कहना ठीक नहीं है कि इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि प्रारम्भ में कुछ दिक्कतें होने के कारण हमें इसकी क्षमता को घटाकर पुन: निर्धारण करना पड़ा था परन्तु हम इस मॉडल में सुधार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि देश में ही इसका निर्माण करने से हमारी परियोजना से बेहतर नतीजे प्राप्त हो सकते हैं ।

श्री समत कुमार मंडल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या उपकरणों के अभाव में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना II को ठीक से नहीं चलाया जा सका था और इसकी क्षमता को कम करना पड़ा था । यदि ऐसा है तो कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना इकाइयों के इतने खराब कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं और उनमें कितनी राशि का निवेश किया गया है और उन्हें व्यवहार्य एकक बनाने के लिए क्या कोई हल निकाला गया है ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, जैसा मैंने कहा था कि हमें राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना I और II में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था । वास्तव में झील के जल के तापक्रम के बारे में भी हमारे सामने कुछ समस्या आई थी जिसे पहले एक स्तर विशेष तक निर्धारित किया गया था परन्तु जैसे-जैसे हम कैनेडा के सहयोग से आगे बढ़ते गये, यह देखा गया कि जो तापक्रम निर्धारित किया गया था, वास्तव में हम उस तक नहीं पहुंच पाये थे और झील के जल के तापमान में 10° फार्नहाइट का अन्तर था । उसके फलस्वरूप कैनेडियनों द्वारा निर्धारित कार्यक्षमता के अनुकूल इससे हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो सके । कैनेडा के साथ व्यापार सम्बन्धी समझौते के अन्तर्गत इसे बनाया गया था और इसीलिए राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना II के मामले में भी हम 220 मेगावाट क्षमता प्राप्त नहीं कर सके हैं जो मूलत: निर्धारित की गई थी । परन्तु जैसा मैंने पहले बताया था कि महाराष्ट्र परमाणु विद्युत परियोजना और दूसरी परियोजनायें, जैसे नरौरा, मद्रास विद्युत संयंत्र और कैगा की दूसरी परियोजनाओं के मामले में हमने ऐसी कई समस्याओं का समाधान किया है और भविष्य में हम 500 मेगावाट की क्षमता वाली इकाईयों की स्थापना कर रहे हैं जिन्हें अभी लगाया जा रहा है ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी एक इकाई पर वहीं कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने 210 मेगावाट की क्षमता उत्पन्न कर दी थी लेकिन उनको किसी प्रकार से प्रोत्साहन न देने के कारण और उनकी क्षमता का सही आकलन न करने के कारण वे विवश होकर हिन्दुस्तान छोड़कर विदेशों में चले गये । मेरा चार्ज है कि इस अणु शक्ति प्रोजेक्ट को जो केनेडियन ने बनाया था, उस पर किसी भी प्रकार की कोई तवज्जह सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है और उसके कारण आज उसके कई भयंकर परिणाम सामने आते चले जा रहे हैं । बीच में माननीय जार्ज साहब ने भी इस प्रश्न को यहां उठाया था और मैंने उसकी चर्चा भी की थी । क्या अब आप यह महसूस करते हैं कि यह फेल हो गया है ? यदि यह फेल हो गया है तो क्या आप इसको बंद करने जा रहे हैं ? अगर फेल नहीं हुआ है तो नरोरा के तौर-तरीके पर इसको फिर से यहां कृपा करके चालू करने की स्थिति में क्या आप हैं ? यदि नहीं हैं तो आप कृपा करके इसको बंद कर दें वरना किसी भी दिन चरनोबिल जैसी स्थिति इस अणु प्रोजेक्ट की हो सकती है । कृपया इनका स्पष्ट उत्तर दें ।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगी कि उन्हें किसी भी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में, सुरक्षा सम्बन्धी विनियमों और सतर्कता पूर्वक निगरानी करने के कारण जब राजस्थान परमाणु बिजलीघर-I में इसकी तकनीकी समस्याओं के कारण हमें दिक्कत होने लगी, तब हम इसे ठीक कर सकते थे । उसमें एक दरार पड़ गई थी जिसे ठीक कर दिया गया था और उसकी री-रेटिंग की गई थी और उसकी क्षमता को कम कर दिया गया ताकि इस पर अधिक दबाव और ताप नहीं पड़े । अतएव मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूं कि यह ठीक है कि प्रारम्भिक चरण में हमने कैनेडा के सहयोग से पहला रिएक्टर आरम्भ किया था । उनकी राय से ही इसे चलाया गया था परन्तु जब हमने देखा कि यह ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया । यह मेरा चार्ज है । वे हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गए । . . . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरिट अल्वा : महोदय, मैं सभा के समक्ष केवल तथ्य रख सकती हूं । यह कैनेडा का मॉडल रैप्स-I था परन्तु सदस्य इसे माने अथवा नहीं, सभा इस बात से अवगत है कि पोकरन परीक्षण के पश्चात् कैनेडा ने इसे वापस ले लिया और हमें अपने देश में इसका निर्माण करना पड़ा था । मैं अपने भारतीय वैज्ञानिकों को इसका श्रेय दूंगी कि वे इस चुनौती का सामना करने में समर्थ थे और कैनेडा द्वारा इसे वापस लेने के पश्चात् वे इसका देश में ही निर्माण करने में समर्थ थे । उसके बाद से हमने काफी प्रगति की है और मेरे विचार से यह ठीक है कि हम अपने देश में इसे बनाने के अपने प्रयासों को श्रेय दे रहे हैं जब कि इससे पहले हमें प्रारम्भ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था ।

श्रीमती बिम्बू कुमारी देबी : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह रिएक्टर स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिप्रद है और उसके आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले अनेक व्यक्ति सभी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं ? दूसरे यह कैनेडा की प्रौद्योगिकी जो हमें प्राप्त हुई है वह अप्रचलित थी । हमें पुरानी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी देने के लिए उन्हें दण्डित करने का क्या हमारे पास कोई तरीका है ?

श्रीमती मार्गरिट अल्वा : मेरे विचार से जिस समय हम यह प्रौद्योगिकी लेकर आये थे, उस समय यह अप्रचलित, पुरानी प्रौद्योगिकी नहीं थी । काफी परामर्श के पश्चात् ही इसे लाया गया था तथा कुछेक उपलब्धियों के बारे में अनुमान लगाया गया था परन्तु जिस समय इसने कार्य करना आरम्भ किया था, शील्ड में दरार पड़ जाने के कारण इसका इस्तेमाल रोक दिया गया । मैं यह नहीं कहूंगी कि यह प्रौद्योगिकी पुरानी अथवा अप्रचलित थी परन्तु जब आप किसी संयंत्र को चलाते हैं तब आपके समक्ष तकनीकी समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं । जहां तक स्वास्थ्य के लिए इसके हानिप्रद होने का सम्बन्ध है, समाचार पत्रों में ऐसी खबरें प्रकाशित हुई थीं और सभा में भी उन पर चर्चा की गई थी परन्तु व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया गया है और यह किसी भी रूप में विद्युत संयंत्र से संबंधित नहीं है । मैं यह बात दृढ़तापूर्वक कह सकती हूं परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास कोई अन्य जानकारी है, तो इस पर विचार करने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । हमें इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि पुरानी प्रौद्योगिकी सप्लाई करने के लिए क्या कैनेडा को दण्डित किया गया था ? क्या उन्होंने इसका मुआवजा दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : काफी पहले ऐसा हुआ था ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है । हरेक सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है । मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य जानता हूं ।

श्रीमती मार्गरिट अल्वा : महोदय, जी हां । आप संभवतः मुझ से बेहतर जानते हैं क्योंकि 1972 में यह किया गया था । उनके परामर्श पर ऐसा किया गया था परन्तु हमारे सामने कुछ तकनीकी समस्यायें थीं ।

बाद में शील्ड में दरार पड़ गई थी । आप कैनेडा को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं, आप तापक्रम को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं और आप अन्य किसी भी पहलू को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हम इसे ठीक कर सके थे । संयंत्र कार्य कर रहा है सिवाय इसके कि संयंत्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के कारण हमें इसकी क्षमता कम करनी पड़ी थी ।

श्री विजय एन० पाटील : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस विद्युत संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत कितनी है क्योंकि यदि हम तारापुर और नरौरा की तुलना करते हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी लागत इससे दुगुनी है । जैसा कि श्री जोशी ने कहा है कि बार-बार इस संयंत्र की मरम्मत करने, सुरक्षात्मक जोखिम मोल लेने और उस पर इतनी अधिक धनराशि व्यय करने के स्थान पर इस संयंत्र को बन्द करना ही बेहतर होगा । अतएव, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस संयंत्र को इसी स्थिति में चलाये रखने और काफी अधिक लागत पर ऊर्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करेगी ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, राजस्थान परमाणु बिजलीघर और मध्य प्रदेश परमाणु बिजलीघर दोनों का शुल्क दर उस क्षमता पर आधारित है, जो उस समय निर्धारित की गई थी । पुनः इसकी दर निर्धारित करने और इसकी क्षमता घटने के कारण इसमें प्रति यूनिट चार पैसे अतिरिक्त की वृद्धि हुई है । ताप विद्युत निगम द्वारा इसका शुल्क निर्धारित किया जाता है । निगम द्वारा ही वितरण किया जाता है ।

श्री विजय एन० पाटील : क्या वर्ष में 100 दिन खराब रहने के कारण ऐसा है ?

अध्यक्ष महोदय : उसका इस्तेमाल प्रयोग शाला के रूप में भी किया जा रहा है ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं विभिन्न नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में प्रति यूनिट को निश्चित दर माननीय सदस्य के पास भेज दूंगी । यूनिटवार दर के बारे में मेरे पास अधिक जानकारी नहीं है ।

[हिन्दी]

विकास केन्द्रों को सुविधायें

*887. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में विद्यमान विकास केन्द्रों को प्रदान करने हेतु प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विकास केन्द्रों को ये सुविधायें पहले नहीं प्रदान की गई थी जिसके कारण वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) उड़ीसा के किन जिलों में किन कारणों से ये विकास केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किये गए हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) जून, 1988 में घोषित विकास केन्द्र योजना के तहत उड़ीसा को चार विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं।

इनमें से तीन विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का चयन कर लिया गया है और घोषणा कर दी गई है जो इस प्रकार हैं—गंजाम में छत्तरपुर, संभलपुर में छिपलीमा और कटक में चौदवार। चौथे विकास केन्द्र के चयन के लिए राज्य सरकार ने कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं भेजा है।

चुने गये विकास केन्द्रों को इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के लिए आधारभूत अवस्थापनापरक सुविधाएं जैसे बिजली, जल, दूर संचार इत्यादि मुहैया कराई जायेगी। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे भी वही उत्तर मिल रहा है। पहली बार भी वही उत्तर दिया गया था। इस समय प्रश्न भी वही है। परन्तु मेरा विचार था कि इस दौरान सरकार ने उड़ीसा में विकास केन्द्रों को कुछ निधि अवश्य प्रदान की होगी। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। वही उत्तर दिया जा रहा है :

"आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर कार्यान्वयन किया जायेगा।" मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के सभी विकास कन्द्रों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि आबंटित की जानी है और उसमें से आप उड़ीसा को इस चालू वर्ष में कितनी धनराशि देने का विचार कर रहे हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं कि प्रश्न वही है। परन्तु उत्तर भिन्न है। माननीय मंत्री जी, आप सुधार देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक मंत्री दूसरे मंत्री को उत्तर दे रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उड़ीसा द्वारा बताये गये चार विकास केन्द्रों में से तीन की पहचान हो गई है। पहली किश्त के रूप में 150 लाख रुपये उड़ीसा राज्य को दे दिये गये हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, केवल 1.50 करोड़ रु० दिये गये हैं। तीन विकास केन्द्रों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है और चौथा विकास केन्द्र जिसका मामला अभी भी लम्बित है, उनके लिए आप लगभग 30 करोड़ रु० देने वाले हैं। 30 करोड़ रुपये में से केवल 1.5 करोड़ रु० दिये गये हैं।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि इस वर्ष आप उड़ीसा को कितना पैसा देने जा रहे हैं और देश में विकास केन्द्रों के लिए आपने कितनी धनराशि का प्रावधान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उड़ीसा सबसे पिछड़ा राज्य है। पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी बता रहे थे कि राज्य सरकारों द्वारा निश्चित रूप से बुनियादी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उड़ीसा सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। क्या आप उड़ीसा को अधिक धनराशि प्रदान करके औद्योगिक बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए उड़ीसा को वरीयता देने का विचार कर रहे हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब भी उड़ीसा सरकार योजना को लागू करना चाहे, हमें केन्द्रीय सरकार को वचनबद्धता को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ही पूरा खर्च वहन कर रही है । इन विकास केन्द्रों पर 30 करोड़ रुपये का व्यय आ सकता है । उसमें से 5 करोड़ रु० का व्यय राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा । केन्द्रीय सरकार को 10 करोड़ रु० व्यय करने पड़ेंगे, वित्तीय संस्थानों को 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये बाजार से ऋण लेना पड़ेगा । अत: ऐसा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को ही 30 करोड़ रु० अकेले व्यय करने होंगे । राज्य सरकार का काम यह है कि वह उसमें सहयोग दे और परियोजना को लागू करे ।

मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि राज्य सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित करती रहेगी तो हम निश्चित रूप से पर्याप्त निधि प्रदान करेंगे ।

इस वर्ष हमने इस योजना के लिए 22 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जून 1988 में इन चार विकास केन्द्रों को स्वीकृत करते समय क्या उनके पूरा होने तथा उन्हें चालू करने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी ? और यदि ऐसा है तो उसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

चौथे विकास केन्द्र की अभी तक पहचान क्यों नहीं की गई है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में ही इस योजना को लागू किया जाना है । अतएव इसमें कोई विलम्ब नहीं किया गया है । परन्तु चौथे विकास केन्द्र की पहचान करने में एक कठिनाई है क्योंकि उड़ीसा सरकार ही बार-बार यही कह रही है कि वह एक जिले में दो विकास केन्द्र चाहती है जो कि केन्द्रीय सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं है । इसका भी अनुमोदन नहीं किया जा सकता । हमने कटक जिले में पहले ही एक विकास केन्द्र दे दिया है और उड़ीसा सरकार वहां पर एक और विकास केन्द्र की मांग कर रही है । बहरहाल हम इससे सहमत नहीं हो सकते । कटक एक पिछड़ा जिला भी नहीं है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह उड़ीसा सरकार से इस बारे में बात करे कि सरकार किसी दूसरे पिछड़े जिले के लिए विकास केन्द्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव में संशोधन करे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

*888. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रतिमाह पश्चिम बंगाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु कितना चावल, गेहूं, खाद्य तेल तथा चीनी आवंटित की गई;

(ख) क्या यह आवंटन राज्य की वास्तविक मांग के अनुरूप किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मांग और आबंटन तथा आबंटन और आपूर्ति के बीच कोई अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) वर्ष 1991-92 के लिए पश्चिम बंगाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु चावल और गेहूं की माहवार मांग, आबंटन और उठाई गई मात्रा तथा खाद्य तेल और चीनी का आबंटन व उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध पर दिया गया है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची जरूरत को पूरा करना नहीं होता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आबंटन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की मांग, केन्द्रीय पूल में भंडार की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं, खुले बाजार में उपलब्धता और मौसमजन्य कारणों जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है । लेवी चीनी का आबंटन सामान्यतया 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए 425 ग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराने के समान मानदंड पर किया जाता है । अगस्त, 1991 से लेवी चीनी के आबंटन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 5% की तदर्थ वृद्धि की गई है । केवल आयातित खाद्य तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए आबंटित किया जाता है तथा इसका आबंटन केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक पर निर्भर करता है ।

पश्चिम बंगाल सरकार की मांग और किए गए आबंटन के बीच अंतर का ब्यौरा तथा साथ ही आबंटन तथा वास्तव में उठाई गई मात्र के बीच अंतर का विवरण संलग्न विवरण पर देखा जा सकता है ।

विवरण

अप्रैल, 1991 से मार्च, 1992 तक पश्चिम बंगाल को गेहूं, चावल, लेवी चीनी, और खाद्य तेलों का आबंटन/उनकी उठाई गई मात्रा

(हजार मी० टन में)

माह	गेहूं			चावल			खाद्य तेल		लेवी चीनी
	मांग	आबंटन	उठाई गई मात्रा	मांग	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन
अप्रैल, 91	130.00	100.00	67.00	150.00	65.00	50.10	0.00	2.08	25.89
मई, 91	130.00	100.00	81.50	150.00	65.00	50.90	0.60	0.28	25.89
जून, 91	130.00	90.00	77.90	150.00	69.00	55.40	0.00	0.19	25.89
जुलाई, 91	130.00	90.00	69.90	150.00	69.00	53.90	0.00	0.08	25.89
अगस्त, 91	130.00	90.00	83.40	150.00	81.00	60.90	0.00	0.00	25.89
सितम्बर, 91	108.00	90.00	83.40	150.00	87.00	60.90	0.00	0.00	28.48
अक्तूबर, 91	108.00	90.00	69.60	95.00	83.00	72.50	1.50	2.31	31.98
नवम्बर, 91	130.00	90.00	75.80	150.00	75.00	58.70	1.50	0.00	30.18
दिसम्बर, 91	130.00	81.00	55.90	150.00	69.00	76.40	0.00	0.50	27.18
जनवरी, 92	130.00	81.00	71.00	150.00	69.00	56.20	1.50	0.71	27.18
फरवरी, 92	130.00	90.00	53.90	150.00	70.00	55.00	1.50	1.00	27.18
मार्च, 92	130.00	90.00	73.40	150.00	70.00	54.00	शून्य	0.59	27.18

लेवी चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है ।

तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर 90—अक्तूबर, 91) के लिए आयातित खाद्य तेल की वार्षिक मांग 1,80,000 मी० टन थी ।

नारियल जटा बोर्ड के अनुसंधान-कार्य

*889. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटा बोर्ड के अनुसंधान कार्यों में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार की गई कार्य योजना क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) कॅयर बोर्ड के कार्य-कलापों में अनुसंधान और विकास एक प्रमुख क्षेत्र है । कॅयर बोर्ड ने कॅयर क्षेत्र में अनुसंधान कार्य-कलाप शुरू करने के लिए दो अनुसंधान संस्थान अर्थात् कालावूर, ऐलेप्पी में केन्द्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान और पीनया, बैंगलोर में केन्द्रीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है ।

1992-93 के दौरान, चल रहे सामान्य कार्यक्रमों के अलावा बोर्ड का अपने अनुसंधान कार्यकलापों में वृद्धि करने तथा निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष बल देने का प्रस्ताव है :—

(1) सी० सी० आर० आई०, कालावूर में 2 मीटर पावरलूम का निर्माण ।

(2) मैराडो, मद्रास के सहयोग से 4 मीटर पावरलूम का निर्माण ।

(3) सेमी-ऑटोमैटिक पावरलूम का निर्माण ।

(4) रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय के सहयोग से रंगाई में पक्के रंगों के लिए नई तकनीकों का विकास ।

(5) वितरण के लिए 1000 मीटरीकृत रैट्स का निर्माण बशर्ते बजट प्रावधान उपलब्ध हों ।

(6) केरल सरकार के लिए 20 सैमी-ऑटोमैटिक लूम्स का निर्माण बशर्ते कि केरल सरकार लागत का 50% देने के लिए सहमत हो ।

सरकार कॅयर बोर्ड को बजट सहायता देती है ताकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों सहित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर सके ।

वर्ष 1992-93 के लिए बजट अनुमानों के कॅयर बोर्ड को योजनागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीमों के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय

*890. श्री जार्ज फर्नान्डीज
श्री शरत चन्द्र पटनायक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1992 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के संबंध में आयोजित की गई राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार ने संस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों की पुष्टि के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी अभिसमयों की पुष्टि न करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 3 से 6 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित त्रिपक्षीय सेमीनार एवं कार्यशाला में सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा नियोजन की न्यूनतम आयु से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों के बारे में विचार-विमर्श किया गया और कुछ अभिसमयों के अनुसमर्थन करने की सिफारिश की गई तथापि कार्यशाला की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार समय-समय पर देश में लागू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों की विषय सामग्री से संबंधित कानून एवं पद्धति की जांच और जहां कहीं संभव हो वह उनका अनुसमर्थन करती रही है। अब तक ऐसे 36 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया जा चुका है। अभिसमय का अनुसमर्थन करने पर तुरंत तकनीकी का उन्नयन, प्रवर्तन तंत्र का संवर्धन, कानून में परिवर्तन वित्तीय भार वहन करना पड़ता है जो कि विद्यमान सामाजिक आर्थिक दशाओं में संभव नहीं है अत: फिलहाल इनका अनुसमर्थन नहीं किया गया है।

स्वदेशी उपग्रह

891. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ही जिन उपग्रहों का डिजाइन तैयार किया गया तथा उन्हें बनाया गया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने उपग्रह देश से छोड़े गए?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1बी० (आई० आर० एस०-1बी०), भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2ए० (इन्सैट-2ए०) और विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला-सी (ग्रोस-सी) को देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

आई० आर० एस०-1बी०

आई० आर० एस० श्रृंखला में आई० आर० एस०-1बी० द्वितीय स्वदेशी उपग्रह है और इसे सोवियत अन्तरिक्ष अड्डे से अगस्त 29, 1991 को कक्षा में छोड़ा गया। यह प्रचालन में है। आई० आर० एस०-1बी० उपग्रह, आई० आर० एस०-1ए० के समतुल्य है, जिसे मार्च 17, 1988 को छोड़ा गया था और जो कि अपनी तीन वर्षीय निर्धारित कालावधि पहले ही पूरी कर चुका है तथा अभी भी प्रचालन में है। आई० आर० एस०-1बी० को आई० आर० एस०-1ए० के साथ भू-संसाधनों के सर्वेक्षण और आंकलन में सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रजनन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध में इनका उपयोग किया जा रहा है। उड्डान चरण में आई० आर० एस०-1बी० उपग्रह का भार 988 कि० ग्रा० था।

इन्सैट-2ए०

इन्सैट प्रणाली में स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित उपग्रहों की श्रृंखला में इन्सैट-2ए० प्रथम उपग्रह है। यह अन्ततोगत्वा विदेश से प्राप्त इन्सैट-1 श्रृंखला के उपग्रहों का स्थान ग्रहण करेगा और दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा अन्य सेवाओं को संवर्धित क्षमता प्रदान करेगा। यह उपग्रह प्रमोचन के

लिए तैयार है । इसे फ्रेंच गियाना में कोरू को भेजा जा चुका है । इसका प्रमोचन यूरोपियन एरियन प्रमोचक रॉकेट द्वारा जून, 1992 के अन्त के लिए निर्धारित है । उड़ान चरण में उपग्रह का भार 1906 कि० ग्रा० होगा ।

ओस-सी

विस्तृत रोहिणी उपग्रह (ओस) शृंखला में ओस-सी तृतीय स्वदेशी उपग्रह है । ओस-सी का उद्देश्य आयनमंडलीय परिघटनाओं के अन्वेषण के लिए परीक्षण करना है । उपग्रह नीतभार का विकास राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप में किया गया है । उपग्रह को श्रीहरिकोटा भेजा जा चुका है और यह मई 1992 में प्रमोचन के लिए निर्धारित स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित संवर्धित उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (ए० एस० एल० वी०) में रखकर छोड़े जाने के लिए तैयार है । उड़ान चरण में उपग्रह का भार 106 कि० ग्रा० होगा ।

(ख) आई० आर० एस०-1बी० उपग्रह को सोवियत अन्तरिक्ष अड्डे से छोड़ा गया था तथा इन्सैट-2ए० को फ्रेंच गियाना से छोड़ा जायेगा । ओस-सी उपग्रह को शार,श्रीहरिकोटा स्थित देश के प्रमोचक पैड से छोड़ा जाना है ।

मोलिक्यूलीय और कोशिकीय जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान

*892. **श्री रामकृष्ण कोंसाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वायरल से होने वाले पुराने तथा आनुवंशिक रोगों पर काबू पाने के लिये मोलिक्यूलीय और कोशिकीय जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक किये गये नवीनतम अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार पुराने विषाणु रोगों और आनुवंशिक विकृतियों की समस्याओं से सम्बन्धित आण्विक और कोशिकीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ावा दे रही है । बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय औषध अनुसंधान परिषद् ने हेपाटाइटिस "ए" रोग का जल्दी पता लगाने के लिये स्वदेशी प्रतिरक्षा नैदानिक परीक्षण किटों के विकास, वाइरल हेपाटाइटिस पोलियो और रोटावायरस डायरिया के लिये वैक्सीनों और/अथवा प्रतिरक्षा नैदानिकी के विकास के लिये संभावित वाइरल प्रतिजन का आण्विक लक्षण वर्णन तथा क्लोनिंग, रक्त दाताओं और उच्च जोखिम समूहों में एच० आई० वी० संक्रमण, और उच्च जोखिम समूहों में हेपाटाइटिस "बी" की निगरानी पर अध्ययन से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है और सुझाव दिया है । इन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए आण्विक जीव विज्ञान की नई तकनीकों जैसे एलिसा (एन्जाइम लिंक्ड इम्यूनो-सोर्बेन्ट असे), वेस्टर्न ब्लाट तथा पालिमरेज चेन रिएक्शन (पी० सी० आर०) तथा प्रतिरक्षात्मक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है । रक्त और मांसपेशीय दुष्पोषणों से सम्बन्धित आनुवंशिक विकृतियों सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं की भी जांच की जा रही है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढाए जाने वाले ट्रेड

*893. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले ऐसे ट्रेडों का पता लगाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है जिनके लिए नौकरी के अवसर सुगम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले व्यवसायों तथा श्रम बाजार में उनकी नियोज्यता की समय-समय पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों द्वारा समीक्षा की जाती है । राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, कर्मचारियों तथा नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यवसायी एवं विशेषज्ञ शामिल हैं तथा वे इसकी जांच करते हैं । परिषद् द्वारा व्यवसाय पाठ्यचर्या से संबंधित मामलों तथा औजारों एवं उपकरणों की अपेक्षाओं की भी पुनरीक्षा की जाती है ।

2. केन्द्र सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ० प्र० सं०) के प्रशिक्षण क्रियाकलापों में सुधार में घनिष्ठ रूप में अंतर्ग्रस्त है । राज्य सरकारों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु पुरानी तथा बेकार मशीनों एवं उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक स्कीम आरंभ की गई थी । किन्तु, व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, उसको अद्यतन करने एवं आधुनिकीकृत करने के लिए मात्र पुराने तथा घिसे हुए उपकरणों को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा अन्य बातों की भी आवश्यकता थी तथा अन्य क्षेत्रों, जैसे अनुदेशक प्रशिक्षण, उच्च तथा हाई-प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित था, अतः विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना नामक एक व्यापक परियोजना तैयार तथा अनुमोदित की गई । इस परियोजना को अब 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है । व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना में 19 योजनाएं हैं जिन्हें केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाएं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुराने उपकरण के नवीनीकरण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, दृश्य-श्रव्य सहायकों के प्रावधान, उपकरण अनुरक्षण पद्धति की स्थापना तथा परियोजना के अधीन चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए तथा संगत व्यवसायों को आरंभ करने से संबंधित हैं । इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना 100 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 4 नए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके तथा 64 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, नोएडा स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान तथा महिलाओं के लिए 6 विद्यमान क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए तथा अधिक संगत व्यवसाय आरम्भ करके महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की मूलभूत सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करेगी ।

असैनिक कर्मचारियों/सरकारी कर्मचारियों को समान रैंक समान पेंशन

*894. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समान रैंक समान पेंशन लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार असैनिक कर्मचारियों/सरकारी कर्मचारियों के लिए भी "समान रैंक समान पेंशन" योजना पर विचार करने का है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा "समान रैंक समान पेंशन" के लिए मांग के संदर्भ में सिविलियन पेंशनभोगियों के लिए "पेंशन में समानता" की मांग में यह परिकल्पना की गई है कि पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों तथा उनके द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के समय ली गई परिलब्धियों पर ध्यान दिए बिना, इस समय प्रवृत्त परिलब्धियों के स्तर तक संशोधित कर दी जाए । इस मांग पर चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने विचार किया था तथा इसे रद्द कर दिया था । रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति, जिसके साथ कुछ संसद सदस्य तथा सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना अधिकारी भी सम्बद्ध थे, ने भी "समान रैंक समान पेंशन" को स्वीकार करने की सिफारिश नहीं की थी । किन्तु, इसकी सिफारिशों पर सरकार ने 1-1-86 से पहले सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन में एकमुश्त वृद्धि की मंजूरी प्रदान की है । भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन में एकमुश्त वृद्धि जिन कारणों के आधार पर मंजूर की गई है वे कारण सिविल पेंशनभोगियों के पेंशन वृद्धि के मामले में आधार नहीं माने जा सकते हैं ।

बोनस को उत्पादकता और लाभकारिता से जोड़ना

*895. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस को सम्बद्ध औद्योगिक एकक की उत्पादकता और लाभकारिता से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों को लाभों पर आधारित बोनस के बदले में लाभों तथा उत्पादन अथवा उत्पादकता पर आधारित वार्षिक बोनस की अदायगी करने की व्यवस्था है । उक्त अधिनियम में न्यूनतम सांविधिक बोनस की अदायगी करने की भी व्यवस्था है । फिलहाल विद्यमान बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत बोनस की अदायगी में और कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

कोयले की कम सप्लाई

*896. श्री नारायण भाई जमनाभाई राठवा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कम सप्लाई के कारण विभिन्न राज्यों में कपड़े के मिलों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की राज्यवार संख्या क्या है तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं, जिसमें कपड़ा उद्योग शामिल है को रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति में कमी रही है क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोल, सीमेंट, उर्वरक, आदि को कोयले के प्रेषण में प्राथमिकता दी गई थी। तथापि, वर्ष 1991-92 के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति लगभग समान ही रही जैसी कि 1990-91 के दौरान रही थी और इसी कारण यह कहना उचित नहीं होगा कि ये यूनिट गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। कोयला कंपनियों के पास कपड़ा मिलों के संबंध में पृथक राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार ने सभी कोयला कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं, जिसमें कपड़ा मिलें भी शामिल हैं, को रेल अथवा सड़क द्वारा कोयले की संयोजित मात्रा का कम से कम 50% की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा कोल इंडिया लि० उपभोक्ताओं को 20 मिलियन टन कोयला मुहैया करा रही है जिसे स्टाक लीक्विडेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पिटहैड से बिना किसी प्रायोजन के उठाया जा सकता है। कपड़ा उद्योग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

[अनुवाद]

ईंधन की कम खपत वाली कारें

*897. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन की कम खपत वाली कारों के निर्माण हेतु किसी विदेशी सहयोग को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी कारों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा स्वीकृति प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां। मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, को उनकी मौजूदा क्षमता के भीतर एक नये एकक में ईंधन की कम खपत वाली कारों के विनिर्माण हेतु यू०एस०ए० के मै० जनरल मोटर्स के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई है बशर्ते विदेशी मुद्रा बाहर जाने का संतुलन कम्पोनेंटों इत्यादि के निर्यात के ज़रिये पूरा किया जाये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

थाइरिस्टर कन्ट्रोल युक्त इंजन

*898. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तकनीकी सहयोग के बिना उन्नत प्रौद्योगिकी के एक 9000 हार्सपावर का थाइरिस्टर कन्ट्रोल युक्त इंजन का विकास किया है;

(ख) क्या ऐसे इंजनों का आयात भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे इंजनों की संख्या क्या है और इन पर कितनी लागत आई है;

(घ) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विदेशी सहयोग से 6000 हार्सपावर के उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इंजनों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एशिया ब्रॉन बोवेरी को ऐसे इंजनों के क्रयादेश देने से पहले किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) इस इंजिन का विकास किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने 5000 हार्सपावर के किसी इलेक्ट्रिक इंजिन का आयात नहीं किया था । तथापि, उन्होंने वर्ष 1988 में 6000 हार्सपावर के 18 थाइरिस्टर इलेक्ट्रिक इंजिनों का आयात किया था जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) एशिया/स्वीडन से 6000 हार्सपावर 25 के०वी० एसी के बो-बो-बो प्रकार के थाइरिस्टर इंजिन के 6 नग एस०इ०के० 109,935,979 (कलपुर्जों सहित) के कुल एफ०ओ०बी० मूल्य पर खरीदे गए ।

(ii) 6000 हार्सपावर 25 के०वी० के 12 नग जिनमें से 6 नग बो-बो-बो और 6 नग को-को प्रकार के थाइरिस्टर इंजिन, सुमित्यो-जापान से 5,278,370,600 येन (कलपुर्जों सहित) के कुल एफ०ओ०बी० मूल्य पर खरीदे गये ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) 3-चरणों वाली प्रौद्योगिकी सहित 6000 एच०पी० इलेक्ट्रिक रेल इंजिनों के 30 नगों के निर्माण के लिए, भेल ने जापान के मै० हिटैची के साथ मिल कर रेल मंत्रालय को अपना प्रस्ताव दिया था ।

(च) जी, हां ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त क्षेत्र का विद्युत संयंत्र

*899. **श्री ए० अशोकराज** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से एक लिग्नाइट खान को खोलने तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के जयगोंडाचोलपुरम में संयुक्त क्षेत्र में एक नए ताप बिजली घर को स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इसे मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1991 में तमिलनाडु राज्य सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें सरकार से त्रिची जिले में जयकोंडम क्षेत्र में लिग्नाइट

के खनन और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) और मैसर्स मैकनेली भारथ इंजीनियरिंग कंपनी के बीच एक संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम के जरिए लिग्नाइट आधारित विद्युत के उत्पादन को अनुमोदन दिए जाने का अनुरोध किया गया था ।

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियमों और इनके अधीन नियमों के अंतर्गत विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में लिग्नाइट/कोयले के खनन किए जाने की अनुमति नहीं है । विद्युत उत्पादन में ग्रहीत उपभोग के लिए कोयले/लिग्नाइट के खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दिए जाने का एक प्रस्ताव सरकार (कोयला मंत्रालय) के विचाराधीन है । सरकार द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन दिए जाने के बाद संगत अधिनियमों/नियमों में इस प्रयोजन से उपयुक्त रूप में संशोधन कर दिया जाएगा । जयकोडम क्षेत्र में निजी क्षेत्र में ग्रहीत विद्युत उत्पादन किए जाने के लिए लिग्नाइट के भंडारों के दोहन पर संगत अधिनियमों/नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन किए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

किन्तु, राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पट्टेदारी के क्षेत्र से बाहर, जयकोडम क्षेत्र में लिग्नाइट के भंडारों का दोहन किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की अनापत्ति को सिद्धांत रूप में प्रेषित कर दिया गया है ।

कोयले के भंडारों की खोज

*900. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध कोयला भंडारों की खोज करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में भी कोयले की खोज करने का कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० का उत्तर पूर्व में वर्ष 1991-92 में वास्तव में प्राप्त किए गए 1389 मीटर के ड्रिलिंग स्तर से आठवीं योजना के प्रथम वर्ष (अर्थात् वर्ष 1992-93) में 2300 मीटर के ड्रिलिंग किए जाने अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में वर्ष 1992 से 1997 की अवधि के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० और खनिज अन्वेषण निगम लि० द्वारा 5.40 लाख मीटर का ड्रिल किए जाने का कार्यक्रम है ताकि लगभग 1500 मी० टन कोयले के अतिरिक्त भंडारों को प्रमाणित किया जा सके ।

[हिन्दी]

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

*901. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात और हरियाणा के किन

जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) इन जिलों में मरुस्थल के विस्तार को रोकने हेतु लागू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के बनासकांठा (7 खंड) तथा मेहसाना (2 खंड) और हरियाणा के भिवानी (7 खंड), हिसार (10 खंड), रोहतक (5 खंड) तथा सिरसा (4 खंड) जिलों को मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था।

(ख) इस कार्यक्रम में तीन प्रमुख क्षेत्रों—भूमि, जल तथा वन संसाधन विकास, जो कि मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से सीधे-सीधे जुड़े हैं, पर बल दिया जाता है। वार्षिक आबंटनों के इस्तेमाल हेतु इन तीन प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1987 से विशेष प्राथमिकता निर्धारित की गई है। तदनुसार, इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक आबंटन का कम से कम 75 प्रतिशत खर्च किया जाना है। कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर जनवरी, 1992 तक मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के अंतर्गत गुजरात में 2133.79 लाख रु० तथा हरियाणा में 4275.72 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गुजरात की भौतिक उपलब्धियां हैं—5727 हेक्टेयर भूमि का विकास, 6204 हेक्टेयर क्षेत्र में जल संसाधन विकास तथा 30343 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण तथा चरागाह विकास। इसी प्रकार से हरियाणा की उपलब्धियां हैं—18612 हेक्टेयर भूमि का विकास, 11117 हेक्टेयर क्षेत्र में जल संसाधन विकास तथा 29050 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण तथा चरागाह विकास।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मरुभूमि विकास हेतु वित्तीय प्रावधान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारी

9106. श्री ललित उराँव
श्री पीयूष तीरकी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है;

(ख) हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित किये गये लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन ने केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि की मांग की है तथा इसे सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध करायी है;

(घ) क्या निगम को घाटा होने के कारण मजदूरों/कर्मचारियों की छंटनी का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना-कितना घाटा हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच०ई०सी०) में आज तक जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अपना विकल्प दिया है उनकी श्रेणी वार, संख्या नीचे दी गई है :—

कार्यपालक (डाक्टरों सहित)	781
पर्यवेक्षक	214
कर्मचारी	1061
योग	2056

(ख) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) एच०ई०सी० ने आगामी 4-5 वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए भारत सरकार से 100 करोड़ रुपये की राशि का अनुरोध किया है । सरकार ने 1991-92 में अभी तक 20.5 करोड़ रुपये दिए हैं तथा 1992-93 में कारपोरेशन के लिए 19 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) गत 3 वर्षों के दौरान एच०ई०सी० द्वारा उठाई गई हानियां निम्नप्रकार हैं :—

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1989-90	(–) 33.62
1990-91	(–) 99.51
1991-92	(–) 143.96 (अनंतिम)

कारपोरेशन, अपर्याप्त और असंतुलित कृत्यादेशों, भेशी जनशक्ति, उच्च ऊपरी खर्चों, कठिन वित्तीय समस्या, घटिया कार्य संस्कृति तथा ग्राहकों से भारी बकायों आदि जैसे विभिन्न कारणों से हानियां उठा रही है ;

विवरण

योजना के अधीन अनुमत लाभ

1. सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए डेढ़ महीने की दर से प्रतिपूर्ति बशर्ते कि यह सेवानिवृत्ति के समय सामान्य अधिवर्षिता की आयु से पूर्व बचे हुए शेष महीनों के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन से गुणा की सीमा से अधिक न हो ।

2. कर्मचारी के नियुक्ति प्रस्ताव में की गई व्यवस्था के अनुसार नोटिस अवधि के लिए वेतन का भुगतान (एक महीना/तीन महीने जैसा भी मामला हो) ।

3. कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीखों को, उपयोग में न लाई गई जमा अर्जित छुट्टी का नकद भुगतान बशर्ते कि यह 240 दिनों की विद्यमान सीमा में हो ।

4. कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख को भविष्य निधि लेखा में, कारपोरेशन के अंशदान तथा ब्याज सहित भविष्य निधि की सम्पूर्ण संचित राशि का भुगतान ।

5. कर्मचारी पर लागू होने वाले उपदान नियमों के अधीन अनुमत उपदान ।

6. यात्रा भत्ता, सामान के परिवहन की लागत, अंतरण अनुदान तथा अनुषंगिक यात्रा भत्ता आदि का भुगतान, जैसाकि सेवारत कर्मचारी को स्थानांतरण पर गृह नगर जाने अथवा भारत में अपनी इच्छानुसार बसने के मामले में दिया जाता है ।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता देने के लिए मानदंड

9107. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न एजेंसियों को सहायता की स्वीकृति देने के लिए सामान्यत: कौनसी प्रणाली अपनाता है;

(ख) क्या ऐसे प्रस्ताव पर विचार करते समय किसी एजेंसी का चयन करना और व्यवहार्यता रिपोर्ट का प्राप्त होना आवश्यक है;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1990-91 के दौरान इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त किये बिना जिन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी है उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक एजेंसी को कितनी-कितनी सहायता दी गई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने दोषी पाये गय व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रश्न पत्रों का लीक होना

9108. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आयोजित अपर डिवीजन क्लर्कों और हैड क्लर्कों की प्रस्तावित विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाने की जांच का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा था; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और क्या इस घोटाले में दोषी पाए गये व्यक्तियों को दंड दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार) : (क) जी, हां । इसकी जांच-पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया था ।

(ख) जांच-पड़ताल के पश्चात पुलिस ने मामले को इस आधार पर बन्द कर दिया कि भरसक प्रयत्नों के बावजूद दोषी व्यक्तियों के बारे में किसी सुराग का पता नहीं चला ।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट और रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी

9109. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा गोपनीय रिपोर्ट नियमों में यह प्रावधान है कि यदि रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी बिना ध्यान दिए अधिकारियों की रिपोर्ट में प्रविष्टि कर देता है तो सरकार इस सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में उपयुक्त टिप्पणी दर्ज करेगी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में आई० ए० एस० अधिकारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की प्रतिकूल टिप्पणियों को निकाला गया है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में जिनमें प्रतिकूल टिप्पणियों को निकाला गया है, इस आशय की प्रविष्टि रिपोर्ट लिखने वाले संबंधित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा 22 आई० ए० एस० अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में से प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाला गया।

(ग) सरकार इनमें से किसी भी मामले में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी ने उचित ध्यान दिए बिना टिप्पणियां रिकार्ड की थी। अत: रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार पेंशन के लिए पात्रता

9110. श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत कर्मचारियों की पत्नियों/बच्चों को मृत कर्मचारी कोटे के अंतर्गत नौकरी मिलने पर परिवार पेंशन और वेतन का भुगतान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको नौकरी मिलने पर इस पेंशन को बंद करने का कोई प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जब किसी मृतक कर्मचारी की पत्नी/पति को नौकरी दी जाती है तो उस पद के वेतन के अतिरिक्त परिवार पेंशन भी दी जाती है। तथापि, नौकरी के दौरान परिवार पेंशन पर महंगाई राहत नहीं दी जाती है। बच्चों के संबंध में परिवार पेंशन की अदायगी उस समय बंद कर दी जाती है जब वे अपने जीविकोपार्जन के लिए कमाना आरम्भ कर देते हैं।

मृतक कर्मचारी की पत्नी/पति को नौकरी के दौरान दी जाने वाली परिवार पेंशन रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को खेती के लिये भूमि देना

9111. श्री आनन्द अडिरवार
श्री शशि प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान दिल्ली के असोला, मदरौली सहित ऐसे अन्य गांवों का ब्यौरा

क्या है जहां अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को खेती के लिए भूमि और भूखंड दिये गए थे;

(ख) क्या यह शिकायत मिली है कि स्वामियों ने गरीबों को या तो भूमि दी ही नहीं है, यदि दी भी है तो उसे फिर से जबर्दस्ती वापस भी ले ली है;

(ग) यदि हां, तो भूमिहीन व्यक्तियों को फिर से भूमि वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) उन गांवों के ब्यौरे, जहां 1975-76 के दौरान कृषि भूमि आवंटित की गई है, निम्न प्रकार थे :—

1. खोगा
2. डोलम्बी खुर्द
3. सिंघोला
4. शिवासपुर
5. ताजपुर कला
6. सिंधु
7. झरोदा माजरा बुराड़ी
8. नंगलीपूना
9. इब्राहिमपुर
10. खेड़ाकलां
11. सलाहपुर माजरा
12. बुढानपुर
13. काटेवाड़ा
14. दरयापुर कलां
15. कमरुद्दीन नगर
16. निजामपुर रसीदपुर
17. जौन्ती
18. जटखोर
19. पूठकलां
20. बेगमपुर
21. हरेवली
22. औचन्दी
23. लाड़पुर
24. कंझावला
25. ननखेड़ी
26. उजवा
27. दरयापुर खुर्द
28. नांगली सकरावती

29. रोशनपुरा
30. खारखाड़ी नहर
31. कंगनहेड़ी
32. दौलतपुर
33. खारखाड़ी रोड
34. समसपुर खालसा
35. डाबरी
36. जफ्फरपुर
37. मालीपुर
38. झरोदाकला
39. बिन्दापुर
40. करावल नगर
41. घरोली

असोला गांव में कोई कृषि भूमि आवंटित नहीं की गई थी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन को ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं।

(ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु ऋण

9112. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यक्तियों/निगमित/समितियों/निकायों/कानूनी संस्थाओं को आवास निर्माण के लिए धनराशि/पूंजी प्रदान करने वाले प्राधिकरण/एजेंसी का नाम क्या है;

(ख) यह किस आधार पर ऋण देती है;

(ग) क्या इसके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर व्यक्ति से व्यक्ति तथा कानूनी संस्था से दूसरी संस्था हेतु भिन्न-भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो इस भिन्नता के पीछे क्या तर्काधार है;

(ङ) क्या यह अपना कर भार ऋणों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर डालती है; और

(च) यदि हां, तो यह इस भार को ऋणों पर किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत डालती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र इत्यादि में विभिन्न आवास वित्त संस्थान, आवास अभिकरणों, सहकारी समितियों, वैयक्तिकों, निजी भवन निर्माताओं आदि को आवास ऋण उपलब्ध करते हैं। हुडको, पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी है जो केन्द्र सरकार के ऋणद दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही है। अन्य आवास वित्त संस्थाओं के परिचालन कानूनी अपेक्षाओं और विनियमनों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित किये ऋण तथा परिचालन मानदंडों के अध्यधीन है जिनके अधीन उनका गठन किया गया है।

(ग) और (घ) हुडको द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ आय वर्ग लागत अधिकतम सीमा, ऋण की प्रमात्रा और पुनर्भुगतान की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा महानगरों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एलाउन्स सहित समान रूप से लागू होती है । अन्य आवास वित्त संस्थान विभिन्न ऋण स्लेबों के लिए सामान्यत: एक सी ब्याज दर वसूलते हैं ।

(ङ) और (च) 1991 में पुन: लागू ब्याज कर अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन "ऋणदाता संस्थान" को होने वाली सकल ब्याज आय पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज कर लगाया जाता है । यदि यही अधिनियम ऋणदाता संस्थाओं को यह ब्याज कर भार कर्जदारों पर डालने के लिए प्राधिकृत करता है ।

भारतीय कम्पनियों द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य

9113. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कम्पनी ने अपने अनुसंधान तथा विकास कौशल को विकसित करने एवं आयातित प्रौद्योगिकी को भारतीय परिवेश के अनुरूप अपनाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारतीय कम्पनियों के लिए ऐसा करना आवश्यक करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) से (ग) लगभग 1200 भारतीय कम्पनियों ने अपनी निजी आन्तरिक (इन-हाउस) अनुसंधान व विकास यूनिटों की स्थापना की है । इनमें से लगभग 350 रासायनिक और संबंधित उद्योगों में, लगभग 250 विद्युतीय तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों में, 225 यांत्रिकी उद्योगों में, 300 प्रक्रमण उद्योगों में तथा लगभग 75 कृषि उद्योगों में हैं । इन आन्तरिक अनुसंधान व विकास यूनिटों का उद्देश्य प्रथमत: मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी समर्थन मुहैया कराना तथा कौशल का विकास करना व भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाना भी है । इन आन्तरिक अनुसंधान व विकास यूनिटों ने लगभग 65,000 अनुसंधान व विकास कार्मिकों को रखा हुआ है तथा अनुसंधान व विकास के लिए अति आधुनिक यंत्रों, आरम्भिक संयंत्रों, प्रोटोटाइप डिज़ाइन तथा विकास सुविधाओं जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सर्जन किया है । इन आन्तरिक अनुसंधान व विकास यूनिटों द्वारा किया गया अनुसंधान और विकास व्यय वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग रुपए 825 करोड़ आंका गया है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

9114. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के मामलों के संबंध में मामला दर्ज करने की स्थिति में, नियंत्रक मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में ब्यूरो ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए संबंधित मंत्रालय से अनुमति मांगी है; और

(ग) संबंधित मंत्रालय द्वारा मामला दर्ज करने की अनुमति में देरी होने/न मिलने की स्थिति में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या कार्रवाई करता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तकनीकी विभागों में हिन्दी का प्रयोग

9115. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विभागों के 80% से अधिक अधिकारियों को कामकाजी हिन्दी का ज्ञान है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उन सभी गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में जिनको सरकारी विभागों अथवा उसके अनुसंधान और विकास केन्द्रों और उपक्रमों द्वारा पूर्णत: आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, अनुसंधान/वाद-विवाद पत्रों को हिन्दी में स्वीकृत और प्रकाशित किया जाए;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिन्दी में लोक पत्र स्वीकार करना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न तकनीकी विभागों की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हिन्दी का निरन्तर प्रयोग करने हेतु बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के बारे में की गई शिकायतों की सुनवाई हेतु कोई तंत्र है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) जी, हां। अधिकतर तकनीकी विभागों में 80 प्रतिशत अधिकारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं।

(ख) और (ग) ये विभाग विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सोसाइटियों इत्यादि द्वारा संगोष्ठियों, परिसंवादों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए आंशिक अथवा पूर्ण वित्तीय सहायता देते हैं। प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों तथा वाद-विवाद की भाषा आयोजकों द्वारा निश्चित की जाती है। तथापि, लोक पत्रों आदि को हिन्दी में प्रस्तुत करने को बढ़ावा देने के लिए पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

(घ) इन विभागों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित कार्य के पर्यवेक्षण और देख-रेख के लिए अलग-अलग हिन्दी अनुभाग हैं। इसके अतिरिक्त, इन विभागों में हिन्दी के प्रयोग का मूल्यांकन और जायज़ा लेने तथा शिकायतों की, यदि कोई हो, जांच करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

सिविल सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन

9116. डा० बसन्त पवार
श्री राजेश कुमार
श्रीमती शीला गौतम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा में प्रत्येक राज्य से कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया;

(ख) विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के लिए चुने गए उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परीक्षा में भाग लेने वालों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी;

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले चुने गए उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (च) विवरण I से V तक संलग्न है ।

विवरण I

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989	1990	1991
1.	आन्ध्र प्रदेश	8327	16608	9988
2.	अरुणाचल प्रदेश	54	144	69
3.	असम	852	1893	870
4.	बिहार	10135	17037	11501
5.	गुजरात	1460	3266	1735
6.	हिमाचल प्रदेश	704	1279	765
7.	जम्मू तथा कश्मीर	770	971	536
8.	केरल	2571	4003	1984
9.	कर्नाटक	3744	8276	4157
10.	मणिपुर	351	564	488
11.	मिजोरम	74	137	58
12.	मेघालय	337	587	414
13.	मध्य प्रदेश	3553	5971	4120
14.	महाराष्ट्र	6647	11757	6461
15.	नागालैण्ड	156	264	197

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989	1990	1991
16.	उड़ीसा	2951	4707	2980
17.	राजस्थान	5578	8306	5593
18.	सिक्किम	102	205	94
19	त्रिपुरा	44	227	117
20.	तमिल नाडु	5489	11835	5755
21.	उत्तर प्रदेश	12030	21436	18756
22.	संघ राज्य क्षेत्र	20722	34390	21236
23.	पश्चिम बंगाल	3229	5291	2964

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1989, 1990, 1991 में बैठने वाले उम्मीदवारों की राज्य वार संख्या

क्र० सं०	राज्य	1989	1990	1991*
1.	आन्ध्र प्रदेश	852	1002	841
2.	असम	163	176	170
3.	बिहार	1037	896	980
4.	हिमाचल प्रदेश	70	62	63
5.	गुजरात	142	148	142
6.	जम्मू और कश्मीर	36	47	39
7.	कर्नाटक	195	246	192
8.	केरल	86	126	103
9.	मध्य प्रदेश	284	291	352
10.	महाराष्ट्र	355	417	400
11.	उड़ीसा	264	298	295
12.	राजस्थान	603	630	562
13.	तमिलनाडु	223	296	257
14.	संघ राज्य क्षेत्र	3414	3636	3805
15.	उत्तर प्रदेश	1422	1552	19531
16.	पश्चिम बंगाल	262	292	272

*सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 1991 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण II

क्र० सं०	सेवा का नाम	1988, 1989 तथा 1990 में आयोजित की गई परीक्षाओं के आधार पर आवंटित रिक्तियां		
		1988	1989	1990
	केन्द्रीय सेवा समूह "क"			
1.	आई०एफ०एस०	10	12	15
2.	पी० एण्ड टी० एफ०ए०एस०	21	18	25
3.	आई०ए०ए०एस०	20	20	30
4.	आई०सी० एण्ड सी०ई०एस०	60	58	74
5.	आई०डी०ए०एस०	12	12	25
6.	आई०आर०एस०	150	150	125
7.	आई०ओ०एफ०एस०	30	30	30
8.	आई पोस्टल	35	15	15
9.	आई०सी०ए०एस०	8	4	9
10.	आई०आर०टी०एस०	35	42	38
11.	आई०आर०ए०एस०	29	25	21
12.	आई०आर०पी०एस०	14	—	15
13.	आर०पी०एफ०	6	7	8
14.	आई०डी०ई०एस०	8	12	11
15.	आई०आई०एस०	20	23	46
16.	सी०टी०एस०	27	6	12
17.	सी०आई०एस०एफ०	62	62	9
	केन्द्रीय सेवा समूह "ख"			
18.	सी०एस०एस०	51	33	9
19.	आर०बी०एस०एस०	3	4	1
20.	ए०एफ०एच०क्यू०	15	16	—
21.	सी०ए०एस०	40	70	52
22.	डी०ए०एन०आई० (सिविल)	25	15	15
23.	डी०ए०एन०आई० (पुलिस)	5	5	5
24.	पाण्डेचेरी (सिविल)	2	—	—
25.	पाण्डेचेरी (पुलिस)	3	—	3
26.	सी०बी०आई०	—	5	2

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा (प्रारम्भिक) तथा (मुख्य) परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या

वर्ष	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार		अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	
	सिविल सेवा (प्र०)	सिविल सेवा (मु०)	सिविल सेवा (प्र०)	सिविल सेवा (मु०)
1989	18417	1612	5427	759
1990	29320	1465	7874	725
*1991	21403	1512	6125	751

*वर्ष 1991 के आंकड़े अनन्तिम हैं और उनमें मामूली परिवर्तन हो सकता है।

विवरण IV

राज्य का नाम	वर्ष 1988, 1989, 1990 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर चुने गए आई०ए०एस० परिवीक्षाधीनों की संख्या		
	1988	1989	1990
आंध्र प्रदेश	9	10	10
असम	1	1	—
बिहार	24	25	18
गुजरात	—	1	—
हरियाणा	4	4	5
हिमाचल प्रदेश	—	1	—
जम्मू तथा कश्मीर	1	1	—
कर्नाटक	1	2	6
केरल	—	2	4
मध्य प्रदेश	7	2	7
महाराष्ट्र	5	8	5
मणिपुर	2	1	1
मेघालय	1	—	—
नागालैंड	1	—	1

राज्य का नाम	वर्ष 1988, 1989, 1990 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर चुने गए आई०ए०एस० परिवीक्षाधीनों की संख्या		
	1988	1989	1990
उड़ीसा	3	—	2
पंजाब	3	4	4
राजस्थान	10	6	8
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	5	3	7
त्रिपुरा	—	—	—
उत्तर प्रदेश	21	23	20
पश्चिम बंगाल	1	3	1
संघ राज्य क्षेत्र जिनमें अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम शामिल हैं	10	9	7

विवरण V

उम्मीदवारों को ग्रामीण तथा शहरी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का कोई सर्वमान्य मानदण्ड नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग से आशा की जाती है कि वह उपलब्ध सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करें तथा सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए समान अवसरों को भी सुनिश्चित करें। अतः सिविल सेवा परीक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि/शहरी पृष्ठभूमि के साथ सफल उम्मीदवारों की पहचान करना सम्भव नहीं है।

2. ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा को 26 वर्ष बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया गया है। 1992 की परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है।

(ii) परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम प्रयास 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए हैं। 1992 परीक्षा के लिए 5वें प्रयास की अनुमति दी गई है।

(iii) प्रारम्भिक तथा मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के लिए अंक कुल अंकों के केवल एक तिहाई अंक तक सीमित किए गए हैं।

(iv) 1979 से उम्मीदवारों को अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में उत्तर देने की अनुमति है।

(v) साक्षात्कार परीक्षा में, उम्मीदवारों को अपनी पसंद की भाषा में उत्तर देने की अनुमति है।

(vi) साक्षात्कार परीक्षा में अंकों को 1979 में कुल अंकों के 22% से कम करके 12% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण

9117. **श्री शशि प्रकाश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु पांच आधुनिक ग्रामों का चयन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटकों ने मकानों के निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (दिल्ली प्रशासन) के पास धन जमा किया है;

(घ) क्या निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी०आर०डी०ए०) दिल्ली ने दिल्ली प्रशासन के पंचायत विभाग द्वारा गांवों के भूमिहीन परिवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को आवंटित किए गए प्लाटों पर 250 मकान (दिल्ली के प्रत्येक खंड में एक) बनाने के लिए एक योजना तैयार की थी । प्रत्येक इकाई के लिए कुल 12,500/- रुपये की लागत से एक कमरा और एक रसोई बनाई जानी थी जिसके लिए वित्तपोषण निम्न प्रकार से किया जाना था :—

		रुपये
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) से योगदान	5,000
2.	दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग से निर्माण अनुदान	2,000
3.	दिल्ली प्रशासन के पंचायत विभाग से निर्माण अनुदान	500
4.	लाभार्थी का अपना योगदान/बैंक ऋण	5,000
	कुल	12,500

(ग) 250 लाभार्थियों में से केवल 77 लाभार्थियों ने मकानों के निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, दिल्ली को अपने योगदान के रूप में प्रत्येक ने 5,000 रुपये की दर से 3.85 लाख रुपये जमा कराये थे ।

(घ) और (ङ) मकानों के निर्माण का कार्य वर्ष 1984-85 में आरम्भ किया गया था परन्तु दिल्ली जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को लाभार्थियों के पूर्ण योगदान प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका था । जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, दिल्ली की शासी निकाय द्वारा अपनी 29-1-91 को हुई बैठक में यह निर्णय लिए जाने तक कि इन अधूरे बने मकानों को इस प्रयोजन के लिए खरीदी गई सामग्री के साथ आवंटितियों को सौंप दिया जाए, ये मकान अधूरे बने हुए थे ।

डी० डी० ए० फ्लैटों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन करना

9118. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार और वर्षवार डी०डी०ए० फ्लैटों के निर्माण हेतु आवंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्षवार और श्रेणीवार उपयोग न की गई/खर्च न की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1992-93 के दौरान न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अंतर्गत फ्लैटों के निर्माण हेतु श्रेणीवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और यह धनराशि विगत तीन वर्षों में की गई राशि की तुलना में कितनी है; और

(घ) 1992 सहित आगामी तीन वर्षों में श्रेणीवार और स्थानवार फ्लैटों के निर्माण हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में बाजार के लिए भवनों के निर्माण हेतु अनुदान

9119. श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की नगरपालिकाओं को बाजारों के लिए भवन निर्माण हेतु अनुदान दिए जाते हैं;

(ख) क्या इस संबंध में केरल के एर्नाकुलम और कोट्टायम जिलों की नगर पालिकाओं के आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में यूरेनियम

9120. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सोरई में यूरेनियम की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यूरेनियम के खनन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है तथा इसके क्या परिणाम मिलने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग पाए गए यूरेनियम की आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण कर रहा है । इन निक्षेपों के खनन के संबंध में कोई भी निर्णय अन्वेषण-कार्यों के पूरा होने तथा उनसे प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जा सकेगा ।

[हिन्दी]

श्रेणी 'ग' के अंतर्गत आने वाले पिछड़े जिले

9121. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में श्रेणी 'ग' के अन्तर्गत राज्यवार कितने जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे जिलों के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत शामिल किये जाने वाले संभावित जिलों की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में राज्य-वार श्रेणी "ग" जिले इस प्रकार हैं :—

1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	बिहार	6
3.	गुजरात	7
4.	हरियाणा	4
5.	केरल	2
6.	कर्नाटक	7
7.	मध्य प्रदेश	19
8.	महाराष्ट्र	10
9.	पंजाब	2
10.	राजस्थान	7
11.	तमिलनाडु	9
12.	उत्तर प्रदेश	21
13.	पश्चिमी बंगाल	5

(ख) से (घ) अनेक राज्य पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दे रहे हैं। केन्द्र सरकार, जहां कहीं संभव होता है, उनके प्रयासों में सहायता करती है।

खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये व्यवस्था

9122. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबों की खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के भण्डारण की समुचित व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो 1991 के अन्त तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भण्डारण क्षमता कितनी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो समुचित भण्डारण व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भाण्डागार निगम और विभिन्न राज्य भाण्डागार निगमों से खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता प्राप्त होती है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों के पास 31-12-1991 को 280.26 लाख मी० टन की कुल भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी।

तालुका/ब्लाक/ग्राम स्तर पर भण्डारण सुविधाएँ, कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के तहत आने वाली सहकारिताओं द्वारा मुहैया कराई जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी राज्य सरकार के अभिकरणों के जरिए ब्लाक/ग्राम स्तर पर ग्रामीण गोदामों के निर्माण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम का आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरान भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिनमें दूरस्थ, पर्वतीय और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक भण्डारण क्षमता शामिल है, 10 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों की भी आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपनी कुल भण्डारण क्षमता को क्रमशः 12.5 लाख मी० टन और 11.5 लाख मी० टन और बढ़ाने की योजनाएं हैं।

सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों का चुने गए क्षेत्रों में लगभग 3.3 लाख मी० टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्मित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार

9123. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4300 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग किसी विशेष विषय में बैठने वाले उम्मीदवारों और सफल घोषित किये गये उम्मीदवारों के बीच कोई अनुपात रखता है;

(ख) यदि हां, तो कुछ विषयों में बैठने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम् लाभ मिलने की स्थिति में ऐसी प्रतिशतता रखने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाज शास्त्र आदि से अधिकतर उम्मीदवारों का चयन करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 की परीक्षा के दौरान वैकल्पिक विषय पर विचार करने के बजाय दोनों पेपरों में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए संयुक्त वरीयता सूची तैयार करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चयन की इस दोषपूर्ण पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (च) संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा पर आधारित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कोई विषय-वार अनुपात नहीं रखता है। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा दो प्रश्न पत्रों अर्थात् सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषय में, प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर सिविल

सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा के परिणाम को अन्तिम रूप दिया जाता है न केवल वैकल्पिक विषय से प्राप्त अंकों के आधार पर। इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र आदि के साथ पास हुए उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत रूप से किसी विषय-वार अनुपात के कारण अधिक नहीं है अपितु इस तथ्य के कारण है कि इन वैकल्पिक विषयों के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अन्य वैकल्पिक विषय लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में अधिक होती है।

विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों की स्वीकृति

9124. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास केन्द्रों की कितनी परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित कितनी परियोजनाएं हैं; और

(घ) लम्बित पड़ी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त 48 परियोजना रिपोर्टों में से 22 परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा चुका है और अनुमोदित कर दिये गये हैं। शेष 26 रिपोर्ट विभिन्न शीर्ष एजेंसियों के पास मूल्यांकन के लिए पड़े हैं। इन शीर्ष एजेंसियों ने राज्य सरकारों से अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल को 3 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकार ने इन विकास केन्द्रों के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

अन्तरिक्ष परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र

9125. श्री जी० देवराजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिए नाजुक उपकरणों की खरीद में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए अन्तरिक्ष परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में अब तक शामिल की गई गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) नीति के रूप में अन्तरिक्ष विभाग ने अपनी जरूरतों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी—दोनों क्षेत्रों के भारतीय उद्योगों को हमेशा शामिल किया है। उद्योग की रुचि और क्षमता/संभाव्यता के आधार पर अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के साथ निकट सहयोग के लिए उद्योग का चयन किया जाता है। 500 से अधिक उद्योग, उपस्करों, उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से भारतीय अन्तरिक्ष परियोजनाओं और कार्यक्रमों में अन्तरिक्ष विभाग को सीधे योगदान दे रहे हैं, तथा इनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रधानता है।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में योगदान देने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र से संबंद्ध उद्योगों की सूची निम्न प्रकार है :

1. आन्ध्रा शुगर्स, तानुकु
2. एशियाटिक ऑक्सीजन, मद्रास
3. एचजेय इन्डस्ट्रीज, राजकोट
4. फेरोडाइ, बम्बई
5. गोदरेज एण्ड बॉयस, बम्बई
6. जनरल ऑप्टिक्स एशिया लिमिटेड, पाण्डीचेरी
7. हिन्द हाइ वेक्यूम, बंगलोर
8. इण्डियन विनाइल प्रोडक्ट्स, बम्बई
9. लार्सन एण्ड टुब्रो, बम्बई
10. मशीन टूल्स, एडस एण्ड रिकण्डीशनर्स, हैदराबाद
11. मद्रास इण्डस्ट्रियल लाइनिंग्ज, मद्रास
12. माइक्रोपैक, बंगलोर
13. मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बम्बई
14. ऑप्टोमेक इंजीनियर्स, हैदराबाद
15. प्रभाकर प्रोडक्ट्स, मद्रास
16. सीता इलेक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद
17. स्पैक सिस्टम्स, हैदराबाद
18. सुन्दरम इण्डस्ट्रीज, मदुरै
19. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी, बम्बई
20. वालचन्द नगर इण्डस्ट्रीज, वालचन्दनगर

रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन

9126. श्री परशुराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है; और

(ख) वर्तमान पूंजी निवेश से रंगीन पिक्चर ट्यूबों का स्वदेशीकरण किस सीमा तक संभव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) देश में प्रतिवर्ष रंगीन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 17.5 लाख है ।

(ख) वर्तमान पूंजीनिवेश से, रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात की मात्रा सी०आई०एफ० से सी०आई०एफ० आधार पर 60 प्रतिशत है । ग्लास पार्ट्स, जिनके लिए दो संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, के स्वदेशीकरण के उपरान्त, आयात की मात्रा में लगभग 30 प्रतिशत तक गिरावट आएगी । रंगीन टी वी उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, रंगीन पिक्चर ट्यूबों की वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता पर्याप्त है ।

कालोनियों की सड़कों और उप-मार्गों पर अवैध कब्जा

9127. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में कालोनियों की सड़कों और उप-मार्गों पर अवैध कब्जे किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों का ब्यौरा क्या है जहां पर अवैध कब्जे किए गए हैं और इन अवैध कब्जों को हटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) उन कालोनियों का ब्यौरा क्या है जहां पर नालियां नहीं है; और

(घ) उन कालोनियों में विशेष रूप से शालीमार बाग में नालियों का कब तक निर्माण किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी अंचल में कालोनियों, जहां सड़कों और उप विधियों पर अतिक्रमण किया गया है का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, अतिक्रमण अधिकांशत: चाहरदीवारियों का विस्तार करके लानों/हरियाली अथवा कंटीले तारों की फैन्सिंग और खोखो/स्टाल आदि के निर्माण के रूप में अस्थाई प्रकृति के है और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन कोई नोटिस दिए बिना हटाये जाने योग्य है । दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार में इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस् के साथ नियमित कार्यवाही करती है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन सभी कालोनियों में बरसाती पानी की नालियां है जिनका अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है तथापि शालीमार बाग जैसी कतिपय कालोनियां, जिनका अनुरक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, में यह सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है ।

(घ) इस क्षेत्र में अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

ओनिडा टेलीविजन सेटों में निर्माण दोष

9128. श्री रामदेव राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई रंगीन टेलीविजन सेट मॉडल-8888, जिनका निर्माण तथा विपणन मेसर्स ओनिडा द्वारा 1989 के दौरान किया गया था, में निर्माण दोष पाए गए हैं और इस सम्बन्ध में कई शिकायतें सी०/एम०डी० बदरपुर, दिल्ली के पास लम्बित हैं;

(ख) क्या खरीददारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कम्पनी आमतौर पर इन खराबियों को ठीक करने के इच्छुक नहीं होती और प्रभोक्ताओं को अपने आप इन दोषपूर्ण सेटों को वर्कशाप में लाने के लिए बाधक होना पड़ता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वार्षिक सेवा समझौता होने के बाद शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया जाता और इसके फलस्वरूप समझौता अवधि समाप्त हो जाती है और इस प्रकार प्रभोक्ताओं को समझौता फिर से करने पर बाध्य कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) ओनिडा समूह की कम्पनियों ने मॉडल-8888 का रंगीन टेलीविजन नवम्बर, 1987 में बाजार में प्रस्तुत किया । उन्होंने वर्ष 1988 तथा 1989 में इस मॉडल का विनिर्माण जारी रखा और बाद में इसके स्थान पर एक नया मॉडल निकाला । इस अवधि में उन्होंने इस मॉडल के लगभग 1,50,000 रंगीन टेलीविजन सेटों का विनिर्माण तथा विपणन किया । इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-स्तरीय अर्द्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में एक उपभोक्ता इंटरफेस कक्ष भी कार्य कर रहा है जो उपभोक्ताओं की शिकायतों को सीधे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के विनिर्माताओं के पास पहुंचाता है । समाश्वासन की अवधि में बिक्री उपरान्त सेवा टी वी कम्पनियों द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है । इस अवधि के बाद उपभोक्ता मरम्मत सेवा के लिए या तो कम्पनी के साथ एक वार्षिक करार कर सकता है या फिर सेवा केन्द्रों/विक्रेताओं/निजी मरम्मत सेवा तकनिशियनों से मरम्मत करवा सकता है । यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि कोई टी वी कम्पनी/विक्रेता समाश्वासन या वार्षिक करार की अवधि के दौरान संतोषप्रद सेवा नहीं प्रदान कर रहा है या सेवा शुल्क अधिक है तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्थापित तंत्र के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकता है ।

सी० बी० आई० द्वारा बिहार में दर्ज किये गये मामले

9129. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०बी०आई० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार से संबंधित दर्ज किये गये मामलों की वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(ख) 1 अप्रैल, 1989 तक ऐसे विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार से संबंधित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

1989	93
1990	92
1991	96

(ख) 1-4-1989 को जांच के लिए ऐसे 85 मामले बकाया थे ।

[हिन्दी]

गुजरात में विकास केन्द्र

9130. श्री महेश कनोडिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विकास को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात में इन विकास केन्द्रों को ये सुविधाएं अब तक प्रदान नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ये भली भांति कार्य नहीं कर रहे है; और

(ग) गुजरात के किन-किन जिलों में विकास केन्द्र अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) जून, 1988 में घोषित विकास केन्द्र योजना के अधीन गुजरात को तीन विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं जिनकी स्थापना बनासकांठा, भड़ौंच तथा कच्छ जिलों में की जायेगी । चुने गये विकास केन्द्रों को बिजली, जल, दूरसंचार इत्यादि जैसी आधारभूत अवस्थापनापरक सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी ताकि इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके । उक्त योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जायेगी ।

[अनुवाद]

राजस्थान में वनस्पति संयंत्र

9131. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी;

(ग) इस प्रस्तावित वनस्पति संयंत्र से रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन आलमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

सरकारी आवास में अनधिकृत निर्माण

9132. श्री आरे लाल जाटव : क्या शहरी विकास मंत्री 1 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5497 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवासों में अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और विशेषतौर पर कालीबाड़ी तथा मन्दिर मार्ग के कितने निवासियों को नोटिस दिए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) कालीबाड़ी और मन्दिर मार्ग क्षेत्रों में जारी किए गए 45 नोटिसों के अलावा कुल 236 नोटिस जारी किए गए हैं ।

[अनुवाद]

यमुना पार क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

9133. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना पार स्थित किन-किन अनधिकृत कालोनियों को अभी तक नियमित किया गया है;

(ख) क्या इन कालोनियों में सीवर व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1997 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

विवरण

यमुना पार क्षेत्र में स्थित नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों की सूची

दिल्ली नगर निगम के अधीन

1. पंडित पार्क
2. राधेपुरी
3. शिवपुरी
4. चन्द्र नगर तथा सिलवर पार्क
5. हजारा पार्क
6. अनारकली पार्क (गोविंद पुरा एक्सटेंशन)
7. गोल्डन पार्क
8. लक्ष्मण पार्क
9. इन्द्रा पार्क
10. गोपाल पार्क
11. रामनगर
12. ज्ञान पार्क
13. कृष्णा नगर (ब्लाक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और के तथा विस्तार)
14. गोपाल पार्क (शेष क्षेत्र)
15. ज्ञान पार्क (शेष क्षेत्र)
16. अनारकली साउथ
17. चन्दू पार्क (आराम पार्क सहित)

18. नया लायलपुर
19. अनारकली तथा विस्तार (साउथ अनारकली के हिस्से सहित)
20. नया लायलपुर विस्तार
21. पुराना अनारकली
22. नया अनारकली
23. पंडित पार्क विस्तार
24. नया कृष्णा नगर
25. शिवपुरी (विस्तार)
26. अर्जुन नगर (वेस्ट)
27. चन्द्र नगर (वेस्ट)
28. शास्त्री पार्क
29. इन्दिरा पार्क (शेष क्षेत्र)
30. कृष्णा नगर विस्तार (पूर्वी)
31. शास्त्री पार्क ग्रुप कालोनी (सतनाम पार्क) छोड़ा गया भाग
32. दक्षिणी गांधी नगर
33. कैलाश नगर
34. सरस्वती भण्डार
35. बगीची फूल सिंह
36. श्याम ब्लाक
37. घास मण्डी
38. मुलतानी मोहल्ला
39. भोला नाथ नगर भाग-I
40. झलीमार पार्क
41. गोवरधन बिहारी कालोनी
42. भोलानाथ नगर (पूर्वी)
43. भोलानाथ नगर (छोड़ा गया भाग)
44. भोलानाथ नगर (पश्चिमी)
45. भोलानाथ नगर-II
46. उत्तरी गांधी नगर तथा कैलाश नगर
47. धर्मपुरा
48. रघुबर पुरा
49. शाम पार्क
50. रणजीत पार्क
51. चान्द मौहल्ला तथा विस्तार
52. मौहल्ला राम नगर
53. रघुबर पुरा (शेष क्षेत्र)
54. रघुबर पुरा-I तथा II
55. अजीतनगर

56. सुभाष मोहल्ला
57. ज्ञान नगर
58. सीलमपुर (पश्चिमी)
59. जैन मौहल्ला
60. सिंगारपुर
61. कपूर बस्ती
62. अर्जुन मौहल्ला
63. आनन्द मौहल्ला
64. कैलाश नगर
65. अमर मौहल्ला
66. विश्वास नगर
67. विश्वास नगर (छोड़ा गया भाग)
68. दुलाई मौहल्ला
69. भोलानाथ नगर (विस्तार)
70. महावीर ब्लाक
71. राम ब्लाक
72. आजाद नगर ए
73. आजाद नगर बी
74. आजाद नगर सी
75. शंकर नगर ए
76. शंकर नगर बी
77. राज गढ़
78. ईस्ट आजाद नगर
79. "आर" ब्लिडिंग उत्तरी गांधी नगर
80. आजाद नगर (वेस्ट)
81. जवाला नगर
82. जवाला नगर, मुकेश नगर (शेष क्षेत्र)
83. जवाला नगर, विस्तार
84. मुकेश नगर, ज्वाला नगर
85. जनता कालोनी सरकुलर रोड
86. गोविन्दपुरा
87. नया गोविन्दपुरा
88. रशीद मार्केट
89. बलदेव पार्क
90. शाम नगर
91. नया गोविन्दपुरा (शेष क्षेत्र)
92. बलदेव पार्क (ईस्ट)
93. चावला पार्क

94. जिस्तर नगर
95. नया रशीद मार्किट विस्तार
96. रशीद मार्किट विस्तार
97. गनेश पार्क
98. ब्रजपुरी विस्तार (भाग)
99. शाही मस्जिद
100. राम नगर
101. ब्रिटिश इंडिया कालोनी
102. राम नगर लोनी रोड़
103. मानसरोवर पार्क
104. ब्रिटिश इंडिया कालोनी (विस्तार)
105. मानसरोवर पार्क विस्तार (भाग)
106. राम नगर विस्तार मंडोली रोड़
107. माडर्न शाहदरा और नया माडर्न शाहदरा
108 कुलदीप नगर
109. मोती पार्क
110. हरि कृष्णा नगर
111. नवीन शाहदरा
112. रोहतास नगर
113. कबुल नगर
114. सुभाष पार्क
115. आर० आर० ब्लाक और ए० आर० ब्लाक
116. दुर्वाका पुरी और उल्वान पार्क
117. पंचशील गार्डन एक्स०
118. पंचशील गार्डन
119. मोहन पार्क नवीन शाहदरा
120. नवीन शाहदरा ईस्ट एक्स०
121. रोहतास नगर एक्स०
122. सुभाष पार्क साउथ
123. सुभाष पार्क एक्स० और वेस्ट (पार्ट)
124. वेस्ट रोहतास नगर
125. गोरख पार्क कालोनी
126. गोरख पार्क ईस्ट
127. बजु कालोनी
128. प्रतापपुरा
129. बाबरपुर एक्स० ईस्ट (ईस्ट और वेस्ट बाबर पुर)
130. क्रांती नगर
131. शास्त्री नगर पटवड गंज रोड पर

—

132. लक्ष्मी मार्किट (वेस्ट)
133. न्यू लाडोर मौहल्ला
134. अर्जुन नगर
135. श्रीजपुरी (नया और पुराना)
136. राधेश्याम पार्क
137. अनारकली गार्डन
138. राधेश्याम पार्क एक्स०
139. गोविन्द पार्क
140. राधेपुरी प्लाट 1-16
141. राधेपुरी एक्स० I और II
142. बलबीर नगर एक्स०
143. बलबीर नगर
144. शिवाजी पार्क एक्स०
145. राजगढ़ मौहल्ला एक्स०
146. राजगढ़ मौहल्ला एक्स० I और II
147. शंकर नगर एक्स०
१४८. शान्ति मौहल्ला
149. दुर्गापुरी कालोनी
150. राम नगर एक्स० पूर्वी
151. चन्द्र लोक
152. अनारकली साउथ एक्स०
153. पुराना गोविन्द पुरी एक्स०
154. वाल्मीकी कालोनी
155. जगतपुरी
156. वेस्ट गोरख पार्क
157. कृष्णापुरी
158. अर्जुन पार्क
159. सरोजनी पार्क
160. सरोजनी नायडू पार्क
161. सुन्दर पार्क
162. रानी गार्डन
163. जगजीवन नगर
164. जगतपुरी
165. गोधापुरी
166. क्रान्ती नगर एक्स०
167. श्रीराम नगर
168. ज्योती कालोनी
169. आर्य नगर

दिल्ली विकास प्राधिकरण से अन्तरित

170. दुर्गा पुरी एक्स० और हरदेव पुरी
171. नत्थू कालोनी
172. अशोक नगर
173. गांव गढ़ी मंडी एक्स०
174. गनवारी एक्स०
175. भजनपुरी ब्लाक ए, बी, सी, डी
176. सुभाष मौहल्ला
177. मोज पुर गांव एक्स०
178. कांची कालोनी
179. विजय कालोनी
180. हरकेश नगर
181. अरविन्द नगर
182. अरविन्द नगर ब्लाक ए बी से एच सी
183. अगजीत नगर
184. के० ब्लाक मार्ग गोन्डा
185. जय प्रकाश मौहल्ला
186. ब्रह्म पुरी एक्स० ब्लाक
187. करतार नगर
188. ब्रह्म पुरी हरिजन कालोनी
189. गांव गोंडा एक्स०
190. जाफराबाद
191. चौहान बांगर
192. जगजीवन नगर
193. भगत सिंह कालोनी
194. नया गांव एक्स०
195. पांडव नगर पटपड़ गंज रोड
196. मौहल्ला सुभाष
197. मोहन पुरी
198. आम्बेडकर बस्ती
199. गौतम पुरी
200. कटवाड़ीया और एक्स०
201. शास्त्री पार्क ब्लाक ए, बी, सी
202. शास्त्री पार्क सीलमपुर के समीप
203. मूर इलाही कालोनी
204. गांव झवकर पुर और एक्स० (हरिजन बस्ती सम्मिलित है)
205. हयातम्ब ब्लाक (डी ए ब्लाक सहित)
206. सुन्दर ब्लाक

207. गणेश नगर (गणेश नगर) (1) एक्स० गणेश नगर (2) एक्स० (सहित)
208. शंकर ब्लाक ए से एच तक (शक्कर पुर मास्टर ब्लाक और शक्कर पुर ब्लाक आर सहित)
209. स्कूल ब्लाक I और II
210. उपाध्याय ब्लाक
211. शक्कर पुर डब्ल्यू ए ब्लाक
212. शक्कर पुर डब्ल्यू बी ब्लाक
213. नानक पुरी शक्कर पुर
214. शक्कर पुर प्लाटों की दो लाइनें
215. विश्वास नगर एक्स०
216. बस्ती भीखम सिंह
217. गणेश नगर II और एक्स०
218. कुन्दन नगर एक्स०
219. कृष्ण कुंज
220. गुरु अमर दास नगर
221. गुरु नानक पुरी
222. अर्जुन पार्क ब्लाक ए से एच तक
223. गुरु आनन्द नगर पूर्वी
224. गुरु आनन्द नगर वेस्ट
225. गुरु आनन्द नगर
226. गुरु राम दास नगर
227. लक्ष्मी नगर
228. विजय ब्लाक लक्ष्मी नगर
229. जगत राम पार्क लक्ष्मी नगर
230. लक्ष्मी नगर ब्लाक एच से एफ तक
231. रमेश नगर (पार्क)
232. लक्ष्मी नगर ब्लाक "पी पी"
233. लकीटा पार्क
234. विश्वकर्मा पार्क
235. लक्ष्मी नगर एच ब्लाक
236. नारायण नगर
237. लक्ष्मी नगर जैड ब्लाक
238. वेस्ट ज्योती नगर एक्स०
239. ईस्ट विनोद नगर
240. आचार्य निकेतन
241. क्षत्रि गार्डन
242. समस्त पुर एक्स०

243. जनता गार्डन
244. प्रताप नगर
245. पांडव नगर (ब्लाक ई एफ एण्ड पी)
246. गांव मंडावली एक्स०
247. विनोद नगर (कुमाऊं स्केयर)
248. अर्जुन नगर (लाडरी कालौनी) ईस्ट
249. सुभाष पार्क एक्स०
250. गांव खेडा एण्ड एक्स०
251. झम्ड पुरी
252. लक्ष्मी नगर ब्लाक ए से पी तक

हुडको द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि

9134. श्री धर्मलिङ्गम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको ने वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए आंध्र प्रदेश के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य में हुडको की सहायता से कितने मकान निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान हुडको ने आंध्र प्रदेश में विभिन्न हाउसिंग एजेन्सियों को रू० 119.45 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की है । चालू वर्ष में अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ख) आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में निर्णय लेने के पश्चात् ही मकानों की संख्या के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है ।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना

9135. श्री साइमन मरांडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक अलग नीति की घोषणा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु "टूल रूम" स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान देश के विभिन्न भागों में विदेशी सहायता से कौन-कौन से स्थानों पर "टूल रूमस" स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) प्रत्येक "टूल रूम" पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु क्षेत्र संबंधी नयी औद्योगिक नीति, जो 6-8-91 को संसद में रखी जा चुकी है, में इस क्षेत्र को और अधिक बल व विकास गति देने की परिकल्पना की गयी है, ताकि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को खासतौर पर उत्पादन, रोजगार व निर्यात में वृध्दि के

रूप मेंड अपना पूरा योगदान दे सके। तथापि, किसी अलग नीति की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, हां। बिहार राज्य के जमशेदपुर क्षेत्र के उद्योगों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए वहां एक औजार कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) भारत सरकार द्वारा विदेशी सहायता से देश में पांच औजार कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

1. जमशेदपुर (बिहार)
2. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
3. इन्दौर (मध्य प्रदेश)
4. अहमदाबाद (गुजरात)
5. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

(घ) व्यय अनुमोदन संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार प्रत्येक औजार कक्ष पर कुल व्यय इस प्रकार होने की संभावना है:

औजार कक्ष	निम्नलिखित से योगदान			योग
	राज्य सरकार	भारत सरकार	विदेशी सरकार	
				(आंकड़े रुपयों में)
डेनमार्क की सहायता से				
1. जमशेदपुर	357.00	852.00	1436.00	2645.00
2. भुवनेश्वर	357.00	852.00	1436.00	2645.00
जर्मनी की सहायता से				
3. इन्दौर	547.73	827.47	1160.25	2535.45
4. अहमदाबाद	525.00	827.47	1160.25	2512.72
5. औरंगाबाद	464.00	827.47	1160.25	2451.72

निजी सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमानों में समानता

9136. **श्री अर्जुन सिंह यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के निजी सहायकों का वेतनमान संशोधित करके 1640/- रुपये नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो द्वितीय निजी सहायकों और अन्य आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधित करने में भेदभाव करने तथा भावी निजी सहायकों का वेतनमान संशोधित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे मे समानता लाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) से (ग) मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के पद का वेतनमान 2000—3500/- रू० है तथा द्वितीय निजी सहायक का वेतनमान 1640—2900/- रू० है । उक्त पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी० एस० एस० एस०) के संवर्ग पद है, जो क्रमशः ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलियत) तथा ग्रेड "ग" के होते हैं । मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में हिन्दी आशुलिपिक (भाषा निजी सहायक) का पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का संवर्ग पद नहीं है ।

चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आशुलिपिकों तथा मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में हिन्दी आशुलिपिक (भाषा निजी सहायक) के लिए पहले 1400—2600/- रू० के संशोधित वेतनमान की मंजूरी दी गई थी । तथापि, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के एक आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में सम्मिलित ड्यूटी पदों तथा कुछ अन्य सेवाओं/संगठनों के, जहां सीधी भर्ती का तरीका समान खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से है । आशुलिपिकों के लिए 1640—2900/- रू० का उच्चतर वेतनमान निर्धारित किया गया है । तदनुसार, मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में द्वितीय निजी सहायक का वेतनमान 1640—2900/- रू० संशोधित हो गया है । मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में हिन्दी आशुलिपिक (भाषा निजी सहायक) के वेतनमान को 1400—2600/- रू० से 1640-2900/- रू० तक संशोधित करने की मांग की सरकार द्वारा जांच की गई थी परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उस पद पर भर्ती का तरीका तथा निर्धारित योग्यता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" से भिन्न था ।

[अनुवाद]

साफ्टवेअर पैकेजों का उत्पादन

9137. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण और परामर्शदात्री संगठन ने साफ्टवेअर पैकेज का समेकित उत्पादन शुरू किया है जिससे भारतीय उत्पादन उद्योग की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) से (ग) कई कम्प्यूटर साफ्टवेयर कंपनियां कम्प्यूटर साधित डिजाइन, कम्प्यूटर साधित विनिर्माण, औद्योगिक विनिर्माण उद्योग जैसे कि आटोमोबाइल, अंकीय नियंत्रण मशिनों आदि के लिये कम्प्यूटर द्वारा एकीकृत विनिर्माण की दृष्टि से साफ़टवेयर पैकेज के समाधान उपलब्ध करा रही हैं । ये पैकेज मुख्यतः विनिर्माणकारी उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते है । ये पैकेज विशिष्ट अनुप्रयोग उन्मुखी किस्म के है ।

परमाणु प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता तथा उपलब्धियां

9138. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जहां तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का संबंध है, भारत की स्थिति क्या है; और

(ख) कृषि, उद्योग तथा औषधियों के क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण स्वदेशी उपलब्धियां क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत विश्व के उन कुछ देशों में से एक है जिसने सम्पूर्ण नाभिकीय इंधन चक्र में व्यापक क्षमता हासिल कर ली है । हमारे वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने नाभिकीय सामग्री के पूर्वेक्षण और खनन, इंधन और आवरण सामग्री के निर्माण से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टरों का डिजायन बनाने, उनका निर्माण करने तथा परिचालन करने के अतिरिक्त न्यूक्लियर इंधन का पुन:संसाधन करने और अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्धन करने में सफलता प्राप्त कर ली है । इन वर्षों में, हमने भारी पानी संबंधी प्रौद्योगिकी, रिएक्टर नियंत्रण प्रणालियों, विकिरण के मानीटरन और विकिरण सुरक्षा संबंधी उपस्कर बनाने के साथ-साथ रिएक्टर की मरम्मत और उसका अनुरक्षण करने संबंधी प्रौद्योगिकी में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली हैं ।

(ख) नाभिकीय प्रौद्योगिकी, उसके स्पिन-ऑफ और उच्च प्रौद्योगिकी का भारतीय उद्योगों को अन्तरण करने में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं । नाभिकीय सामग्री के लिए कड़े मानक और अति-शुध्दता की आवश्यकता होने से भारतीय उद्योग में गुणवत्ता बोध और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की संस्कृति विकसित हुई है । उच्च प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण के क्षेत्र में प्राप्त इन उपलब्धियों ने भारतीय उद्योग को बहुत अधिक आत्मविश्वास और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रदान की है । हमारे अनुसंधान और विद्युत रिएक्टरों में अनेक प्रकार के रेडियोआइसोटोपों का उत्पादन स्वदेशी तौर पर ही किया जाता है और उनका उपयोग कृषि, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है । कृषि के क्षेत्र में, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने फसली पौधों के उन्नत उत्परिवर्ती तैयार किए हैं । रेडियोआइसोटोपों से उर्वरक उद्ग्रहण के अध्ययन में तथा महंगे उर्वरकों के उपयोग में किफायत बरतने में सहायता मिली है । खाद्य किरणन प्रौद्योगिकी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है को कुछ खाद्य उत्पादों का परिरक्षण करने के लिए बढ़ाया गया है तथा इससे निर्यात करने की क्षमता बढ़ी है । उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक दाब देसलों, प्रक्रिया पाइपों और अन्य जटिल संघटकों में दरारों का पता लगाने के लिए गामा रेडियोग्राफी का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है । बंद डिब्बों में तरल पदार्थों के स्तरों को नियंत्रित रखने के लिए तथा पाइपों, पन्नियों और चादरों की मोटाई नापने के लिए न्यूक्लिआनिक मेजों को काम में लाया जाता है । खुदाई किए बगैर जमीन के भीतर गैस/तेल पाइप लाइनों में हुए मामूली से रिसावों का पता लगाने के लिए रेडियोआइसोटोपों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है । रेडियोआइसोटोपों को काम में लाकर बांधों में होने वाले रिसाव तथा बन्दरगाह स्थलों पर गाद के संचलन के बारे में अध्ययन किए गए हैं । चिकित्सा के क्षेत्र में, रेडियोआइसोटोपों का इस्तेमाल भारत में 300 चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में नैदानिक और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है । इसी प्रकार, चिकित्सा और उद्योग में काम में लाने के लिए लैसरों का विकास किया गया है । कृषि के क्षेत्र में उपयोग के लिए रेडियोआइसोटोपों की सहायता से डाल ही में किया गया कार्य निगम के मलजल से जीवाणु रहित कार्बनिक उर्वरक के उत्पादन हेतु बड़ौदा में लगाया गया खादपंक शोधन अनुसंधान किरणक है ।

पट्टे में दिए गए प्लाटों को पूर्ण स्वामित्व वाले प्लाटों में बदलना

9139. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पट्टे में दिए गए प्लाटों तथा फ्लैटों को पूर्ण स्वामित्व वाले प्लाटों तथा फ्लैटों में बदलने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवर्तित करने की यह प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित बहुमंजिली फ्लैटों पर भी लागू होगी;

(घ) क्या किसी बहुमंजिले फ्लैट के प्रत्येक मंजिल के आबंटिती को पट्टे को पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करने के लिए आवेदन करना होगा;

(ङ) क्या बहुमंजिले फ्लैट के विभिन्न आबंटितियों के बीच परिवर्तन शुल्क समान अनुपात में से विभाजित किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां । देय प्रभारों आदि सहित परिवर्तन के लिए प्रक्रिया के ब्यौरे देते हुए 13-4-92 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा

विस्तृत सार्वजनिक सूचना जारी की गई है । विभिन्न इलाकों में बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से आवेदन प्रपत्र और विवरणिका बिक्री के लिए उपलब्ध हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । उन किराया खरीद के आधार वाले आबंटितियों के अलावा ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच

9140. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए केन्द्रीय भंडार को सप्लाई किए जाने वाले गेहूं, चावल आदि की गुणवत्ता की जांच पाक्षिक रूप से की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) उचित दर दुकानों, जिसमें केन्द्रीय भंडार द्वारा चलाई जाने वाली दुकानें शामिल हैं, को जारी करने से पहले भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले चावल और गेहूं की क्वालिटी की जांच भारतीय खाद्य निगम और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग के निरीक्षक उचित दर दुकानों को, जिनमें केन्द्रीय भंडार द्वारा चलाई जाने वाली दुकानें शामिल हैं, सप्लाई की गई राशन की मदों की क्वालिटी की समय-समय पर जांच करते हैं ।

[अनुवाद]

सहकारी सामूहिक आवास समितियों में अनियमितताएं

9141. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों में अनियमितताओं संबंधी सूचना एकत्रित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में 27-4-92 को 2036 सहकारी सामूहिक आवास समितियां पंजीकृत थीं । समितियों के विरूध्द समय-समय पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं । समितियों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

1. प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इंकार करना ।
2. सदस्यों द्वारा सम्पतियों का स्वामित्व ।
3. सदस्यों/समिति के लिये और प्रति वित्तीय दावे ।
4. चुनाव आयोजन में अनियमितताएं ।
5. अनुमेय कार्यकाल से आगे पदाधिकारियों का बने रहना ।
6. निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग ।
7. फ्लैट समय पर पूरे न करना ।
8. समिति के काम-काज में कुप्रबन्ध आदि ।

चूंकि इन सहकारी सामूहिक आवास समितियों में सदस्य संख्या लगभग 2 लाख हैं, इसलिये सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय विभिन्न सदस्यों तथा विभिन्न समितियों से प्राप्त हुई शिकायतों की सूची रखने की स्थिति में नहीं है । तथापि, दोषी समितियों/सदस्यों के विरूध्द दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के सम्बन्ध उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है ।

प्रबन्ध समिति की ओर से निरन्तर त्रुटि की स्थिति में अधिनियम की धारा 32 की सहायता ली जाती है और समिति को हटा दिया जाता है । समिति में सामान्य अवस्था बहाल होने पर चुनावों का आदेश दिया जाता है ताकि प्रबन्ध को लोकतांत्रिक रूप से चुने गये निकाय को सम्भाला जा सके ।

यह बताना प्रासंगिक है कि सहकारी सामूहिक आवास समितियों में बोगस/बेनामी सदस्यों के कदाचार पर और नियंत्रण रखने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने नियम 41-क को जोड़कर सहकारी समिति नियमावली, 1973 को संशोधित किया है । तथापि, इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला न्याय-निर्णयाधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद का विकास

9142. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजी से विकास के कारण परस्पर जुड़े शहर हैदराबाद और सिकन्दराबाद में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास इन शहरों के 400वें स्थापना दिवस के अवसर, इनके बहुमुखी विकास और इनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । नागरिक सुविधाओं के प्रावधान की गति शहरी विकास के अनुरूप नहीं है ।

(ख) हैदराबाद शहर के चतुर्थ शताब्दी समारोह के संबंध में विभिन्न कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का अनुरोध किया है । मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि शहरी विकास राज्य का विषय है इसलिए शहरी क्षेत्रों में कार्यों को आरम्भ करने के लिए प्रावधान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है चाहे वह शहरी सौन्दर्य के लिए हो या आवास या अधसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए । विभिन्न राज्य सरकारों को देने के लिए भारत सरकार के पास कोई स्वाविवेकी निधियां नहीं हैं । इसलिए अपनी राज्य योजना स्किमों के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजनायें तैयार करना आन्ध्र प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कोयले की कमी

9143. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत संयंत्रों को कुल कोयले की आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि० के पास इस आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता विद्यमान है;

(ग) यदि नहीं, तो कोयले की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) बिहार में उन बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है जिनके बिजली उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव पड़ा है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले की कुल आवश्यकताओं का 150 मि० टन का मूल्यांकन किया गया है ।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० इस मांग को पूरा किए जाने के लिए सहमत हो गए हैं ।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि बिहार में किसी भी तापीय विद्युत गृह ने कोयले की कमी के कारण वर्ष 1991-92 के दौरान बिजली के उत्पादन में हुई हानि के बारे में सूचित नहीं किया है।

[अनुवाद]

सोडियम नाइट्रेट संयंत्र

9144. **श्री गोपीनाथ गजपति**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में राउरकेला में एक सोडियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र किस क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की लागत कितनी है और इसके द्वारा स्थानीय लोगों के लिए कितना रोजगार पैदा किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) केन्द्रीय सरकार के पास राउरकेला में सोडियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वनस्पति संयंत्र

9147. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनधिकृत वनस्पति एककों के संबंध में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(ग) इन एककों के कार्यकरण को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी हां। भारत सरकार, नागरिक पूर्ति विभाग ने आई० डी० आर० अधिनियम का उल्लंघन करके स्थापित किए गए अनधिकृत वनस्पति कारखानों के दावों की जाँच करने के लिए पूंजी निवेश और कामगारों के नियोजन के मोटे अनुमानों के बारे में राय देने के लिए हर कोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ख) समिति का यह विचार था कि लघु क्षेत्र में 25 मी० टन प्रतिदिन के न्यूनतम लाभप्रद आकार का वनस्पति संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि अचल परिसम्पत्तियों में किया जाने वाला न्यूनतम निवेश, लघु क्षेत्र के एकक के लिए निर्धारित निवेश सीमा से काफी अधिक होता है। इसके अलावा, विद्युत की मदद से 50 से कम कामगारों के साथ वनस्पति एकक चलाना भी संभव नहीं है।

(ग) विनियंत्रण के बाद भी 1991 जनगणना के अनुसार, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में कोई वनस्पति एकक केवल "औद्योगिक क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर स्थापित नहीं किए

जा सकत । भारतीय मानक ब्यूरो को आई० एस० आई० प्रमाणन चिह्न रद्द करने की सलाह दी गई है जैसा कि अप्राधिकृत एककों में वनस्पति तैयार करने से संबंधित वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश के तहत सांविधिक रूप से अनिवार्य किया गया है ।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

9148. **श्रीमति दीपिका एच० टोपीवाला**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समूचे उद्योग मानकों की छानबीन करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार का एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना करने के विषय पर सरकार विचार कर रही है । भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए पहले ही उपाय आरंभ कर दिए हैं ।

उद्योग का व्यावसायिक प्रबंधन

9149. **डा० सी० सिलवेरा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग में व्यावसायिक प्रबंधन की आवश्यकता की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उपकर हटाने के कारण हानि

9150. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या कोयला मंत्री 8 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 6549 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपकर हटाने तथा समानांतर रायल्टी में वृद्धि होने के कारण बिहार तथा अन्य कोयला उत्पादक राज्यों को पृथक-पृथक कितना वार्षिक घाटा हुआ है और गत वर्षों की तुलना में यह कितना कम है;

(ख) वजन के आधार पर रायल्टी देने के स्थान पर मूल्य के आधार पर रायल्टी देने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसा करने से घाटे को किस हद तक कम किया जा सकेगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एच० जी० न्यामगौड): (क) वर्ष 1989-90 में कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा रायल्टी और उपकरों से (जोकि न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिए गए) अर्जित राजस्व तथा 1-8-1991 से प्रभावी बढ़ती हुई दरों पर रायल्टी, जोकि उन्हें 1989-90 के दौरान प्राप्त होती, को नीचे दिया गया है (असम और पश्चिम बंगाल के उपकर नियम अमान्य घोषित नहीं किए गए हैं और इसलिए रायल्टी की संशोधित दरों को उन पर लागू नहीं किया गया है) :—

(करोड़ रु० में)

राज्य	1989-90 के दौरान कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा वास्तविक रूप में भुगतान की गई रायल्टी और उपकर की राशि			यदि कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरें 1989-90 से लागू की जाती तो इस संबंध में रायल्टी की कुल देय राशि निम्नलिखित होती	अन्तराल
	रायल्टी	उपकर	जोड़		
आन्ध्र प्रदेश	8.62	46.65	55.27	119.00	(+) 63.73
बिहार	27.93	648.59	676.52	541.39	(−)135.13
मध्य प्रदेश	23.03	22.32	45.35	334.83	(+)289.48
महाराष्ट्र	6.91	0.83	7.74	96.31	(+) 88.57
उड़ीसा	4.11	42.71	46.82	45.26	(−) 1.56
उत्तर प्रदेश	6.64	3.34	9.98	26.53	(+) 16.55

(ख) और (ग) कोयले पर रायल्टी की दरें, खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत निर्धारित की गई हैं। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि में रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने पर प्रतिबंध है, अत: विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत ऊपरी ओर संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर जुलाई, 1994 के बाद ही विचार किया जा सकता है।

राशन कार्ड जारी करने संबंधी शिकायतें

9151. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा**
श्री अर्जुन सिंह यादव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार को कमजोर वर्ग के लोगों तथा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को राशन कार्ड जारी करने में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं:

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी 11 शिकायतें मिली थी ।

(ख) से (घ) 6 शिकायतें प्रमाण रहित पाई गई तथा उन्हें फाईल कर दिया गया है । शेष 5 शिकायतों की जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिक

9152. **श्री शरद यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कितने कर्मचारी है;

(ख) उनमें से श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों, निजी क्षेत्र आदि में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक नियुक्त हैं । ऐसे भी हैं जिनका अपना रोज़गार है । उनकी वास्तविक संख्या के बारे में गणना करना कठिन है ।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां क लिए भर्ती और सेवा में पदोन्नति के बारे में आरक्षण के लिए पहले से ही हिदायतें मौजूद हैं और बकाया पदों को, यदि कोई हों, भरने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं ।

सतर्कता आयोग में मामले

9153. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सतर्कता आयोग को कुल कितने मामले प्राप्त हुए है; और

(ख) कितने मामलों की जांच की गई तथा निपटाया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण के अनुसार संलग्न है ।

विवरण

आयोग में सलाह के लिए प्राप्त मामलों तथा उनके निपटान की संख्या के बारे में रिकार्ड आयोग में कैलेण्डर वर्ष के आधार पर रखा जाता है । वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त मामलों की संख्या तथा उपर्युक्त मामलों में से 31-3-1992 को निपटाए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	प्रथम चरण की सलाह के मामले	द्वितीय चरण के सलाह के मामले	अन्य मामले	कुल जोड़
1989 प्राप्त	2217	757	669	3643
*निपटाए गए	2166	757	660	3583
1990 प्राप्त	2260	855	838	3953
*निपटाए गए	2180	849	832	3861
1991 प्राप्त	2112	998	805	3915
*निपटाए गए	1902	969	760	3631

*पिछले वर्षों से अग्रेनीत किए गए मामलों का निपटान शामिल नहीं है ।

2. आयोग प्राप्त शिकायतों की जांच अपने आप नहीं करता है । आयोग इन शिकायतों की जांच या तो संबंधित विभागों/संगठनों से अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराता है क्योंकि आयोग के पास जांच के लिए अपना स्टाफ नहीं है । आयोग द्वारा दी गई सलाह या तो स्वयं विभागों द्वारा अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांचों पर आधारित है ।

भारतीय कोकिंग कोल लि० में कथित धांधली

9154. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान "ईस्टर्न कोलफील्डस लि० मुगामा" के क्षेत्रीय कार्यालय इसकी सहायक कंपनी खुदिया कोलियरी और भारत कोकिंग कोल लि० के बस्ता कोलफील्डस के परिसरों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध अनेकों आरोप लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड): (क) से (घ) धनबाद के उपायुक्त के निर्देशों के तहत खुदिया (ई० सी० एल०) और बस्ताकोला (बी० सी० सी० एल०) कोलियरियों से कोयले के प्रेषण के संबंध में ई० सी० एल० और बी० सी० सी० एल० में छापे मारे गए थे । ई० सी० एल० के संबंध में 12-2-1992 और 4-3-1992 को दो प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई थीं जिसमें क्रमश: जम्मू एण्ड कश्मीर तथा मिजोरम राज्य सहकारी विपणन उपभोक्ता संघ लि० के 20 कोयला उपभोक्ताओं के नाम और उनके

प्रतिनिधि शामिल हैं जिन पर कोयले को काले बाजार में बेचने के षड्यंत्र बनाने और बेईमानी करने के आरोप हैं। जांच पूरी हो जाने और मामलों का निर्णय हो जाने के पश्चात् अंतिम परिणामों का पता चल सकेगा।

बी० सी० सी० एल० के मामले में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें कोयले की खुली बिक्री के अंतर्गत अनियमित रूप से आबंटन किए जाने के लिए बी० सी० सी० एल० के अधिकारियों सहित 13 फर्में शामिल हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट को बाद में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

कर्मचारियों की पदोन्नति

9155. **डा० रमेश चन्द्र तोमर**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉकेट ए-II, कालकाजी, नई दिल्ली में घटिया स्तर के डी० डी० ए० फ्लैटों का निर्माण कराने के लिए गंगाधर और आई० आई० टी० समिति द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) पाकेट ए-II, कालकाजी में फ्लैटों के घटिया निर्माण के लिए उत्तरदायी ठहराये गए एक अधिकारी को पदोन्नत किया गया है।

(ख) सिविल रिट याचिका सं० 505/88 और सिविल विविध सं० 731/88 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पदोन्नति की गई थी।

[हिन्दी]

कोयले का लागत मूल्य

9156 **श्री सुकदेव पासवान**
श्री नीतीश कुमार } : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले की लागत का निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते के अनुसार बंगला देश को कितने कोयले का किस दर से निर्यात किया जाता है; और

(घ) सरकार ने दिल्ली और दक्षिण भारत में कोयले के उपयोग हेतु माल-भाड़ा सहित कोयले की सम्भावित लागत निर्धारित कर दी है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कोल इंडिया लि० की नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयले की उत्पादन लागत 602.48 रु० प्रति टन (अनंतिम) थी।

(ग) कोल इंडिया लि० ने यह सूचित किया है कि वे नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० से बंगला देश को कोयले का निर्यात किए जाने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं । किन्तु नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० से कोयले का बंगला देश को निर्यात किए जाने के संबंध में कोई भी करार अभी तक उनके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(घ) कोल इंडिया लि० की नार्थ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० से कोयले की आपूर्ति किए जाने में भूमिगत लागत दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1700/- रु० प्रति टन आएगी और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में दूरी को देखते हुए इसकी लागत 1800/- रु० से 2100/- रु० प्रति टन के बीच आएगी । इस लागत में कोयले की कीमत, रेल भाड़ा आदि शामिल है ।

[अनुवाद]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में धन का अन्यत्र प्रयोग

9157. **श्री पी० वल्लाल पेरुमान :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खान-विस्तार योजना हेतु आबंटित धन का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीददारी में कमीशन का भुगतान किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस मामले में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(ङ) जांच के निष्कर्ष क्या रहे और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) खान विस्तार योजना की खरीददारी के लिए अदा किए गए कमीशन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोल इंडिया लि० में अत्यधिक व्यय पर नियंत्रण

9158. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने अत्यधिक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनुदेशों के परिणामस्वरूप कितनी बचत होने का अनुमान है; और

(घ) इन अनुदेशों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) जी, हां । कोल इंडिया लि० ने गैर-आयोजना और नियंत्रित-योग्य मदों जैसे समयोपरि भत्ता, यात्रा, दूरभाष, प्रचार, स्टेशनरी, स्टाफ कार आदि पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम किए जाने के संबंध में अपनी सहायक कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं । इन कंपनियों द्वारा उठाए गए किफायती कदमों के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 के दौरान (फरवरी, 1992 तक), वर्ष 1990 की इसी अवधि के दौरान इसी तरह की मदों पर किए गए व्यय की तुलना में 8.26 करोड़ रु० की राशि की बचत किया जाना संभव हो सका है ।

नियंत्रण-योग्य मदों के संबंध में को० इं० लि० और इसकी सहायक कंपनियों के संबंध में बजट निर्धारित कर दिए गए हैं । ऐसे बजटों की तुलना में वास्तविक मासिक आधार पर निगरानी रखी जाती है ।

बाट और माप अधिनियम, 1976

9159. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कम्पनियां बाट और माप अधिनियम, 1976 में पैकेट बन्द माल पर अधिकतम मूल्य के साथ-साथ उत्पादन लागत मुद्रित करने के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण अपने उत्पादों का मूल्य समय-समय पर बढ़ा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कम्पनियों का कोई सर्वेक्षण कराया है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अपने उत्पादों के मूल्यों में वृध्दि की है और इस मूल्य वृध्दि के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया था और इन मिलों ने आटा आदि छः रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा था; और

(ङ) यदि हां, तो रोलर फ्लोर मिलों को कम दर पर गेहूं देने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत पहले से पैक की गई वस्तु पर खुदरा विक्रय मूल्य अंकित किया जाना अपेक्षित है । इन नियमों के तहत उत्पादन लागत अंकित करना अनिवार्य नहीं है ।

(ख) और (ग) बाट और माप अधिनियम तथा नियम मूल्य नियंत्रण करने के कानून नहीं हैं । अतः मूल्य वृध्दि हेतु सर्वेक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता । यह मंत्रालय केवल कुछ चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा कर रहा है ।

(घ) और (ङ) खाद्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि अक्तूबर, 1991 से मार्च, 1992 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को रोलर फ्लोर मिलों, आटा चक्कियों, राज्य नियंत्रित अभिकरणों आदि को गेहूं की कुछ मात्रा बेचने की अनुमति दी गई थी । यह कार्य बाजार उपलब्धता बढ़ाकर खुले बाजार में बढ़ रही कीमतों पर प्रभाव डालने की दृष्टि से बाजार दखल उपाय के रूप में किया गया था । भारतीय खाद्य निगम के मूल्य नियत करते

समय खुले बाजार-मूल्यों, भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत, खरीद के क्षेत्र से दूरी जैसी बातों को ध्यान में रखा गया था और ये मूल्य रोलर फ्लोर मिलों सहित सभी के लिए समान थे। चूंकि गेहूं पिसाई उद्योग को 1986 से लाइसेंस मुक्त/विनियंत्रित कर दिया गया है, अतः जिन मूल्यों पर खरीददारों ने खुले बाजार में गेहूं उत्पादों की बिक्री की उन पर कोई नियंत्रण नहीं था।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सांविधिक दर्जा

9160. श्री रवि राय
श्री अन्ना जोशी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के अधीन विधिक शक्तियां मिली हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक स्वायत्त सांविधिक दर्जा प्रदान करने के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान

9161. श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री बापू हरि चौरे } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवास उपलब्ध करने हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक आवंटित किये गये आवासों की वर्ष-वार संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, 1992-93 के लिये इंदिरा आवास योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। 1992-93 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इंदिरा आवास योजना के तहत मकान केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिये ही निर्मित किये जाते हैं। महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक सूचित निर्मित/आवंटित

मकानों की संख्या विवरण-2 में दी गई है । चालू वर्ष में अप्रैल माह की रिपोर्टें/विवरणियां 10 मई, 1992 को ही देय होंगी ।

विवरण I

1992-93 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बनाये जाने वाले मकानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7719
2.	अरूणाचल प्रदेश	282
3.	असम	1091
4.	बिहार	15943
5.	गोवा	9
6.	गुजरात	4546
7.	हरियाणा	917
8.	हिमाचल प्रदेश	343
9.	जम्मू व कश्मीर	200
10.	कर्नाटक	5309
11.	केरल	1690
12.	मध्य प्रदेश	17816
13.	महाराष्ट्र	7462
14.	मणिपुर	58
15.	मेघालय	439
16.	मिजोरम	220
17.	नागालैंड	383
18.	उड़ीसा	8885
19.	पंजाब	1255
20.	राजस्थान	7166
21.	सिक्किम	51
22.	तमिल नाडु	7044
23.	त्रिपुरा	279
24.	उत्तर प्रदेश	18448
25.	पश्चिम बंगाल	11308
26.	अंडमान व निकोबार	16
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादरा व नगर हवेली	60
29.	दिल्ली	0
30.	दमन व दीव	8

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बनाये जाने वाले मकानों की संख्या
31.	लक्षद्वीप	16
32.	पांडिचेरी	47
	योग :	119010

विवरण II

1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इंदिरा आवास योजना के दौरान निर्मित मकानों की संख्या

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
		निर्मित मकानों की संख्या	निर्मित मकानों की संख्या	निर्मित मकानों की संख्या	(कालम 3+4+5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4261	6142	10041	20444
2.	अरूणाचल प्रदेश	99	3	60	162
3.	असम	1960	2299	1566	5825
4.	बिहार	19563	10480	14912	44955
5.	गोआ	121	51	52	224
6.	गुजरात	4806	4736	4938	14480
7.	हरियाणा	1495	859	526	2880
8.	हिमाचल प्रदेश	648	435	366	1449
9.	जम्मू व कश्मीर	845	273	348	1466
10.	कर्नाटक	5147	11341	4454	20942
11.	केरल	22932	8724	5172	36828
12.	मध्य प्रदेश	6384	18790	37614	62788
13.	महाराष्ट्र	14442	9730	5515	29687
14.	मणिपुर	284	170	73	527
15.	मेघालय	147	210	373	730
16.	मिजोरम	104	1264	79	1447
17.	नागालैंड	373	649	684	1706
18.	उड़ीसा	3894	9041	16992.	29927
19.	पंजाब	1578	934	465	2977
20.	राजस्थान	3766	2028	11420	17214
21.	सिक्किम	40	58	166	264
22.	तमिलनाडु	41666	47260	58276	147202

23.	त्रिपुरा	810	491	175	1476
24.	उत्तर प्रदेश	32529	25300	11911	69740
25.	पश्चिम बंगाल	13980	9421	5882	29283
26.	अंडमान व निकोबार	24	13	0	37
27.	दादरा व नगर हवेली	130	53	15	198
28.	दमन व दीव	9	10	7	26
29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
30.	पांडिचेरी	205	40	22	267
	योग :	182242	170805	192104	545151

[हिन्दी]

कृषि आधारित मिथाइल उद्योग

9162. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि आधारित मिथाइल उद्योग को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग के अधीन कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य हेतु राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र नेटवर्क का उपयोग

9163. **श्री शंकर सिंह वाघेला**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह-आधारित राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र नेटवर्क का हाल ही के आम चुनावों में आंकड़े एकत्रित करने और इसे प्रसारित करने में उपयोग किया गया था;

(ख) क्या राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र नेटवर्क का उपयोग आंकड़े एकत्रित करने और उन्हें प्रसारित करने में लागत और समय की दृष्टि से प्रभावी सिध्द हुआ है; और

(ग) राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र नेटवर्क को अन्य कौन से संसदीय प्रयोजनों हेतु उपयोग करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां । फिर भी, संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मुख्य चुनाव अधिकारियों को सूचना का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से और डायल-अप कम्प्यूटर टर्मिनलों को प्रदान करते हुए किया गया था ।

(ख) जी, हां । इससे लागत और समय में कमी आई है ।

(ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने पारलिस (संसद पुस्तकालय सूचना सेवा) डेटाबेस और संसद प्रश्नों एवं उत्तरों से संबंधित डेटाबेस का विकास तथा कार्यान्वयन किया है । यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त डेटाबेसों का प्रयोग करने के लिये राज्य विधान सभाओं को संसद के साथ जोड़ने तथा उनके बीच सूचना का आदान-प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नेटवर्क (निकनेट) का प्रयोग किया जाए । मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा पहले ही उपरोक्त प्रयोजन के लिये निकनेट का प्रयोग कर रही है ।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की सप्लाई

9164. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र को घटिया कोयला तथा अधिक राख वाले कोयले की सप्लाई की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अच्छे किस्म के और कम राख वाले कोयले की सप्लाई कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० जी० न्यामगौड) : (क) इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की आपूर्ति, जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र भी शामिल है, कच्चे कोयले की धुलाई के बाद की जाती है और कोयले की गुणवत्ता का विश्लेषण कोयला कंपनियों तथा इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप में किया जाता है ।

(ख) भा० को० को० लि० तथा से० को० लि० की विद्यमान वाशरियां "विशेषज्ञ समिति" की सिफारिशों के अनुसार संशोधित की जा रही हैं ताकि 17±0.5% के राखीय तत्व के धुले हुए कोककर कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चय किया जा सके ।

बिहार में कोयला खानों में कामगारों द्वारा हड़ताल

9165. **डा० लाल बहादुर रावत** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला कामगारों के हड़ताल पर चले जाने के कारण कोयला उत्पादन में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० जी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं । वर्तमान में बिहार में कोयला कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों को यातायात राज सहायता

9166. श्री राजेश कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता फुटकर दुकानों को केन्द्रीय योजना के अंतर्गत कम से कम पांच वर्षों तक, तब तक सहायता उपलब्ध करने का अनुरोध किया है जब तक ये दुकानें सुचारू रूप से न चलने लगें;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता दुकानों को यातायात राज सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) बिहार सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खुदरा दुकानें खोलने के लिए सहायता हेतु कोई अनुरोध इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को अन्तरित की जानी हैं ।

[अनुवाद]

कैगा, परमाणु विद्युत परियोजना

9167. श्री जी० माडे गौडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) उपर्युक्त परियोजना से कितना विद्युत उत्पादन होगा;

(ग) उपर्युक्त परियोजना में उत्पादन कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(घ) संपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) कैगा 1 और 2 पर मार्च, 1992 के अन्त तक लगभग 450 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं ।

(ख) बिजलीघर (कैगा 1 और 2) की क्षमता इस समय 2×220 मेगावाट परिकल्पित की गई है ।

(ग) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहला यूनिट जून, 1996 में और दूसरा यूनिट उसके बाद दिसम्बर, 1996 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा । प्रत्येक यूनिट के क्रांतिकता प्राप्त कर लेने और वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरू करने के बीच लगभग 6 महीने की अवधि की आवश्यकता होती है ।

(घ) निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज को छोड़कर अनंतिम रूप से लगभग 1600 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत आने का अनुमान लगाया गया है ।

इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले का आयात

9168. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात संयंत्रों के लिए कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया और भारतीय इस्पात प्राधिकरण से कोयला धोवनशालाओं को भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड को सौंपने के बाद उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० जी० न्यामगौड) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत-सोवियत संघ जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्माण कार्यक्रम

9169. **श्री कोडाकनी गौडाना शिवप्पा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "भारत-सोवियत संघ जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्माण कार्यक्रम" के नाम से किसी योजना के सम्बन्ध में केन्द्र की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल पादप प्रतिरोधी प्रजनन के लिये उन्नत केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार के माध्यम से विधिवत् भेजा गया है जो इस विभाग के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण

9170. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पेनिसिलीन का निर्माण रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकारी/निजी क्षेत्र में अधिक लागत और लाभ कमाने वाली दवाइयों जैसे एम्पीसिलिन, एमोक्सीसिलिन आदि के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस दिशा में क्या उपचारी कदम उठाए जा रहे है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) एक एकक को छोड़कर जिसने आर्थिक-अव्यवहार्यता के आधार पर उत्पादन रोक दिया है, अन्य सभी एकक पेनिसिलिन का उत्पादन कर रहे है ।

(ग) और (घ) एम्पीसिलिन, एमोक्सीसिलीन आदि का विनिर्माण उनकी बाजार मांग पर आधारित होता है ।

राज्यों में केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी स्टोर

9171. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत अपने कर्मचारियों के लाभ हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे भण्डार कहां-कहां स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में पौड़ी, गोपेश्वर कोटद्वारा में ऐसे भण्डार खोलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टोर कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लि० जो कि केन्द्रीय भण्डार के रूप में जानी जाती है, ने एक स्टोर उत्तर प्रदेश, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के परिसर में खोला है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

स्किपर कम्पनी समूह द्वारा लोगों के साथ की गई धोखा धड़ी

9172. श्री राम अवध : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के स्किपर कम्पनी समूह ने नई दिल्ली में स्किपर टावर में सीमित जगह बुकिंग करने के नाम पर कई लोगों के साथ धोखा धड़ी की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) स्किपर कम्पनी समूह द्वारा स्थान के अधिक बुकिंग के आरोप और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इस संबंध में अपराधिक/सिविल मामलों/प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराये जाने की सूचना है ।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 को समाप्त कराना

9173. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राजसहायता प्राप्त चावल का मूल्य

9174. **श्री जी० एन० रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले राजसहायता प्राप्त चावल के केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मूल्यों में अंतर है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियत अंतिम खुदरा मूल्यों के बीच अंतर आकस्मिक लागतों, जैसे प्रबंध और ढुलाई संबंधी खर्चों, थोक-विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिनों, राज्य की लेवी आदि जोड़ जाने की वजह से होता है। तथापि, कुछ मामलों में चावल का वितरण उन मूल्यों पर किया जा रहा है जिन पर स्वयं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा और राज-सहायता दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी

9175. **श्री ई० अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं और इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के 54 उपक्रम हैं। इनमें से प्रत्येक में कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1.	एण्ड्यू यूल एण्ड कंपनी लि०	19299
2.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०	95
3.	भारत डेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	72996
4.	भारत भारी उद्योग निगम लि०	35

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की संख्या
5.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि०	13599
6.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०	739
7.	रेरोल बर्न लिमिटेड	310
8.	वेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड	7460
9.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड	5534
10.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०	2037
11.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजी० लि०	874
12.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड	434
13.	लगन जूट मशीनरी कं० लि०	535
14.	बी० बी० जे० कंस्ट्रक्शन कं० लि०	183
15.	भारत यंत्र निगम लि०	47
16.	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०	4159
17.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	1941
18.	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि०	3014
19.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	1972
20.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	1212
21.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लि०	1829
22.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	29:2
23.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	7120
24.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	18622
25.	एच० एम० टी० लि०	27771
26.	प्रागा टूल्स लि०	2202
27.	एच० एम० टी० बियरिंग्स लि०	908
28.	एच० एम० टी० इंटरनेशनल लि०	149
29.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	4149
30.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रूमेंटस लि०	157
31.	माइनिंग एण्ड अलाइड मशी० कारपो० लि०	6266
32.	मारुति उद्योग लि०	4016
33.	नेशनल साइसाइकिल कारपोरेशन इंडिया लि०	900
34.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि०	1193
35.	स्कूटर्स इंडिया लि०	3041
36.	स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल (जी एम बी एच)	—
37.	भारत आप्टैल्मिक ग्लास लि०	567
38.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	6688
39.	डालमोदर सीमेंट एण्ड स्लैग कं० लि०	311
40.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	7554
41.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	1001

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की संख्या
42.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०	1191
43.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	1697
44.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	2953
45.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	282
46.	सांभर साल्ट्स लि०	541
47.	नेपा लि०	3583
48.	रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपो० लि०	2633
49.	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो० आफ इंडिया लि०	1935
50.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	3730
51.	भारत लेदर कारपोरेशन लि०	253
52.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	988
53.	नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपो० लि०	345
54.	नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०	2251

अनुशासनात्मक कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन

9176. **श्री जीवन शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच रिपोर्ट के अंतर्गत अनुशासनिक नियमों को निर्णय हेतु अनुशासी प्राधिकारी के समक्ष रखा जाता है और बीच के किसी अन्य प्राधिकारी को अनुशासी अधिकारी को यह सुझाव देने का अधिकार नहीं है कि अभियुक्त/दोषी सरकारी कर्मचारी को क्या दंड दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो अनुशासनिक नियमों में दी गई शर्तों का पालन न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कि नियमों को किस हद तक उल्लंघन किया गया है और पिछले तीन वर्षों की अनुशासनिक कार्रवाईयों से संबंधित फाइलों की बारीकी से जांच करने और सुधारात्मक कदम/उपाय करने का कोई प्रस्ताव है : यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) और (ख) अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 320(3) (ग) की शर्तों के अनुसार जहां आवश्यक हो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है और कोई दण्ड लगाए जाने से पहले आयोग की सलाह को ध्यान में रखा जाएगा । अनुशासनिक नियमों में भी अनुशासनिक प्राधिकारी को किसी अन्य प्राधिकारी से परामर्श करने की मनाही नहीं है । तथापि, अंतिम निर्णय अनुशासनिक प्राधिकारी पर निर्भर करता है ।

(ग) जी, नहीं । नियमों तथा आदेशों/अनुदेशों का संशोधन तथा अद्यतन सतत आधार पर किया जाता है जब कभी सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता होती है ।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्यों को ऋण

9177. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितना कितना ऋण दिया गया;

(ख) इन ऋणों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में किस अनुपात में बांटा गया; और

(ग) ऋण देने के लिए रखे गए मानदंड क्या हैं और इससे संबंधित शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को दिए गए ऋण की राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) 1987 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के संशोधन के पश्चात् खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को लाभ पहुंचाना है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यान्वयन अभिकरण और इनके बिक्री केन्द्र यद्यपि शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं किन्तु इनके अधिकतर उत्पादन एकक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गये ऋण की लगभग सभी राशि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का ढांचा तैयार कर लिया है । विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी की गई राशि की मात्रा बजट चर्चा के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग और कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच सहमत हुए कार्यक्रम के आकार और कार्यक्रमों को शुरू करने वाले कार्यान्वयन अभिकरणों की क्षमता पर निर्भर करता है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग स्थाई वित्त समिति की मंजूरी मिल जाने के पश्चात ही वास्तविक रूप में धन राशि जारी की जाती है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऋण नियमावली, 1956 के अनुसार अग्रिम ऋणों के लिए शर्तें तैयार कर ली हैं । धनराशियाँ जारी करने से पहले, बंधक करार प्राप्त करने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नाम अचल परिसंपत्तियों को गिरवी रखने और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वास्तविक जांच करने जैसे पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ऋण का वितरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1988-89		1989-90		1990-91	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	107.35	28.88	101.37	489.08	228.17	1075.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—

क्रम सं०	राज्य	1988-89 खादी	1988-89 ग्रामोद्योग	1989-90 खादी	1989-90 ग्रामोद्योग	1990-91 खादी	1990-91 ग्रामोद्योग
3.	असम	9.35	44.90	64.58	44.34	10.60	46.34
4.	बिहार	190.40	101.94	209.10	125.49	236.59	212.02
5.	गोवा	—	87.56	—	85.20	—	30.25
6.	गुजरात	541.12	74.38	123.31	186.43	168.95	130.00
7.	हरियाणा	134.89	129.72	132.96	355.55	126.28	300.56
8.	हिमाचल प्रदेश	18.55	179.72	26.93	169.62	48.97	168.74
9.	जम्मू और कश्मीर	14.44	134.99	49.73	104.41	38.50	81.59
10.	कर्नाटक	147.82	299.57	142.84	176.99	98.54	583.81
11.	केरल	130.24	306.48	131.23	464.66	202.75	547.66
12.	मध्य प्रदेश	86.00	137.51	74.67	181.45	66.37	98.76
13.	महाराष्ट्र	29.84	356.97	65.78	526.63	63.64	716.42
14.	मणिपुर	1.76	71.44	—	—	0.89	174.66
15.	मेघालय	0.06	6.49	—	26.66	—	37.12
16.	मिजोरम	1.51	45.09	0.53	74.76	1.69	99.00
17.	नागालैंड	2.41	16.81	2.89	20.02	1.71	32.01
18.	उड़ीसा	22.43	244.98	3.71	387.69	9.79	338.31
19.	पंजाब	36.12	68.53	38.94	128.80	75.65	305.26
20.	राजस्थान	567.24	433.77	331.58	289.67	181.33	227.49
21.	सिक्किम	3.27	36.51	11.40	8.33	6.77	29.86
22.	तमिलनाडु	476.85	803.11	210.81	902.44	315.43	1014.69
23.	त्रिपुरा	0.37	—	0.74	7.25	—	6.91
24.	उत्तर प्रदेश	295.30	1106.46	472.09	1491.76	417 90	1611.52
25.	पश्चिम बंगाल	367.33	177.73	73.88	285.92	74.20	439.26
	संघ शासित क्षेत्र						
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	20.85
27.	चंडीगढ़	—	1.40	0.64	0.16	—	11.80
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	21.53	12.40	27.85	33.37	11.54	48.42
30.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	10.34	17.04	3.24	20.27	1.69	13.09

विविध							
32.	विभागीय	—	—	—	—	—	7.05
33.	अन्य योजनायें	—	222.62	—	258.62	—	362.50
	योग	3216.52	5077.00	2300.80	6845.57	2387.96	8770.27

* ग्रामीणोग प्रदर्शित करता है ।

[अनुवाद]

केरल में पर्वतीय क्षेत्र

9178. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसी जिले को पर्वतीय क्षेत्र घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसी जिले को पर्वतीय क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं । तथापि पश्चिमी घाट में राज्य के 29 ताल्लुकों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ।

(ख) सम्मिलित किए गए ताल्लुकें इस प्रकार हैं :—

1. टालीपारम्ब
2. टेलीचेरी
3. डोसदुर्ग
4. मद्दानावदी
5. व्यथीरी
6. सुलतान की बटेरी
7. कोशीमोड
8. बद्दागड्डा
9. क्विलेण्डी
10. करण्डु
11. मन्नारघाट
12. पालघाट
13. चित्तूर
14. मोकुण्डापुरम
15. कोथमंगलम
16. मुवाथेपुजा
17. कुन्नाथुनाड
18. थेट्टूरपुजा
19. देवीकुलम
20. उदुमनचोला
21. पीरमेड
22. मीनचिल
23. कंजीरपसल्ली
24. कोट्टरक्काडा
25. पथनापुरम
26. पथनामथीटा
27. कुन्नाथुर
28. नेयय्याटीनकर
29. नेडुमंगाड

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने 1965 में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान की थी जो मुख्यत: पूर्वोत्तर और पश्चिमी पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों में स्थित थे जिसमें बाद में पश्चिमी घाट के कुछ निकटस्थ ताल्लुकों/ब्लॉकों को जिनका कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्र 600 मीटर अथवा अधिक की ऊंचाई पर स्थित था, को 1972 में जोड़ा गया था ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

9179. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और प्रत्येक उपक्रम में कुल कितनी धनराशि निवेश की गई है : और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक उपक्रम को कितना निवल लाभ/हानि हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 12 उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है । उन उद्यमों के नामों, 31-3-1991 तक उनमें किये गये पूंजी निवेश की कुल राशि, गत तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91—जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है—के दौरान प्रत्येक उद्यम द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ/उठाई गई हानि, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	31-3-91 तक किया गया पूंजीनिवेश	शुद्ध लाभ/हानि (—)		
			1988-89	1989-90	1990-91
1.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	280.15	1.60	13.72	4.85
2.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि०	47.52	2.52	1.84	0.46
3.	सी एम सी लिमिटेड	31.70	0.07	0.85	(—)6.78
4.	इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	133.20	3.04	3.29	(—)10.38
5.	एच एम टी बियरिंग्स लिमिटेड	13.95	(—)1.09	0.21	3.55
6.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	138.52	0.14	0.54	0.57
7.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	166.89	(—)24.85	36.84	46.30
8.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	27.02	1.33	0.81	(—)1.70
9.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	7122.75	0	0	(—)477.55
10.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	61.66	(—)10.39	(—)9.05	(—)4.61
11.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो० लिमिटेड	11.77	(—)1.53	(—)1.47	(—)1.08
12.	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	29.53	(—)0.15	1.34	0.87

[हिन्दी]

छापेमारों की जमाखोरी

9180. श्री राम लखन सिंह यादव
श्री जार्ज फर्नान्डीज } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक कितने छापे मारे गए तथा कितने लोग मारे/पकड़े गए और कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा कितने लोगों को दण्ड दिया गया है ; और

(ग) कितनी धनराशि का माल जब्त किया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसी प्रकार के संबंधित कानूनों के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत, आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जमाखोरी और अन्य कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं । केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों को तेज करने और जमाखोरी तथा अन्य कदाचारों पर नियंत्रण रखने हेतु कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत पर बल देती रही है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-1-1991 से 31-12-1991 तक की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की गई :—

मारे गए छापों की संख्या	—	166849
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	—	5754
उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	—	6735
दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	—	291
जब्त किए गए माल का मूल्य	—	2576.06 लाख रु.

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1992 की प्रथम तिमाही की अवधि की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में हिन्दी अधिकारी

9181. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की किन-किन प्रयोगशालाओं में राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए नियमित हिन्दी अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए है ; और

(ख) इन प्रयोगशालाओं में इन पदों के सृजन हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) चूंकि इन पदों का सर्जन कार्य की मात्रा, बजट समर्थन इत्यादि जैसे कई कारकों से जुड़ा हुआ है, अत: इस संबंध में कोई विशिष्ट समय-सारणी (टाइम फ्रेम) का निर्धारण नहीं किया गया है । तथापि, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कुछ अन्य स्टाफ को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण (देखभाल) का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

विवरण

प्रयोगशालाओं/संस्थानों के नाम जहां नियमित हिन्दी अधिकारी तैनात नहीं किए गए हैं

1. कोशकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद
*2. केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
3. जैव रसायन केन्द्र, दिल्ली
4. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद
*5. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर
*6. केन्द्रीय कांच तथा सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
7. केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
8. केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
9. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद
10. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
11. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़
12. सीएसआइआर काम्पलेक्स, मद्रास
13. सीएसआइआर काम्पलेक्स, पालमपुर
14. केन्द्रीय नमक तथा समुद्र-रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर
15. भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कलकत्ता
16. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
17. सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़
18. भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली
19. औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
20. राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलूर
21. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
22. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
23. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोआ

24. राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
25. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
26. प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, नई दिल्ली
27. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
28. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
29. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
30. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट
31. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम
32. संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद
33. संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

---

* पद संस्वीकृत परन्तु रिक्त ।

दिल्ली के गांवों में भूमि की चकबन्दी

9182. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1988 में दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र में 15 गांवों की भूमि की चकबन्दी करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चकबन्दी कार्यक्रम को कालान्तर स्थगित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इन गांवों में भूमि की चकबन्दी का काम पूरा कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं को रोजगार

9183. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौंदम** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के संबंध में हुई हिंसा के दौरान अपने रोजगार खोने वाले वे रोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राज्य सरकार के अनुसार कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के संबंध में हुई हिंसा के दौरान अपना रोजगार खोने वाले किसी व्यक्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार कर्नाटक सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

यूरिया उर्वरक संयंत्र में रिसाव

9184. श्री राम बदन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसाव के कारण गुना उर्वरक संयंत्र में उत्पादन बन्द हो गया है जैसा कि 16 अप्रैल, 1992 के जनसत्ता में बताया गया है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और उसके कारण कुल कितना अनुमानित घाटा हुआ है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) यूरिया स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम को इसके यूरिया स्ट्रीपर के निरीक्षण के लिए एहतियाती उपाय के रूप में 23 मार्च 1992 को बन्द कर दिया गया था । स्ट्रीम को 6-4-1992 को पुन: चालू किया गया था । इस अवसर का इस स्ट्रीम के वार्षिक रख-रखाव कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था जो कि ऐसे संयंत्रों मे अपेक्षित है । इस रख-रखाव के दौरान उत्पादन की कोई हानि नहीं हुई और यूरिया संयंत्र सामान्य भार पर चल रहा था ।

कर्मचारियों की वरिष्ठता का आधार

9185. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यनी
श्री पी० सी० थामस } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन से इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न विनिर्णयों के आधार पर नियमित होने से पूर्व की सतत तदर्थ अवधि को ध्यान में रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के व्यक्तिगत मामलों में इस आशय के निदेश देने वाले निर्णय को कार्यान्वित किया गया है कि वरिष्ठता के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न की अवधि को गिना जाए । तथापि, कुछ मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि जहां प्रारम्भिक नियुक्ति सिर्फ तदर्थ आधार पर नियमानुसार नहीं की गई है, वहां बाद में कर्मचारी को नियमित करते समय, बीच की सेवावधि के लिए वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जाएगा । अत: सभी मामलों में तदर्थ सेवा को वरिष्ठता के प्रयोजन से गिने जाने के संबंध में एक सामान्य नीति निर्धारित करना संभव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिये केन्द्र द्वारा पूंजी निवेश

9186. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के लिये केन्द्र सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय पूंजी निवेश की राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मारूति के कलपुर्जों के आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा

9187. श्री मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारूति उद्योग लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान मारूति कारों के लिए कलपुर्जों के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मारूति कारों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) 1992-93 के दौरान मारूति कारों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख)

वर्ष	कल पुर्जों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा (मिलियन अमरीकी डालर में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलियन अमरीकी डालर में)		कुल
		निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा के बदले स्थानीय बिक्री द्वारा		
1989-90	105.04	18.62	5.70	24.32
1990-91	96.41	18.17	22.91*	41.08
1991-92**	81.27	76.52	15.74	92.26

* 1.0 जी एल एक्स मारूति के लिये जमा राशि सहित ।

** अनन्तिम और गैर लेखा परीक्षित

(ग) वर्ष 1992-93 में मारूति उद्योग लिमिटेड को निर्यात से लगभग 80 मिलियन अमरीकी डालर अर्जित करने की आशा है ।

[अनुवाद]

छोटे और मझोले शहरों की समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत जाजपुर शहर को शामिल करना

9188. श्री अनादि चरण दास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित छोटे और मझोले शहरों की समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के जाजपुर शहर को शामिल करने की मांग की गई है;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 1990—95 तक की वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिये जयपुर नगर सहित पन्द्रह नगरों की एक सूची राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी । तथापि, उपर्युक्त अवधि में शामिल किये जाने वाले पंद्रह नगरों में से नीचे दर्शाये गये अनुसार अग्रता क्रम में निम्नलिखित 6 नगरों को 1990-91 के दौरान शामिल किये जाने का प्रस्ताव था :—

1. केनुपाड़ा
2. बारगढ़
3. गोपालपुर
4. जयपुर रोड़
5. अंगुल
6. रायगढ़

उपर्युक्त सभी 6 नगरों को 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था ।

2. वर्ष 1991-92 के लिये उड़ीसा सरकार ने दिनांक 12-11-91 के अपने पत्र के माध्यम से नीचे दर्शाये गये अनुसार अग्रताक्रम में निम्नलिखित आठ नगरों का प्रस्ताव किया था :—

1. भद्रक
2. सुन्दरगढ़
3. जगतसिंह पुर
4. अथागढ़
5. बासुदेवपुर
6. झारसुगुड़ा
7. भंगनगर
8. जयपुर

उपर्युक्त आठ नगरों में से निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रथम तीन नगरों को 1991-92 के दौरान शामिल किया गया था ।

[हिन्दी]

उद्योगों/उपक्रमों के लिए मानदंड

9189. **श्री लालू प्रसाद राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों और सरकारी उपक्रमों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किये गये तकनीकी और वित्तीय मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 24-7-91 को घोषित नई औद्योगिक नीति में उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची के अलावा लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है । उद्यमी अपने उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं जो तकनीकी आर्थिक संभाव्यता और स्थल संबंधी प्रतिबंधों पर निर्भर करता है । सरकार का यह भी विचार है कि उच्च तकनीकी और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं वाले क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र निवेश किया जाय । इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित 8 विशिष्ट क्षेत्रों का उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जो क्षेत्र उनके लिए आरक्षित नहीं हैं ।

[अनुवाद]

केन्द्रीयकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्र

9190. **श्री हाराधन राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्डस लि० में 1984 से पहले स्थापित केन्द्रीकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्रों की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन से संयंत्र हैं, प्रत्येक संयंत्र की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च हुई और संयंत्र-वार उपयोग क्षमता तथा वर्तमान समय में उपयोग की जा रही क्षमता कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या किसी संयंत्र को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रत्येक संयंत्र पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० जी० न्यामगौड) : (क) से (च) कोयला मंत्रालय को ईस्टर्न कोलफील्डस लि० से कोयला रख-रखाव संयंत्रों की मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं । इनमें कार्यचालित बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्र और ऐसे संयंत्र, जोकि निर्माणाधीन हैं, शामिल है । ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के तीन बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्र जिनका स्थापना कार्य वर्ष 1984 से पूर्व शुरू किया गया था, उन्हें अभी पूरा किया जाना है । ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के 6 बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्र, जोकि 1984 से पूर्व निर्माण के लिए शुरू किए गए थे, कार्यचालन अधीन है । इन कोयला रख-रखाव संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कार्यचालन अधीन संयंत्र

क्र० सं०	कोयला रख-रखाव संयंत्र का नाम	खर्च की गई राशि (लाख रु०)	स्थापित क्षमता (मि० ट० प्रतिवर्ष)	वर्तमान क्षमता उपयोगिता (मि० ट० प्रतिवर्ष)
1.	अमृतनगर	173.21	0.42	0.42
2.	बहुला	287.00	0.90	0.90

क्र० सं०	कोयला रख-रखाव संयंत्र का नाम	खर्च की गई राशि (लाख रु०)	स्थापित क्षमता (मि० ट० प्रतिवर्ष)	वर्तमान क्षमता उपयोगिता (मि० ट० प्रतिवर्ष)
3.	न्यू केन्दा	336.87	0.90	0.90
4.	चिनाकुरी	168.04	0.70	0.70
5.	कोटाडीह	407.84	1.10	0.30
6.	नार्थ सियरसोल	272.98	1.16	0.33

निर्माणाधीन संयंत्र

क्र० सं०	कोयला रख-रखाव संयंत्र का नाम	विलंब के कारण	खर्च की गई राशि (लाख रुपए)
1.	बैमोमेन	मैसर्स बी० एस० सी० एल० के दावे अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित पड़े हैं ।	425.77
2.	रतीबती	स्थानीय ग्रामीणों द्वारा रुकावट	307.95
3.	जे० के० नगर	भूमि संबंधी विवाद	331.54

तटीय पट्टी

9191. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई विशेष योजनाएं तैयार करके संपूर्ण देश में तटीय पट्टियों का विकास करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तटीय पट्टियों की लम्बाई कितनी है और कितनी मरु भूमि हरित पट्टी में बदलने के लिए उपलब्ध है :

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में कोई विशेष तटीय विकास प्राधिकरण बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फ्लोट ग्लास प्रोजेक्ट, बारगढ़, उत्तर प्रदेश

9192. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित बारगढ़ में फ्लोट ग्लास प्रोजेक्ट के पूरा होने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) फ्लोट ग्लास के निर्माण के लिए मै० कार्टिनेंटल फ्लोट ग्लास लि० की परियोजना बारगढ़, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में लगाने का प्रस्ताव है । वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना के पुन: मूल्यांकन और ऋणों के वितरण में विलम्ब के कारण इसे पूरा करने में कुछ देरी हुई है ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा उत्पादन

9193. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का विचार असम में नवगांव और कचार स्थित संयंत्रों में लिखने वाले और छपाई के कागज के उत्पादन में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या तुली (नागालैंड) संयंत्र और मण्डय (मैसूर) संयंत्र में भी घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन कागज संयंत्र को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) बाजार की वर्तमान परिस्थितियों के कारण, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्पादन का विनियमन निश्चित क्रमादेशों के आधार पर करने का निर्णय लिया है ।

(ग) और (घ) चूंकि तुली स्थित नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड तथा मांडया स्थित मांडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, दोनों ही को घाटा हो रहा है, अत: सरकार ने इनके बारे में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को लिखने का निर्णय लिया है ।

योजना के आधार पर पदोन्नति तथा अनाग्रही सम्मान योजना

9194. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग्यता के आधार पर पदोन्नति तथा अनाग्रही सम्मान योजना क्या है;

(ख) यह योजना विभिन्न मंत्रालयों में किस प्रकार लागू की जाती है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या यह योजना किसी मंत्रालय में पृथककृत पद पर भी लागू होती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों में वैज्ञानिकों की पदोन्नति नमनीय सम्मानार्थ योजना के अंतर्गत की जाती है । यह वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों/संगठनों में वैज्ञानिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी पदों पर लागू होती है । इस स्कीम के तहत, "रेफ्रिडेंसी अवधि" कही जाने वाली एक निश्चित अवधि के समाप्त होने के बाद वैज्ञानिकों को उच्च पदों पर होने वाली रिक्तियों का ध्यान न रखते हुए, उनको प्रमाणित योग्यता के आधार पर स्वस्थाने पदोन्नत कर दिया जाता है ।

अलीपुर रोड का अधिग्रहण

9195. **श्री रोशन लाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० अम्बेडकर स्मारक और संग्रहालय बनाने हेतु 26, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली का अधिग्रहण एवं आवंटन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस परिसर, जहां बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर रहते थे तथा जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी, का अधिग्रहण करने और इस ऐतिहासिक परिसर को आवंटित करने से संबंधित अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एम० अरूणाचलम) : (क) कल्याण मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि इस सम्पत्ति को पहले ही पुन: विकसित किया गया है और इसलिए सम्पत्ति को इसकी वर्तमान स्थिति में अधिग्रहित करना सम्भव नहीं पाया गया है ।

अवैध निर्माण की जानकारी देना

9196. **श्री भवन किशोर राय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण के सभी मामलों की रिपोर्ट करने हेतु जनता के लिए कोई योजना बनायी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के बाजारों में दुकानदारों ने सड़कों की तरफ नए दरवाजे बना लिए है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां । दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर-कानूनी निर्माण कार्यों के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, टाउन हाल, दिल्ली में एक सहायक अभियन्ता की अध्यक्षता में एक स्वतन्त्र एकक का गठन किया गया है जिसे दो कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायता प्राप्त है । गैर-कानूनी निर्माणों से सम्बन्धित ये शिकायतें अपर उपायुक्तों/क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन क्षेत्रीय अभियन्ता (भवन) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्राप्त की जाएगी । क्षेत्र के क्षेत्रीय सहायक आयुक्त/अपर उपायुक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त हुई शिकायतों पर की गई कार्यवाही का प्रबोधन करेंगे और क्षेत्रीय नियंत्रण कक्षों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करेंगे । यह योजना, अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा आवास के दूरभाष नम्बरों सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के दो बाजारों अर्थात सी० एस० सी० "डी" ईस्ट आफ कैलाश और पंचशील मार्किट में सड़क की ओर शटर खोलने की शिकायतें मिली हैं जिसके लिए पट्टा की शर्तों तथा निबन्धनों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं ।

तमिलनाडु में सुगंधि फैक्ट्री

9197. **श्री के० वी० संगकाबालू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में प्रस्तावित सुगंधि फैक्ट्री को अब तक स्थापित कर दिया गया है·

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) मद्रास में एक एरोमेटिक्स काम्पलैक्स की स्थापना के लिए 6 फरवरी, 1987 को मद्रास रिफाइनरीज लि० को एक आशय पत्र जारी किया गया था । उसके बाद इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए से० नेशनल एरोमेटिक्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० नाम की एक नयी कंपनी निगमित की गयी है । इस कंपनी ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली है । विदेशी सहयोगी का भी पता लगा लिया गया है ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मारूति के अधिकृत विक्रेता

9198. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मारूति के अधिकृत विक्रेताओं के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीख तथा वाणिज्यिक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विवरण I संलग्न है ।

(ख) विवरण II संलग्न है ।

विवरण I

(क) महाराष्ट्र में मारूति डीलरों के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीख तथा उन्हें आवंटित क्षेत्र इस प्रकार है :—

डीलर का नाम	नियुक्ति की तारीख	क्षेत्र
रेशम मोटर्स लिमिटेड	अप्रैल 1983	बम्बई (नगर पालिका की सीमा के अंदर)
विटेसी ट्रेडिंग लि०	अप्रैल 1983	बम्बई (नगर पालिका की सीमा के अंदर)
एनपाक मोटर्स प्राइवेट लि०	अप्रैल 1983	बम्बई (नगर पालिका की सीमा के अंदर)
साई सर्विस स्टेशन लि०	जनवरी 1988	बम्बई (नगर पालिका की सीमा के अंदर)
साई सर्विस स्टेशन लि०	अगस्त 1985	पुणे (पुणे, सातारा, सोलापुर,

		कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, सांगली, रत्नागिरि जिलों को मिला कर)
सेया ऑटोमोटिव प्राइवेट लि०	अक्तूबर 1986	नासिक (नासिक, धुले, जलगाँव, थाणे, रायगढ़ जिले और दादरा, और नागर हवेली के केन्द्रशासित प्रदेश को मिलाकर)
ऑटोमोटिव मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड	मार्च 1986	नागपुर (नागपुर, भंडारा, गढ़चीरोली, वर्धा, चन्द्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला जिलों को मिलाकर)
रामा ऑटोमोबाईल्स	अगस्त 1985	औरंगाबाद (औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बुलढाना, जालना, परभनी, नांदेड, बीड और लातूर जिलों को मिलाकर)

विवरण II

(ख) मारूति डीलरों की नियुक्ति के लिये वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है :—

1. सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा आकांक्षी पार्टियों से, उन शहरों के लिए, जहां डीलरों की आवश्यकता है, निर्धारित फार्मों पर आवेदन आमंत्रित करना ।

2. निम्नलिखित मापदंड के आधार पर सभी वैध आवेदनों की संवीक्षा और मूल्यांकन किया जाना :—

(1) शो-रूम और वर्कशाप बनाने के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं/भूमि की उपलब्धता ।

(2) ऊपर लिखी सुविधाओं का अवस्थिति संबंधी लाभ ।

(3) व्यापार में उम्मीदवार का अनुभव (अधिमान्यत: मोटरगाड़ी उद्योग में) ।

(4) उम्मीदवार की शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यताएं ।

(5) उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति ।

3. इस कार्य की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों की, साक्षात्कार के बाद एक संक्षिप्त सूची तैयार करना ।

4. संक्षिप्त सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों से डीलरशिप प्राप्त करने के लिए मोहरबंद निविदाएं मंगवाना, जिनमें मारूति के पास जमा की जाने वाली राशि का उल्लेख हो ।

5. उच्चतम बोलीदाता को डीलरशिप दिया जाना ।

[अनुवाद]

भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटिड सर्किट की स्थापना और बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटिड सर्किट की सुविधाएं

9199. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटिड सर्किट की स्थापना करने और बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटिड सर्किट सुविधाएं देने के मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या सिफारिशें हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ;

(घ) बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटिड सर्किट और बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटिड सर्किट उपकरणों की कुल वार्षिक आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें से कितने प्रतिशत का स्वदेशी आधार पर निर्माण किया जाता है और कितने प्रतिशत का आयात किया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों की कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग 125 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । लगभग 25 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति स्वदेश में ही विनिर्मित युक्तियों से की जाती है तथा शेष आवश्यकता आयातित युक्तियों से पूरी की जाती है ।

समाधि परिसर

9200. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधियों को एक परिसर के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश घटाना

9201. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस समय उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें विदेशी निवेशकों/एम एन सी द्वारा अथवा संयुक्त उद्यम के लिए 49 प्रतिशत तक निवेश कम करने के लिए चुना गया है ;

(ख) कितने उपक्रमों को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से तत्काल अथवा चरणबद्ध रूप से निजीकरण के लिये चुना गया है;

(ग) क्या इन संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश कम करने के पश्चात भी इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति जारी रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) उन उद्यमों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है जिनमें से 49% तक शेयर निकाले जायेंगे ।

(ख) सरकारी उद्यमों का निजीकरण किये जाने पर विचार नहीं किया गया है । बहरहाल, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 20% तक शेयर निकाले जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है ।

(ग) और (घ) जब तक अधिकांश शेयर सरकार के पास हैं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण नीति जारी रहेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल

9202. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मंडल के वर्तमान ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समुचित आर्डर न मिलने के कारण इनमें से कुछ कम्पनियों के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों को सप्लाई आदेश देने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आने वाली प्रत्येक कंपनी के निदेशक मंडल का गठन भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से शासित है । उनके ब्यौरे प्रत्येक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिये जाते हैं जो प्रतिवर्ष सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बर्न स्टैंडर्ड कं० लि० , जेसप एण्ड कंपनी लि० आदि ने अपने उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में कम क्रयादेश प्राप्त होने की सूचना दी है ।

(ग) और (घ) प्रशासनिक विभाग सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को जहां भी आवश्यक हो, क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता करता है । सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और उनके ग्राहकों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर दिया गया है । क्रयादेश स्थिति को सुधारने के लिए, उत्पादन के नए क्षेत्रों में विविधिकरण किया जा रहा है ।

कम्पनियों का आधुनिकीकरण

9203. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक कम्पनी को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कम्पनियों को उपयुक्त आधुनिक उपकरण/मशीनरी उपलब्ध कराने से कम्पनियां अपने कार्य निष्पादन को बेहतर बना सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे मे क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अधीन, प्रत्येक कम्पनी को हुए घाटे के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) इन कम्पनियों के कार्य की समय-समय पर, भारी उद्योग विभाग द्वारा समीक्षा की जाती रही है जिससे उनके कार्यनिष्पादन में जहां आवश्यक हो, सुविधाओं की बेहतर उपयोगिता के लिए जनशक्ति के युक्तिकरण, अधिक उत्पादकता, विविध ऋणदाताओं और माल सूची में कमी और निवेशों के संतुलन द्वारा सुधार किया जा सके । इसके अतिरिक्त, इनमें से 9 कम्पनियों ने, हाल ही में संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुरूप, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को लिखा है ।

विवरण

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	उठाए गए घाटे					
		1989-90		1990-91		1991-92	
							(अनन्तिम)
1.	हुगली प्रिंटिंग लि०	(—)	16	(—)	7	(—)	3
2.	बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०	(—)	598	(—)	344	(—)	748
3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	(—)	226	(—)	195	(—)	116
4.	रेरोल बर्न लि०	(—)	128	(—)	119	(—)	90
5.	जेसप एण्ड कम्पनी लि०	(—)	—	(—)	138	(—)	280
6.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	(—)	567	(—)	539	(—)	250
7.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकें० इंजी० कं० लि०	(—)	692	(—)	837	(—)	865
8.	बेबर्ड इंडिया लि०	(—)	100	(—)	137	(—)	134
9.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	(—)	809	(—)	296	(—)	321
10.	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि०	(—)	777	(—)	864	(—)	1232
11.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	(—)	442	(—)	361	(—)	1026
12.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	(—)	3071	(—)	3016	(—)	1300
13	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	(—)	—	(—)	—	(—)	1499
14.	हेवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०	(—)	3362	(—)	9951	(—)	14396
15.	प्रागा टूल्स लि०	(—)	83	(—)	170	(—)	242

16.	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपो० लि०	(—)	1529	(—)	3769	(—)	3466
17.	नेशनल बाईसाइकिल कारपो० लि०	(—)	1011	(—)	1820	(—)	1166
18.	नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि०	(—)	535	(—)	818	(—)	798
19.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	(—)	4289	(—)	4825	(—)	5250
20.	भारत ऑप्थैलमिक ग्लास लि०	(—)	864	(—)	1040	(—)	1122
21.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	(—)	6288	(—)	2933	(—)	—
22.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	(—)	5584	(—)	6137	(—)	7132
23.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	(—)	648	(—)	571	(—)	1055
24.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०	(—)	2333	(—)	2024	(—)	2214
25.	रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपो० लि०	(—)	1942	(—)	2712	(—)	2803
26.	टैलरी एण्ड फुटवियर कारपो० ऑफ इं० लि०	(—)	1616	(—)	1870	(—)	1956
27.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	(—)	1195	(—)	1418	(—)	1578
28.	भारत लेदर कारपोरेशन लि०	(—)	77	(—)	129	(—)	85
29.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	(—)	10432	(—)	5387	(—)	6274
30.	इन्स्ट्रुमेंटेशन लि०	(—)	—	(—)	—	(—)	450

[हिन्दी]

बन्द पड़ी कोयला खानें

9204. श्री नीतीश कुमार
श्री सुकदेव पासवान } : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से कब तक, विशेषकर बिहार में कितनी कोयला खानें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के अन्त तक राज्यवार ऐसी खानों की संख्या क्या होगी;

(ग) क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पहले इन खानों में खनन कार्य चल रहा था;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इनमें खनन कार्य स्थगित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने भी इन बन्द पड़ी खानों में खनन कार्य आरम्भ करने का आग्रह किया है; और

(च) उनके आग्रह पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० जी० म्यामगौड): (क) से (च) बंद कोयला खानों में निम्नलिखित शामिल हैं—(क) वह खानें जिन्हें राष्ट्रीयकरण के समय बंद के रूप में लिया गया था और जो

बंद ही रहीं, (ख) वह खानें जिन्हें राष्ट्रीयकरण के समय बंद के रूप में लिया गया था इसके बाद वह खानें खुली किन्तु अब बंद कर दी गई, (ग) वह खानें जिन्हें चालू हालत में लिया गया था किन्तु फिर बंद कर दी गई, और (घ) वह नई खानें जिन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद खोला गया किन्तु इसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया था ।

इन खानों के बंद होने अथवा अक्रियाशील रहने के कारण निम्नलिखित हैं :—

1. जिन्हें पुनर्स्थापित खान के रूप में मिलाया/पुनः ग्रुप बनाए जाने अथवा सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।
2. भौगोलिक स्थिति के कारण संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव ।
3. कम मात्रा में कोयले के छोटे भंडार तथा मौसमी उत्खनन क्रियाकलापों के साथ छुटपुट कोयले के भंडार ।
4. ऐसी खानों के लिए अपर्याप्त रूप में भू-गर्भीय आंकड़े उपलब्ध हैं ।
5. पुराने खानों के संबंध में भरोसेमंद कार्ययोजनाओं की अनुपलब्धता ।
6. तकनीकी-आर्थिक रूप से अलाभकारी ।
7. निकाले जाने योग्य भंडारों का समापन ।
8. भविष्य में लाभकारिता की किसी संभावनाओं के बिना उच्च अलाभकारी खनन-कार्य ।
9. विपरीत भू-खनन परिस्थितियां ।
10. सुरक्षा संबंधी कारणों से ।

ऐसी खानों को छोड़कर जिसमें कोयले के भंडार पहले ही समाप्त हो गए हैं, सी० आई० एल० उन अक्रियाशील खानों को जहां गहन अन्वेषणों द्वारा वाणिज्यिक क्षमता दर्शायी गई है, पुनः खोलने का प्रयास कर रही है ।

सी० आई० एल० द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अक्रियाशील खानों के वर्तमान राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

राज्य का नाम	अक्रियाशील खानों की संख्या
बिहार	45
असम	5
पश्चिम बंगाल	14
मध्य प्रदेश	1

हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार की अक्रियाशील कोलियरियों में कार्य की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए संयुक्त जांच समिति संस्थापित की है । यह समिति बिहार सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । इस आशय का संकेत देना संभव नहीं है कि उक्त खानों के क्रियाकलापों को पुनः कब तक खोला जाएगा ।

[अनुवाद]

आलविन कम्पनी का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अधिग्रहण

9205. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार हैदराबाद स्थित आलविन कम्पनी का अधिग्रहण करने का है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा आलविन कम्पनी की कितनी इकाइयों का अधिग्रहण किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त कम्पनी का अधिग्रहण करने हेतु कितने धनराशि का भुगतान किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यपालक अभियन्ता

9206. **श्री राम विलास पासवान**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यपालक अभियन्ताओं (सिविल) के कितने पद हैं, उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की संख्या कितनी है और ऐसी पदोन्नतियों के लिए योग्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार कितने हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा 1990 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को कर्मचारी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) पद पर पदोन्नत किया गया तथा उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सहायक अभियन्ताओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यपालक अभियन्ताओं के पद पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पदोन्नत कर पिछली बकाया रिक्तियों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पिछली बकाया रिक्तियां कब तक भर लिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) इस समय कार्यरत 120 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) में से 3 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता मापदण्ड को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति श्रेणी के 11 सहायक इंजीनियर (सिविल) हैं जबकि प्रोन्नति के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई पात्र प्रत्याशी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं। विचारार्थ सामान्य जोन या बढ़ाये गये विचारार्थ जोन में प्रोन्नति के लिए कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रत्याशी उपलब्ध नहीं था।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान प्रोन्नत सहायक इंजीनियरों, जिनमें से कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है, की संख्या इस प्रकार है:—

1989 — 6
1990 — 3
1991 — 16

(घ) श्रेणी "क" पद होने के नाते आरक्षित रिक्ति का कोई पुराना बकाया नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में ग्रामीण विकास

9207. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा 1989 से 31 मार्च, 1992 तक ग्रामीण विकास के संबंध में प्रस्तुत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में आ रही कठिनाइयां, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (घ) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०) निरन्तर चलने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जो तमिलनाडु में 1989 से लेकर 31 मार्च, 1992 तक जारी रहीं। ग्रामीण विकास के संबंध में तमिलनाडु राज्य द्वारा इस मंत्रालय को कोई विशिष्ट परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

दिल्ली में नया जलाशय

9208. **श्री गुरुदास कामत**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस समय कितने जलाशय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी में नये जलाशयों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उससे किन-किन स्थानों को लाभ पहुंचेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली में 40 भूमिगत जलाशय और 90 उपरि टैंक हैं। उन क्षेत्रों, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्य आरम्भ किया है, के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(1) निम्नलिखित जलाशय तथा बूस्टर स्टेशन पूर्ण/चालू होने वाले हैं :—

1. मॉडल टाउन
2. पंजाबी बाग
3. रोहिणी सेक्टर-19
4. पीरागढ़ी
5. नजफगढ़
6. ईदगाह

(2) निम्नलिखित जलाशय और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का शीघ्र निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है :—

(क) रोहिणी सेक्टर-XI

(ख) ग्रामीण उत्तरी दिल्ली में अलीपुर ब्लाक में ढोलाम्बी कलां गांव

(ग) जी० टी० करनाल रोड पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर

(घ) शास्त्री नगर

(ङ) लारेन्स रोड

(च) मालवीय नगर

(छ) जगत पुरी

(3) इनसे निम्नलिखित कालोनियों को लाभ मिलने की सम्भावना है :—

(क) मॉडल टाउन तथा माल रोड के साथ की कालोनियां

(ख) पंजाबी बाग, कर्मपुरा, न्यू मोती नगर, जखीरा और रिंग रोड क्रासिंग के मध्य रोहतक रोड और नजफगढ़ रोड के साथ की कालोनियां

(ग) सेक्टर 18, 19 रोहिणी, बादली गांव, बादली औद्योगिक क्षेत्र

(घ) पश्चिम विहार, पश्चिमपुरी, मादीपुर सुन्दर विहार

(ङ) नजफगढ़ टाउन और नजफगढ़ ब्लाक के अन्तर्गत गांव

(च) सदर पहाड़ गंज क्षेत्र

(छ) रोहिणी के सेक्टर I से XI और सेक्टर-XVII

(ज) अलीपुर ब्लाक में नरेला, अलीपुर, ढोलाम्बी कलां और अन्य समीपस्थ गांव

(झ) संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और जी० टी० करनाल रोड के साथ अलीपुर तक ग्रामीण क्षेत्र ।

(ख) शास्त्री नगर, सुभद्रा कालोनी, आनन्द लोक, तुलसी नगर, प्रताप नगर, मुखर्जी बाग आदि ।

(ट) दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र, त्रिनगर समूह की कालोनियां

(ठ) दक्षिण दिल्ली, मालवीय नगर क्षेत्र

(ड) जनत पुरी, कस्तूरबा नगर और आनन्द विहार, विवेक विहार और दयानन्द कालोनी जैसे क्षेत्र में ई-9, 10, 11 में सँमतियां ।

उन क्षेत्रों, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्य आरम्भ किया है, के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी और समापटल पर रख दी जाएगी ।

शोरनुर स्थित सरकारी मुद्रणालय का आधुनिकीकरण

9209. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में शोरनुर स्थित सरकारी मुद्रणालय का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केवल भारत सरकार मुद्रणालयों से संबंधित है । शोरनुर स्थित मुद्रणालय केरल सरकार के अधीन है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधीन मुद्रणालयों के बारे में ब्यौरे नहीं रखती है ।

इलेक्ट्रानिकी में अनुसंधान व विकास गतिविधियां

9210. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगतिशील देशों की तुलना में हमारे देश में इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में हो रही अनुसंधान व विकास गतिविधियां पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्यों को विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इलेक्ट्रानिकी उपयोग में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिकी की कुछ चुनिन्दा उच्च प्राथमिकता वाली प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने की दृष्टि से सरकार द्वारा अद्यतन तकनीकी जानकारी की कई समयबद्ध परियोजनाएं शुरू की गयी हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं/क्षेत्रों में ये शामिल हैं : बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी) का 3-स्तरीय कम्प्यूटर सहायित डिजाइन, ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियां, कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत अनुसंधान; समानान्तर संसाधन विकास, उच्च

कार्यनियोजन अभिकल्प अनुप्रयोग, कम्प्यूटर सहित डिजाइन तथा कम्प्यूटर द्वारा एकीकृत विनिर्माण; संगीय टी वी; उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा (एच वी डी सी) प्रौद्योगिकी; इलेक्ट्रानिकी सामग्रियां, फोटानिकी/ऑप्टोइलेक्ट्रानिकी विकास कार्यक्रम आदि। प्राथमिकता के क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी विभाग के अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रायोजित कार्यकलापों में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने की दृष्टि से एक योजना भी तैयार की गयी है।

बंधुआ श्रमिक

9211. श्री द्वारकानाथ दास: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मार्च, 1992 तक कितने बंधुआ श्रमिकों का पता लगाकर उनका पुनर्वास किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे बंधुआ श्रमिकों की संख्या कितनी है जो मुक्त कराये जाने के बाद पुन: बंधुआ श्रमिक हो गये; और

(ग) इनके पुन: बंधुआ श्रमिक बनने के क्या कारण है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार): (क) पता लगाये गये तथा पुनर्वासित किए गये बंधुआ श्रमिकों से संबंधित राज्यवार अद्यतन आंकड़ों का विवरण संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग) मुक्त कराये गये किन्तु पुन: वापस लौट आये बंधुआ श्रमिकों के ब्यौरे नहीं रखे जाते है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य सरकारों के नाम	मार्च, 1991 तक पता लगाये गये तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
		पता लगाये गये	पुनर्वासित किए गये
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	35810	25397
2.	बिहार	12525	11378
3.	कर्नाटक	68876	53835
4.	मध्य प्रदेश	12535	11236
5.	महाराष्ट्र	1382	1300
6.	उड़ीसा	49913	46654
7.	राजस्थान	7300	7164
8.	तमिलनाडु	38347	38015

9.	उत्तर प्रदेश	27489	27048
10.	गुजरात	64	64
11.	हरियाणा	544	21
12.	केरल	823	823
	कुल :	2,55,608	2,22,935

औद्योगिक उत्पादन

9212. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) इसमें भारी, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा कितना-कितना उत्पादन किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम उपलब्ध वर्ष अर्थात् 1987-88 के लिए पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन का कुल मूल्य 153973 करोड़ रुपये था जिसमें से बड़े और मझोले क्षेत्र का हिस्सा 119134 करोड़ रुपये था । 34839 करोड़ रुपये की शेष राशि लघु क्षेत्र से संबंधित है जिसमें कुटीर/ग्राम्य उद्योगों में होने वाला अधिकतर उत्पादन शामिल नहीं है । जहाँ तक कुटीर/ग्राम्य उद्योगों का संबंध है, विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन का अनुमानित मूल्य 1990-91 में 11325 करोड़ रुपये था जबकि 1990-91 में खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन का अनुमानित मूल्य 2280 करोड़ रुपये था ।

असम को औद्योगिक लाइसेंस

9213. श्री प्रबीण बेजा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार को असम में उद्योगों की स्थापना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उस अवधि में स्वीकृत तथा अस्वीकृत आवेदन पत्रों की अलग अलग संख्या क्या है;

(ग) बकाया आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान न करने के कारण क्या हैं; और

(घ) स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदन पत्रों को तुरन्त निपटाने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, असम में उद्योग लगाने के लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए थे :—

1989	21
1990	11

1991	6
1992 (30-4-92 तक)	4
	42

(ख) इनमें से 14 आवेदन पत्रों का अनुमोदन कर दिया गया है, 16 नामंजूर कर दिये गये हैं और 6 अन्यथा निपटाये गये हैं ।

(ग) और (घ) औद्योगिक अनुमोदन की मंजूरी के आवेदन का निपटान करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित है । तकनीकी प्राधिकरणों के साथ परामर्श करने के बाद निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाते हैं ।

पूर्वी घाट में उद्योग

9214. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी घाट में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वी घाट में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर किसी उद्योग को विकसित करने का है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 में आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए किसी प्राइवेट/एम० एन० सी० को कोई लाइसेंस जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) पूर्वी घाट खनिज तथा वन्य संपदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है ।

उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के औद्योगिक विकास की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है । राज्य में उद्योग लगाने की ओर आकर्षित करने हेतु मूलभूत सुविधाओं आदि में निवेश करना जैसे संवर्धनात्मक उपाय करना संबंधित राज्य सरकार का कार्य है ।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों के श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम तथा विजयनगरम् जिलों में उद्योग लगाने के लिए प्रायवेट पार्टियों को 1 जनवरी, 1991 से 31 मार्च, 1992 के दौरान नौ आशय पत्र और एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है । आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित सभी ब्यौरे जैसे कि उपक्रम का नाम व पता, स्थापनास्थल, विनिर्माण की मद (मदें), वार्षिक क्षमता इत्यादि के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किये जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं ।

30-4-92 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश के उपर्युक्त उत्तरी तटवर्ती जिलों में उद्योग लगाने हेतु आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 19 आवेदन विचारार्थ लंबित पड़े हैं ।

सस्ते दामों पर खाद्यान्नों की सप्लाई

9215. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासियों और गैर-आदिवासियों को विशेष योजना के तहत सस्ते दामों पर खाद्यान्न सप्लाई किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत देश के और अधिक आदिवासियों और गैर-आदिवासियों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों, आदिवासी बहुल राजों और असम के उत्तरी कछार और करबी एंगलौंग जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल विशेष राज-सहायता प्राप्त दरों पर जारी किए जाते हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केंद्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रु० प्रति क्विंटल सस्ते होते हैं । चूंकि विशेष राज-सहायता की इस योजना के तहत इन क्षेत्रों की समूची आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी आती है, अत: इस प्रयोजन के लिए जातियों की कोई सूची नहीं रखी जाती ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संपुष्ट करने की योजना के अंतर्गत मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कुछ विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के तहत आनेवाले लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की गई है । 1992-93 के लिए केंद्रीय सरकार के बजट अनुमानों में खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त राजसहायता एवं संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अभिज्ञात क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए 250 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रवासी मजदूर

9217. श्री केसन पी० एस० चौहान
श्री राजेश कुमार
श्रीमती कृष्णेन्दु कौर (दीपा) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंतव्य-वार भारतीयों की संख्या कितनी है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार के लिए विदेश गए; और

(ख) इस अवधि के दौरान भर्ती एजेंसियों से जमाराशि के रूप में कुल कितनी राशि जमा की गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।
[हिन्दी]

उर्वरकों और रसायनों की डीलरशिप

9218. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी
श्री नीतीश कुमार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय उर्वरक निगम और इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड को उनके उत्पादों की बिक्री हेतु कुछ नए डीलर नियुक्त करने हेतु निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निदेशों के जारी होने के बाद से कुछ नए डीलरों की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन नए निदेशों के अनुसार नियुक्त किये गये नए डीलरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी उद्यम कार्यालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा नए डीलर नियुक्त करने हेतु पहले ही निदेश जारी कर दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, भारत सरकार ने 5 फरवरी, 1992 को फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (एफ० सी० आई०) सहित सभी यूरिया, डी० ए० पी०, कम्पलैक्स और एस एस पी उत्पादक कम्पनियों को पत्र भेजे जिसमें कहा गया कि उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के बढ़े हुए स्तर को ध्यान में रखते हुए वे अपने डीलरशिप के वर्तमान तंत्र को कम से कम 15 प्रतिशत से विस्तारित करें । यह किसानों को उर्वरकों की उपलब्धि भी सुनिश्चित करेगा विशेष रूप से आन्तरिक और दूरस्थ क्षेत्रों में । इसका उद्देश्य शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने का प्रयोजन भी पूरा करना था । उर्वरक कम्पनियों से यह भी अनुरोध किया गया था कि शिक्षित बेरोजगारों को डीलरशिप प्रदान करते समय कम्पनियां इनका कुछ प्रतिशत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए चिन्हित करने पर विचार कर सकती है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए ।

मार्च, 1992 में, इंडियन पेट्रो केमिकल्स लि० (आई० पी० सी० एल०) ने दो चरणों में 12 भिन्न स्थानों पर प्लास्टिक कच्चे माल के लिए नए/अतिरिक्त वितरक नियुक्त करने का अपना इरादा सूचित किया । उन्हें वितरकों के चयन और नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने और चयन के मामले में बेरोजगारों और दलितों को वरीयता देने की सलाह दी गयी ।

(ग) और (घ) एफ सी आई ने अपने दिनांक 30-1-92 के विज्ञापन के उत्तर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग से एक सहित 31 डीलरों को अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया । विज्ञापन में विशिष्ट रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता देने का उल्लेख किया गया था । आई० पी० सी० एल० ने अपने प्रस्ताव और इस संबंध में सरकार की सलाह के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की है ।

(ङ) और (च) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है ।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के अलाभकारी उपक्रम

9219. श्री गंगाधरा खानीपल्ली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम को कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) इनको घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन उपक्रमों का कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) अलाभकारी उपक्रमों के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा उठाई गई हानि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I के पृष्ठ संख्या वि० 47 से लेकर वि० 50 तक में दिया गया है जिसे 5-3-1992 को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा गया था ।

(ख) और (ग) इन उपक्रमों के घाटे के मुख्य कारण हैं :—कम उत्पादकता, क्षमता का कम उपयोग, अतिरिक्त जनशक्ति, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र तथा मशीनरी, आदेशों की कमी आदि । इन उद्यमों के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा ऊपर उल्लिखित लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I पृष्ठ संख्या 165 पर दिया गया है ।

(घ) घाटा उठा रहे उद्यमों का सम्बद्ध उद्यम की स्थिति के अनुसार विभिन्न रूपात्मकताओं के माध्यम से पुनरूद्धार किया जाना है और रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत आने वाले रूग्ण उद्यमों के लिये पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने के लिये उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित होता है ।

उड़ीसा को कोयले की आपूर्ति

9220. श्री के० प्रधानी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अधिक कोयले की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है क्योंकि कोयले की वर्तमान आपूर्ति अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्य को कितने कोयले की आपूर्ति की गई थी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एच० जी० न्याग्रगौड) : (क) और (ख) जी, हां । उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के उद्योगों के निदेशक, के प्रायोजन के अनुरूप औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है ।

कोयला कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे उड़ीसा के उपभोक्ताओं की कोयले की आपूर्ति को नियमित रूप में बनाए रखें । 1991-92 में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि०, जोकि उड़ीसा को कोयले की प्रमुख रूप से आपूर्ति करती है, ने 1990-91 के 6.77 मिलियन टन (आंकड़े अनंतिम) की तुलना में उड़ीसा के उपभोक्ताओं को 7.12 मि० टन कोयले का प्रेषण किया ।

(ग) उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता उन्हें संयोजित किए गए कोयले के ग्रेड पर और उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है । कोयला कंपनियां, उड़ीसा समेत सभी राज्यों के उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने का प्रयास कर रही हैं । उड़ीसा के उपभोक्ताओं ने 1991-92 के दौरान "ए" से "एफ" तक सभी ग्रेड के कोयले को प्राप्त किया है ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण

9221. **श्री राम नारायण डेरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा प्रशिक्षण के वर्तमान पाठ्यक्रम में संशोधन करने तथा इसमें सर्वथा परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) और (ख) जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा का संबंध है, सेवा प्रशिक्षण के वर्तमान पाठ्यक्रम में पूर्णतया परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार की नीतियों में जब कभी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु तथा निर्धारित विषयों के व्यापक मानदंडों के भीतर अद्यतन विचारधाराओं को लागू करने के संबंध में पर्याप्त लचीलापन है । प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे परिवर्तनों को प्रदर्शित करने वाले तत्वों को कार्यक्रमों में शामिल करें । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु नवीनतम किए जाने की सतत प्रक्रिया के अधीन है । जहां तक भारतीय वन सेवा का संबंध है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में अधिकारियों के सेवा प्रशिक्षण के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम में पूर्णतया परिवर्तन करने का प्रस्ताव है । ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । [हिन्दी]

मृतक कर्मचारियों के बच्चों के लिए नौकरियां

9222. **श्री सुरेशानन्द स्वामी**
श्री मृत्युंजय नायक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मृतक कर्मचारियों के बच्चों को नौकरियां देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतक कर्मचारियों के बच्चों को नौकरियों के प्रस्ताव भेज दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) से (ग) वास्तव में पात्र मामलों में जहां परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता है सरकार के समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों में मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/नजदीकी रिश्तेदार को अनुकम्पा नियुक्ति देने की योजना है ।

(घ) और (ङ) मृतक सरकारी कर्मचारी के बच्चे को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रस्ताव, उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् परन्तु डाक्टरी जांच से पहले, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर, जारी किया जा सकता है ।

[अनुवाद]

ईंट-भट्ठा उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति

9223. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट-भट्ठा उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए कोई त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) सरकार ने 1 मई, 1984 को ईंट-भट्ठा उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय समिति गठित की थी तथा समिति की रिपोर्ट सरकार को 31 जुलाई, 1984 को प्रस्तुत कर दी गयी थी ।

(ग) त्रिपक्षीय समिति द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशों को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है ।

(घ) त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों की जांच करने के पश्चात् सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह माना गया था कि ईंट-भट्टा कर्मकारों पर लागू होने वाले विद्यमान कानून कर्मकारों के लिए ही अधिक हितकर हैं ।

विवरण

त्रिपक्षीय समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं :

1. ईंट-भट्ठा उद्योग के लिए "ईंट-भट्ठा कर्मकार" (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम नामक एक नया कानून बनाया जाए ।
2. इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट-भट्ठा इकाई को पंजीकृत किया जाएगा ।
3. अन्तर्राज्यिक प्रवासी ईंट तथा भट्ठा कर्मकारों के नियोजन का विनियमन ।
4. उजरती श्रम पर काम करने वाले ईंट-भट्ठा कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ।
5. ईंट-भट्ठा प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक कुशल, अर्ध-कुशल अथवा अकुशल कर्मकार के लिए प्रतिधारण भत्ते का प्रावधान । प्रतिधारण भत्ते की गणना कार्य-मौसम के दौरान अर्जित औसतन मासिक मजदूरी के आधार पर की जाएगी और कार्य समाप्त होने के मौसम की पूरी अवधि छः महीने से अधिक नहीं, के लिए उसकी अदायगी की जाएगी ।
6. विशिष्ट काम के घंटे एक दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे या एक पखवारे में 96 घंटे से ज्यादा निर्धारित नहीं किये जायेंगे ताकि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सके ।
7. कर्मकारों के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुविधाओं का प्रावधान ।
8. व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून—प्रत्येक ईंट-भट्ठे का नियोक्ता इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद प्रत्येक कर्मकार के सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों के प्रावधानों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, बोनस, अवकाश लाभ आदि के एवज में पहले और दूसरे वर्ष में

प्रत्येक कर्मकार द्वारा उपार्जित मजदूरी के 20% राशि के बराबर और उसके बाद के वर्षों में उपार्जित मजदूरी के 25% राशि के बराबर राशि का अंशदान करेगा ।

9. प्रत्येक ईंट-भट्ठा मालिक/नियोक्ता को समुचित सरकार द्वारा निर्धारित रजिस्टर रखना होगा ।

10. निरीक्षण स्टाफ की नियुक्ति ।

11. विद्यमान कानूनों का लागू न होना—नये विधान के लागू हो जाने के बाद निम्नलिखित श्रम कानून ईंट-भट्ठा उद्योग पर लागू नहीं होंगे :—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948

(ii) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

(iii) अन्तर्राज्यीक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

(iv) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(v) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(vi) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(vii) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

(viii) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

[हिन्दी]

रैन बसेरों के निर्माण के लिए धनराशि

9224. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फुटपाथों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों का निर्माण करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी;

(ख) क्या इस संबंध में उनकी बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई योजना बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, दिल्ली में फुटपाथ पर रह रहे लोगों के लिए रैन बसेरों के निर्माण हेतु गत तीन वर्षों में रिलीज की गयी धनराशि इस प्रकार है :—

1989-90	50.00 लाख रुपये
1990-91	67.00 लाख रुपये
1991-92	170.00 लाख रुपये

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्लम विंग योजना निधियों से पहले ही रैन बसेरों के निर्माण और प्रबन्ध की एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । रैन बसेरों में

बेघरबिहारों को प्रति राशि 1.50 रुपये के भुगतान पर कम्बल, जूट की चटाइयां और दरियां मुहैया की जाती हैं। रैन बसेरों में सुलभ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया की जाती है। केन्द्रीय विज्ञप्ति निर्देशों के अनुसार कुछ परिवर्तनों की सम्भावना के साथ 1992-93 में भी यह योजना जारी रहेगी।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड की गोल्डन हैन्डशेक योजना

9225. श्री बंदीपान भगवान बोरात : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए गोल्डन हैन्डशेक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन व लाभ-अर्जन में वृध्दि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० ने अपने कर्मचारियों के लिए मार्च, 1989 से एक स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना निष्पादित की है। नियमों के अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि और उपदान की राशि की अदायगी किए जाने के अतिरिक्त, इस योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 ½ महीने की मजदूरी के बराबर अनुग्रह की राशि की अदायगी की जाएगी अथवा सेवा-निवृति के समय मासिक मजदूरी सामान्य सेवानिवृति की तारीख से पूर्व बकाया सेवाकाल के बकाया महीनों की संख्या से गुणा करके अदायगी, इसमें जो भी राशि कम हो, की जाएगी। इस योजना के प्रति कर्मचारियों का रूझान बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है।

(ग) कोल इंडिया लि० की उत्पादकता और लाभकारिता में सुधार किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए अन्य कदमों में निम्न शामिल हैं :—

(1) श्रम शक्ति आयोजन में सुधार जिसमें अतिरिक्त कर्मचारियों को पुन: काम पर लगाया जाना और नए कर्मचारियों को भर्ती करने पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है।

(2) "सभी व्यक्ति, सभी कार्य करें" की संकल्पना को प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया जाना।

(3) उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार किया जाना।

(4) परिचालन की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए पध्दति में सुधार किए जाने की शुरूआत और प्रबंधात्मक उपायों को अंगीकार करना।

[हिन्दी]

मयूर विहार में फ्लैटों का निर्माण

9226. श्री पीयूष तीरकी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार के पाकेट—पांच से सात वर्ष पूर्व फ्लैटों के निर्माण का आरंभ किया गया कार्य अब तक पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) उक्त विलम्ब के कारण उक्त निर्माण में कितनी लागत वृद्धि हुई है;

(घ) उक्त विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उनके विरूध्द क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

9227. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया है और इनमें से कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये है;

(ग) इतनी लम्बी अवधि तक इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात में उद्योग लगाने के लिए नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार कुल 586 आवेदन प्राप्त हुए थे :—

1989	226
1990	155
1991	142
1992 (30-4-92 तक)	63
	586

(ख) इनमें से 234 आवेदनों का अनुमोदन कर दिया गया है । 177 नामंजूर कर दिये गये हैं और 89 अन्यथा निपटा दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी के आवेदन पत्रों का निपटान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है । यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते है कि तकनीकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद आवेदन पत्रों को निश्चित समय-सीमा के भीतर निपटा दिया जाये ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

9228. **श्री अवतार सिंह भड़ाना**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया
कुमारी पुष्पा देवी सिंह
श्री थाइल जॉन अंजलोज़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/औषधालय हैं; और

(ख) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार खोले जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) विवरण-I संलग्न है ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं ।

विवरण I

क० रा० बी० अस्पतालों/औषधालयों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	132
2.	असम	1	22
3.	बिहार	6	55
4.	चण्डीगढ़	—	3
5.	दिल्ली	2	45
6.	गुजरात	9	118
7.	हरियाणा	3	67
8.	कर्नाटक	7	137
9.	केरल	13	139
10.	मध्य प्रदेश	6	64
11.	महाराष्ट्र	12	76
12.	उड़ीसा	4	51
13.	पांडिचेरी	1	12
14.	पंजाब	6	74
15.	राजस्थान	3	59
16.	तमिलनाडु	7	148
17.	उत्तर प्रदेश	14	143
18.	पश्चिम बंगाल	12	33
19.	गोवा	1	2
20.	हिमाचल प्रदेश	—	3
21.	मेघालय	—	1
	कुल :	115	1384

विवरण II

खोले जाने वाले प्रस्तावित नये क० रा० बी० अस्पताल

राज्यों का नाम	स्थान	पलंगों की संख्या
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	नाचारम	200
	तिरूपति	50
	निजामाबाद	50

(1)	(2)	(3)
गुजरात	वापी	100
	नादियाद	50
	नरोदा	300
	खानपुर, अहमदाबाद	50
	जामनगर	50
हरियाणा	भिवानी	50
	बहादुरगढ़	25
	धारूहरा	50
	गुड़गांव	50
हिमाचल प्रदेश	परवाणू	50
कर्नाटक	शाभाद	50
	बेलगांव	50
मध्य प्रदेश	जबलपुर	50
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	100
	बीबेवाड़ी	100
	चींचवाड़	100
	सांगली	50
उड़ीसा	राऊरकेला	25
	भुवनेश्वर	50
पंजाब	मंडी गोविंदगढ़	50
	भटिंडा	50
	होशियारपुर	50
राजस्थान	भीलवाड़ा	50
	पाली	50
	अलवर	50
	उदयपुर	50
तमिलनाडु	होसूर	50
	मेतूरडम	50
	त्रिचुरापल्ली	50
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	50
पश्चिम बंगाल	बाकुरपुकुर	300
	श्यामनगर	300
	दुर्गापुर	100
दिल्ली	ओखला	262

(1)	(2)	(3)
	रोहिणी	270
	प्रसूति अस्पताल/नर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय	—
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	50

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड

9229. डा० अक्षीम आत्ला
श्री मोहन रावले } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में " राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सी बी आई ने आर सी एफ के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा अन्यों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किये हैं जिसमें सरकारी हैसियत के दुरूपयोग, धोखा और कपट के आरोप अन्तर्ग्रस्त हैं । इन मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) कैनरा बैंक फिनांशियल सर्विसेस लि० में 20 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए निजी पक्षकार को दलाली के भुगतान से संबंधित मामला ।

(ii) 3.5 करोड़ रुपए तक की राशि के पेंटिंग के कार्य के लिए ठेका प्रदान करने से संबंधित मामले, जबकि पहले की लागत 1.2 करोड़ रुपए थी ।

(iii) घटिया किस्म की निष्कासित पैकिंग सामग्री की अत्यधिक दर पर खरीद से संबंधित मामला और उससे आर सी एफ को 3 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाना ।

(iv) उच्चतर दर पर फैक्स मशिनों की खरीद से संबंधित मामला और प्रत्येक फैक्स मशीन पर 25,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान ।

(v) केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से अत्यधिक दरों पर जूट और एच डी पी ई बोरियों की खरीद से संबंधित मामला ।

उपर्युक्त पंजीकृत मामलों के अतिरिक्त, सी बी आई ने एक निजी फर्म से प्लैटिनम इलगोइस की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में उर्वरक विभाग को एक टिप्पणी भी भेजी जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ और अन्य अन्तर्ग्रस्त हैं । इस संबंध में आर सी एफ बोर्ड की एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है ।

उपर्युक्त सभी मामलों की पैरवी की जा रही है ।

राजस्थान में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई आपूर्ति कार्यक्रम के लिए धनराशि

9230. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से 57.53 करोड़ रुपये मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार को इस बीच दूसरी किश्त जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो कब और इसकी राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितनी धनराशि देने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मानदण्डों के अनुसार त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के लिए राजस्थान को 41.83 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, जिसमें मरुस्थलीय जिलों के लिए 13.92 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है । यह राशि 1991-92 में रिलीज की गई तथा रिलीज की तारीखें नीचे दी गई हैं :—

क्रमांक	स्वीकृति आदेश की तारीख	धनराशि (करोड़ रु० में)
1.	19-4-1991	10.4600
2.	12-8-1991	10.4600
3.	9-1-1992	18.4267
4.	16-3-1992	2.4833
		कुल 41.8300

इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बसावटों, "बिना पेयजल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज और मिनी मिशनों, उपमिशनों आदि के लिए 35.24 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे ।

कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद किये गये व्यक्ति

9231. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में काला बाजारी अधिनियम, 1950 के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को नजरबंद किया गया है;

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक जिले में मंच की स्थापना करने संबंधी निर्देश के बाद से देश के 439 जिलों में जिला मंच (डिस्ट्रिक्ट फोरम) की संख्या कितनी हो गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1991 के दौरान चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत 146 व्यक्ति नजरबंद किए गए ।

(ख) वर्ष 1991 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 291 व्यक्ति दोषी पाए गए ।

(ग) देश में 450 जिलों में से 360 जिला मंच पहले ही कार्य कर रहे हैं । 91 और जिला मंच (दिल्ली में 1 अतिरिक्त जिला मंच) भी अधिसूचित किए गए हैं ।

[हिन्दी]

उत्तरी कोयला क्षेत्र द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दिया गया मुआवजा

9232. **श्री राम निहोर राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत उत्तरी कोयला क्षेत्र द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि के बदले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मुआवजे का भुगतान किस दर पर किया गया है;

(ख) यदि इसमें कोई भिन्नता है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मुआवजे को समान करने के लिए पुनः भुगतान करने का है;

(घ) यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1981-82 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए मुआवजा क्रमशः 7,700/- रु० और 11,861/- रुपए प्रति एकड़ दिया गया था । इसके बाद 1987-88 में मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए 15,000/- रुपए प्रति एकड़ की दर से और इसके साथ 30% अतिरिक्त मुआवजे की राशि अदा की गई ।

(ख) से (ङ) अधिग्रहीत भूमि के लिए प्रतिपूरित देय राशि की दर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हैं तथा यह अधिग्रहीत भूमि की गुणवत्ता और समीप के और पड़ौसी क्षेत्रों में भूमि के संबंध में उस समय में प्रचलित मुआवजे की दरों पर बहुत हद तक निर्भर करता है । सम्बद्ध राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् ऐसी दरें निर्धारित की जाती हैं । अतः देश के विभिन्न भागों में मुआवजे के लिए एक समान दर निर्धारित करना न तो व्यवहार्य होगा और न ही न्यायोचित होगा ।

[अनुवाद]

मुम्बई में एम० आर० टी० एस०

9233. **श्री प्रफुल पटेल**
श्री गुरुदास कामतङ् } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई को शहर की परिवहन समस्या को हल करने हेतु धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फिलहाल यह परियोजना किस अवस्था में है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) शहरी परिवहन एक राज्य का विषय है । ससाधनों की कमी के कारण योजना आयोग के लिए राज्य सरकारों को शहरी परिवहन के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है ।

बम्बई के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई शहरी प्रिवहन योजना-II का प्रस्ताव किया था । बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नवम्बर, 91 में इस सम्बन्ध में परियोजना की रूपरेखा को फिर से तैयार किया था । परियोजना की रूपरेखा में मुख्य रूप से (i) मुख्यतया प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में सुदृढ़ परिवहन नीतियों के विकास, (ii) व्यक्तिगत परिवहन पर चयनात्मक प्रतिबन्ध लगाने के द्वारा सड़कों की मीड़-भाड़ को कम करने, (iii) स्वच्छ नीतियों को विकसित करने तथा (iv) एक ओर भवन निर्माण के प्रभावी संस्थानों का विकास करने तथा दूसरी ओर एक नए क्षेत्रीय ढांचे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नई परिवहन परियोजनाओं में निवेश लगाने के लिए सुझाव निहित हैं :—

1. फलाइओवरों के निर्माण द्वारा चौराहों का ग्रेड पृथक्कीकरण,
2. रोड ओवर ब्रिजों तथा रोड अण्डर ब्रिजों द्वारा लेवल क्रासिंग को बदलना,
3. पैदल चलने वालों के लिए भूमिगत पथ,
4. सड़क सुधार, विस्तार तथा उन्नयन,
5. नई सड़कें,
6. सिगनलीकरण तथा यातायात प्रबन्ध,
7. बस परिवहन,
8. उप नगरीय रेल परिवहन,
9. यात्री जल परिवहन,
10. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण ।

प्रस्तावित परियोजना को क्रमश: 2248.88 तथा 1758.90 करोड़ की लागत के (क) अधिकतम कार्यक्रम एवं (ख) कोर कार्यक्रम में समूहबध्द किया गया है ।

अन्वेषणात्मक विचार विमर्श के दौरान विश्व बैंक ने परियोजना पर विचार करने का अपनी सहमति का संकेत दिया है बशर्ते कि रेल क्षमता के ईष्टतम उपयोग तथा रेल और बस परिवहन के एक एकीकृत दृष्टिकोण के कतिपय मामलों से सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाए । परियोजनाओं पर महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ कई बार विचार-विमर्श किए गए । इन विचार विमर्शों पर

आधारित महाराष्ट्र सरकार को परियोजना के लिए निधियां जुटाने के विभिन्न विकल्पों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

जटिलताओं तथा इस पर लगने वाले निवेश की धनराशि को ध्यान में रखते हुए परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय करना जल्दबाजी होगी।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

9234. **प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड इस्पात संयंत्रों को कोयला सप्लाई करता है;

(ख) क्या इन इस्पात संयंत्रों को अप्रैल, 1991 से सप्लाई किया जा रहा कोयला घटिया किस्म का है;

(ग) यदि हां, तो उसमें राख का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या इस संबंध में इस्पात क्षेत्र ने कोई शिकायत भी की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 1990-91 की तुलना में 1991-92 में कोल इंडिया लि० द्वारा इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति किए गए धुले कोयले की समग्र गुणवत्ता में सीमान्तिक गिरावट आई है। वर्ष 1991-92 में इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति किए गए धुले कोयले में राख की समग्र रूप में प्रतिशतता 20.2 प्रतिशत थी। धुले कोयलें में राख की प्रतिशतता में सीमान्तिक वृध्दि होने का मामला कोल इंडिया लि० की जानकारी में लगाया गया है। धुले कोयले में राख की प्रतिशतता में वृध्दि होने का मुख्य कारण, वाशरियों को अधिक राख के कच्चे कोयले का प्रेषण है जोकि झरिया कोलफील्ड्स के अच्छी गुणवत्ता के ऊपरी कोयला सीमों के समाप्त हो जाने के कारण है और खनन की ओपेनकास्ट प्रणाली में भी वृध्दि हो जाने के कारण हैं।

केरल में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय

9235. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) त्रिवेन्द्रम, केरल में एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में साक्षरता

9236. **श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में साक्षरता की स्थिति के बारे में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत कृत्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशें कब तक प्राप्त होने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग ने दिनांक 3-4-1992 को साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) की समिति के गठन संबंधी आदेश जारी किए हैं।

(ख) समिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ग) समिति से इसके गठन की तारीख से चार माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। इस स्थिति में समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

समिति के ब्यौरे

साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की संरचना निम्नानुसार है :

(1)	श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(2)	श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
(3)	श्री अजीत कुमार पांजा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(4)	श्री ज्योति बसु, मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
(5)	श्री लालथनवाला, मुख्य मंत्री, मिजोरम	सदस्य
(6)	श्री बेअंत सिंह, मुख्य मंत्री, पंजाब	सदस्य
(7)	श्री लालू प्रसाद यादव मुख्य मंत्री, बिहार	सदस्य
(8)	डा० (श्रीमती) चित्रानायक, सदस्य, योजना आयोग	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(1) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के जरिए मौजूदा निरक्षरता (राष्ट्रीय साक्षरता अभियान) उन्मूलन के लिए स्कीमों तथा भविष्य में निरक्षरता विस्तार की रोकथाम के लिए स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में किए गए कार्य के परिमाण का मूल्यांकन करना।

(2) आठवीं योजना के दौरान साक्षरता उपलब्धि में सामाजिक, लिंग तथा क्षेत्रीय असमानताओं में कमी के उपाय सुझाना।

(3) साक्षरता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के पूरे लाभ को सुनिश्चित

करने की दृष्टि से पंचायत राज्य संस्थाओं तथा ग्राम शिक्षा समितियों के जरिए साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा के उत्थान के लिए उपायों को सुझाना ।

(4) सम्पूर्ण साक्षरता आंदोलन में गैर-सरकारी एजेंसियों, युवा संगठनों, महिला संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, व्यापार तथा उद्योग, श्रम एवं सहकारी क्षेत्रों आदि को शामिल करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(5) वातावरण बनाने तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों, दोनों के मामले में, साक्षरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न जनमाध्यमों, छपाई माध्यम तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के सहयोग तथा क्षमता को प्राप्त करने तथा काम में लाने के उपायों को सुझाना ।

(6) कुशल प्रशासन, साक्षरता क्रियाकलापों की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए संरचनाओं तथा तरीकों को सुझाना ताकि शिशु देखभाल, शिशु विकास, महिला आर्थिक अधिकारों, जनसंख्या नियंत्रण तथा शिशु मृत्युदर और मात्र सुलभ नैतिक शिक्षा आदि में कमी के साथ साक्षरता आन्दोलन को संगठित करने के लिए पंचायत, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग किया जा सके ।

(7) उन व्यक्तियों के लिए जो पहले ही शिक्षित, नवशिक्षित हैं तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए शैक्षणिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की पश्च साक्षरता तथा सतत् शिक्षा प्रदान करने के लिए उपायों को सुझाना जिससे कि सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेने तथा लाभ प्राप्त करने के और अवसर प्राप्त हों ।

[अनुवाद]

तकनीकी विकास महानिदेशालय

9237. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में "वैगेरीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी ग्रिप डी० जी० टी० डी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में प्रकाशित मामले के वर्तमान तथ्य क्या हैं ;

(ग) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार तकनीकी विकास महानिदेशालय कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और वर्ष 1991-92 के दौरान इस महानिदेशालय के रखरखाव पर अनुमानत: कितना व्यय किया गया ; और

(घ) इस कार्यालय को बंद होने अथवा इसके विभाजन को रोकने के बारे में अंतिम रूप से क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकार को "वैगेरीज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी ग्रिप डी० जी० टी० डी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है । प्रमुख औद्योगिक, राजस्व तथा व्यापारिक उदारताओं के रूप में हाल के आर्थिक प्रोत्साहनों के कारण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की भूमिका, कार्य तथा संगठनात्मक ढांचे के बारे में संशोधन की विचारधारा बनी है । परिणामस्वरूप तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) सहित इनमें से कई विभागों की पुन:संरचना करना जरूरी हो गया है ।

1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार तकनीकी विकास महानिदेशालय में विभिन्न श्रेणियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) के अन्तर्गत राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या 705 थी । वर्ष 1991-92 के दौरान तकनीकी विकास महानिदेशालय के रखरखाव पर 418 लाख रुपये का खर्च आया है ।

तकनीकी विकास महानिदेशालय की पुन:संरचना का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । फिर भी, तकनीकी विकास महानिदेशालय की भूमिका एवं कार्य के अंतरिम पुन: मूल्यांकन के फलस्वरूप विभिन्न ग्रेडों में 176 पद समाप्त कर दिये गये हैं ।

उर्वरक राज सहायता

9238. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उर्वरक राज सहायता पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) गत वर्ष की तुलना में व्यय में कितने प्रतिशत कमी आई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) 1991-92 के दौरान उर्वरक राज सहायता पर व्यय की गयी राशि, जिसमें स्वदेशी उत्पादकों को भुगतान की गयी राज सहायता और आयातित उर्वरकों पर भुगतान की गयी राज सहायता शामिल है, 4799.60 करोड़ रुपये है । इसमें कृषि मंत्रालय के बजट में लघु और सीमान्त किसानों को उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्य में हाल ही में की गयी वृध्दि को निष्प्रभावी करने के लिए राज सहायता के लिए किया गया 405 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल नहीं है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 4389.06 करोड़ रुपये का भुगतान उर्वरकों पर राज सहायता के रूप में किया गया था । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 1991-92 के दौरान राज सहायता पर किये गये व्यय में कोई कमी नहीं हुई ।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए उर्वरकों पर राज सहायता के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक विभागों में हिन्दी का प्रयोग

9239. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वैज्ञानिक विभागों की वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी पाठ में दी गई सामग्री की समीक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी समीक्षा करने और हिन्दी में प्रकाशित विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों में छपी सामग्री में एकरूपता लाने का कार्य किसी संस्था को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी पाठ की कुछ वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षा की जाती है और इस बारे में जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) और (ख) सभी वैज्ञानिक विभाग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों के अंग्रेजी और हिन्दी पाठों में दी गई सामग्री मूल रूप से एक सी हो।

सामग्री का अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपांतरण सम्बद्ध हिन्दी अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभागों के वैज्ञानिक अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हुए एवं वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए सरल हिन्दी भाषा में किया जाता है ताकि सामग्री की वैज्ञानिक यथार्थता और एकरूपता बनी रहे।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

9240. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिला और बाल श्रमिकों के लिए स्वयंसेवी संगठनों के कार्योन्मुखी परियोजनाएं शुरू करने के लिए अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त उनकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वयंसेवी संगठनों की कुछ योजनाएं अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के समान हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसी सभी योजनाओं को एक मंत्रालय के अधीन समेकित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी संस्था है, की मार्फत मुहैया करवाई जाती है। परिषद ने वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा) के तहत आय सृजन गतिविधियों के लिये 159 परियोजनाओं को 2,33,59,471 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का कार्यान्वयन किये जाने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में लंबित केरल की परियोजनाएं

9241. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में लंबित पड़ी है ; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 30 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में उद्योग लगाने के लिए आशय पत्रों की स्वीकृति के लिए 20 प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं ।

(ख) औद्योगिक अनुमोदनों के लिए आवेदन पत्रों के निपटान के लिए विशिष्ट समय सीमा है । यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं कि आवेदन पत्रों का निपटान इस समय-सीमा में कर दिया जाये ।

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

9242. **श्री रामकृष्ण कोंसाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ख) क्या ये परियोजनाएं, अन्य विभागों/सरकारी क्षेत्र के निगमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रायोजित की गई है ;

(ग) क्या अनुसंधान और विकास के दौरान विभाग को यह पता चला है कि कुछ परियोजनाएं, सरकारी क्षेत्र और निजीक्षेत्र में पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दोहरे प्रयास और धन की बरबादी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलैक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाई गई विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) परियोजना के स्वरूप के आधार पर, कुछ विशिष्ट मामलों में, अन्य विभागों तथा कार्यान्वित करने वाले संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं केवल उन अंतराल वाले क्षेत्रों से ही संबंधित हैं जिनमें प्रौद्योगिकी का विकास करने की स्पष्ट जरूरत है । इलैक्ट्रॉनिकी विभाग सभी अभिकरणों के साथ भी सम्पर्क स्थापित करता है जिससे दोहरे प्रयास न हों ।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाई गई विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यकलाप तीन श्रेणीयों में है :—

श्रेणी I : अन्तराल वाले क्षेत्रों में स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थाओं के रूप में विशिष्ट प्रयोगशालाएं :—

(i) उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे ।

(ii) राष्ट्रीय सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन सी एस टी), बम्बई ।

(iii) प्रायोगिक सुक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), बम्बई तथा मद्रास ।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई आर डी सी), तिरुवनन्तपुरम, कलकत्ता, लखनऊ, मोहाली तथा पुणे और ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र (आर ई टी सी), जयपुर । इनकी स्थापना संबंधित राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों के सहयोग से की गई ।

(v) इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी-मेट)—तीन प्रयोगशालाएं पुणे, त्रिसुर तथा हैदराबाद में और मुख्यालय दिल्ली में स्थित है ।

श्रेणी II : प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम इनमें से अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वयन देश के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर किया जाता है और प्रत्येक संगठन को एक-एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा जाता है । मुख्य परियोजनाओं/कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) बुद्धि पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियां (के बी सी एस) ।

(ii) कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत अनुसंधान (अर्नेट)।

(iii) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल) ।

(iv) समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम (ए ए पी पी) ।

(v) माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोग इंजीनियरी कार्यक्रम (एम ए ई पी) ।

(vi) राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा (एच वी डी सी) कार्यक्रम ।

(vii) क्षेत्रीय टी वी परियोजना ।

(viii) तन्तु प्रकाशिकी प्रणाली अनुप्रयोग संवर्धन कार्यक्रम (फोसेप) ।

(ix) प्रणाली इंजीनियरी तथा परामर्श सेवा संगठन (सीको) ।

(x) बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (वी एल एस आई) डिजाइन तथा प्रोटोटाइपिंग केन्द्र तथा उद्योग के लिए अन्य वी एल एस आई केन्द्र ।

(xi) स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिकी ।

श्रेणी III : प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित 5 परिषदों अर्थात :—

(i) प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (टी डी सी)

(ii) राष्ट्रीय रेडार परिषद (एन आर सी)

(iii) राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद (एन एम सी)

(iv) राष्ट्रीय फोटॉनिकी परिषद् (एन पी सी) तथा

(v) इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास परिषद् (ई एम डी सी) के माध्यम से प्रायोजित परियोजनाएं । इन परियोजनाओं ने विशिष्ट उत्पादन, प्रक्रिया विकास, सक्षमता का सृजन, व्यवहार्यता आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के अतिरिक्त, देश की प्रौद्योगिकीय क्षमता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971

9243. **श्री राम नाइक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों को लागू करने वाले दिशानिर्देशों के संदर्भ में सम्पदा अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई शहर में अब तक कितने मामलों की समीक्षा की गई है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को दिशानिर्देशों में दिए गये आधारों के अलावा अन्य आधारों पर वास्तविक किरायेदारों पर वे बेदखली कार्रवाई को वापस लेने के निर्देश दिये है; और

(घ) यदि हां, तो मुम्बई शहर में अभी तक वापस ली गई बेदखली कार्रवाइयों की उपक्रम वार संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सम्पदा अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों की समीक्षा पर विचार किया गया है ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा मुम्बई में समीक्षा किए गए मामलों के ब्यौरे केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते है ।

(ग) दिशानिर्देशों के अनुबंधों के अनुरूप वास्तविक किराएदारों के विरुद्ध बेदखली कार्रवाई को वापस लेने की अभिकल्पना है ।

(घ) ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

[हिन्दी]

अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन

9244. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अच्छी किस्म के कोयले का देश में ही और अधिक मात्रा में उत्पादन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन करने हेतु क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या देश में ही इस कोयले के उत्पादन के बाद भी अच्छी किस्म के कोयले का आयात करने की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उसका कितनी मात्रा में आयात किये जाने का अनुमान है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) उच्च ग्रेड कोयले, कोकर और अकोकर दोनों, के उत्पादन को बढ़ाने के कार्य को सरकार सदैव महत्व देती रही है । कोकर कोयला (धुला और सीधे फीड) के उत्पादन में 1991-92 के 10.06 मिलियन टन की तुलना में 1996-97 में 13.97 मिलियन टन तक वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है । कोल इंडिया लि० उच्च ग्रेड के अकोकर कोयले के उत्पादन के 83 मिलियन टन के वर्तमान की तुलना में आठवीं योजना अवधि के अंत तक 05 मि० टन तक बढ़ाए जाने की संभावना है ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना अवधि के लिए कोयले का लक्षित उत्पादन इस्पात क्षेत्र को छोड़कर जहां ब्लैंडिंग उद्देश्य के लिए इस्पात संयंत्र कुछ कम राख वाले कोकर कोयले का आयात कर रहे हैं, बाकी सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं । आठवीं योजना के अंत तक कोकर कोयले की आयात की आवश्यकताएं 3.60 मिलियन टन तक होने का अनुमान लगाया गया है ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश की नयी औद्योगिक योजनाएं

9245. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विशेषकर, उसके पिछड़े जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मौजूदा एककों का विस्तार करने हेतु उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए भेजी गयी औद्योगिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सार्वजनिक स्थानों पर झुग्गियां

9246. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर रोहिणी क्षेत्र के शालीमार बाग में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों तथा सड़कों के किनारे अनेक झुग्गियों का निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें अधिक सुरक्षित और उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार किसी संस्थापित झुग्गी को वैकल्पिक वास मुहैया कराये बिना नहीं हटाया जा सकता है। जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है वर्ष 1991-92 के लिए सम्बन्धित परिवारों को वैकल्पिक आबंटन करने के पश्चात प्राथमिकता पर पुर्नस्थापन के लिए झुग्गियों की एक सूची तैयार की गई है। शालीमार बाग क्षेत्र की झुग्गियां इस सूची में सम्मिलित हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का बजट और उसका कार्य निष्पादन

9247. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1991-92 के लिए कुल संशोधित बजट कितना था;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वास्तव में कितना व्यय हुआ;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में ग्रेड-वार स्वीकृत पदों पर कितने वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं और वास्तव में कितने पदों का उपयोग किया गया है;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान बेसिक और एप्लाइड अनुसंधान पत्रिकाओं के लिए पृथक-पृथक कितने पेपर प्रकाशित किये गये;

(ङ) उपर्युक्त अवधि में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा इसकी प्रयोगशालाओं और कर्मियों द्वारा कितने पेटेंट पंजीकृत कराये गये हैं; और

(च) उपर्युक्त अवधि के ही दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा इसकी प्रयोगशालाओं ने सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ पृथक कितने अनुसंधान समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) रुपए 247.62 करोड़ (सीएसआइआर के आन्तरिक संसाधनों से रुपए 30 करोड़ सहित)।

(ख) रुपए 339.62 करोड़ (आहय अभिकरणों द्वारा निधिबद्ध परियोजनाओं पर प्रत्याशित व्यय रुपए 65 करोड़ सहित)।

(ग) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मई 6, 1992 को उत्तर देने के लिए अन्तरिक्ष कार्यक्रम

9248. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देते हुए संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्धन के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया गया है;

(ख) सिंचाई और पेय जल कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिगत जल क्षमता का पता लगाने हेतु अभी तक एकत्रित किये गए आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो पहले से ही इन आंकड़ों का सिंचाई कार्यक्रमों के लिए उपयोग कर रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क)

अन्तरिक्ष सुदूर संवेदन और संचार क्षमताओं का प्रयोग करते हुए विविध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर की गई विशिष्ट परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं:—

— समस्याग्रस्त गांवों में जल-स्रोत उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत भूमि जल के संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण। इन मानचित्रों से 90 प्रतिशत से भी अधिक सफलता दर से कुओं की ड्रिलिंग में सहायता मिली है।

— परती भूमि के मानचित्रण से वनारोपण, आगवानी, चारा विकास इत्यादि के माध्यम से उत्पादक उपयोग के लिए परती भूमि को कृषि योग्य बनाने में सहायता मिलती है।

— समुचित मृदा संरक्षण उपायों के माध्यम से संवर्धित कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए मिनी और माइक्रो जलविभाजक प्राथमिकीकरण।

— मत्स्य ग्रहण के लिए संभावित क्षेत्रों को सूचित करते हुए मत्स्य क्षेत्रों को साप्ताहिक पूर्वानुमान चार्टों को मत्स्य विभागों/एसोसियसनों को भेजा जा रहा है।

— उपग्रह आधारित संचार कार्यक्रम के भाग के रूप में चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी के लिए आपदा चेतावनी प्रणाली, ग्रामीण जनसंख्या के लिए सुदूर क्षेत्रों और व्यापक शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ संचार संभव बनाने के लिए ग्रामीण टेलीग्राफी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

— ग्रामीण स्तर पर दीर्घकालीन विकास हेतु कार्य-योजना तैयार करने के लिए सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम/रेगिस्तान विकास कार्यक्रम जिलों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समेकित सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ख) और (ग) उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भूमि जल के संभावित क्षेत्रों के लिए सम्पूर्ण देश का मानचित्रण किया गया है। सिंचाई और पेयजल के लिए समुचित ड्रिलिंग स्थलों का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र द्वारा इन मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है। इन मानचित्रों के माध्यम से ड्रिलिंग की सफलता दर 90 प्रतिशत से अधिक प्राप्त की गयी है।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन शहरी विकास परियोजनाएं

9249. **श्री दत्तात्रेय बंडारू**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक शहरी विकास योजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लम्बित पड़ी शहरी विकास परियोजनाओं विशेषत: आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) केरल, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों से संभावित विश्व बैंक सहायता के लिए तीन शहरी विकास परियोजना तथा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(i) **केरल शहरी विकास परियोजना**:

(क) **परियोजना लागत**: रुपये 426.00 करोड़

(ख) **संघटक** : यातायात तथा परिवहन, जल प्रदाय तथा मलजल, भूतल, नालियां, पर्यावरणीय स्वच्छता, मलिन बस्ती उन्नयन, नगर उद्यम, मानचित्रण तथा भू-सूचना प्रणाली ।

(ग) **लाभ-भोगी शहर/कस्बे** : तिरूअनन्तपुरम, कोची तथा कोझीकोडे के शहरी क्षेत्र ।

(ii) **मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना-II**

(क) **परियोजना लागत** : रुपये 700.00 करोड़

(ख) **संघटक** : क्षेत्र विकास, भू-विकास तथा शहरी अवसंरचना का उन्नयन, यातायात प्रबन्ध तथा परिवहन ।

(ग) **लाभ-भोगी शहर/कस्बे** : भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, भिलाई-रायपुर के शहरी क्षेत्र ।

(iii) **उड़ीसा शहरी विकास परियोजना** :

(क) **परियोजन लागत** : रुपये 437.8 करोड़

(ख) **संघटक** : नगर शहरी निधि, आश्रय, मलिन बस्ती सुधार, यातायात तथा परिवहन ।

(ग) **लाभ-भोगी शहर/कस्बे** : यह परियोजना, उनके परिधीय क्षेत्रों सहित कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, संभलपुर, बेरहामपुर, बालासोर, पुरी, पारादीप, तलचल/अंगुल तथा धेनकनाल को शामिल करेगी ।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई भी शहरी विकास परियोजना प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है । उपर्युक्त तीन परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी व्यवहार्यता तथा संसाधन के दृष्टिकोण से मंजूरी की आवश्यकता है । परियोजना के विस्तार तथा आकार, उपयुक्तता, समय निर्धारण तथा विश्व बैंक सहायता की सीमा सहित आगे की परियोजना कार्यवाही संसाधन के दृष्टिकोण से योजना आयोग की आवश्यक मंजूरी, विश्व बैंक के यांत्रिक आयोजन सहित विस्तृत परियोजना की तैयारी और दान देने वालों की अधिमानता तथा दान देने वाली एजेन्सी के पास निधियों की निश्चित उपलब्धता पर भी निर्भर करेंगे ।

[हिन्दी]

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा भूमि की खरीद

9250. **श्री अम्मा जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा हरियाणा के भोंडसी गांव में कथित रूप से 100 एकड़ भूमि खरीदे जाने के बारे में हरियाणा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस आरोप की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अलग से की जा रही है । उनके निष्कर्षों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

कोल इंडिया लिमिटेड में भ्रष्टाचार

9251. **प्रो० रीता वर्मा**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान श्रमिकों के भविष्य निधि के बारे में किसी उच्च अधिकारी के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए 1990 के दौरान कुछ अधिकारियों को धनबाद भेजा था;

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) से (घ) नवम्बर, 1990 और अप्रैल, 1991 में कार्यकारी सी० एम० पी० एफ० आयुक्त के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। धनबाद में मई, 1991 में कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राथमिक जांच की गई थी। इसी अवधि में उक्त अधिकारी के विरुद्ध कुछ और शिकायतें प्राप्त हुई और कोयला मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी को बाद में प्राप्त हुई शिकायतों पर प्राथमिक जांच करने के लिए निर्देश दिए गए थे। बाद में की गई जांच की रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही अंतीम रूप में निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

गेहूं का अन्य प्रयोग

9252. **श्री महेश कनोडिया**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिवासियों के बीच वितरित करने हेतु दिये गये गेहूं का उपयोग अन्य प्रयोजन से किये जाने के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आटा चक्की मिलें आदिवासियों से सस्ती दरों पर गेहूं खरीदकर आटा बना रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) केंद्रीय सरकार ने खाद्यान्नों सहित प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की वसूली, भंडारण और ढुलाई की जिम्मेवारी ले रखी है एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के भीतर इनका वितरण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, जिसमें अंतर जिलों के बीच, क्षेत्रों के भीतर आबंटन करना, हकदारी का पैमाना तय करना आदि बातें शामिल हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के समुचित और सक्षम कार्यान्वियन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्यत्र भेजे जाने के बारे में शिकायतों की जाँच उनके द्वारा की जाती है। वस्तुओं के अन्यत्र भेजे जाने की विशेष शिकायतों अथवा आटा मिलों द्वारा आदिवासी लोगों से गेहूं खरीदे जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जानकारी केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। लेकिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को कड़ाई से लागू करें

तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति व वितरण पर नजर रखें और व्यापारियों एवं अन्यों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापार पद्धतियों को नियंत्रित करें । वे आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करते हैं ।

दिल्ली में कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

9253. **डॉ० सी० खिलवेरा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अत्यधिक शुल्क लिए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र में हैं तथा वे अपने-अपने मानदण्डों के अनुसार शुल्क प्रभारित करते हैं ।

(ग) और (घ) भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट क्वालिटी तथा सेवा मानकों का पूरा करने वाले कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को चुनिन्दा विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात ओ (प्रारंभिक), ए (उन्नत डिप्लोमा), बी (स्नातक) तथा सी (स्नातकोत्तर) स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाती है । यह योजना दो व्यावसायिक निकायों अर्थात भारतीय कम्प्यूटर संस्था (सी एस आई) तथा इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान (आई ई टी ई) के जरिए कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि इन संस्थानों को मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि के आधार पर औचित्यपूर्ण शुल्क प्रभारित करने चाहिए ।

काजू कामगार

9254. **श्री गोपीनाथ गजपति**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काजू कामगारों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इन कामगारों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ग) क्या इन कामगारों के काम करने की स्थिति दयनीय है; और

(घ) यदि हां, तो इन कामगारों की मदद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

करोड़ो की लागत वाले ऊंचे भवन की मंजूरी

9255. **श्री जार्ज फर्नान्डीज**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने निर्देशों के विरुद्ध फिरोजशाह रोड पर एक करोड़ों की लागत

वाले ऊंचे भवन को मंजूरी प्रदान की थी जैसा कि 23 मार्च, 1992 के पायनियर में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) :(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 23-7-1990 के अपने संकल्प संख्या 33 के माध्यम से 22, फिरोजशाह रोड पर एक सामूहिक आवास समिति के लिए एक गगनचुम्बी भवन स्वीकृत किया है ।

(ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगें ।

उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

9256. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम कार्यरत हैं;

(ख) लाभ तथा घाटे में चल रहे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे में चल रहे उपक्रमों के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम उड़ीसा राज्य में कार्यरत हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय इस राज्य में स्थित है । इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		1990-91 के दौरान शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)
1.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी		71.94
2.	नीलाचल इस्पात निगम लि०		0
3.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि०	(-)	0.58
4.	पारादीप फास्फेट्स लि०	(-)	47.25
5.	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन	(-)	0.07

(ग) घाटा उठा रहे उपक्रमों के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा 5-3-1992 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-1 में पृष्ठ संख्या 165 पर दिया गया है । उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०, जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, के लिये पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए उसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है ।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों पर अत्याचार

9257. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामन्तवादी प्रवृत्ति के कारण मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी श्रमिकों पर लागू होता है । श्रमिकों के अन्य वर्गों पर अत्याचार रोकने संबंधी कोई नया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को "बेगार" या बलात या बंधुआ श्रम के अन्य समान रूप में काम करने के लिये मजबूर करना या प्रलोभन देना दंडनीय बनाया गया है, जिसमें कम से कम छः महीने की कैद हो सकती है और इसे आर्थिक दंड के साथ पांच वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है ।

कोयले का उत्पादन

9258. **डा० लाल बहादुर रावत**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कोयला खानों में वर्षवार कितने कोयले का उत्पादन हुआ और इससे कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

दुर्गा पार्क, दिल्ली में डेसू की भूमि का अतिक्रमण

9259. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गा पार्क, नई दिल्ली स्थित डेसू के उपकेन्द्र की भूमि का अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है, दुर्गा पार्क वेलफेयर एसोसियेशन ने अपनी कालोनी अर्थात दुर्गा पार्क, पश्चिम दिल्ली की विद्युतिकरण योजना के निष्पादन के भाग के रूप में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अगस्त, 1988 में सब-स्टेशन के निर्माणार्थ भूमि के दो प्लाट सौंपे थे । तथापि, एक प्लाट पर अतिक्रमण हुआ पाया गया ।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दुर्गा पार्क वेलफेयर एसोसियेशन दोनों ने अतिक्रमण हटाने के लिए डाबड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज करायी है।

[अनुवाद]

शुध्द पेयजल की सप्लाई

9260. **श्री चन्दुलाल चन्द्राकर**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर, सरगूजा और रायगढ़ जिलों में शुध्द पेयजल की सप्लाई न होने के कारण हजारों आदिवासी मर गए;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण लोगों विशेषत: दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को शुध्द पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गये है; और

(ग) औसत पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना पर कितनी लागत आएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक औसत पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा उपकरणों/संयंत्रों पर गैर आवर्ती खर्च के लिए 1.86,500 रूपये और एक वर्ष के लिए कार्मिकों के वेतन सहित संयंत्र को चलाने की लागत के रूप में 1.62 लाख रूपये है।

[हिन्दी]

औद्योगिक ऐलकोहॉल का निर्यात

9261. **श्रीमती शीला गौतम**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक ऐलकोहॉल का पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) उन देशों के नाम क्या है जिन्हें औद्योगिक ऐलकोहॉल का निर्यात किया जा रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका।

विवरण

इथाइल अल्कोहल का निर्यात

वर्ष	निर्यातित मात्रा (लाख टनों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (रू० करोड़ में)
1989-90	0.41	21.00
1990-91	0.36	21.75
1991-92 (अस्थाई)	0.35	27.69

[अनुवाद]

लघु उद्योग विकास संगठन

9262. श्री चित्त बसु
श्री राजेश कुमार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत 37 विस्तार केन्द्र और 4 क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालय दिनांक 31 मार्च, 1992 से बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन केन्द्रों और इन कार्यालयों के कर्मचारी और मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सीडो (लघु उद्योग विकास संगठन) द्वारा किए गये कुछ कार्यकलापों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि सीडो के कार्य का अत्यधिक विस्तार ना किया जाए तथा घटिया प्रौद्योगिकी/कार्य ना करने वाले विस्तार केंद्रों (37) तथा कार्य ना करने वाले क्षेत्र परीक्षण स्टेशनों (4) को बंद कर दिया जाए । सम्बद्ध राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात केंद्रों को बंद कर दिया गया है ।

(ग) इन केंद्रों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त हुए कर्मचारियों तथा श्रमिकों को रिक्तियों में यदि कोई हो, में समायोजित किया जाएगा, तथा शेष कर्मचारियों को इस विषय पर कार्मिक विभाग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार समायोजित किया जाएगा ।

[हिन्दी]

सांसदों के पत्र

9263. श्री राम टहल चौधरी
श्री अर्जुन सिंह यादव } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत छः मासों के दौरान सांसदों से भारी संख्या में पत्र/अभिवेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं:

(ख) कितने मामलों में 15 दिन के भीतर पावतियां जारी की गई और कितने मामलों में अंतिम उत्तर अभी तक नहीं भेजे गए हैं;

(ग) 15 दिनों के भीतर पावती न भेजे जाने और तीन मास के भीतर अंतिम उत्तर न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के विलम्ब के दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विगत 6 महीनों के दौरान संसद सदस्यों से भारी संख्या में पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। नीतिगत मामलों, सामान्य मुद्दों आदि से संबंधित सभी पत्रों पर कार्यवाही करने के प्रयास किए जाते हैं तथा पत्रों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में सभी अधिकारियों अनुभाग, प्रभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को कार्यालय पध्दति मैन्युअल का कड़ाई से अनुपालन करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

तथापि, यह नोट किया गया है कि संसद सदस्यों से प्राप्त अधिकांश पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन मकानों के बिना-बारी के आवंटन, स्थानान्तरण आदि के लिए वैयक्तिक मामलों से संबंधित होते हैं। ये प्राप्त पत्रों के 80% से अधिक हैं। वैयक्तिक अनुग्रहों के लिए अनुरोध वाले इतनी भारी मात्रा में पत्रों की पावती को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजना, हमेशा संभव नहीं होता है। तथापि, इस प्रकार के पत्रों को भी अविलम्ब निबटाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

यूनियन कारबाइड के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही

9264. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूनियन कारबाइड के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही किये जाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यवाही में सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेष सेल स्थापित करने का है; और

(ग) यूनियन कारबाइड के विरूद्ध चल रहे अपराधिक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, नहीं। अपराधिक कार्यवाही चलाने का निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने 3 अक्टूबर, 1991 के आदेश में दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 9 दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है और इसमें सक्रिय रूप से कार्रवाई में लगा हुआ है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यूएसए सहित 9 दोषियों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। कंपनी के

हाजिर नहीं होने पर अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत में यूसीसी की समस्त चल व अचल सम्पति की कुर्की करने और यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० में 50.9% मूल्य की यूसीसी की संपति की कुर्की का आदेश दिया है ।

चीन द्वारा कोयले की सप्लाई

9265. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ऐसे देशों जो पहले ही कोयले/कोक की सप्लाई कर रहे हैं की तुलना में कोयले/कोक की सप्लाई सस्ते दामों पर करने को राजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो चीन से कोयले/कोक का आयात करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है, इसकी मात्रा क्या होगी और इस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) दिनांक 12 और 13 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर भारत चीन संयुक्त दल द्वारा तीसरी बैठक के दौरान चीन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए निविदाएं

9266. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में विभिन्न परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु रखे गए मान-दण्ड क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कार्य ठेकेपर दिए गए और इन कार्यों का कुल मूल्य कितना है तथा इन कार्यों के ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास असामाजिक तत्वों द्वारा निविदाओं का डडपने की शिकायतें दर्ज कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या कई करोड़ रुपये मूल्य के निर्माण कार्य-आदेश आधार पर दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

बढ़ते शहरीकरण की समस्या

9267. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की शहरी जनसंख्या जो वर्ष 1971 में 109 मिलियन थी, वर्ष 1991 में बढ़कर 217 मिलियम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ते हुए शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बढते हुए शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए इस समय केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र दोनों में अनेक योजनाएं हैं । केन्द्रीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं में लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास, गरीबों के लिये शहरी मूलभूत सेवाएं, नेहरु रोजगार योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड आदि शामिल हैं । राज्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योजना शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार करना है । आठवी पंचवर्षीय योजना के लिये परिव्यय के विस्तृत योजनावार ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मंगलौर में पाम आयल परिसर

9268. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर के निकट भारत और इंडोनेशिया के संयुक्त उपक्रम "पाम ऑयल काम्पलैक्स" की इक्विटी पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना का प्रस्तावित कारोबार कितना है;

(ग) पाम ऑयल का प्रतिवर्ष प्रस्तावित प्रसंस्करण और उत्पादन कितना है;

(घ) इसके लिए मशीनरी के आयात हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) इससे कब तक उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है; और

(च) इस परियोजना से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शमासुद्दीन अहमद) : इस परियोजना में सरकार की कोई भागीदारी नहीं है । मै० प्योर पाम लिमिटेड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत है:—

(क) प्रस्तावित पाम ऑयल काम्पलेक्स की कुल हिस्सा पूंजी 500 लाख रुपये है ।

(ख) परियोजना का प्रस्तावित कारोबार पहले वर्ष में 97 करोड़ रुपये है और दूसरे वर्ष से आगे 108 करोड़ रुपये है ।

(ग) पाम ऑयल का प्रस्तावित प्रसंस्करण और उत्पादन प्रति वर्ष 90,000 मी० टन के लगभग आंका गया है ।

(घ) मशीनरी के आयात के लिए बातचीत को अंतीम रूप दे दिया गया है, साख पत्र अभी खोला जाना बाकी है ।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1993 तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है ।

(च) इससे बचत होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि प्रथम वर्ष में लगभग 37 करोड़ रुपये होगी तथा अगले वर्ष से यह राशि 41 करोड़ रुपये होगी।

गन्दी बस्तियों का विकास

9269. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार
श्री बापू हरि चौरे } क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्दी बस्तियों को सुधारने के लिए विशेष सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में की गई मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में प्रचालित है और न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के भाग के रूप में राज्य की वार्षिक योजनाओं में बजट प्रावधान सम्मिलित हैं, बम्बई में आवास तथा मलिन बस्ती समस्याओं का सामना करने के लिए प्रधान मंत्री अनुदान के रूप में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा एकमुश्त 100 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) की अनुदान स्वीकृति की गयी थी। प्रधान मंत्री की अनुदान परियोजना के लिए अब तक की कुल राशि नीचे दर्शायी गयी है:—

1986-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	कुल
			(करोड़ रुपयों में)			
10.00	20.00	20.00	25.00	10.00	3.00	88.00

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने बम्बई और कलकत्ता की मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान हेतु महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये हैं। 31-3-91 तक रीलीज की गई राशि इस प्रकार है :—

(i) महाराष्ट्र सरकार : बम्बई 48.33 करोड़ रुपये

(ii) पश्चिम बंगाल सरकार : कलकत्ता 49.99 करोड़ रुपये

दुर्गापुर और सिंदरी उर्वरक संयंत्र

9270. श्री प्रकाश वी० पाटिल
प्रो० रीता वर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और सिंदरी उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन इनकी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कारखानों को बंद करने का है: और

(घ) यदि नहीं, तो इन संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुधार योजना यदि कोई शुरू की जानी है तो वह कौन सी है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) जी हाँ ।

गत तीन वर्षों के दौरान दुर्गापुर और सिन्दरी एककों की क्षमता उपयोगिता निम्न प्रकार थी

वर्ष	दुर्गापुर %	सिन्दरी (औद्योगिक "एन" सहित) %
1989-90	10.3	58.8
1990-91	22.9	58.7
1991-92	32.8	53.9

दुर्गापुर एकक के मामले में, मुख्य कारण डिजाइन की कमी, उपस्कर की बार-बार खराबी, पावर और श्रमिक समस्याएं हैं । सिन्दरी एकक के मामले में, यह उपस्कर खराबियों, पावर आपूर्ति नियंत्रण, समापन की समस्या आदि के कारण है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) 1988 में, परामर्शदाताओं ने 171.30 करोड़ रुपये के निवेश पर दुर्गापुर एकक के पुनरुद्धार/पुनर्वास की सिफारिश की थी जिसे फरवरी 1990 में अद्यतन बनाकर 213.51 करोड़ रुपये कर दिया गया । ऐसे वृहद निवेश यूरिया के उत्पादन की लागत बढ़ी उच्च कर देंगे जिसके परिणामस्वरूप राज सहायता बढ़ी जाएगी ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के लिए, एफ सी आई द्वारा प्रस्तावित पुनरुद्धार योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

— पुनरुद्धार चरण-I योजना ।

— ए एस यू में मोलेकूलर सीव की स्थापना ।

— यूरिया क्षमता वृद्धि योजना ।

— नए कैप्टिव पावर संयंत्र की स्थापना ।

कोयले की गुणवत्ता में कमी

9271. **श्री बसुदेव आचार्य**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब से कोयला खोदनशालाओं को भारतीय इस्पात प्राधिकरण से हटाकर इन्हें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को सौंपा गया है तब से धुले हुए कोयले की गुणवत्ता में गिरावट हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० "सेल" की चार वाशरियों को अर्थात् दुरदा-I, दुरदा-II, पाथरडीह और भोजूडीह को भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा दिनांक 1-10-1983 को अपने अधीन लिया गया था । धुले हुए कोयले की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है :—

धुले कोयले में औसत राख की प्रतिशतता

वाशरी	1983-84	1991-92 (अनन्तिम)
(1) दुरदा-I	22.5	20.9
(2) दुरदा-II	22.4	21.0
(3) भोजूडीह	21.4	18.5
(4) पाथरडीह	22.5	21.6

[हिन्दी]

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की योजना

9272. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई विस्तृत योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) बिहार और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये और इसमें कहां तक सफलता प्राप्त की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार और लोकप्रियीकरण नामक एक स्कीम

(ग) 1990-91 : 2.7 करोड़ रुपये
1991-92 : 2.7 करोड़ रुपये

(घ) प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर किए गए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं :—

1. मानव विकास पर "मानव का विकास" नामक एक 110 भागों वाले रेडियो धारावाहिक को प्रत्येक रविवार की प्रात: हिन्दी में पटना, भागलपुर, दरभंगा, रांची, लखनऊ, अल्मोड़ा, वाराणसी, गोरखपुर, नजीबाबाद, मथुरा, रामपुर, इलाहाबाद और आगरा से प्रसारित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के पंजीकृत श्रोताओं में 10-14 आयु वर्ग के बच्चे एवं चुनिंदा विद्यालय शामिल हैं ।

2. कम लागत के विज्ञान शिक्षण साधनों पर कार्यशाला का मऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजन किया गया।

इन दोनों कार्यक्रमों की अच्छी प्रतिक्रिया हुई है।

आवासीय परिसरों को व्यापारिक बनाना

9273. **श्री लाल बाबू राय:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन व्यक्तियों को नोटिस दिए थे जो अपने आवासीय परिसरों में व्यापारिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ये नोटिस दिए गए थे और उन्हें क्या दंड दिया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान अनधिकृत निर्माण तथा परिसरों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को 425 कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

उर्वरक एककों के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच

9274. **श्री मोहन रावले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भ्रष्टाचार के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा (i) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, (ii) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और (iii) कृषक भारती कोआपरेटिव सोसायटी के शीर्षस्थ अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है;

(ख) वर्ष 1988 से 1992 तक सरकारी क्षेत्र की इन तीन उर्वरक कम्पनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के कितने मामलों में जांच की गई;

(ग) प्रत्येक मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच का क्या निष्कर्ष निकाला; और

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने मामलों में इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (घ) 1988 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि के दौरान सी० बी० आई० ने आर० सी० एफ०, एन० एफ० एल० और कृभको के शिखर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किये जिनमें भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं/दुराचार के आरोप अन्तर्ग्रस्त हैं। इन मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

(i) कैनरा बैंक फाइनैंशियल सर्विसेस लि० में 20 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए एक निजी पक्षकार को दलाली के भुगतान से सम्बन्धित मामला जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर० सी० एफ० और कैनरा बैंक के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है।

(ii) 3.5 करोड़ रुपये तक की राशि के पेन्टिंग के कार्य के लिए ठेका प्रदान करने से सम्बन्धित

मामला जबकि पहले की लागत 1.2 करोड़ रुपये थी, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर० सी० एफ० और आर० सी० एफ० के अन्य अधिकारी और एक निजी फर्म अन्तर्ग्रत है ।

(iii) घटिया क़िस्म की निष्कासित पैकिंग सामग्री की अत्यधिक दर पर खरीद से सम्बन्धित मामला और उससे आर० सी० एफ० को 3 करोड़ रुपये की हानि पहुँचना जिसमें आर० सी० एफ० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य अधिकारी और एक निजी फर्म अन्तर्ग्रस्त है ।

(iv) उच्चतर दर पर फैक्स मशीनों की खरीद से सम्बन्धित मामला और प्रत्येक फैक्स मशीन पर 25000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना जिसमें आर० सी० एफ० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है ।

(v) केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से अत्यधिक दरों पर जूट और एच० डी० पी० ई० बोरियों की खरीद से सम्बन्धित मामला जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर० सी० एफ०, प्रबन्ध निदेशक, एन० एफ० एल० और प्रबन्ध निदेशक, कृमको (सेवा निवृत्त हो गये) अन्तर्ग्रस्त हैं ।

उपर्युक्त में से पेन्टिक कार्य के लिए ठेका प्रदान करने से सम्बन्धित मामले के सम्बन्ध में सी० बी० आई० से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें आर० सी० एफ०, के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुख्य दण्ड के लिए विभागीय कार्यवाई की सिफारिश की गई है । सी० बी० आई० रिपोर्ट की जांच की जा रही है । अन्य मामलों में सी० बी० आई० द्वारा जांच/छानबीन करनी लम्बित है ।

उपर्युक्त पंजीकृत मामलों के अतिरिक्त, सी० बी० आई० ने एक निजी फर्म से प्लेटिनम इनगोट्स की खरीद में कथित अनियमितताओं से सम्बन्ध में उर्वरक विभाग को एक टिप्पणी भी भेजी है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर० सी० एफ० और अन्य अन्तर्ग्रस्त हैं । इस सम्बन्ध में आर० सी० एफ० बोर्ड की एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है ।

अपना रोजगार योजना

9276. **श्री अष्टमुख प्रसाद शुक्ल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस राशि को किस अनुपात में वितरित किया गया है;

(ग) ऋण प्रदान करने में अपनाये जा रहे मानदण्ड तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई शर्तें क्या हैं; और

(घ) इन ऋणों को दिए जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की

संख्या के रूप में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । केन्द्र सरकार, डी० आई० सी० कृतिक बल से अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात् उद्यमियों द्वारा बैंकों से प्राप्त होने वाले प्रत्येक ऋण के 25% तक पूंजीगत सबसीडी भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से देती है ।

(ग) ऋण प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंड तथा उनकी शर्तें इस प्रकार है :—

(i) प्रतिवर्ष प्रतिपरिवार आय 10,000 रु० से अधिक ना हो,

(ii) आयु 18 से 35 वर्ष,

(iii) शैक्षिक योग्यताएं मैट्रिक पास (दसवीं कक्षा पास) या आई टी आई पास हो,

(iv) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कुल स्वीकृति का 30%,

(v) 50% उद्यम उद्योग द्वारा तथा 30% व्यापार द्वारा,

(vi) औद्योगिक उद्यमों के लिए 35,000/-रु० तथा सेवा कार्यों के लिए 25,000/-रु० तथा लघु व्यापार उद्यमों के लिए 15,000/-रु० तक सीमित ऋण, जिनका भुगतान 3 से 7 वर्ष की अवधि में किया जा सकता है ।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान एस० इ० इ० यू० वाई० योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या तथा ऋण की धनराशि इस प्रकार है :—

	1988-89	1989-90	1990-91 (अस्थायी)
1. लक्ष्य	2,50,000	1,25,000	1,25,000
2. बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलें	1,91,958	1,06,561	1,01,168
3. स्वीकृत धनराशि (रु० करोड़ में)	404.61	224.81	222.47

बिहार में खाद्य तेलों की भण्डार स्थिति

9277. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में विगत दो वर्षों के दौरान खाद्य तेल की भण्डार स्थिति का मास-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में खाद्य तेलों को छः महीने तक जमा रखने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़मालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य व्यापार निगम के पटना स्थित भण्डागार में खाद्य तेलों के भंडार की माह-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण अनुबंध पर दिया गया है ।

(ख) और (ग) किसी भी राज्य में खाद्य तेलों का भण्डारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तेल की उपलब्धता, राज्य की मांग, उसके द्वारा गत समय में उठाई गई मात्रा तथा तेलों के टिकाऊपन (शेल्फ लाइफ) इत्यादि जैसी संगत बातों पर निर्भर करेगा ।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य व्यापार निगम के पटना स्थित भण्डागार में खाद्य तेलों के भंडार की माह-वार स्थिति

महीना	भण्डार (मात्रा मी० टन में)
1990-91	
अप्रैल, 90	980
मई, 90	490
जून, 90	23
जुलाई, 90	950
अगस्त, 90	1050
सितंबर, 90	224
अक्तूबर, 90	914
नवंबर, 90	1160
दिसंबर, 90	760
जनवरी, 91	190
फरवरी, 91	1000
मार्च, 91	133
1991—92	
अप्रैल, 91	416
मई, 91	136
जून, 91	51
जुलाई, 91	51
अगस्त, 91	51
सितंबर, 91	51
अक्तूबर, 91	51
नवंबर, 91	23
दिसंबर, 91	—
जनवरी, 92	626
फरवरी, 92	1349
मार्च, 92	

मित्सुबिशी, जापान द्वारा पूंजी निवेश

9278. **श्री रवि राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सबसे बड़े व्यापार समूह, मित्सुबिशी का भारत में पूंजी निवेश करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मित्सुबिशी समूह का इस प्रयोजन हेतु एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भारत भेजने का विचार भी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) वित्त मंत्री की 8 अप्रैल से 12 अप्रैल, 1992 के दौरान जापान यात्रा में जापान के मित्सुबिशी कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री वाई० मिमुरा ने बताया कि मित्सुबिशी ग्रुप ऑफ कम्पनीज उदार आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारत में और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत में एक पूंजी निवेश मिशन भेजेगा ।

लघु क्षेत्रों की समस्यायें

9279. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र में मुख्य समस्याएं, कार्यशील पूंजी तथा सावधिक ऋणों की समय से तथा पर्याप्त उपलब्धता न होने, पर्याप्त कच्चे माल की कमी, विशेष रूप से बड़े एककों से प्राप्य सामान का विलम्ब से मिलना, विपणन समस्याएं, प्रबंध में कमियां, पुरानी प्रौद्योगिकी, बार-बार बिजली कटौती/उतार-चढ़ाव और श्रमिक समस्याएं आदि है ।

(ग) लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने से संबंधित नीतिगत उपायों को संसद में 6-8-91 को रखा गया ।

इसके अलावा, लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी तथा सावधिक ऋण की अपेक्षाओं को पूरा करने और रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना करने संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति भारतीय रिजर्व बैंक के 9-12-91 के ज्ञापन के तहत नियुक्त की गई है ।

कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना

9280. **श्री अर्जुन चरण सेठी**
श्री परशराम भारद्वाज
श्री माणिकराव होडल्या गावीत } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी राष्ट्र कमजोर वर्गों की आवासीय योजनाओं हेतु वित्त जुटाने में अपना सहयोग दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राष्ट्रों के क्या नाम हैं और ये कब से अपना सहयोग दे रहे हैं ; और

(ग) राज्यों को आवंटित धनराशि के साथ-साथ तत्संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कमजोर वर्गों के लिए आवासीय योजनाओं के वित्तपोषण हेतु हुडको और आवास विकास वित्त निगम द्वारा अब तक प्राप्त विदेशी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं । इस सहायता का कोई राज्यवार नियतन नहीं किया गया है ।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजनाओं के वित्तपोषण हेतु अब तक प्राप्त विदेशी सहायता के ब्यौरे

योजना का नाम	स्रोत	करार की तारीख	ऋण की कुल राशि	लाभग्राही राज्य और स्वीकृत ऋण राशि			रिहायशी एककों की संख्या
				स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)		योजनाओं की संख्या	
के एफ डब्ल्यू-हुडको-I	के एफ डब्ल्यू जर्मनी	12-11-1984	डी एम 20 मिलियन	केरल	1104.06	11	20700
				तमिलनाडु	355.28	6	5445
				उत्तर प्रदेश	37.76	2	1085
				राजस्थान	40.26	3	813
				योग :	1537.36	22	28043
के एफ डब्ल्यू-हुडको-II	-वही-	21-6-89	डी एम 30 मिलियन	तमिलनाडु	138.20	11	482
				उत्तर प्रदेश	1802.18	13	50606
				केरल	2235.10	18	27600
				योग :	4175.48	42	78688
के एफ डब्ल्यू-एच-डीएफसी (योजना प्रगति में है)	-वही-	5-12-89	डी एम 25 मिलियन	उत्तर प्रदेश	246.50	—	1450
				गुजरात	27.08	—	164
				महाराष्ट्र	299.50	—	2123
				आन्ध्र प्रदेश	53.44	—	334
				तमिलनाडु	169.78	—	853
				केरल	1710.07	—	14856
				योग :	2506.37	—	19780

भारत-सिंगापुर औद्योगिक कोरिडोर

9281. श्री वी० देवराजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सिंगापुर के उद्योगपतियों को भारत में अपने औद्योगिक एकक लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए भारत-सिंगापुर औद्योगिक कोरिडोर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1991 में सिंगापुर के विदेश मंत्री के दौरे के दौरान सिंगापुर से पूंजीनिवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सिंगापुर औद्योगिक कोरिडोर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया था । विभिन्न प्रस्तावों का अध्ययन करने तथा सिंगापुर पक्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे उचित स्थल के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1927 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में परिवर्तन

9282. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उद्योगपतियों ने सरकार से नई औद्योगिक और आर्थिक नीतियों के अनुरूप औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1927 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में परिवर्तन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मंडल ने इस सम्बन्ध में सुझाव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/निर्णय लिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ङ) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मंडल ने नयी औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है । संशोधनों का सुझाव व्यवसाय संघों के पंजीकरण, सेवाशर्तों में परिवर्तन के लिये नोटिस, कामबंदी, छंटनी, बंदी, उच्च न्यायालय में किसी अपील के जारी रहने के दौरान मजदूरी का भुगतान, धीरे काम करने, हड़ताल और अनुचित श्रम पद्धति आदि से संबंधित प्रावधानों के बारे में है । उक्त अधिनियमों में संशोधन के प्रश्न पर भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र में विचार किया जायेगा ।

तमिलनाडु के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

9283. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम केन्द्रीय निवेश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत केन्द्रीय निवेश किया गया : और

(ग) तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की प्रतिशतता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 7139.04 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था अर्थात यह सभी राज्यों में किये गये कुल पूंजीनिवेश का 5.50% है । 31-3-1991 तक किये गये पूंजीनिवेश के अनुसार इस राज्य का स्थान सातवां है । राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीनिवेश, संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है ।

कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

9284. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित कम्प्यूटर प्रणाली के रखरखाव के क्षेत्र में कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के एकाधिकार को खत्म करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार ने आयातित कम्प्यूटर प्रणालियों तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए एक संशोधित योजना घोषित की है । इसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

1. दिनांक 1-4-1992 को अथवा उसके बाद आयात की गयीं सभी कम्प्यूटर प्रणालियों/कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों का अनुरक्षण किसी भी एजेंसी द्वारा किए जाने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें सी एम सी लिमिटेड भी शामिल है ।

2. दिनांक 1-4-1992 से पहले आयात की गयीं कम्प्यूटर प्रणालियों तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के मामले में, दिनांक 19-11-84 को घोषित की गयी वर्तमान योजना दिनांक 31-3-93 तक जारी रहेगी अर्थात जिन प्रणालियों का आयात दिनांक 1-4-1992 से पहले किया गया है उनका अनुरक्षण सी एम सी लिमिटेड द्वारा अथवा संबंधित संगठन में ही करने की अनुमति दी जायेगी । दिनांक 1-4-1993 को अथवा उसके बाद, इन कम्प्यूटर प्रणालियों तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों का अनुरक्षण किसी भी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सी एम सी लिमिटेड भी शामिल है ।

3. आयातित कम्प्यूटर प्रणालियों के अनुरक्षण के लिये एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जों का आयात भारत सरकार की वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार ही किया जाएगा ।

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय

9285. श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री दत्तात्रेय बंडारू } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी श्रमिकों के लिए किए जा रहे कल्याणकारी उपायों/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई नया प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक ई० एस० आई० अस्पताल खोलने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) बीड़ी श्रमिकों को मकान बनाने के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत आवास, चिकित्सा, मनोरंजन तथा शिक्षा-संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं । बीड़ी कर्मकारों को दी जा रही कल्याण सुविधाओं/उपायों की सूची संलग्न विवरण के अनुसार है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) "अपना घर बनायें योजना" तथा बीड़ी कर्मकारों के लिए "सामूहिक आवास योजना" के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए अनुदान के रूप में 1000 रुपये की आर्थिक सहायता तथा प्रति मकान 6000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है । यह ऋण नौ वर्ष की अवधि में वसूल किया जायेगा । ये लाभ "अपना घर बनाये योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक बीड़ी कर्मकार को दिए जाते हैं । बीड़ी कर्मकारों के लाभार्थ सामूहिक आवास योजना के अंतर्गत वे बीड़ी उद्योग जिसमें कम से कम 50 कर्मकार काम कर रहे हैं एक पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समिति का गठन करने के पात्र हैं । समिति को वित्तीय संस्थानों अथवा अन्य व्यक्ति के पक्ष में मकान का द्वितीय रेहन (कल्याण निधि के नाम बन्धक रखने के अतिरिक्त) रखने के संबंध में बातचीत करने के लिए समिति को अनुमति है ।

विवरण

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत किए जा रहे कल्याणकारी उपायों/सुविधाएं

स्वास्थ्य

1. टी० बी० अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण ।
2. कैंसर से पीड़ित कर्मकारों के वास्तविक उपचार व्ययों की प्रतिपूर्ति ।

3. मानसिक बीमारियों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाली योजना ।
4. बीड़ी कर्मकारों (जिनमें घर-खाता कर्मकार भी शामिल हैं) को निशुल्क चश्मे प्रदान करने की योजना ।
5. हृदय रोगों के उपचार की योजना ।
6. बीड़ी कर्मकारों के लिए कुष्ठ राहत योजना ।
7. टी० बी० से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के घर पर इलाज की योजना ।
8. सहकारी समितियों के माध्यम से बीड़ी कर्मकारों की सामूहिक बीमा योजना ।
9. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना ।
10. बीड़ी कर्मकारों को नसबंदी के लिए नकद-प्रतिकर की अदायगी योजना ।
11. कर्मचारी भविष्य निधि योजना के गैर-सदस्य बीड़ी कर्मकारों के लिए 1-4-1992 से प्रारंभ की गई सामूहिक बीमा योजना ।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों के बच्चों के लिए स्कालरशिप प्रदान करने की योजना ।
2. स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक जोड़ा स्कूल ड्रेस बनवाने के लिए वित्तीय सहायता ।

आवास

1. अपना मकान स्वयं बनाओ योजना ।
2. आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के लिए आवास योजना ।
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक आवास योजना ।
4. वर्कशैडों तथा गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकारों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की योजना ।

मनोरंजन

1. दृश्य श्रव्य सेटों/सिनेमा वैन/फिल्म प्रदर्शन की योजना ।
2. खेलकूद, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने वाली योजना ।
3. अवकाश-गृहों के प्रावधान की योजना ।

"सॉफ्टवेयर कर्मचारी"

9286. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "सॉफ्टवेयर कर्मियों" की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में शिक्षित युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) वर्तमान कम्प्यूटरों के क्षेत्र में निम्न/मध्यम स्तर की योग्यता रखने वाली जनशक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, उच्च स्तरों पर कम्प्यूटर कार्मिकों की कमी है ।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 1983 में कम्प्यूटरों के लिए जनशक्ति विकास का एक कार्यक्रम आरम्भ किया । इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रानिकी विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नए संस्थानों में विभिन्न स्तरों के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं । कम्प्यूटर कार्मिकों के द्रुत विकास में सबसे बड़ी बाधा शिक्षकों की कमी है । इस समस्या पर काबू पाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की हैं :—

(i) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(ii) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(iii) क्रास माइग्रेशन योजना ;

(iv) सतत् शिक्षण योजना ।

भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अपने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक योजना की घोषणा की है जिसके अंतर्गत गुणवत्ता तथा सेवा के निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात् ओ (आधारभूत) क (उन्नत डिप्लोमा), ख (स्नातक), तथा ग (स्नातकोत्तर) स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला भण्डार में कमी

9287. श्री साईमन मरान्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के भंडार में कई लाख टन कोयला कम पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1992 से आज तक कोयले की कितनी मात्रा कम पाई गई और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की किसी उच्च-स्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो उस एजेंसी का नाम क्या है और की गयी जांच का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ;

(च) यदि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(छ) क्या केन्द्र सरकार का इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) ने पूर्व में कोयले के पिटहैड भंडारों में कमी की सूचना दी है ।

तथापि सरकार को, जनवरी, 1992 से बी०सी०सी०एल० में कोयले की मात्रा में कमी होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) से (छ) बी०सी०सी०एल० में पूर्व में भंडारों की कमी होने की रिपोर्ट की बी०सी०सी०एल० में सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और कमी होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कार्यवाही की जा

रही है । इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने का अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

निविदायें प्रदान करने की प्रक्रिया की समीक्षा हेतु समिति

9288. **श्री जीवन शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निविदाओं तथा कार्यों के ठेके देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने एवं खामियों को दूर करने हेतु इस प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच समिति ने इस प्रक्रिया की समीक्षा कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निविदा देने और ठेकों का अवार्ड करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं और चावल का भंडारण

9289. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न गोदामों में गेहूं और चावलों का कुल कितनी मात्रा में भण्डारण किया गया है ;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खुली बोली द्वारा और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का कुल कितनी मात्रा में वितरण किया गया ; और

(ग) खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा खुले में पड़ी हुई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 1 अप्रैल, 1992 को केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों में खाद्यान्नों के वास्तविक भंडारों की स्थिति नीचे दी गई है :—

(हजार मी० टन में)

अनाज	केंद्रीय पूल में भंडार *			राज्य सरकार के खाते में	कुल योग (केंद्रीय + राज्य)
	भारतीय खाद्य निगम के पास	हरियाणा/ पंजाब की राज्य सरकारों के पास	कुल		

चावल	8878.7**	—	8878.7	874.9	9753.6
गेहूं	1435.3	751.5	2186.8	164.2	2351.0
योग :	10314.0	751.5	11065.5	1039.1	12104.6

* इसमें मार्गस्थ अनुमानित भंडार शामिल है ।

** इसमें केंद्रीय खाते में 388.5 हजार मी० टन धान शामिल है ।

(ख) 1991-92 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुली बिक्री के जरिए वितरित खाद्यान्नों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(लाख मी० टन में)

	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खुली बिक्री
चावल	101.44 (अनन्तिम)	0.24
गेहूं	87.25 (अनन्तिम)	9.24

1991-92 के दौरान समेकित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के तहत 19.96 लाख मी० टन विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण किया गया, जो उपर्युक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उठाई गई कुल मात्रा में शामिल है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

9290. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन भर्ती वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की मेरिट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार आए हैं और उनके कुल आरक्षित कोटे की तुलना में कितने प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति ऐसे आरक्षण को समाप्त करने के लिए उपयुक्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में उनके योग्यता के स्तर की वर्तमान गति के अनुसार इसमें कितना समय लगेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सिविल सेवा परिक्षा, 1988 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जनजाति के दो उम्मीदवार सामान्य योग्यता सूची में आबंटित किए गए थे । इसके अतिरिक्त, 1988, 1989 और 1990 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार सामान्य योग्यता सूची में स्थान नहीं पा सका ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में योग्यता स्तर प्राप्त करने के लिए कितना समय लेंगे।

[हिन्दी]

भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश

9291. श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वे परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं जिनमें भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड द्वारा निवेश किया गया है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना में कितनी-कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थान	31-3-1992 तक किया गया निवेश (रुपए करोड़ में)
1.	बड़ौदा काम्पलेक्स	बड़ौदा (गुजरात)	978.09
2.	नागोथाणे काम्पलेक्स	रायगढ़ (महाराष्ट्र)	1622.71
3.	कैटाड यूनिट	थाणे (महाराष्ट्र)	11.35

इनके अतिरिक्त आई०पी०सी०एल० ने एक संयुक्त उद्यम परियोजना में निवेश किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

4.	इंडियन वैक्सीन कार्पोरेशन लि०,	गुड़गांव (हरियाणा)	5.35

[अनुवाद]

थिक फिल्म मेटिरियल का उत्पादन

9292. श्री रामकृष्ण कोंतालत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक विभाग थिक फिल्म मेटिरियल पर कोई अनुसंधान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रयोगशाला में प्रति एकक उत्पादन लागत कितनी है ;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु किसी औद्योगिक एकक के साथ कोई समझौता हुआ है ;

(घ) देश में ठोस फिल्म सामग्री की प्रति वर्ष कुल कितनी मांग है ;

(ङ) क्या इसे अपने ही देश में विकसित करने के बजाए इसका आयात करना लाभदायक है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां । इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मेट) की पुणे स्थित प्रयोगशाला, जो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, को अन्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के साथ-साथ थिक फिल्म सामग्रियों के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी विशिष्ट कार्यकलाप करने के लिये चुना गया है ।

(ख) सी-मेट में विकास कार्यों के लिए जिन सामग्रियों को चुना जाता है वे सामान्यत: उद्योग अथवा उन्नत क्षेत्रों के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर होती हैं । चूंकि सी-मेट में उत्पादन संबंधी कोई कार्य नहीं किया जाता है, अत: उत्पादन की लागत का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । प्रौद्योगिकी के अंतरण की दृष्टि से दो औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता किया गया है ।

(घ) देश में इस समय लगभग 2 करोड़ रुपए की थिक फिल्म सामग्रियों की कुल वार्षिक मांग होने का अनुमान है । इसमें माइका (अभ्रक) कैपेसिटरों तथा सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों की सामग्रियां शामिल नहीं हैं जो लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये हो सकती है ।

(ङ) और (च) विशेष रूप से जब विदेशी मुद्रा सीमित मात्रा में उपलब्ध है, थिक फिल्म सामग्रियों के आयात पर हमेशा निर्भर करना भविष्य की दृष्टि से, फायदेमन्द नहीं है, इसके अतिरिक्त, कभी-कभी अपेक्षित विशिष्टियों की सामग्रियां विदेशों से आसानी से उपलब्ध नहीं होती और उनका स्वदेश में ही विकास करना जरूरी हो जाता है । इसलिये, इन सामग्रियों को स्वदेश में ही विकसित करने की क्षमता स्थापित करना आवश्यक है ।

पारादीप फास्फेट लिमिटेड में घाटा

9293. **श्री खगत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे गणराज्य ने पारादीप फास्फेट लिमिटेड में अपनी साझेदारी पूर्ण रूप से समाप्त करने का निर्णय कर लिया है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कम्पनी में 1986 में डी० ए० पी० का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद से इसमें घाटा होने के क्या कारण हैं ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) नार्वे गणराज्य सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लि० से अपनी साम्य सहभागिता को वापिस लेने की इच्छा व्यक्त की है क्योंकि उनकी समझ के अनुसार निकट भविष्य में कम्पनी द्वारा लाभ अर्जित करने और उन्हें लाभांश देने की संभावना नहीं है ।

(ग) पारादीप फास्फेट्स लि०, संभावी रूप से एक लाभकारी एकक है हालांकि इसने 1986-87, 1987-88 और 1990-91 में फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की अपर्याप्त उपलब्धि और श्रमिक समस्याओं के कारण हानियां उठाई हैं । कम्पनी ने 1988-89 में 12.02 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और 1991-92 के अनंतिम लेखों के अनुसार कम्पनी द्वारा 15.00 करोड़ रुपये का शुभ लाभ अर्जित करने की संभावना है ।

न्यूनतम मजदूरी

9294. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के औसत वेतन के बराबर एक राष्ट्रीय न्यूनतम दैनिक मजदूरी आरंभ करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी में दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए है कि न्यूनतम मजदूरी में राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से संशोधन किया जाये तथा सही ढंग से इसे लागू किया जाये :

(ग) क्या सरकार का विचार भुगतान की जाने वाली वास्तविक मजदूरी पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र स्थापित करने का है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा श्रम मंत्रियों के विभिन्न सम्मेलनों में किए गये निर्णयों के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी लागू करने तथा उसकी समीक्षा/संशोधन करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती है ।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की अदायगी की मानीटरिंग तथा प्रर्वतन क लिए पर्याप्त तंत्र विद्यमान है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में "लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम"

9295. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "लाइट रेल ट्रैंजिट सिस्टम" के लिए स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव भेजा है : और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने मैसर्ज राईट्स द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया है जिसने हैदराबाद में हल्की रेल परिवहन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की है । परियोजना की अनुमानित लागत 307 करोड़ रुपये है । राज्य सरकार से इस परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था । परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों का पता लगाने के लिए संभाव्यताओं की भी खोज-बीन की जा रही है । इसमें सन्निहित जटिलताओं को देखते हुए परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा व्यक्त करना इस स्तर पर संभव नहीं है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले दर्ज किया जाना

9296. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कदाचार का दोषी पाये जाने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है जबकि इन उपक्रमों के निदेशक से नीचे के कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष निर्णय लेने वाले अधिकारी होते हैं और समस्याओं की जटिलताओं का स्वरूप ऐसा होगा कि जांच करने वाले अधिकारी प्राय: सभी मुद्दों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे इसलिए इन शर्तों की व्यवस्था की गई है।

कोल इंडिया लि० में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

9297. **प्रो० रीता वर्मा**: क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लि० के विभिन्न एककों में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार मुहैया कराने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में रोजगार प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने आवेदन किए और इनमें से कितनों को इस आधार पर रोजगार दिया गया?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित मामलों में रोजगार मुहैया कराया जाता है:—

(1) सेवाकाल के दौरान अधिकारी की मृत्यु होने पर अथवा सेवाकाल के दौरान ही दुर्घटना या अन्य कारण से पूर्ण विकलांग होने पर;

(2) सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अथवा सेवाकाल के दौरान चोट लगने या बिमारी होने के कारण से पूर्ण विकलांग होने पर;

(3) कर्मचारियों के मामले में 58 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने से पूर्व सामान्य शारीरिक अपंगता के कारण स्थायी तौर पर अपंगता होने पर।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन

9298. **श्री चन्दू लाल चन्द्राकर**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजधानी में फ्लैटों के आवंटन के लिए कितने लोगों को पंजीकृत किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और कितने पंजीकृत लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए ;

(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व संसद सदस्यों और पत्रकारों को फ्लैट आवंटित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या डी०डी०ए० ने बेघर गरीबों को आश्रय देने के लिए दिल्ली में एक कमरे वाले मकान बनाने की योजना तैयार की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
1989-90	शून्य
1990-91	शून्य
1991-92	13,000 (आम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत)

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए निर्मित/आवंटित फ्लैटों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	निर्मित फ्लैटों की संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या*
1989-90	21,012	25,445
1990-91	8,846	15,092
1991-92	5,882	10,915

* आवंटित यूनिटों के आंकड़ों में वे फ्लैट भी शामिल है जिनका निर्माण पिछले वर्षों में हुआ था तथा जो संगत वर्षों के दौरान आवंटन के लिए उपलब्ध थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक सेक्टिक सर्विसेज स्कीम के अंतर्गत विकसित नगर

9299. श्री थाइल जॉन ऐजलोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान केरल के किन-किन नगरों का विकास शहरी मूल सेवा योजना (अर्बन बेसिक सर्विसेज स्कीम) के अंतर्गत किया गया ; और

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन नगरों का चयन किया गया है और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश के कुछ चुने हुए जिलों, जिनमें केरल भी शामिल है में 1986-87 में प्रायोगिक आधार पर शहरी मूलभूत सेवा योजना (यू बी एस) आरंभ की गई थी । यह योजना संशोधित की गई थी तथा वर्ष 1990-91 से एक नई योजना नामत: निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना (यू बी एस पी) आरंभ की गई थी । केरल में विकास हेतु पुरानी योजना (यू बी एस) के अंतर्गत शामिल किए गए नगरों के नाम तथा संशोधित योजना (यू बी एस पी) के लिए चुने गए नए नगरों के नाम क्रमश: विवरण I तथा II में दिए गए हैं ।

(ख) यू बी एस पी योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के आधार पर कस्बों का चयन राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है । वास्तविक लाभान्वयन चयनित कस्बों के आकार श्रेणी पर निर्भर होगा । यू बी एस पी योजना के कार्यान्वयन हेतु 1992-93 के लिए केरल के लिए 30.30 लाख रुपये का अनन्तिम नियतन किया गया है ।

विवरण I

यू० बी० एस० कस्बे

1. अलप्पुझा
2. कायमकुलम
3. क्षेरपल्लम
4. मावेलीक्कारा
5. शोरनूर
6. कोत्ती
7. त्रिप्पनीथुरा
8. पेक्कर
9. वैगामाली
10. अथुंगा
11. कोटायंगलम
12. मुवात्तुपुझा
13. पेरम्बवूर

विवरण II

यू० बी० एस० पी० कस्बे

1. चित्तनैतपुरम्
2. नेयतिंकारा

3. नेदुमंगाड
4. अतिंगल
5. वरकला
6. कोल्लम
7. पेरावूर
8. पुनलूर
9. पाथानामिथित्ता
10. चिरुवल्ला
11. अदूर
12. पंडलम
13. पालक्काड
14. शोरानूर
15. चित्तूर-ततमंगलम
16. ओट्टापलम
17. मन्नारकाड
18. कोजिकोडे
19. वडकरा
20. कलपेट्टा
21. कन्नूर
22. थालासरी
23. मतन्नूर
24. कुथुपुरम्
25. थालिप्परंबा
26. पय्ययान्नूर

ट्रंक सीवर प्रणाली

9300. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में 2001 ईसवीं तक ट्रंक सीवर प्रणाली के प्रबंधन को कुशल और कम लागत वाली विधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली (2001) के लिए एक सीवरेज विकास योजना तैयार करने का कार्य मै० टाटा कन्सलटेन्सी इंजीनियर्स को सौंपा गया था और उनके द्वारा अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 1989 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में विद्यमान प्रणाली की पुनरीक्षा, सन्दर्श विकास योजना 2001 सहित सीवरेज

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीवरेज प्रणाली संवर्धन हेतु प्रस्तावों तथा प्रबंध का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त मै० सेवर्न ट्रेन्ट इन्टरनेशनल ने 1200 एम एम व्यास और इससे अधिक व्यासाकार के 104 कि०मी० के मुख्य सीवरों को शामिल करते हुए मुख्य सीवरों के संबंध में एक पुनर्स्थापन नीति तैयार की है ताकि वर्ष 2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इन सीवरों को अत्यधिक गाद से मुक्त किया जा सके ।

[हिन्दी]

कश्मीर में भर्ती

9301. **कुमारी उमा भारती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में कोई प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित किए बिना कार्यालयों तथा बैंकों में भर्ती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी सेवाओं तथा बैंकों में जम्मू, लद्दाख तथा श्रीनगर से औसतन कितने-कितने लोगों को भर्ती किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा बीमा कम्पनियों में खाली पड़े समूह "ग" पदों को भरने के लिए जम्मू व कश्मीर में वर्ष 1990-91 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि जम्मू व कश्मीर राज्य में स्थित विभिन्न कार्यालयों में सामान्य कार्य के शीघ्र निपटाने के वास्ते रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास करने आवश्यक थे । उम्मीदवारों के नाम स्थानीय रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से तथा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दे कर प्राप्त किए गए थे । चयन साक्षात्कार द्वारा किए गए थे ।

(ग) विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत कुल 766 पद भरे गए थे । इस अभियान के दौरान की गई भर्ती के संबंध में जम्मू, लद्दाख तथा श्रीनगर के निवासियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

[अनुवाद]

छोटी दो सीटों वाली कार

9302. **श्री अवधेश कुमार पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को "मिनी-कार दैट गोज फार" शीर्षक से "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे वाहन के वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण की उपयोगिता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर विचार कर रही है; और

(घ) इस प्रकार की कार के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां। यह बताया गया है कि शहर में रह रहे एक उद्योगपति ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक छोटी कार विकसित की है। यह बताया गया है कि यह कार 1 लीटर पैट्रोल से 35 कि०मी० चलती है और इसकी लागत लगभग 35000 रुपये हैं।

(ग) उक्त वाहन का वाणिज्यिक पैमाने पर निर्माण करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टी० वी० सेटों का निर्यात

9303. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सेटों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम नौ महीनों में टी० वी० सेटों के निर्यात में 80 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में वर्ष 1990-91 की उसी अवधि की तुलना में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है।

[हिन्दी]

सोनपुर बाजारी परियोजना की लागत में वृद्धि

9304. **श्री लाल बाबू राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर बाजारी खुले मुहाने की परियोजना की लागत में इस परियोजना का निर्धारित समय पर पूरा न होने के कारण मूल अनुमानित लागत से ढाई गुना वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्धारित समय पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की सोनपुर बाजारी परियोजना को 192.96 करोड़ रु० के पूंजी निवेश से और 3 मि० टन प्रति वर्ष के लक्षित उत्पादन पर जुलाई, 1985 में स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण के और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लम्बी अवधि तक पत्राचार तथा विचार-विमर्श किए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की समस्या को अब लगभग सुलझा लिया गया है, केवल गांवों के पुनर्वास कार्य को छोड़कर, जिन्हें शीघ्र ही स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है, उक्त कार्य को अभी पूरा किया जाना है। इस परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार अस्थायी लागत (1991 की कीमतों पर) 453.91 करोड़ रुपए है।

महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

9305. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य में ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991-92 और 1992-93 के दौरान अलग-अलग विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०) नामक निरन्तर चलने वाली केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गरीबी हटाओ कार्यक्रम

9306. **श्री रवि राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए क्षेत्र विकास सम्पर्क को पुन: आरंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र करने के बाद सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उचित दर की दुकानों के लिए उड़ीसा को ऋण देना

9307. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु उचित दर की दुकानें खोलने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और अन्य सहायता के रूप में उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई और उचित दर की कितनी दुकानें खोली गईं; और

(ग) विशेषकर, राज्य के पिछड़े ज़िलों में सभी स्तरों पर सहकारी क्षेत्र के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर अधिक जोर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सहकारी क्षेत्र अथवा अन्यथा के जरिए आवश्यक वस्तुओं के

वितरण के लिए उचित दर दुकानें खोलने हेतु इस मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है । किन्तु 1989-90 की अवधि में इस मंत्रालय ने उक्त राज्य को आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य शुरू करने के वास्ते 73 सोसाइटियों को उपान्त धनराशि के प्रति 28.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी । इसके अतिरिक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान राज्य के दुरस्थ, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए चलती-फिरती दुकानों के रूप में उपयोग हेतु 26 मोबाइल वैनें खरीदने के वास्ते कुल 65.00 लाख रु० की राशि प्रदान की गई है ।

(ग) केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के बिक्री केन्द्र खोलने के लिए सहकारी समितियों और नागरिक आपूर्ति निगमों को तरजीह दें । उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां निजी व्यापारी उचित दर दुकानें चलाने के प्रति अनिच्छुक हैं अथवा आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्याओं के कारण जहां ये कुशल रूप से नहीं चल रही हैं ।

वस्त्रों और होजियरी को प्रोत्साहन देना

9309. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने लघु उद्योग क्षेत्र में विशेषकर वस्त्रों और होजियरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य के वस्त्रों और होजियरी के सामान का निर्यात किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो निगम द्वारा वस्त्र और होजियरी उद्योग के विकास को उचित वरीयता देने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विदेश में प्रदर्शनियों में भाग लेता रहा है । परन्तु पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने इन प्रदर्शनियों में होजियरी तथा वस्त्रों को शामिल/प्रदर्शित नहीं किया है क्योंकि निगम ने इंजीनियरिंग सामान निर्माता, हार्डवेयर और टर्न की प्रोजेक्ट्स के निर्यात पर ध्यान केन्द्रित रखा है । अब निगम का इरादा अपने निर्यात कार्यकलापों में विविधता लाने का है ।

संयुक्त आवासीय क्षेत्र

9310. **श्री गुरुदास कामत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त आवासीय क्षेत्र का सृजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में सिफारिशें/सुझाव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति ने एक सुझाव भेजा था ।

(घ) चूंकि प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित कोई ठोस प्रस्ताव नहीं भेजा गया है इसलिए इस सुझाव पर प्रक्रिया करना सरकार के लिए असामयिक होगा ।

परीक्षा-पूर्व शिक्षा सुविधाएं

9311. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभागीय लेखा परीक्षाओं में बैठने के लिये परीक्षा-पूर्व शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या विभिन्न केन्द्रीय विभागों के कर्मचारियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण देने और लेखा पदों सम्बन्धी परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में कोई समान नीति है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग जैसे संगठित लेखा विभागों को ऐसी पूर्व-प्रशिक्षण सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है और उन्हें अन्य केन्द्रीय विभागों के अतिरिक्त और अधिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम का समान पैटर्न निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वःरोज़गार योजना के अन्तर्गत योग्यतम मानदण्ड

9312. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वःरोज़गार योजना के अन्तर्गत बारहवीं कक्षा पास विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) क्या इसके लिए कोई योग्यता मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रोज़गार पाने संबंधी योजनाओं के बारे में बेरोज़गार युवकों को सहायता प्रदान करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वःरोज़गार योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के सभी शिक्षित (दसवीं पास) बेरोज़गार युवक आते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 10,000/- रु० से अधिक नहीं है । इनमें प्राथमिकता उन्हें दी जायेगी जिन्होंने बारहवीं स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

(घ) शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वःरोज़गार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोज़गार युवकों को उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के जरिये सहायता दी जाती है । शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वःरोज़गार

योजना के तहत प्रत्येक जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा उनके आवेदन पत्रों की बैंकों को सिफारिश की जाती है जो किसी समर्थक गारंटी अथवा अतिरिक्त राशि के बिना उद्योग के लिए 35,000/- रु०, सेवा के लिए 25,000/- रु० और लघु व्यवसायिक उद्यमों हेतु 15,000/- रु० तक संयुक्त ऋण मंजूर करते है । केन्द्र सरकार उद्यमियों द्वारा बैंकों से अनुबंधित ऋण के 25% तक तुरंत पूंजीगत राज सहायता देती है ।

श्रेष्ठता के आधार पर आने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति

9313. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग आरक्षण के बिना ही श्रेष्ठता के आधार पर आ रहे हैं; और

(ख) क्या उन सेवाओं में आरक्षण समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें ये लोग श्रेष्ठता के आधार पर आ रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) यह सूचना इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में फालतू कर्मचारियों का पुनर्वास

9314. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में लाइसेंस समाप्त करने की उदार नीति को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के कार्यों में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभाग में फालतू कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के उपायों के दृष्टिगत विभाग ने कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के कार्यों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के कार्यों तथा कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा की गई है । लाइसेंसिंग संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों को नई औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों के अनुसार संवर्धनात्मक कार्यकलापों में लगाया गया है ।

[हिन्दी]

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए धन-राशि का आवंटन

9315. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार तथा सूत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या योजना आयोग का विचार 1992-93 के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने का है जिन्हें कम धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1990-91 और 1991-92 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये मदवार आवंटन विवरण-I और II में दिये गये हैं । 1992-93 के लिये बहुत-सी मदों के लिये आवंटनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण I

बीस सूत्री कार्यक्रम—राज्य योजना क्षेत्रक में मदवार राज्यों/सं० रा० क्षे० के लिए अनुमोदित परिव्यय—1990-91

क्र० सं०	राज्य/संराक्षे	गरीबी के विरुद्ध अभियान				वर्षा सिंचित कृषि	सिंचाई का बेहतर उपयोग	बृहद खेती	भूमि सुधार	स्वच्छ पेय जल	सबके लिए स्वास्थ्य	दो बच्चों का मानदंड-पोषाहार	शिक्षा	अनु-जाति/ अनजजाति को न्याय	युवाओं के लिए अवसर	लोगों के लिए आवास	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी	पर्यावरण का संरक्षण	उप-भोक्ता से संबंधित	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
		आई आर	डी पी	सीडी व ग्राम पंचायत	ग्रा० व लघु उद्योग																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4177	4258	2385	2753	662	38888	3982	531	3888	698	165	5178	5500	122	4888	988	1480	52	—	25	6889
2.	अरुणाचल प्रदेश	388	68	398	222	—	1929	1348	28	415	295	128	2335	—	88	58	—	710	5	52	238	759
3.	असम	1929	1169	845	1780	—	7695	7483	266	2744	1190	688	7148	780	147	325	35	2224	85	49	615	3682
4.	बिहार	6389	8589	1838	2396	455	39444	10815	2519	3298	2758	1187	12895	2361	228	299	268	2530	38	386	2955	9959
5.	गोवा	89	48	58	228	—	2871	626	35	335	110	9	1699	48	169	19	1	162	26	8	24	643
6.	गुजरात	1831	1758	338	5887	419	38349	3825	165	4788	1936	6386	3786	3588	199	1958	189	3805	52	10	59	7624
7.	हरियाणा	337	468	425	1286	74	19879	3665	27	3858	980	212	3845	1889	198	189	119	2550	86	—	65	2917
8.	हिमाचल प्रदेश	136	254	166	420	—	2625	2870	588	2589	541	225	3789	228	195	5	58	2670	28	557	78	1773
9.	जम्मू व कश्मीर	258	488	248	2852	196	4188	4782	212	2579	1575	78	5843	256	275	—	68	1490	69	—	35	2367
10.	कर्नाटक	2255	2661	3387	4840	687	21198	5398	153	2191	2288	488	6098	2175	175	1588	726	1871	33	—	72	5784
11.	केरल	1234	1445	644	3485	—	9395	5717	55	3548	510	62	2284	779	165	228	58	1849	135	19	2847	3352
12.	मध्य प्रदेश	3653	5123	773	4525	458	45368	8952	585	4858	3858	785	16387	6858	158	889	264	4101	525	—	60	10556
13.	महाराष्ट्र	3448	4325	98	2838	758	46232	8470	70	8188	4615	589	5468	2788	688	65	1889	3708	78	3	50	9384
14.	मणिपुर	198	189	145	418	—	3368	1893	15	675	249	21	12225	175	225	—	17	526	28	29	715	989
15.	मेघालय	132	182	275	227	—	738	1379	65	830	485	25	1576	2	272	33	49	738	8	1	238	7861
16.	मिजोरम	148	42	285	788	—	277	937	1235	553	188	189	927	—	98	16	5	604	5	32	428	6561
17.	नागालैंड	141	122	1246	388	5	323	1187	71	579	169	154	1857	—	248	—	—	589	5	38	15	6128
18.	उड़ीसा	2120	2584	348	1677	348	24438	11323	1598	2276	1288	688	18822	1324	478	235	188	4112	288	3822	878	6892

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	गरीबी के विरुध्द अभियान: ग्रा. रो.	टी पी	सीडी व ग्राम पंचायत	ग्रा. व लघु उद्योग	सर्व सिंचित कृषि	सिंचाई का बेहतर उपयोग	बृहद खेती	भूमि सुधार	स्वच्छ पेय जल	सबके लिए स्वास्थ्य	दो बच्चों का मानदंड-पोषाहार	शिक्षा	तनु-जाति/ अनुजजाति को न्याय	युवाओं के लिए अवसर	लोगों के लिए तालमेल	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी	पर्यावरण को संरक्षण	उपभोक्ता से संबंधित	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
19.	पंजाब	581	354	4818	1839	—	8596	6389	—	2188	668	—	2986	1368	938	33	165	539	58	2	38	29741
20.	राजस्थान	2878	2771	483	2155	283	18273	5275	188	4288	1688	127	8348	331	129	225	488	2258	131	45	673	49885
21.	सिक्किम	30	41	188	158	—	218	788	9	378	138	48	1005	58	45	15	6	289	25	11	28	3317
22.	तमिलनाडु	2788	3833	362	4248	363	7498	10915	12	4472	1825	6155	3624	4963	97	459	279	2761	131	5	25	53791
23.	त्रिपुरा	340	122	366	528	—	1628	3958	285	629	288	689	1793	569	188	121	35	575	22	35	195	11336
24.	उत्तर प्रदेश	8118	11275	1178	4859	693	47847	17993	3619	8899	5499	736	17568	2885	1115	3355	799	5680	197	74	2970	144263
25.	प. बंगाल	3485	4624	369	2961	284	13976	5795	721	2879	1738	2687	7834	1829	637	84	885	1819	79	11	361	52738
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	—	—	62	93	—	120	327	9	179	240	14	1815	8	38	28	29	418	2	75	—	2615
27.	चंडीगढ़	—	—	54	65	—	28	69	—	—	23	2	747	29	158	—	—	232	5	5	—	1392
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	25	41	—	85	166	29	28	16	6	187	—	2	—	—	153	—	—	2	723
29.	लक्षद्वीप	—	—	34	778	—	2989	648	9	339	—	278	6961	415	388	15	289	235	151	5	110	12445
30.	दमन व दीव	—	—	5	2	—	28	117	18	64	24	6	171	10	2	3	2	24	—	—	1	461
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	33	—	58	438	2	56	75	2	153	—	14	—	—	—	—	—	5	820
32.	पांडिचेरी	—	—	143	588	—	224	585	11	58	57	17	1195	168	255	35	39	47	2	3	16	3256
	जोड़	189	56584	28893	51678	5652	388629	135236	12743	68791	33552	22291	144065	38552	7672	12965	6528	58495	2388	4378	12656	1119854

विवरण II

राज्य योजना क्षेत्रक में मद्वार बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए स्वीकृत परिव्यय—1991-92

क्र. सं.	राज्य/संघराज्ये	गरीबी के विरुद्ध अभियान						वृहद खेती	भूमि सुधार	स्वच्छ पेय जल	सबके लिए स्वास्थ्य	दो बच्चों का मानदंड-पोषाहार	शिक्षा	तनु-जाति जनजाति को न्याय	बुनकरों के लिए अवसर	लाभों के लिए आवास	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी के लिए नई कार्य नीति	पर्यावरण का संरक्षण	उप-भोक्ता से संबंधित	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
		लाई तार	डी पी	सीडी व ग्राम पंचायत	ग्रा. व लघु उद्योग	वर्षा सिंचित कृषि	सिंचाई का बेहतर उपयोग															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3908	3226	1168	2011	470	28486	2861	415	2765	693	390	3930	4015	109	3625	276	806	77	0	15	59144
2.	अरुणांचल प्रदेश	290	70	605	265	0	1360	2195	23	840	263	375	3100	0	90	100	0	950	5	62	255	10848
3.	असम	1180	1300	1155	2040	0	10525	8012	310	3115	1550	620	8429	683	168	515	35	2308	95	43	770	42853
4.	बिहार	6692	3600	2440	3000	500	61371	9910	2550	5104	6564	1460	13700	3895	350	293	430	3150	187	291	960	129447
5.	गोवा	100	40	189	400	0	3315	1014	30	534	257	50	1798	62	200	12	0	116	14	12	25	8168
6.	गुजरात	1997	1790	725	8021	373	65052	4806	315	5100	1240	5100	5183	4500	120	1305	100	5200	88	115	70	91190
7.	हरियाणा	370	530	455	1191	74	12823	3857	40	2650	1150	300	8310	1050	210	155	120	2315	88	0	75	32743
8.	हिमाचल प्रदेश	260	500	220	709	0	3503	3242	571	3772	775	225	4258	219	116	20	48	3260	25	364	80	22167
9.	जम्मू व कश्मीर	275	440	196	2073	196	4214	4823	233	2430	1440	378	5412	270	287	20	60	1489	70	0	45	24351
10.	कर्नाटक	2398	3300	3837	5671	696	24843	7336	175	3740	1812	950	7454	2801	387	2060	625	4403	50	175	85	72598
11.	केरल	1150	3450	2108	3315	0	10390	9725	70	3209	650	175	3233	917	195	270	30	2850	155	10	60	39962
12.	मध्य प्रदेश	6018	3635	1300	5322	450	57572	13047	556	3512	3574	1293	19523	6655	165	670	344	4939	598	0	2100	131273
13.	महाराष्ट्र	3440	4005	165	3850	749	38030	13976	55	11333	3968	518	8600	2700	720	451	1250	4378	73	0	60	98401
14.	मणिपुर	108	189	223	512	0	4401	1606	42	809	200	180	1274	175	240	0	20	520	23	35	822	11301
15.	मेघालय	150	116	358	236	0	738	1873	78	1140	380	161	2125	2	275	25	40	1400	20	13	540	9670
16.	मिजोरम	151	46	289	740	0	270	1152	2109	727	250	115	967	0	90	58	20	621	5	34	575	8209
17.	नागालैंड	169	133	1315	1058	6	651	1860	81	597	150	173	1127	0	190	0	0	600	6	20	20	8158
18.	उड़ीसा	2500	3000	385	1853	357	32053	7126	2150	2900	1005	344	5205	1759	496	235	77	2717	90	20	840	65112

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	गरीबी के विरुद्ध अभियान																				
		लाई लार	डी पी	सीडी व ग्राम पंचायत	ग्रा. व लघु उद्योग	वर्षा सिंचित कृषि	सिंचाई का बेहतर उपयोग	बृहद खेती	भूमि सुधार	स्वच्छ पेय जल	सबके लिए स्वास्थ्य	दो बच्चों का मानदंड-पोषाहार	शिक्षा	अनु-जाति जनजाति को न्याय	युवाओं के लिए अवसर	लाभों के लिए आवास	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी के लिए नई कार्य नीति	पर्यावरण का संरक्षण	उप-भोक्ता से संबंधित	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
19.	पंजाब	685	600	1009	3424	0	8546	7083	0	2715	1344	300	6314	2446	1081	53	200	584	86	20	30	36320
20.	राजस्थान	2623	3500	954	2460	548	23357	6371	125	4588	2079	348	10748	990	153	306	320	2600	190	134	1060	62858
21.	सिक्किम	25	41	195	175	0	220	876	11	420	195	110	1155	65	60	20	10	321	35	20	20	3974
22.	तमिलनाडु	3346	3527	1029	4714	362	9216	12699	17	4100	2772	7010	7019	5792	114	450	235	3289	140	53	31	65715
23.	त्रिपुरा	343	132	399	700	0	1800	3490	206	700	364	638	2275	950	132	77	40	655	22	13	132	13068
24.	उत्तर प्रदेश	8665	20683	3037	6636	700	42571	21975	3677	8734	4270	754	18835	5600	1441	2328	850	7500	225	0	3945	149946
25.	पं. बंगाल	3834	4536	569	3255	287	15514	6235	792	2151	2056	2440	9468	1970	721	100	450	1965	110	12	1064	57529
26.	अं.व नि. द्वीपसमूह	0	0	82	138	5	122	541	2	370	161	43	978	12	35	10	20	408	5	75	0	3047
27.	चंडीगढ़	0	0	100	67	0	20	166	0	0	68	3	804	31	165	0	0	200	6	8	0	1638
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	28	41	0	345	557	24	45	26	19	204	0	6	0	0	120	1	1	3	1420
29.	लिपती	0	0	22	9	0	43	161	4	77	34	13	218	9	3	3	2	20	1	2	4	625
30.	दमण व दीव	0	0	608	890	0	1547	1064	7	310	0	800	8800	500	300	15	800	193	72	18	85	15809
31.	लक्षद्वीप	0	0	36	48	0	50	483	3	67	40	8	160	0	20	0	0	8	7	0	5	935
32.	पांडिचेरी	0	0	210	458	0	277	889	17	70	200	115	1262	195	217	70	35	50	3	13	10	4091
	जोड़	48277	86779	25211	63882	5773	443225	161033	14692	78624	37530	25408	168858	67663	8856	13246	6437	50935	2572	1563	13786	1282570

[अनुवाद]

समस्याग्रस्त गांवों को पानी

9316. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय गांव को प्रतिदिन 40 लीटर स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है और इसमें कितनी पूंजी नियत की गई है;

(ग) क्या अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा दूषित जलापूर्ति उद्गम स्थान आदि का पता लगाया गया है और पानी की समस्या का समाधान करने के लिए समस्याग्रस्त गांवों को सम्मिलित करने के अलावा उनका किस प्रकार पुनरोद्धार करने का विचार किया गया है;

(घ) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई के संबंध में 1972-73 में शुरू की गई त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की उपलब्धियों का कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) गांवों में ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मानदंड प्रति दिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर है ।

(ख) 1-4-92 को 3326 बिना जल स्त्रोत वाले समस्याग्रस्त गांव थे जिन्हें 31-3-93 तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है, शेष सभी गांवों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं । केन्द्रीय सरकार के स्तर पर शामिल पूंजी परिव्यय का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है । लक्ष्यों के आधार पर इनका निर्धारण प्रति वर्ष राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है ।

(ग) पता लगाए गए अन्य समस्या वाले क्षेत्र अधिक फ्लोराइड, अधिक लौह, लवणता, गिनी-कृमि आदि हैं । इन समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक सुरक्षित स्त्रोतों से अथवा फ्लोराइड, क्षारापन और लौह दूर करने के संयंत्रों की मार्फत पीने का पानी मुहैया कराया जाता है । गिनी-कृमि को दूर करने के लिए सीढ़ीदार कुओं को स्वच्छ कुओं में भी बदला जाता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) 1-4-85 को पता लगाए गए 1,61,722 समस्याग्रस्त गांवों में से राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 31-3-92 तक 1,58,396 समस्याग्रस्त गांवों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई थी और इस प्रकार 89.43 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (1981 की जनगणना) को पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं । 1985-86 से 1991-92 की अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम सहित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 2960.55 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया गया था ।

विदेशों में प्रतिनियुक्त किए गये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी

9317. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवा के, सेवा-वार कितने अधिकारियों को वर्ष 1991-92 के दौरान

अध्ययन अथवा प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया था;

(ख) विभिन्न अध्ययन पाठयक्रमों, प्रशिक्षणों और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अध्ययन अथवा प्रशिक्षण को सरकार अथवा विदेशी सरकारों या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित किया गया था ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विदेश में अध्ययन/प्रशिक्षण हेतु नामित किए गए अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०)	82
केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० एस० एस०)	4
भारतीय आयुध कारखाना सेवा (आई० ओ० एफ० एस०)	1
भारतीय आर्थिक सेवा (आई० ई० एस०)	2
सामान्य सिविल सेवा (जी० सी० एस०)	2
भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आई० एस० एस०)	2
भारतीय लागत तथा लेखा सेवा (आई० सी० ए० एस०)	1
भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद सेवा (आई० सी० एण्ड सी० ई० एस०)	1

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न विदेशी सरकारों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किए गए करार के अन्तर्गत विभिन्न तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के तहत वित्तपोषित किया जाता है ।

विवरण

विदेशों में उन पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों की सूची जिनके लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अधिकारियों को नामित किया था

1. आई० आई० ए० पी० पेरिस, फ्रांस में लोक प्रशासन पाठ्यक्रम ।
2. ई० एन० ए० पेरिस, फ्रांस में लोक प्रशासन पाठ्यक्रम ।
3. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यू० एस० ए० में एडवर्ड एस० मेसन प्रोग्राम ।
4. बोस्टन यूनिवर्सिटी, यू० एस० ए० में इकोनोमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ।
5. प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी में प्रवीण फेलोशिप प्रोग्राम ।
6. भारत में यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत हर्बर्ट एच० हम्फरी फेलोशिप ।
7. आई० ओ० पी० ई० जुब्लीजना, यूगोस्लाविया में एम० बी० ए० कोर्स ।
8. हुल यूनिवर्सिटी यू० के० में एम० बी० ए० कोर्स ।

9. आक्सफोर्ड यूनि० यू० के० में क्वीन एलिजाबेथ हाउस विजिटिंग फेलोशिप ।
10. लन्दन स्कूल आफ इकोनोमिक्स, यू० के० में डिवेलपिंग कंट्रीज में सोशल प्लानिंग में एम० एस० सी० ।
11. लन्दन स्कूल आफ इकोनोमिक्स, यू० के० में इकोनोमिक्स में डिप्लोमा ।
12. लन्दन स्कूल आफ इकोनोमिक्स, यू० के० में डिवेलपिंग कंट्रीज में सोशल पालिसी एण्ड प्लानिंग में एम० एस० सी० ।
13. स्ट्रेथेएलाइड बिजनेश स्कूल, यू० के० में फाइनेंस में एम० एस० सी० ।
14. स्ट्रेथेएलाइड बिजनेश स्कूल, यू० के० में फाइनेंस स्टडीज में एम० एस० सी०/डिप्लोमा ।
15. बाथ यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा/एम० एस० सी० ।
16. बरमिंघम यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट फाइनेंस में डिप्लोमा/एम० एस० सी० ।
17. बरमिंघम यूनिवर्सिटी, यू० के० मे डिवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा/एम० एस० सी० ।
18. केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा ।
19. ईस्ट एंजलिया यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट इकोनोमिक्स में एम० ए० ।
20. ग्लासगो यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट पालिसी में डिप्लोमा।
21. ग्लासगो यूनिवर्सिटी, यू० के० में इकोनोमिक्स डिवेलपमेंट में एम० फिल ।
22. मांचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू० के० में इकोनोमिक्स एंड रूरल डिवेलपमेंट मैनेजमेंट में एम० ए० (इको०) ।
23. मांचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में एम० ए० (इकोनो०) ।
24. मांचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा।
25. मांचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू० के० में मानव संसाधन विकास में एम० एस० सी० ।
26. मांचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट इकोनोमिक्स में डिप्लोमा ।
27. न्यूकासल यूनिवर्सिटी, यू० के० में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ।
28. रिडिंग यूनिवर्सिटी, यू० के० में रूरल सोशल डिवेलपमेंट में एम० ए० ।
29. ससेक्स यूनिवर्सिटी, यू० के० में डिवेलपमेंट स्टडीज में एम० ए० ।
30. ससेक्स यूनिवर्सिटी, यू० के० में इकोनोमिक्स में एम० ए०।
31. स्वांसी यूनिवर्सिटी, यू० के० में रिजनल डिवेलेपमेंट प्लानिंग में एम० एस० सी० (इको-नो०) ।
32. स्वांसी यूनिवर्सिटी, यू० के० में डेवलपमेंट पालिसी एण्ड प्लानिंग में एम० एस० सी०।
33. स्वांसी यूनिवर्सिटी, यू० के० में सोशल डिवेलपमेंट प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट में एम० एस० सी० (इकोनोमिक्स) ।

34. योर्क यूनिवर्सिटी, यू० के० में एडमिनिस्ट्रेटिव साईंस एण्ड डेवलपमेंट में एम० एस० सी० ।

35. वालगोंग, यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया में कामर्स (मैनेजमेंट) में ग्रेजुएट डिप्लोमा ।

36. आई० डी० एस० ससेक्स, यू० के० में रूरल डिवेलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविएशन ।

37. आई० एल० जी० एस०, बरमिंघम यू० के० में प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट आफ रूरल डेवलपमेंट ।

38. आर० आई० पी० ए०, लन्दन में मैनेजमेंट इन गोवर्नमेंट ।

39. स्ट्रेथएलाइड, यू० के० में फाइनेंशियल प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इन सेन्ट्रल एण्ड लोकल गोवर्नमेंट ।

40. इल्क लि०, यू० के० में पब्लिक एन्टरप्राइजिज मैनेजमेंट इन्टरनेशनल रिसोर्सेज ।

41. आई० टी० एस० लि०, यू० के० में शेयरिंग ब्रिटिश न्यू टेक्नोलाजी एक्सपर्टाइज इन मैनेजिंग टेक्नोलाजी चेंजेस ।

42. नागोया, जापान में रिजनल डिवेलपमेंट प्लानिंग में इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स ।

43. स्टाकहोम, स्वीडन में इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ।

मारुति उद्योग लिमिटेड की जांच के बारे में अभ्यावेदन

9318. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने दिसम्बर 1991 में एक ज्ञापन देकर केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिकारियों के विरूध्द मामला दर्ज करने की अनुमति दी जाय;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है ।

मधुमक्खी पालन योजना

9319. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मधुमक्खी पालन योजना बड़े पैमाने पर शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) के० वी० आई० सी० ने आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खी पालन उद्योग का विकास करने के लिए उपाय किए हैं । अब यह बागवानी क्षेत्रों को भी शामिल करने की जांच व कोशिश कर रहा है । इसने देश के अधिकांश भागों में एपिस मैलिफोरा जैसी अधिक मधु देने वाली मधुमक्खियों का प्रयोग भी आरंभ किया है । अत: अधिक मधु देने वाली मधुमक्खियों का प्रयोग

आरंभ हो जाने से शहद का उत्पादन बढ़ेगा । वर्ष 1990-1991 के दौरान 25.32 करोड़ रु० तक का मधु उत्पादन हुआ था ।

लघु उद्यमियों के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण

9320. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अपनी परियोजना पत्रों की प्रक्रिया और मंजूरी लेते समय विभिन्न विभागों से होकर गुजरना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) परियोजनाओं की प्रक्रिया के लिए जिन विभागों से होकर गुजरना होता है वे परियोजनाओं के स्वरूप तथा प्रकार पर निर्भर करते हैं ।

(ख) राज्य सरकारों से उद्योगों की शीघ्र स्थापना हेतु सरल नियम एवं कार्यविधियां बनाने का अनुरोध किया गया है ।

मारूति उद्योग लिमिटेड तथा सिंडलेज बैंक के बीच समझौता

9321. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड ने सिंडलेज बैंक के साथ 1000 सी० सी० मारूति कारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा समझौता करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड 800 सी० सी० मारूति कारों के लिए सिटी बैंक के साथ पहले ही समझौता कर चुका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मारूति उद्योग लिमिटेड ने, ग्राहकों को मारूति-1000 कार के लिए 22% वार्षिक ब्याज दर से ऋण-सुविधा देने के लिए सिंडलेज बैंक की एक सहायक कम्पनी, मैसर्स एसान्डा फाइनैन्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है ।

(ग) यह उपाय मारूति-1000 कार की बिक्री बढाने के लिए किया गया है ।

(घ) जी, नहीं । तथापि, मारूति-1000 कार के लिए ऋण देने हेतु, मारूति उद्योग लिमिटेड ने सिटी बैंक के साथ इसी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है ।

तमिलनाडु में किसानों की दुर्दशा

9322. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में, विशेषकर उसके कोयम्बटूर जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन किसानों की दशा सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक शुरू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत, अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुमानों के अनुसार, 1987-88 में तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों की कुल संख्या 138.38 लाख थी । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा गरीबी का जिलावार विवरण प्रकाशित नहीं किया जाता ।

(ख) ग्रामीण गरीबों के रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं । इनमें से प्रमुख हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है और जवाहर रोजगार योजना मजदूरी रोजगार के पूरक अवसर प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, सड़कें आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती है ।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1991-92 में 1,30,345 लाभार्थियों को सहायता दी गई है । इसी अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 831.74 लाख श्रमदिनों का रोजगार मुहैया कराया गया था ।

यात्री कारों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करना

9323. **श्री गरूदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री कारों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस जारी किये जाने की प्रथा बन्द किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नीति निर्धारण करना एक गत्यात्मक विचार है और उद्योग के विकास के लिए बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार होती है । इसलिए विभिन्न नीतिगत उपायों का निरंतर मूल्यांकन करना अपेक्षित है । मोटरगाड़ी नीति इसकी अपवाद नहीं हो सकता । फिलहाल, यात्री कारें बनाने हेतु लाइसेंस समाप्त करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पैसेंजर कारों/हल्के व्यवसायिक वाहनों के निर्माताओं को लाइसेंस देना

9324. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैसेंजर कार/हल्के व्यवसायिक वाहन उद्योग में रोजगार देने की काफी क्षमता है और राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्यों में इस उद्योग की स्थापना की व्यापक गुंजाइश और अर्थक्षमता है;

(ख) इन उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने अथवा इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) निजी क्षेत्र द्वारा ऐसा उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार की स्वीकृति के बिना इन कारों/हल्के व्यवसायिक वाहनों के निर्माण और समय की

आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों के माडलों में परिवर्तन हेतु सरकारी नीति को उदार बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है अथवा उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यात्री कारों के अलावा सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । अत: उद्यमी एल० सी० वी० इत्यादि के निर्माण के लिए एकक स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र है । किन्तु इस समय परम्परागत ईंधन पर आधारित कारों के निर्माण के लिए किसी नए एकक को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि पहले से सृजित क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है ।

(ग) सरकार ने डीजल कार के निर्माण के एक प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था । आवेदक ने अपने प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने के विरूध्द एक अभ्यावेदन किया है ।

(घ) सरकारी मंजूरी एक विशेष प्रकार के वाहन के लिए दी जाती है और निर्माता अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर और विदेशी सहयोग की शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन किसी भी मॉडल के वाहन का निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

विकास कार्य योजना तैयार करने हेतु दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग

9325. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 126 जिलों के विकास हेतु आंकड़े तैयार करने और कार्यवाही योजनायें तैयार करने के लिए संवेदी प्रौद्योगिकी (रिमोट कन्ट्रोल टेकनोलॉजी) का उपयोग करने की एक बड़ी परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस योजना में आंध्र प्रदेश के किन जिलों को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां । समुचित विकास के लिए अंतरिक्ष प्रयोगों द्वारा एकीकृत अध्ययन भूमि और जल वनस्पति हेतु माइक्रो योजना की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए दिए जाते हैं ताकि उक्त क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जा सके । इन अध्ययनों पर जिलावार 30 लाख रु० की लागत आने का अनुमान है । 126 जिलों के लिए कुल लागत 37.80 करोड़ रु० होने का अनुमान है । 126 जिलों के लिए यह लागत 15.75 करोड़ रु० तक कम की जा सकती है, यदि किसी जिले में अध्ययन प्राथमिकता आधार वाले ब्लाकों में शुरू किया जाए ।

(ग) आंध्र प्रदेश में 8वीं पंचवर्षीय योजना के एकीकृत अध्ययन के लिए प्राथमिकता वाले प्रस्तावित जिले हैं : महबूब नगर, कुर्नूल, चित्तूर, रंगारेड्डी, कड़डपा, पूर्व गोदावरी, प्रकासम तथा नालगोन्डा ।

(घ) 126 जिलों के लिए अध्ययन 1992-93 से 1996-97 तक चरणबध्द तरीके से आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है ।

साफ़्टवेयर पार्क

9326. **श्री रामकृष्ण कोंत्राला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा चलाए जा रहे साफ़्टवेयर तकनीकी पार्कों की कुल संख्या कितनी है :

(ख) इन पार्कों की स्थापना में कितनी धनराशि व्यय हुई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और इनके रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) इन पार्कों की स्थापना के पूर्व इनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाया गया था;

(घ) प्रत्येक साफ़्टवेयर तकनीकी पार्क से किए गए निर्यात से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) इन साफ़्टवेयर तकनीकी पार्कों में विशेषकर बंगलोर स्थित पार्क में कौन-कौन सी सुविधाएं दी गई हैं अथवा देने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने आरम्भत: वर्ष 1990 में पुणे, बंगलोर तथा भुवनेश्वर में तीन साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की और प्रत्येक पर 4 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है । वर्ष 1991 में प्रति पार्क पर 4.75 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से हैदराबाद, तिरूवनन्तपुरम् गांधी नगर तथा नौएडा में चार और साफ़्टवेयर प्रोद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई । पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) यह आशा की जाती है कि प्रत्येक साफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा अपने प्रचालन-कार्य के तीन वर्षों की समाप्ति पर प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी ।

(घ) साफ़्टवेयर का निर्यात करने वाली कम्पनियों को अपने साफ़्टवेयर निर्यात संबंधी कार्यकलापों को आरम्भ करने के लिए एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि की अनुमति प्रदान की जाती है । साफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों से साफ़्टवेयर के निर्यात का कार्य हाल ही में आरम्भ हुआ है । किन्तु, फरवरी, 1992 तक पुणे तथा नोएडा स्थित साफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों से निर्यात पर क्रमश: 53,160 अमरीकी डालर तथा 20,000 अमरीकी डालर की आय हुई ।

(ङ) प्रत्येक पार्क में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें संचार, मुख्य कम्प्यूटर तथा निर्मित भवन के रूप में मूलसंरचनात्मक सहायता शामिल हैं । साफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, बंगलौर में कार्य के लिए निर्मित स्थान उपलब्ध कराया गया है तथा उसमें मुख्य कम्प्यूटर, आई बी एम ए एस-400 प्रतिष्ठापित किया गया है । साफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, बंगलौर में 64 किलोबाइट प्रति सेकंड की गति से जून-जुलाई, 1992 तक आंकड़ा संचार सुविधा चालू होने जाने की संभावना है ।

बायोमास ईंधन

9327. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमरीकी विश्वविद्यालयों में किए गए अनुसंधानों के अनुसार भारत और अन्य एशियाई देशों में प्रयोग किया जाने वाला बायोमास ईंधन गृहणियों के लिए असुरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या बायोमास ईंधन को जलाने के दौरान निकलने वाले कणों से होने वाले धुएं के प्रदूषण को कम करने के लिए किसी तकनीक का विकास किया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी का आयात

9328. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी के आयात पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिए हैं;

(ख) क्या इससे हमारे अनुसंधान कार्य और क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां, जैसाकि 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति के विवरण में स्पष्ट किया गया है :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक रुपए 1.0 करोड़ के एक मुश्त भुगतान, घरेलू बिक्री के लिए 5 प्रतिशत रायल्टी तथा निर्यातों के लिए 8 प्रतिशत तक, जो अनुबंध की तारीख से लगभग 10 वर्ष की अवधि या उत्पादन की शुरूआत से 7 वर्षों के लिए बिक्री के 8 प्रतिशत के कुल भुगतानों के अधीन होता है, विदेशी प्रौद्योगिकी अनुबंधों के लिए स्वत: अनुमति प्रदान करता है ।

(ii) अन्य प्रस्तावों को प्रभावी सामान्य प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है ।

(ख) और (ग) प्रौद्योगिकी अनुबंधों के लिए स्वत: अनुमोदन की सुविधा भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी गतिशीलता के वर्धित स्तर को अन्त:क्षिप्त करने के उद्देश्य से विस्तारित किया गया है । भारतीय कम्पनियां अपने निजी वाणिज्यिक विवेकानुसार अपने विदेशी समकक्षों के साथ प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की शर्तों की बातचीत से तय करने के लिए स्वतन्त्र होंगी । कार्रवाई की पूर्व सूचनीयता तथा स्वतन्त्रता जो इस उपाय से भारतीय उद्योग को मुहैया हो रहा है, उन्हें विदेशी प्रौद्योगिकी के दक्ष अंगीकरण के लिए स्वदेशी सामर्थ्य विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी । अत्यधिक प्रतियोगी दबाव भी स्वदेशी उद्योग को अनुसंधान व विकास में ठोस निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा ।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलापूर्ति तथा जल-मल व्ययन संस्थान में कार्यरत कनिष्ठ इंजीनियर और सहायक इंजीनियर

9329. **श्री रोशन लाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलापूर्ति तथा जल-मल व्ययन संस्थान में कार्य कर रहे कनिष्ठ इंजीनियरों (ई एंड एम) तथा सहायक इंजीनियरों (ई एंड एम) में अलग-अलग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित

जनजातियों के इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर बिल्कुल अस्थायी आधार पर तदर्थ रूप में कितने कनिष्ठ इंजीनियर (ई एंड एम) नियुक्त किए गए हैं तथा ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो अब भी आरक्षित कोटे में नियुक्त हैं;

(ग) आरक्षित पदों पर आरक्षित कोटे के कनिष्ठ इंजीनियरों (ई एंड एम) के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं तथा क्या अब तक पत्रों में रिक्त स्थानों का विज्ञापन देकर बुलाया गया है;

(घ) यदि अब तक ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सहायक इंजीनियर (ई एंड एम) के पद में आरक्षित कोटा भर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने यह सूचित किया है कि 79 सहायक इंजीनियरों (ई एण्ड एम) में से 9 अनुसूचित जाति के हैं तथा 187 कनिष्ठ इंजीनियरों (ई एण्ड एम) में से 39 अनुसूचित जाति की श्रेणी के हैं ।

(ख) 1979 में "अनारक्षित" श्रेणी के 5 व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नितान्त तदर्थ आधार पर कनिष्ठ इंजीनियर (ई एण्ड एम) के रूप में नियुक्त किया गया था । आगे चलकर आरक्षित श्रेणी के पिछले बकाये को भर लिया गया था ।

(ग) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाए गए थे तथा सभी पिछली रिक्तियों को भर लिया गया ।

(घ) "ग" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) सीधी भर्ती के सम्बन्ध में आरक्षण का कोटा पूरा है । जहां तक पदोन्नति कोटा का सम्बन्ध है, फीडर ग्रेड में अर्थात् कनिष्ठ इंजीनियर (ई एण्ड एम) जो बढ़ाए गए विचारार्थ जोन के अन्तर्गत आते हैं (वर्षवार रिक्तियों के संदर्भ में) तथा जो भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, की पदोन्नति कर दी गई है । भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऐसे मामलों में जहां फीडर ग्रेड में यहां तक कि विचारार्थ बढ़ाये गए जोन के भीतर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं यदि पद चयन पद की श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नियत रिक्तियों को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण

9330. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक नगर के प्रापर्टी डीलरों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 6 एकड़ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवैध सौदे के दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में न आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस भूमि पर पक्के मकान बना लिए गए हैं और उन्हें विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे बड़े घोखेबाजों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सम्पत्ति के दलालों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की गैर कानूनी बिक्री के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है । गोकुलपुरी गांव में अधिग्रहीत की गई दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन के एक हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है तथा अशोक नगर नाम से ज्ञात इस क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कुछ कच्चे-पक्के कमरों तथा चार दीवारियों का निर्माण हुआ है ।

(ख) अशोक नगर में इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए एक कार्यक्रम तय किया गया था जिसे आसपास के इलाके में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण नहीं हटाया जा सका ।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अशोक नगर के ब्लाक "बी" तथा "डी" तथा लोनी रोड के पूर्व में डी डी ए फ्लैटों के बीच की जमीन पर कुछ मकान बने हैं । इन मकानों में कोई बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस मामले में मकानों को गिराने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं । आदेश का कार्यन्वयन, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा पुलिस बल की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति

9331. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की मौजूदा वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने कर्मचरियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस वित्तीय संकट के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :—

(i) 1-4-92 को बैंक में शेष राशि	8.33 करोड़ रुपये
(ii) अल्पावधि जमा राशि	33.75 करोड़ रुपये

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) कोई वित्तीय संकट नहीं है, तथापि सहकारी सामूहिक आवास समितियों, जहां से 1991-92 में प्राप्तियां नहीं हुई, को भूमि आबंटन सहित मुख्यत: विभिन्न सम्पत्तियों के बिक्री न होने के कारण रोकड़ प्रवाह कम हुआ । सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आबंटन अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसकी शीघ्र बिक्री के लिए सलाह दी गई है ।

[अनुवाद]

शहरी बच्चों पर राष्ट्रीय मंत्रणा

9332. **श्री श्रवण कुमार पटेल**
श्रीमती जिम्मू कुमारी देवी } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 में नई दिल्ली में शहरी बच्चों पर एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय मंत्रणा आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । योजना आयोग, यूनीसेफ और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित शहरी बच्चों पर एक राष्ट्रीय मंत्रणा नई दिल्ली में अप्रैल, 1992 में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा आयोजित की गई थी ।

(ख) राष्ट्रीय मंत्रणा में भाग लेने वालों का सामान्यत: यह विचार था कि शहरी बच्चों, विशेष रूप से जो निम्न आय परिवेशों में रह रहे हैं, की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मंत्रणा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार थे :—

(i) शहरों के विभिन्न आकार/श्रेणी, उनके वित्तीय संसाधन आधार को ध्यान में रखते हुए समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल सामाजिक सेवाओं के प्रावधान की नीतियां तैयार की जानी चाहिए ।

(ii) मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं परिवेश-आधारित, समय निर्धारण के संबंध में मैत्रीपूर्ण उपयोगी होनी चाहिए और जिसमें निकट सामुदायिक सहभागिता निहित हो ।

(iii) कस्बों/नगरों के स्लम समूहों में कुपोषण की समस्या ज्यादा तीव्र है और इस समस्या पर काबू करने पर लक्षित नीतियों में रोग निगरानी और रोकथाम, पर्यावरणात्मक स्वच्छता, माताओं के साथ सम्पर्क के माध्यम से पोषण-आहार शिक्षा तथा परिवारिक स्तर पर समुचित खाद्य सुरक्षा सिस्टम के विकास के लिये संयोजित प्रयासों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(iv) स्कूल, समय, बहुपाली, कौशल आधारित क्रियाकलाप के संबंध में लचीलेपन के साथ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, दोनों के लिये केन्द्र बिन्दु होना चाहिए और प्रारंभिक बाल्यकाल विकास और बालिकाओं के स्कूल में प्रवेश लेने और उसे जारी रखने में सुधार के लिये नीतियों के लिये समुदाय आधारित और कम लागत वाले विकल्प तैयार करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये ।

(v) विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, गलियों में रहने वाले बच्चों, कामकाजी बच्चों, निन्दित बच्चों, कानूनी रूप से विवादास्पद बच्चों जैसे बच्चों से संबंधित समस्याओं का समाधान जनता की कर्तव्यनिष्ठा, सामुदायिक मंत्रणा एककों और नवीन पुनर्वास पद्धति के माध्यम से आवश्यकता है । समुदाय को कार्यक्रमों के सूत्रीकरण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहभागिता के लिए प्रेरित करने और विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों के प्रयासों को एकीकृत रूप से समन्वित करने की अत्यधिक आवश्यकता, दिया गया एक महत्वपूर्ण सुझाव था ।

(ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और यूनिसेफ के सहयोग से निर्धनों के लिये शहरी मूलभूत सेवा नामक एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें परिवेश समितियों में एक एकीकृत तरीके से सामाजिक सेवाएं मुहैय्या करने का लक्ष्य है। सरकार, राष्ट्रीय मंत्रणा में दिये गये सुझावों का उपयोग इस योजना के कार्यान्वयन में करेगी।

डी० डी० ए० के फ्लैटों का बिना बारी आबंटन

9333. **श्री जीवन शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दिल्ली में कोई घर न होने" के आधार पर व्यक्तियों को बिना बारी के डी० डी० ए० फ्लैटों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे आबंटितियों की संख्या कितनी है जो डी० डी० ए० में पंजीकृत नहीं थे;

(घ) क्या पंजीकृत व्यक्तियों को इसी आधार पर बिना बारी के आबंटन के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो सक्षम अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग मनमाने और भेदभाव पूर्ण ढंग से करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) बिना बारी आधार पर डी० डी० ए० फ्लैट के आबंटनार्थ एक मानदण्ड यह है कि उस व्यक्ति के पास भारत में कोई मकान नहीं होना चाहिए। पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों को बिना बारी आधार पर डी० डी० ए० फ्लैट सरकार द्वारा निर्धारित अनुमोदित नीति/दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत आवेदकों के अनुमोदित/निरस्त मामलों के कोई अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(च) अतः यह निर्णय लिया गया है कि सब बिना बारी आधार पर आबंटन के मामलों पर समिति के रूप में क्रियाशील शहरी विकास मंत्री/उपराज्यपाल, दिल्ली विचार करेंगे।

रॉकेट प्रौद्योगिकी

9334. **श्री साईमन मरांण्डी**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी
श्री सत्यदेव सिंह
श्री बृज भूषण शरण सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी का अन्तरण स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा संयुक्त राज्य अमरीका की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच कोई करार है;

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(च) इस स्थगन से भारत अन्तरिक्ष कार्यक्रम किस हद तक प्रभावित होगा;

(छ) क्या इस संबंध में किसी शिष्टमण्डल ने रूस का दौरा किया है; और

(ज) यदि हां, तो हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम क्या निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(छ) अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच कार्यक्रमों के द्विपक्षीय पहलुओं पर तकनीकी विचार-विमर्श और परामर्श के लिए एक शिष्टमण्डल ने रूस का दौरा किया है ।

(ज) इस संबंध में हुई वार्ता लाभकारी रही है तथा सहयोगी कार्यक्रम समयानुसूची के अनुसार प्रगति में है ।

डी० डी० ए० फ्लैटों का बिना बारी के आबंटन

9335. **डा० परशुराम गंगवार**
श्री जीवन शर्मा
श्री मदन लाल खुराना } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किन-किन व्यक्तियों को बिना बारी के मकान/फ्लाट और दुकानें आबंटित की हैं; और

(ख) आबंटन करने के विशिष्ट कारणों, आबंटित किए गए स्थानों, आबंटन तिथियों, सिफारिश करने वाले और स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के नाम, आबंटन क्षेत्रों और भुगतान माध्यम का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर जिन व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए उनके नाम एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे । संदर्भित समयावधि के दौरान कोई प्लाट/दुकानें बिना बारी आधार पर आबंटित नहीं की गई है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान नीति/दिशानिर्देशन के अंतर्गत उप-राज्यपाल दिल्ली/अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी आधार पर फ्लैट आबंटित किए गए थे । इन आबंटनों के ब्यौरे के लिए वांछित सूचना के संकलन में किए गए प्रयास प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के संभवत: अनुरूप न हो ।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश

9336. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने भारत में निवेश हेतु किन-किन विदेशी कम्पनियों के साथ करार किया है;

(ख) इन करारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इससे भारतीय सामान के निर्यात में वृद्धि की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) कैलेंडर वर्ष 1990 और 1991 के दौरान 403 विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश वाले प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है जिनमें भारतीय कंपनियों में 662 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी इक्विटी भागीदारी की परिकल्पना की गई है ।

भारतीय कंपनी का नाम विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, देश का नाम, सहयोग का स्वरूप और विनिर्माण की मद जैसे अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अपने मंथली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है ।

1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के पश्चात् अनुमोदन इस शर्त पर किये जाते हैं कि लाभांश के भुगतान के कारण बाहर जाने वाली मुद्रा को इस अवधि में निर्यात से होने वाली आय से संतुलित किया जायेगा ।

राजस्थान की पेट्रो-रसायन परियोजनाएं

9337. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी,

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने वाले पेट्रो-रसायन काम्पलेक्सों को प्राथमिकता देने के लिए योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री आबिद हुसेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी ।

(ख) और (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परियोजना के लिए स्वीकृतियों की सिफारिश की :—

(1) एमजीसीसी का विस्तार;

(2) औरेया में गैस क्रैकर काम्पलेक्स;

(3) बड़ौदा में क्रैकर क्षमता का विस्तार;

(4) विजाग में नैफ्था क्रैकर;

(5) असम में गैस पर आधारित क्रैकर;

(6) यदि तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया तो बीजापुर में प्रोपेन डिहाइड्रोजेने प्लांट ।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए, (3) और (6) को छोड़कर, आशयपत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं ।

कृषि श्रमिकों का कल्याण

9338. **श्री थाइल जॉन लंजलोज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई नया प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को कृषि श्रमिकों के कल्याण के बारे में केरल सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आठवीं योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

9338 (क) **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत और 100 ब्लाकों का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक विभिन्न राज्यों में कितने ब्लाकों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ग) मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ब्लाकों को विद्युत उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) आठवीं योजना में प्रति वर्ष 100 खण्डों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है । आठवीं योजना के लिए इस कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम और राज्य क्षेत्र घटक शामिल हैं । केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान-सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सैलों को स्थापित करने, प्रशिक्षण और अनुसंधान व विकास केन्द्रों आदि के लिए प्रदान की जाती है । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के राज्य क्षेत्र घटक चुनिंदा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के खण्डों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए होते हैं । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम परियोजना में विद्युतीकरण सहित अन्य ग्रामीण ऊर्जा स्कीमें शामिल हो सकती हैं जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अब तक 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 252 चुनिंदा खण्डों

में आई आर ई पी सैल स्थापित किए गए हैं । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए खण्डों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । आठवीं योजना में आई आर ई पी ब्लाकों में विद्युतीकरण स्कीम को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	आई आर ई पी ब्लाक (1991-92 तक) संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	10
4.	बिहार	7
5.	गोवा	4
6.	गुजरात	15
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	17
9.	जम्मू और कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	9
11.	केरल	8
12.	मध्य प्रदेश	21
13.	महाराष्ट्र	13
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	6
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	5
19.	पंजाब	8
20.	राजस्थान	7
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	11
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	48
25.	पश्चिम बंगाल	2
	राज्य योग	239
	संघ राज्य क्षेत्र योग	13
	कुल योग	252

कनिष्ठ अभियन्ता संघ की मांगों के बारे में दिनांक 26 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : कनिष्ठ अभियन्ता संघ की मांगों के बारे में श्री जितेन्द्र नाथ दास द्वारा पूछे गए दिनांक 26 फरवरी, 1992 के लिए उपर्युक्त उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के सम्बन्ध में उत्तर टाईप करते समय वेतनमान के सम्बन्ध में कुछ मुद्रण त्रुटियां अनजाने में हो गई है । मांग संख्या 1 के बारे में संशोधन उत्तर तथा सही वेतनमानों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

मांग	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1. कर्तव्य तथा उत्तर-दायित्व के अनुसार वेतनमान तथा कम से कम 1-1-1986 से उच्चतर वेतनमान लागू करना ।	जूनियर इंजीनियर/अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के दो वेतनमान अर्थात् प्रवेश ग्रेड में 1400—2300 तथा 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर 1640—2900 के संबंध में सरकार ने 22 मार्च, 1991 को आदेश जारी किए । 5 वर्षों के बाद 1640—2900 रुपए के वेतनमान में रखे जाने के बारे में यह निर्णय 1-1-1986 से प्रभावी है । जूनियर इंजीनियर/अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के रूप में 15 वर्षों की कुल सेवा पूरी करने के बाद भी जिन जूनियर इंजीनियर/अनुभाग अधिकारी (बागवानी) को रुपये 2000—3500 के वेतनमान में सहायक इंजीनियर/सहायक निदेशक (बागवानी) के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका, उनको वैयक्तिक आधार पर सहायक इंजीनियर/सहायक निदेशक (बागवानी) का वेतन दिया जाएगा । यह वैयक्तिक पदोन्नति 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् 1-1-1991 से प्रभावी होगी । 1-1-1986 से 2000—3500 के ग्रेड में वैयक्तिक पदोन्नति देने की मांग को स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं हो सका है ।

2. लोक सभा सचिवालय को भेजे गए उत्तर को देखते समय त्रुटि का पता लगा है ।

3. सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है ।

सरकारी क्वार्टरों के निर्माण के बारे में दिनांक 8-4-1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6570 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सरकारी क्वार्टरों के निर्माण के बारे में श्री के० एच० मुनियप्पा और श्री वी० कृष्णा राव के दिनांक 8-4-1992 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6570 के भाग (ख), (ग) तथा (घ) का उत्तर टाइप करते समय कुछ शब्द अनजाने में छूट गए हैं ।

2. भाग (ख) (ग) तथा (घ) का सही उत्तर निम्नलिखितानुसार है :—

"सरकार, निधियों के नियतन पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए और अधिक साधारण पूल मकानों के निर्माण की स्वीकृति देना जारी रखेगी"।

3. लोक सभा को भेजे गए उत्तर को देखते समय त्रुटि का पता चला है।

4. सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रूपचन्द पाल बोलेंगें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : क्या मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में बोल सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री रूपचन्द पाल : पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के सफलतापूर्वक छोड़े जाने पर, जिस उपलब्धि पर पूरे राष्ट्र को गर्व होना चाहिए, मैं अपने रक्षा वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। संयुक्त राज्य अमरीका के श्री.बुश तथा अन्य लोगों द्वारा बाधाएँ उत्पन्न किये जाने के बावजूद हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने विश्व को यह दिखा दिया है कि बिना उनकी सहायता और सहयोग के भी भारतीय वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं।

कल जो कुछ हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में संयुक्त राज्य अमरीका के द्वारा एक नई धमकी दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे इस बात तक ही सीमित रखें। हम क्यों हमेशा निन्दा करना ही चाहते हैं? हमें सराहना भी करनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इस धमकी की पृष्ठभूमि में इस सम्माननीय सभा को रक्षा वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए कि यह सभा बहुत ही खुश है और इस उपलब्धि पर सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष पीठ की ओर से इस देश में हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है, प्रोत्साहित करने के लिए आपको कुछ उल्लेख करना चाहिए और आपके माध्यम से इस सम्पूर्ण सभा को वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं मैं उन्हें जानता हूं और मैं उनका स्तर तथा उनकी क्षमता जानता हूं तथा हम सब इसकी सराहना करते है। इस पृथ्वी के सफलतापूर्वक छोड़े जाने और इसे तैयार करने के उनके प्रयासों की हम सभी सराहना करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से हम उन्हें बधाई देना चाहेंगें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज भारत सरकार के संचार मंत्री काश्मीर गए हुए हैं। वहां उनके रक्षा बलों ने सात निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। पूरे देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि संचार मंत्री के ऊपर आक्रमण हुआ। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह जो कहते हैं सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : लेकिन यह सत्य है। उस घटना के आधा किलोमीटर दूर उनके रक्षा बलों ने, उनके पीछे जो सिक्योरिटी थी, उसने इस तरह से लोगों पर हमला किया कि एक मिनी बस पर बैठी दो महिलाएं मर गयी, दो पुरूष मर गए और ड्राईवर मर गया तथा आज अस्पताल में दो लोग और मर गए हैं। यदि वहां जाने की इनकी हैसियत नहीं है, आतंकवादियों से निपटने की इनकी स्थिति नहीं है तो ये वहां किस लिए जाते हैं। यह एक प्रकार से हत्या का मामला है, इसलिए हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। वे, वहां जो घर गिर गए थे उनको देखने के लिए गए थे, लेकिन संचार मंत्री के रक्षा बलों ने लोगों को मारा है, उनकी हत्या की है, एक शब्द भी संवेदना का उन्होंने नहीं बोला। क्या इस देश की संवेदना मर रही है?

मैं कहना चाहता हूं कि इससे वहां की हालत और खराब होगी। निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है। सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। यह सत्य इस सदन के सामने आना चाहिए। संचार मंत्री स्वयं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे और सड़क के दोनों ओर चौराहे पर रास्ता जाम किए हुए निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। क्या भारत में मंत्री इस तरह से लोगों की हत्याएं करवाते रहेंगे? क्या यह सदन खामोश रहेगा? इस पर हम सरकार की तरफ से वक्तव्य चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, आज के द हिन्दू में यह खबर प्रकाशित हुई है कि श्री राजेश पायलेट के सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों द्वारा गोली चलायी गयी थी और जवाबी हमले में चार दुर्दान्त आतंकवादी मारे गये हैं। यह समाचार 'द हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दूसरी ओर के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि निर्दोष लोग मारे गये है। इससे राष्ट्र को सिर्फ गलत संदेश ही प्राप्त होता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : गृह मंत्री से बयान आना चाहिए।...(व्यवधान) श्री गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि पायलेट साहब से क्या लेना-देना। वहां पर इन्डस्क्रीमिनेट फायरिंग हुई है और सात लोग मारे गए हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। यदि लोगों की मृत्यु हुई है तो हम सभी दुखी हैं और हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हम समझते है कि इस मामले में उचित छानबीन की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही कृपया हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके एक सहयोगी पर गोली चलायी जाने की भी खबर प्रकाशित हुई थी। हमें यह पता लगाना चाहिए कि वास्तविक तथ्य क्या है। वास्तविक तथ्यों का पता चल जाने के बाद हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए। विचारों को जाने बिना ही हमें अपने सहयोगी या अन्य लोगों के विरूध्द भी आरोप नहीं लगाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, श्रीनगर में उस भवन के गिर जाने से बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गये हैं । मैं जानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी इससे चिन्तित है । इसलिए उन्होंने श्री राजेश पायलेट जी से सम्पर्क किया और उन्हें प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजा । वह वहां गये, अपनी श्रध्दा प्रकट की और शोक संतृप्त परिवार को संवेदना प्रकट की । लौटते वक्त यह घटना हुई । इसलिए यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है । वास्तविकता यह है कि हमारे एक मंत्री पर हमला हुआ था । अब दूसरी ओर के माननीय सदस्य कहते हैं कि निर्दोष लोग मारे गये हैं । अभी उन्होंने यह वक्तव्य दिया है । संदेश यह है कि हम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं । यह बहुत ही गलत बात है । यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है । मैं समझता हूं मैंने वास्तविक स्थिति बयान की है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमें यह खुशी है कि पायलेट साहब सही-सलामत वापिस आ गए और उनके ऊपर जो हमला हुआ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बधाई दे रहे हैं तो मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं ।

श्री मदन लाल खुराना : हम उनको बधाई देना चाहते हैं । इससे सिध्द होता है कि आज काश्मीर की हालत क्या है । आज यह कहा जा रहा है कि वहां चुनाव कराएं जाएं, यह बात भारत सरकार की तरफ से कही गई है । हमने पहले भी कहा और अभी भी कहते हैं कि जब झंडा फहराने के लिए इतनी फोर्स लगती है तो हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते । जब यहां से मिनिस्टर लोगों को पूछने के लिए जाता है तो उस पर हमले होते हैं, ऐसी हालत में भारत सरकार कहती है कि वहां पर चुनाव हों । उसकी क्या तुक है । इस पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए । जब कारवां जा रहा था तो पीछे से गाड़ियों पर हमला हुआ उसके बाद एक ट्रक से छोटी सी बच्ची दबकर मर गई । बेगुनाहों की मृत्यु हुई है तो मैं चाहूंगा कि हाऊस के अंदर वक्तव्य आना चाहिए । किन हालात के अंदर फायरिंग हुई । जब वहां गए तो उन्होंने पहले से बताया होगा । उनके लिए सिक्योरिटी द्वारा कदम उठाए गए होंगे । इन सब बातों के बारे में सदन में होम मिनिस्टर वक्तव्य दें । इस संदर्भ में बार-बार चर्चा की जा रही है कि काश्मीर में चुनाव हों, क्या इसके बारे में सरकार सोचती है ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में घटी एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूं । दो अरब राजनयिक, कुवैती दूतावास के प्रभारी राजदूत श्री मुथेब ओथमान अल हुम्मया और मिस्र के काउंसिलर मोहम्मद नजीब पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था । वे किसी प्रकार बच गये । महोदय, अरब के लोगों में उनके देशों के बीच कुछ आन्तरिक दुश्मनी हो सकती है । लेकिन भारत सभी अरब देशों के साथ और विशेषकर कुवैत के साथ जहां हमारे लाखों लोग हैं बहुत ही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये हुए है । इसलिए कुवैती राजनयिक, प्रभारी राजदूत पर अकारण किये गये इस हमले से हमारे लाखों लोगों में जो कुवैत में रह रहे है, क्षोभ उत्पन्न होता है । अत: मैं चाहता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी इस सभा में उपस्थित हो और वास्तव में जो वारदात हुई है उसका उल्लेख करें और यह भी बतायें कि भविष्य में इन हमलों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ।

साथ ही भविष्य के इन राजदूतों को इस प्रकार के हमलों से पर्याप्त और आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाये ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, कुवैती कूटनीतिज्ञ पर जो हमला हुआ है उसके बाद कुवैती कूटनीतिज्ञ ने यह आरोप लगाया है कि यद्यपि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, किन्तु विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया । अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि सुरक्षा उन्होंने दूतावास पर मांगी थी या अपने साथ जहां वे जायें वहां जाने के लिए सुरक्षा मांगी थी । सरकार के लिए दूतावास पर सुरक्षा का प्रबन्ध करना सरल है, लेकिन अगर राजदूत अपने साथ सुरक्षागार्ड ले जाना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है यह इस सदन को बताना आवश्यक है ।

अब यह कहा जा रहा है कि हमला किसने किया । इसके बारे में अलग-अलग राय हैं । क्या कोई आतंकवादी गुट इसमें शामिल है ? क्या वह फिलीस्तीनी आन्दोलन से सम्बन्धित है या जैसा अभी मेरे मित्र ने संकेत किया कि अरब देशों में आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है या जो कुवैती कूटनीतिज्ञ इनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा था ? क्योंकि मैं समाचार-पत्र में देख रहा था वे सरोजनी नगर गये हुए थे । सरोजनी नगर जाने की क्या आवश्यकता थी ? उनके साथ मिस्र के भी एक कूटनीतिज्ञ थे । यह तो ठीक है कि जिस तरह से हमला हुआ है उससे विदेशों में खबर फैलेगी कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो कूटनीतिज्ञ हैं वे सुरक्षित नहीं हैं । दिल्ली में कुल मिलाकर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन इस आरोप का खण्डन होना चाहिए, अगर यह आरोप गलत है कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा नहीं दी । सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि कौन हमलावर थे जो हमला करके गायब हो गये । यह जानकारी एकत्र करके सदन को सूचित करना बहुत आवश्यक है ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (यादवपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान त्रिपुरा के चामनु घाटी में व्याप्त गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जहां आंत्रशोथ की बिमारी व्यापक रूप से फैल चुकी है और जिसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है । यह खबर स्वयं त्रिपुरा के कृषि मंत्री श्री नागेन्द्र जामातिया की ओर से आयी है जिन्होंने उस जिले का दौरा किया है और यह देखा कि वहां लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं । ऐसा कहा जाता है कि महामारी की यह स्थिति वास्तव में चामानु घाटी के जनजातिय क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण हुई है जहां कि कोई खाद्य पदार्थ, कोई कार्य, जल, चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं है और लोगों की मृत्यु इतनी तेजी से हो रही है कि उनकी दाह संस्कार करना भी असंभव हो रहा है । ऐसा कहा जाता है कि उनकी लाशों को कुत्ते खा रहे हैं । यह भी कहा जाता है कि स्थिति इतनी खराब है कि माता-पिता भी पलायन कर रहे है । बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और माता-पिता उस स्थान पर अपने छोटे-छोटे बच्चों, छोटे बिमार बच्चों को छोड़ कर जा रहे हैं । इस स्थिति के बारे में जिस पर पहले सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, हमने पहले भी कहा है और हम बहुत अर्से से कह रहे है कि त्रिपुरा के कुछ जनजातिय क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है और वहां लोगों की मृत्यु हो रही है । लेकिन अभी तक हमें केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या चामानु क्षेत्र में जनजातिय क्षेत्र में अकाल की स्थिति के बारे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई संदेश भेजा गया है । आंत्रशोथ की महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ? वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है ?

ऐसा कहा जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी हालत में हुई । अतः मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सहायता की मांग की है और क्या केन्द्र सरकार

इस सम्बन्ध में कोई कदम उठा रही है ? मैं यह भी जानना चाहूँगी कि क्या माननीय प्रधान मंत्री जी, जो एक या दो अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, त्रिपुरा भी जायेंगें क्योंकि वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि सैकड़ों लोग वहाँ मर रहे है। यह एक या दो व्यक्ति का प्रश्न नहीं है।

इस स्थिति में मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य कलापों को देखने के लिए राज्य सरकार को समस्त सुविधायें प्रदान की जाए और ये कार्य जनजातिय क्षेत्रों में किया जाए। जवाहर रोजगार योजना, जो वहाँ असफल हो गयी है, तो फिर से शुरू किया जाना चाहिए और एक बार फिर से सभी कुछ किया जाना चाहिए ताकि खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सुविधा शीघ्र ही वहाँ पहुँचायी जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार का जवाब क्या है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, एक महिला सदस्या ने कहा कि सैकड़ों लोग मर रहे हैं और कुत्ते उनकी शवों को खा रहे है। स्थिति बहुत ही गंभीर है और ऐसी बात नहीं है कि एक सदस्य इसका उल्लेख करें और हम चुपचाप बैठे रहे। आखिर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय समस्या है और माननीय मंत्री-गण यहाँ किस लिये बैठे हुए हैं ? वे किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगें। यह ठीक नहीं है। एक सप्ताह के अन्तर्गत सत्रावसान होने जा रहा है और यह सब क्या हो रहा है ? उन्हें कम से कम सभा को यह कहना चाहिए कि वे उचित कार्यवाही करेगें।

संसदीय कार्य मंत्री (गुलाम नबी आजाद) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है सरकार ने उसे गंभीरतापूर्वक लिया है। हम इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ध्यान में लायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिर्फ उनके ध्यान में यह बात लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश से इस सदन का ध्यान

अध्यक्ष महोदय : आदेश से नहीं, अनुमति से

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : आपकी अनुमति से आकर्षित करना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तानी रेडियो पर जनता के नाम संदेश देते हुए अपनी अफगानिस्तान यात्रा के संबंध में कहा कि वे अफगानी जनता को उनकी नई सियासी व्यवस्था पर बधाई देने गये थे और उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र ही वे कश्मीर में जाकर वहाँ की जनता को बधाई देंगे। अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा इस देश के आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप की बात नहीं हो सकती है। क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ? क्या सरकार इस पर कोई वक्तव्य देगी ? इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह भारत के आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप है। इसलिए इस सदन के माध्यम से हम सरकार से इस मामले पर उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

[अनुवाद]

*श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली और मुम्बई में रहने वाले लाखों केरलवासियों को रेल यात्रा के सम्बन्ध में हो रही गंभीर समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । सिर्फ दिल्ली महानगर में ही पाँच लाख से अधिक केरलवासी रह रहे हैं । छुट्टियों के समय में प्रत्येक वर्ष हजारों परिवार केरल जाते हैं । इस वर्ष स्थिति इतनी खराब है कि प्रतिक्षा सूची में भी टिकट उपलब्ध नहीं है । इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस समस्या की ओर शीघ्र ही ध्यान देने का और इस भीड़ को खत्म करने के लिए विशेष रेल गाड़ियां चलाने का अनुरोध करता हूँ । मुम्बई में भी लाखों केरलवासी इस समस्या का सामना कर रहे हैं । वास्तव में वे केरलवासी, जो केरल से बाहर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, देश के लिये धन कमा रहे है । इसलिए उनकी समस्याओं पर सहानुभूति विचार करना चाहिए ।

* मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

अस्थायी उपाय के तौर पर ग्रीष्म ऋतु में विशेष रेलगाड़ियों को शीघ्र ही चलाया जाना चाहिए । लेकिन दीर्घ कालिन उपाय के रूप में एक और रेलगाड़ी दिल्ली और मुम्बई से केरल के लिए नियमित रूप से चलायी जानी चाहिए । मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देंगे और इसका समाधान करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान पूर्वी क्षेत्र में स्थित नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन मिल्स खासकर पश्चिम बंगाल की 12 मिलों में व्याप्त स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

महोदय 1974 में इस क्षेत्र के 18 एन० टी० सी० मिलों, जिनमें से 14 पश्चिम बंगाल में पड़ती थी, का राष्ट्रीयकरण करते समय यह उम्मीद की गई थी कि भारत सरकार का अगला कदम इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये पहल करने से सम्बन्धित होगा । दुर्भाग्य से, इनके आधुनिकीकरण के लिये अभी तक कोई विस्तृत योजना नहीं बन पायी है । महोदय, 1991 के अगस्त और अक्टूबर महिने में दो त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये जिनमें दस केन्द्रीय कार्मिक संघ शामिल थे । उन समझौतों के तहत नये मानदण्डों के अनुरूप कामगारों को कार्य करने के लिये कहा गया ।

इस प्रकार प्रारम्भ में तो उत्पादन बढ़ा । लेकिन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली कपास की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पा रही है । प्रति महिने कम से कम इसकी 6,500 गाँठ की जरूरत पड़ती है जबकि आपूर्ति मात्र 3,000 गाँठ की ही हो पाती है । ऐसी स्थिति दिसम्बर 1991 से चल रही है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन घट रहा है जिसके लिये मजदूरों को दोष नहीं दिया जा सकता ।

उसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा उनकी राज सहायता में भारी कटौती से संकट और गहरा हो गया है । और अब, भारत सरकार कामगारों की संख्या घटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । पश्चिम बंगाल की 12 मिलों में से 5,000 कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त करने का प्रस्ताव है । 44.16 करोड़ रुपये इस सेवा-निवृत्त योजना को लागू करने में खर्च किये जायेंगे । लेकिन अगर यही राशि मिलों को अग्रिम चल पूंजी के रूप में तत्काल दे दी जाती है तो ये मिलें कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को घटाये बगैर चलती रहेंगी । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कामगारों की छँटनी की नीति न अपनाकर यूनियनों के साथ बातचीत करे और इन मिलों को सही ढंग से चलाने के लिये समुचित उपाय ढूँढ़े ।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं गहरे दुःख और क्षोभ के साथ सरकार का विशेषकर प्रधानमंत्री का ध्यान प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई कुछ ताजा घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ । घटनाओं का क्रम इस प्रकार है । खुले चयन के सन्दर्भ में हुए साक्षात्कार के सम्बन्ध में पिछले दिनों की घटना को लेकर पूरे देश भर के डाक्टरों में निराशा व्याप्त है । पिछले 3 या 3½ वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, अतिरिक्त प्राध्यापक और प्राध्यापक जैसे विभिन्न स्तरों को पदों पर खुले चयन के लिये विज्ञापन प्रकाशित कराया था । चूंकि उस अवधि में साक्षात्कार नहीं हो सका था, इसलिये कुछ पदों के लिये तो चार-चार बार विज्ञापन निकाला गया था । अन्ततः 1992 के फरवरी-मार्च महिने में साक्षात्कार हुआ और प्रवर चयन समिति ने 500 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयनित अभ्यर्थियों के नामों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा शासी निकाय के समक्ष स्वीकृति के वास्ते भेज दी । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय की बैठक 25 अप्रैल 1992 को हुई और उसने आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित रूप से दूसरे और तीसरे क्रमांक के पदों अर्थात सहप्राध्यापक और अतिरिक्त प्राध्यापक के पदों के लिये हुए चयन को इस बहाने की आड़ में कि इन पदों के लिये अब एसेसमेंट प्रोमोशन स्कीम की प्रक्रिया मौजूद है, रद्द कर दिया । यह तो एक निरंकुशता की पूर्ण मिसाल है । इन सभी पदों को सहायक प्राध्यापक ग्रेड के निचले पदों के समतुल्य कर दिया गया और इन पदों पर नियुक्ति के लिये बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का प्रस्ताव किया गया और उससे भी बदतर स्थिति यह हुई कि इस निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया ।

शासी निकाय का निर्णय अनुचित और गैरकानूनी है क्योंकि यह तो एक कार्यकारिणी समिति मात्र होती है । यह संस्थागत निकाय की भाँति कोई नीति बनाने वाला निकाय नहीं है, इसलिये किसी वैधानिक शैक्षिक समिति के अनुशंसा के बगैर न तो यह किसी पद को निचले ग्रेड में डाल सकती है और न ही वैधानिक प्रवर चयन समिति की द्वारा प्रस्तावित चयन को रद्द कर सकता है । वैधानिक शैक्षिक समिति से सलाह लेने के बाद ही शासी निकाय किसी पद को निचले ग्रेड का पद बनाने अथवा उसे समाप्त करने की अनुशंसा कर सकता है और वह भी किसी भावी तारीख से किया जा सकता है न कि भूतलक्षी प्रभाव से । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हो रही इस तरह की घटनाएँ बहुत ही खतरनाक है ।

अध्यक्ष महोदय : जरा स्थिति को संक्षिप्त करें ।

डा० कृपासिन्धु भोई : यह संक्षेप में ही है, महोदय । वर्तमान स्थिति में शासी निकाय ने गलती की है और उसका भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने वाला निर्णय गैरकानूनी है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मौलिक चरित्र को बनाये रखने के खातिर शासी निकाय को किसी भी ऐसे निर्णय लेने में परहेज बरतना चाहिए जिससे उस अधिनियम का मौलिक चरित्र क्षीण होता हो । देश-विदेश के नयी प्रतिभाओं और उत्कृष्ट डाक्टरों को आकर्षित करने के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में खुले चयन का विशेष प्रावधान रखा गया है । उस संस्थान के संकाय को विश्व के अन्य स्थानों के समकक्ष बनाये रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । खुले चयन के माध्यम से उसकी सेवा में आये लोग अपने साथ नये और ताजे विचार लेकर आयेंगे ।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि प्रधान मंत्री के लिये सबसे अच्छा समय है । शासी निकाय के एक सदस्य यहां उपस्थित है । शासी निकाय के एक सदस्य, श्री राम विलास पासवान, उक्त बैठक में अनुपस्थित थे । अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रधान मंत्री और सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का यह सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि शासी-निकाय ने एक गैर-कानूनी कार्य किया है जिससे पूरी संस्था की छवि धूमिल

हुई है जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित घोरे समिति के माध्यम से की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए ।

डा० कृपासिन्धु भोई : शासी निकाय बहुत सारे कार्य कानूनी रूप से नहीं कर रही है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार किये जाने चाहिए । जैसे कि चयन समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नाम रद्द नहीं किये जाने चाहिए थे । शासी निकाय को अपना निर्णय वापस लेने को निर्देश दिये जाने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम वित्त विधेयक पर बहस करने जा रहे हैं और संभवत: उसे आज ही समाप्त भी करना होगा । क्या माननीय सदस्य बहुत सारे प्रश्न न पूछकर इस कार्य में सहयोग करेंगे ? मैं एक या दो को अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे तो अपनी बात पूरी कर लेने दें । अब माननीय मानव संसाधन मंत्री ने मुझे एक बयान दिया है । वह जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थिति पर एक बयान देना चाहते हैं । मैं उन्हें इसकी अनुमति दे रहा हूं और एक या दो अन्य सदस्यों को दूसरे मुद्दों पर अनुमति दूंगा, इसी मुद्दे पर नहीं ।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है । माननीय उद्योग मंत्री यहां उपस्थित हैं । पूर्व में हमने उनसे मारूति उद्योग लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो दबाव डाल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : हमें उसके परिणाम के बारे में पता नहीं चल पाया है । यह मामला सरकार के पास लम्बित पड़ा है । माननीय मंत्री उपस्थित हैं और उन्हें सदन को इस मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग एक-दूसरे के निकट बैठे हैं । आप उनसे कह सकते हैं ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आपकी अनुमति से मैं इस गरिमामयी सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने डीन और विभागाध्यक्षों की बैठक में विश्वविद्यालय को आज से अर्थात 6 मई 1992 से पुन: खोले जाने के अपने निर्णय की घोषणा की है । उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है । आपकी अनुमति से मैं उसे यहां पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इससे कई बातों का समाधान होगा । यह उनका वक्तव्य है ।

पिछले कुछ दिनों, जामिया परिवार में उथल-पुथल की स्थिति रही है । मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि शिक्षा जगत की नजरों में जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रतिष्ठा कम करने के प्रयास किये गये । इसके लिये जो भी उत्तरदायी हैं, उन्होंने भावना को भुनाने और उसे भड़काने की कोशिश

की है । मैं उन्हें जिनमें हमारे कुछ छात्र भी शामिल हैं, दोष नहीं देता क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वे प्रो० मुशीरूल हसन की किसी टिप्पणी से उत्तेजित हो गये थे । अब जबकि, प्रो० मुशीरूल हसन ने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, और उनके द्वारा इसके लिये अफसोस जाहिर कर देने और लोगों के आहत भावनाओं को महसूस करने के बाद उस मामले को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था । कुछ लोगों के द्वारा की जानेवाली कुछ भयानक घटनाओं की आशंका से ग्रासित होकर मुझे विश्वविद्यालय बंद करना पड़ा । इसे लगातार बन्द रखने से उन लोगों के अलावा जो यह नहीं चाहते कि यह शैक्षणिक उत्कृष्टता की उँचाई प्राप्त करे जो कि इसकी अपनी उपलब्धि होगी, किसी का भी हित नहीं सधेगा । बड़ी संख्या में चिन्तित छात्र और उनके माता-पिता विश्वविद्यालय को फिर खुलवाने के लिये हमारे पास आते रहे हैं । उन्हें लगता है कि इसके खासकर शैक्षणिक सत्र के इस नाजुक क्षण में लगातार बन्द रहने से हमारे छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ और उनकी इच्छाओं की कद्र करते हुए हमने विश्वविद्यालय को 6 मई 1992 से पुनः खोलने का निर्णय किया है ।

बीती बातों को भूल जाना चाहिए । मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी के प्रति कोई द्वेष या वैर या बदले की भावना नहीं है । हम इस परिसर में शैक्षणिक मानदण्डों और मूल्यों का सुचारू रूप से अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं । अगर कोई इसमें विघ्न डालता है तो यह उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी । परीक्षाओं की नयी तिथियां शीघ्र ही घोषित कर दी जायेंगी ।

महोदय, मुझे इसमें यह भी कहने की अनुमति दी जाये कि यह स्थिति जो बनी है कम से कम इसमें अनेकों माननीय सदस्यों द्वारा उस विश्वविद्यालय के हित में इस सदन और सदन के बाहर व्यक्त की गई चिन्ता और उनके द्वारा दिये गये सहयोग का बड़ा ही योगदान है । उन लोगों की चिन्ता रही है कि देश की सर्वोत्तम संस्थाओं में से एक यह संस्था जिसकी स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के नाजुक दौरे में की गई थी, वह अपनी पहचान को कायम रख सके और कहीं अधिक अच्छे ढंग से अपना विकास कर सके । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि उठाये गये इन कदमों से छात्रों को परिसर वापस आना चाहिए और आशा है कि वे परीक्षाओं में शामिल होंगे । यही इस क्षण की मांग है ।

अध्यक्ष महोदय : विदेश राज्य मंत्री ने मुझे लिखा है कि अगर जरूरी होगा तो वह कुवैती राजनयिकों पर हुई गोली-बारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब देंगे ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देशानुसार चलूँगा । यह मैं आप पर छोड़ता हूँ । मूलतः सुरक्षा का मामला विदेश मंत्रालय से संबंधित न होकर गृह मंत्री से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपकी लिखी पर्ची मौजूद है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यही कारण है मैं तो आपातकालीन सूचना दे रहा हूँ । चूँकि माननीय सदस्य मुझसे इस विषय पर आज कुछ कहलवाना चाह रहे थे । पहले भी एक दिन श्री वाजपेयी इस मामले का उल्लेख कर चुके थे । मैं इस सम्बन्ध में जो भी कह सकता हूँ, वह कहूँगा .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहे तो बाद में जोड़ सकते हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : 5 मई की 14.30 म० प० बजे सरोजनीनगर के निकट ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग पर गुजर रही कुवैती दूतावास की कार जिसका नम्बर 43-E सी डी-2 था और जिसमें कुवैत दूतावास

के सी० डी० ए० और मिस्र दूतावास के सलाहकार सवार थे, पर लाल यामहा मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई थी । कार की बाँईं तरफ दो गोलियां लगीं । उसके बाद मोटरसाइकिल सवार भाग गये । कुवैती दूतावास की कार फिर दूतावास पहुँची और उसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई ।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दूतावास पहुँचे और सी० डी० ए० से विस्तृत जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की । रोड ब्लॉक्स लगाए गये, मोबाइल गाड़ियों की उस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गयी और दिल्ली के सारे पुलिस यूनिटों में उस मोटर साईकिल और उसके सवारों के हुलिया से सम्बन्धित जानकारी वितरित करवा दी गई । फिर मोटर साइकिलों पर सात पुलिस पार्टी और मारूति जिप्सी में पुलिस की तीन यूनिटों को उस क्षेत्र के लिये रवाना किया गया । बाद में संदिग्धों को पकड़ने और उनसे पूछताछ करने के लिये सारे दिल्ली में छापे मारे गये । इस मामले की जाँच की खातिर एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है ।

पिछले साल से कुवैती दूतावास के द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति खतरे की आशंका व्यक्त की जा रही है । इन खतरों की ओर गृह मंत्रालय और सुरक्षा प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है । इसके परिणामस्वरूप कुवैती दूतावास और वहाँ के राजदूत के निवास पर गार्ड की तैनाती कर दी गयी है और कुवैत के अन्य राजनयिकों के निवासों को मोबाइल पेट्रोलिंग (भ्रमणकारी चौकसी) के अन्दर रखा गया है । वसन्त विहार में एक कुवैती कार पर पथराव की जो घटना हुई है, इसके बाद 10 अप्रैल 1990 से वहां पर गश्त-कार्य और अधिक तेज कर दिया गया है । वसन्त विहार में, जहां पर अधिकांश राजदूत रहते हैं, चैक-प्वाइंट भी बनाये गये हैं और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की और वाहनों की तलाशी ली जाती है ।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, भारत हमेशा से रंग-भेद के खिलाफ रहा है और यह दुख की बात है कि अमरीका में पिछले कई दिनों से काले लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए सदन का चिन्तित होना स्वाभाविक है ।

तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है और दक्षिण अफ्रीका में जब-जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हमने हमेशा अपना फर्ज निभाया है । इसलिए हम चाहेंगे कि यहां से, इस सदन से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि अमरीका में जो काले लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वह ठीक नहीं हैं । भारत आज भी रंग-भेद की नीति के खिलाफ है और इस प्रकार से सताये जाने वाले लोगों के साथ है ।

अध्यक्ष महोदय, हम रिकार्ड पर लाना चाहते हैं कि इस प्रकार का एक संदेश वहां जाना चाहिए । यदि हम इस समय लोक सभा में संसद के नाते चुप रहेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे । यही मेरा अनुरोध है ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने कल इसके बारे में सूचना दी थी । क्या आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

हम सभी जानते हैं कि हम तब तक किसी देश की आन्तरिक स्थिति पर चर्चा नहीं करते जबतक कि कोई ऐसी स्थिति न हो जाये जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की है । आज अमरीका में भी, जोकि पूरे

विश्व में मानव अधिकारों की बात करता है, रंगभेद जैसी ही स्थिति बनी हुई है । यदि आप श्यामवर्ण के हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है । इस सभा को सर्वसम्मति से इसका विरोध करना चाहिये । ऐसी स्थिति की कैसी कल्पना की जा सकती है जहां पर न्यायपालिका भी रंगभेदी विचारधारा से प्रभावित हो । कुछ श्वेत-वर्ण के लोगों द्वारा एक श्याम-वर्ण के व्यक्ति को पीटा गया और पीटने की इस घटना को पूरे अमरीका में दूरदर्शन पर दिखाया गया । और चूंकि जिस व्यक्ति को क्रूरता से मारा गया, वह श्याम-वर्ण का था, एक विशेष न्यायपीठ में, जिसमें श्वेत-वर्ण के न्यायाधीश नियुक्त थे, उन श्वेत पुलिसकर्मियों को कोई भी दण्ड नहीं दिया । भारत को इस बात की भर्त्सना करनी चाहिये क्योंकि भारतीयों को भी श्याम-वर्णीय समझा जाता है । उन्हें श्वेत-वर्णीय नहीं माना जाता । हमें अपने उन भारतीयों के बारे में चिंता व्यक्त करनी चाहिये जोकि लॉस एंजेलिस और न्यूयार्क जैसे उन बहुत से शहरों में रहते हैं जहां ऐसे दंगे फैल रहे हैं । इसलिए मैं श्री पासवान जी के इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हूं कि इस सभा में एक ऐसा सर्वसम्मत संकल्प पारित किया जाना चाहिये जिसमें अमरीका में होने वाले ऐसे कुकार्यों की भर्त्सना की जाये । हमें यह भी पता लगाना चाहिये कि अमरीका में रहने वाले भारतीय कुशलपूर्वक तो हैं ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, रंगभेद के आधार पर इस प्रकार के दंगे हो जिनके बारे में कहा जाता है कि अमरीका में 75 सालों में ऐसे दंगे नहीं हुए । यह बहुत गंभीर बात है और इसके बारे में मेरे साथियों ने जो चिन्ता प्रकट की है, रोष प्रकट किया है और निन्दा की है, मैं भी अपने को उसमें सहभागी करता हूं । लेकिन सरकार से जानना चाहता हूं कि उन दंगों में भारतीय मूल के कितने नागरिक प्रभावित हैं । लॉस एंजेलिस में भी न्यूयार्क में भी, दोनों शहरों में काफी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं । यह सही है कि उनमें से अधिकांश खासकर लॉस एंजलिस में सबरबस में हैं और ये दंगे मुख्य रूप से शहर के बीच में हुए हैं । लेकिन मेरी जानकारी में कुछ दुकानें जरूर लूटी गई हैं, जलाई गई हैं । इस बारे में तथ्य क्या हैं, तथ्यों की जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा । हमको आश्वस्ति होगी कि हमारे भारतीय वहां पर सुरक्षित हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर उत्तर देने के लिये तैयार हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं एक मिनट में ही कागज-पत्र लाकर इसका उत्तर देता हूं ।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय पासवान, आडवाणी जी और श्री चटर्जी के साथ सहमत हूं क्योंकि भारत ने हमेशा रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया है । आप जानते हैं इंदिरा जी, राजीव गांधी और पंडित जी से लेकर.....(**व्यवधान**) आप पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिए, पहले क्यों बोलते हैं । जिन लोगों ने इस देश की सरकार का नेतृत्व किया है, हमेशा रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया है । जब हम आजाद नहीं हुए थे तब से लेकर कांग्रेस पार्टी की उन महान हस्तियों ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया है । आज चिन्ता की बात है । .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद फाईनेंस बिल भी है । क्या आप उस पर बोलना नहीं चाहते ?

श्री मनोरंजन भक्त : अमरीका जैसा देश, जो दुनिया के सामने बहुत सभ्यता की बात करता है, आज उनके देश में, उन्होंने ही बताया कि 75 सालों में इस प्रकार के रंगभेद के दंगे नहीं हुए । यह बहुत लज्जा की बात है । इसकी इस सदन में सर्वसम्मति से चिन्ता व्यक्त होनी चाहिए, और उन लोगों के साथ सहमत होना चाहिये जिससे कि.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : दूसरे शब्दों में अपने यहां होता है तो उसके बारे में रेजोल्यूशन पास नहीं होता है ।

श्री मनोरंजन भक्त : यह जो दंगा हुआ है, उसके ऊपर चिन्ता व्यक्त होनी चाहिये और उसकी निन्दा करनी चाहिये, यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, 3-4 दिनों से इस घटना की जो चर्चा हुई है, उसको हमने दूरदर्शन पर भी देखा और उसको देखने के बाद हमारा दिल व्याकुल हो गया । इस पर एक प्रस्ताव जाना चाहिये और चिन्ता व्यक्त होनी चाहिये । वहां काले और गोरे लोगों के बीच लड़ाई है । वहां मानवता के खिलाफ अत्याचार हो रहा है । इस कारण इसकी भर्त्सना करनी चाहिये ।

श्री गुमाल मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के 75 हजार कर्मचारियों की 30 मार्च को सारे भारत में इसलिये हड़ताल होने वाली थी कि रेहड़ी एवार्ड जो कि नेशनल एवार्ड है, उसको लागू नहीं किया गया, एरियर्स का पेमेंट नहीं किया गया और गुप्ता कमेटी की सिफारिशों को इम्पलीमेंट नहीं किया गया । उस समय माननीय फाइनान्स मिनिस्टर की सलाह पर उस हड़ताल को पोस्टपौंड कर दिया गया, लेकिन उसके पश्चात अब तक ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक के निर्माण हेतु कोई कार्रवाई अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुई । अब 9 तारीख को उन्होंने एक बैठक बुलायी है जिस में केवल एडिशनल सेक्रेटरी उस बैठक को सम्बोधित करेंगे । मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि उसमें वित्त मंत्री स्वयं आयें और अखिल भारतीय स्तर पर उस ग्रामीण बैंक का निर्माण किया जाय, रेहड़ी एवार्ड जो कि एक नेशनल एवार्ड है, उसको इम्पलीमेंट किया जाये, एरियर्स का पेमेन्ट करवाया जाये और गुप्ता कमेटी की जितने रिकमंडेशन्स हैं, उनको इम्पलीमेंट किया जाये ताकि बैंक कर्मचारियों में असन्तोष समाप्त होकर शांति स्थापित हो सके अन्यथा आने वाले समय में फिर अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल होगी, आन्दोलन होगा । 8 महीने जो उनका जो आन्दोलन चल रहा है, उसके भी उग्र रूप लेने की सम्भावना बन जायेगी । मेरा निवेदन है कि फाइनान्स मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से कृपया 9 तारीख की बैठक में जाकर इस समस्या का समाधान करायें ।

*श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) : माननीय राष्ट्रपति जी ने हाल ही में अर्कोनिम एयर बेस स्टेशन का उद्घाटन किया था । यह एयर बेस स्टेशन वहां के किसानों से अधिग्रहीत की गई भूमि पर स्थापित किया गया है । जब एयर नेवल बेस स्टेशन के निर्माणार्थ भी किसानों से भूमि अधिग्रहीत की गई थी, तो तत्कालीन रक्षामंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि विस्थापित किसानों के बच्चों को प्रस्तावित बेस स्टेशन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे । यह आश्वासन इस सभा के बीच 5 वर्ष पहले दिया गया था ।

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

इस माननीय सदन में वायदा करने के बाद भी किसी भी विस्थापित किसानों के बच्चों को रोजगार नहीं मिला है । बहुत से ऐसे नवयुवक आज भी उस वायदे के पूरा किया जाने और एयर बेस स्टेशन में रोजगार पाने की इंतजार में है, जबकि वे रोजगार प्राप्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भी पार कर चुके हैं । वहां के स्थानीय रोजगार कार्यालय ने एयर बेस स्टेशन में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए बदनसीब किसानों के उत्तराधिकारियों के नाम इसी कारण से भेजने के लिए मना कर दिया है ।

एक ओर तो उन लोगों को रोजगार देने से मना किया जा रहा है जिन्होंने अपनी कृषि योग्य भूमि दे रखी है, दूसरी ओर बाहर के लोगों को अर्कोनिम एयर बेस स्टेशन में रोजगार दिया जा रहा है । इस वजह से वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है । स्थानीय लोग अनशन जैसे अहिंसक आंदोलन करने लगे हैं । यदि सरकार तत्काल इस में हस्तक्षेप नहीं करती, तो इससे बड़े पैमाने पर आंदोलन हो सकता है । अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए वहां के स्थानीय रोजगार कार्यालय तथा एयर बेस स्टेशन के अधिकारियों दोनों को ही उचित अनुदेश जारी किये जायें कि एयर बेस स्थल के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के बच्चों के मामले में आयु सीमा में छूट दी जाये ।

एयर बेस स्टेशन के उद्घाटन को दो माह बीत चले हैं, लेकिन अभी तक भी वहां के विस्थापित किसानों की जरूरतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

इस एयर बेस स्टेशन का शिलान्यास हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था । भारत के राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है । अत: यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि उन स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिये जिन्होंने राष्ट्रीय हित के लिये अपनी भूमि अर्पित की है ।

मैं केन्द्र सरकार और रक्षा मंत्रालय दोनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान कर इस समस्या का निवारण किया जाये ।

श्री जी० एन० रेड्डी (मिरयालगुड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय 26 अप्रैल को रविवार के दिन तीन कामकाजी महिलाओं (जिनमें से एक तो केवल 14 वर्षीय अविवाहित लड़की ही थी) के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, उन्हें बर्बरतापूर्ण मार डाला गया और आन्ध्र प्रदेश के जिला पराकसम में चीमाकुर्ती स्थान के निकट एक ग्रेनाइट खान में तालाब में फैंक दिया गया था । उनमें से एक लड़की का नाम कुमारी बट्टुला इसामा है और अन्य दो लड़कियों के नाम कुमारी रावेरी अजामा, आयु 25 वर्ष और कुमारी बूरूगा रामूलाम्मना, आयु 35 वर्ष हैं । ये सभी लड़कियां एक ही परिवार से संबंधित है और पिछले पन्द्रह दिनों से खान में काम कर रही थी । कुछेक स्थल सदस्यों और ड्राइवरों ने उनसे छेड़छाड़ करने का षडयन्त्र रचा और रविवार के दिन उन्हें काम पर बुलाने की योजना बनायी । जब उन्होंने रविवार को काम पर आने से इंकार किया तो उन्हे 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देने का लालच देकर वे लोग रविवार को इन लड़कियों को काम पर बुलाने में सफल हो गये । जब ये लड़कियां काम पर आयी, तो पूरा का पूरा समूह उन पर झपट पड़ा और उन्हें एक तरफ घसीट कर ले गये और वहां उनके साथ बलात्कार किया गया । जब उनको इस बात का डर हो गया कि उनकी शिकार हुई ये लड़कियां इस आपराधिक जुर्म का पर्दाफाश कर सकती हैं, तो उन्होंने उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार डाला और फिर वे इनके शवों को तालाब में फैंककर भाग गये । इन ग्रेनाइट कंपनियों के नाम हैं मैसर्स ओरियन्टल तथा मैसर्स स्वाथी ग्रेनाइटीज ।

यह आपराधिक जुर्म एक चौकीदार तथा कुछ एक अन्य मजदूरों की सेवा सहायता लेकर किया गया था जोकि इन कर्मचारियों को शराब तथा कुछ रिश्वत आदि का लालच देकर किया गया । इसके सबूत को नष्ट करने के लिए उन्होंने उन सभी वृक्षों और झोपड़ियों को जला डाला जहां यह जुर्म किया गया था ।

चूंकि कुछ भीड़ वहां पर जमा होने लगी थी, तो पुलिस ने, जिसने कि दोषियों के विरूद्ध कोई भी कारवाही नहीं की, भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में कुछ गोलियां चलाईं । वहां पर तत्काल ही यह अफवाह फैला दी गई कि दुर्घटनावश महिलायें तालाब में गिर गई है और उनकी मृत्यु हो गई है । तालाब की गहराई केवल तीन फीट ही थी, और यह सुनकर हैरानी होती है कि कोई इतनी कम गहराई में डूबकर कैसे मर सकता है । स्पष्टतः, ग्रेनाइट कंपनी के मालिक जोकि इस मामले को दबाने की कोशिश में थे, वे इस अपराध पर पर्दा डालने के लिये और बचने के चक्कर में सरकारी तंत्र तथा पुलिस के पास चक्कर काटने लगे ।

मुद्दुकृष्णा नायडू जैसे तेलगु देशम पार्टी के नेता और श्री तवनम चेन्निहै जैसे जिले के कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सवादी) के नेता तथा आन्ध्र प्रदेश महिला संगम के राज्य सचिव ने घटना स्थल का दौरा किया । हजारों लोगों, विशेषकर महिलाओं, ने विरोध प्रदर्शन किया और फरार अपराधियों के विरूद्ध तत्काल कारवाही करने की मांग की ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इस सदन में पांच दिन पहले भी उठाया गया था । मामला बहुत गम्भीर है और मैंने उस दिन भी कहा था, तीन हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको मार दिया है तथा कुंवे में फैंक दिया गया है । लाश रिकवर हुई है । मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि फैक्ट्स इकट्ठे करके सदन के सामने रखने का काम करेंगे । प्रत्येक चीज़ का जवाब दिया जाता है कि फैक्ट्स को लेकर सदन के सामने रखने का काम करेंगे और अभी तक रखा नहीं गया है । हमने उस दिन भी कहा था, हम लोगों के लिए धीरे-धीरे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब संसद का यह अधिवेशन समाप्त हो जाएगा, तब सरकार फैक्ट्स को संसद में रखने का काम करेगी ? या तो मंत्री जी कहें नहीं, कि फैक्ट्स को रखेंगे और कहा है तो उनको रखना चाहिए । अभी माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, यह मामला सदन में पांच दिन पहले उठ चुका है । इससे सदन का समय जाया होता है । गम्भीर मामला है । मैं पूछता हूं, क्या गरीब का जीवन, जीवन नहीं है और उसकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है ? . . . **(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, इनको कहिए कि आज ही स्टेटमेंट दें । उन्होंने सदन से पहले वायदा किया हुआ है । आप इनको निर्देश दें, आखिर सदन के सामने तो आए कि वास्तविकता क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कर रही है । इस संबंध में वे कुछ तो कहें । आपसे, अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप उनको निर्देश दें । . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैंने इस्पात मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दे रखी है । इस सूचना का क्या हुआ ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे (विजयवाड़ा) : महोदय, ग्रेनाइट कंपनियों के मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों के साथ संबंध हैं । वे इस अपराध से बचने की कोशिश में लगे हैं । वे यह कहकर इस जुर्मसे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब दुर्घटनावश हुआ है । यह मामला बार-बार इस सभा के ध्यान में लाया जाता रहा है लेकिन मंत्री जी ने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, मैंने इस्पात मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दे रखी है । इस सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : हमें अपने कन्स्युलेट जनरल से एक फैक्टस संदेश मिला है । लॉस एंजेलिस में स्थिति नियंत्रण में आ गयी है ।

जहां तक हमारे नागरिकों का संबंध है हम बुधवार, दिनांक 29 अप्रैल, 1992 से, जबसे ये दंगे फैले हैं, लॉस एंजेलिस में भारत-अमरीकी संघों के फेडरेशन और भारत-अमरीकी राजनैतिक संघों के साथ निरंतर संपर्क बनाये हुए हैं । भारत-अमरीकी समुदाय, कुल मिलाकर, को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ।

हमें पता है कि पीको/फेअरफेक्स के इलाके में तीन भारतीय भण्डारों में आगजनी की घटना हुई है और हजलथुड क्षेत्र में एल०ए० इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के समीप लगभग दस भण्डारों में लूटने की घटना घटी है । लेकिन जिन इलाकों में अधिसंख्यक भारतीय रहते हैं, जिसमें ग्लेंडिशिया भी शामिल है, वहां पर क्षति की घटनायें नहीं हुई हैं । भारतीयों के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री लाला कृष्णा आडवाणी : अध्यक्ष जी, अभी जो यह बात उठी थी, आन्ध्र का इस मामले में बहुत ही खराब रिकार्ड रहा है । अनुसूचित जातियों के ऊपर अत्याचार की घटना और इस प्रकार की गंभीर घटना जिसमें तीन महिलाओं का बलात्कार हो और उसके बाद हत्या हो जाए और उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं । सरकार की ओर से उसके बारे में सदन को जानकारी देने की भी कोई इच्छा नहीं, यह स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि इस विषय को अनेक बार हमने यहां पर उठाया, चर्चा हुई लेकिन आन्ध्र के विषय में एक बार पहले भी भयंकर घटना हुई थी और आज यह घटना सुन करके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं । मैं चाहूंगा कि तथ्यों का पता लगा कर सदन को इस बारे में जानकारी दी जाए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, आज सदन में दो मामले उठे हैं और जिनके बारे में विदेश राज्य मंत्री ने तत्काल बयान दिया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं लेकिन और मंत्री ऐसा व्यवहार क्यों नही कर रहे हैं ? **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, आप भी कांम्प्लीमेंट करिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । मैं भी उनको बधाई देने में आपके साथ हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और उत्तर न देने के लिये दूसरों की भर्त्सना करने के मामलों में ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में मुझे अपने विवेक से निर्णय लेना होगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अभी हम लोगों ने कंडम किया है । (**व्यवधान**) क्या उससे गंभीर स्थिति हमारे देश में नहीं है उससे ज्यादा गंभीर स्थिति हमारे देश में चल रही है कि जहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं । (**व्यवधान**) चुंदूर में इतने लोगों की हत्या हुई लेकिन सब लोगों को छोड़ दिया गया । जहां बलात्कार हुआ, हत्या हुई वहां सब लोगों को छोड़ दिया गया और वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि लीडर आफ दी अपोजिशन ने आपके माध्यम से एक प्रार्थना की है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप बार-बार मेरे ऊपर यह मामला छोड़ देते है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपके ऊपर कोई चीज नहीं उठाता हूं, मैं आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहा हूं मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि विरोधी दल के नेता आपके माध्यम से एक प्रार्थना करें (**व्यवधान**) और मिनिस्टर ऐसे ही बैठे रहें तो आप कोई निर्देश भी नहीं देंगे । पांच दिन पहले यह मामला उठा है आप कई बार कह देते हैं कि यह अनलिस्टीड मामला है, यह अनलिस्टीड गंभीर मामला पांच दिन पहले सदन के नोटिस में आ गया, तीन महिलाएं अनुसूचित जाति की रेप कर ली गई ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सरकार और आपके बीच है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मामला सरकार और हमारे बीच नहीं है । कम से कम सरकार को तो यह कहना ही चाहिये कि साहब, ठीक है हम इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे, हम जानकारी हासिल कर रहे है, यह क्या बात है ? क्या ये मिनिस्टर ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे ? आखिर इतने गंभीर मामले के ऊपर क्या होगा ? (**व्यवधान**) यह सदन इनसेंसटिव हो जाएगा ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप गलत जगह पर निशाना मार रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूं । आपको निशाना बनाने वालों में, मैं सबसे अंतिम व्यक्ति हूंगा । मैं कभी भी आपको निशाना नहीं बनाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि मंत्री जी सूचना एकत्रित कर सभा में प्रस्तुत करेंगे ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैंने उस दिन भी कहा था कि यह मामला गृह मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है; और हम मुख्य मंत्री के साथ भी इस मामले को उठायेंगे । यह बात मैंने

पहले भी आपको बतायी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब आप इस मामले को इस सभा में उठाये जाने की अनुमति ही दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप ही इसके लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी अनुमति से ही यह मामला उठाया गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार यह कहा है कि जिन मामलों की पुलिस और राज्य सरकार द्वारा जांच की जानी होती है, उन्हें इस सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये । और अगर आप इन मामलों को उठा ही रहे हैं, तब हम आपसे यह आशा करते हैं कि उन पर उचित विचार किया जाना चाहिये । बस यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति का मामला हमेशा डिसकस हुआ है, यह एक मामला थोड़ा ही है । (व्यवधान) बाबासाहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई और कहा गया कि हम जवाब देंगे लेकिन जवाब नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठ जाएं ।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, सरकार अत्याचार के मामले को बहुत हलके ढंग से ले रही है, गम्भीरता से नहीं ले रही है । इसलिए इस तरह के अत्याचार के केसिज बहुत बढ़ रहे हैं । अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने संरक्षण दे दिया । इसी वजह से सारा मामला बिगड़ जाता है । हम जो कह रहे हैं उसको आप समझ नहीं रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं । इससे क्या निकलता है । मैंने आलरेडी कह दिया है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अधिकतर मामलों के बारे में कोई उत्तर ही नहीं मिलता । और जब कभी कोई उत्तर मिलता भी है तो श्री कुमार मंगलम जी कहते हैं कि वह लौटकर इसका उत्तर देंगे । परन्तु वह खाली हाथ लौटते हैं । तब केबिनेट मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद केवल एक वाहक का कार्य करते है । यहां पर वाहक-संस्कृति विकसित हो गई है । ये लोग हमेशा कुछ न कुछ चीज लिये रखते है । लेकिन कोई भी चीज वापिस नहीं लौटती । कोई सूचना नहीं दी जाती । जब ऐसे महत्वपूर्ण मामले यहां पर उठाये जाते हैं, तो इस तरह की घटनायें ही होती रहती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिये । यदि आप लोग कोई प्रश्न पूछते

है तो इसके लिए आप लोग इस सभा को अनुमानित 20 दिन और सरकार को 10 दिन की अग्रिम सूचना देते हैं। लेकिन यहां पर तो तत्काल कोई न कोई मामला उठाया जा रहा है।

आइए हम अपनी नियमित प्रक्रिया अपनायें, मैं उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, जिस पर कि इस अवधि के दौरान चर्चा की जानी चाहिए और इस समय का उपयोग इस बात की चर्चा करने में करें कि सदन के सामने कौनसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए और कौनसे मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिएं। कोई नियम होना चाहिए, कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। बिना किन्हीं नियमों तथा बिना किसी प्रक्रिया के हम हर एक से कार्य करने की उम्मीद कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह संसद है। यह कोई निष्क्रिय संस्था नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इस सभा का बहुत सम्मान करते हैं। हम हमेशा उत्तर देते हैं। यदि 20 से 30 अथवा 40 प्रश्न भी प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उनका उत्तर देना मानवीय तौर पर असम्भव है। मैंने कहा है कि यह सभा सर्वोच्च है। हम संसद के सभी सदस्यों का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन यह मानवोचित नहीं है कि शून्यकाल में 40 माननीय सदस्य 40 प्रश्न पूछे और अगले ही दिन उसका जवाब चाहें। सरकार ने केवल शून्यकाल के लिए ही कार्य नहीं करना। उसे और भी कार्य करना है। मुझे उम्मीद है कि यहां अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं (व्यवधान) जहां तक इस तरह की घटनाओं का संबंध है एक मुद्दा उठाया गया था और मैंने यहां कहा था कि मैं उन्हें गृह मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्रियों के ध्यान में लाऊंगा। अतः आपको हमें कुछ समय देना होगा। सदस्य प्रतिदिन कुछ मुद्दे उठाते हैं और अगले दिन पूछते हैं कि क्या किया गया है। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार को केवल शून्यकाल के लिए कार्य करना है। सरकार को कुछ अन्य कार्य भी करने दें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.53 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्द तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1921/92]

वार्षिक योजना, 1991-92

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1922/92]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): श्रीमती पारेट अल्वा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1992, जो 22 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 68 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1992, जो 22 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 69 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1992, जो 7 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 105 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1992, जो 7 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 106 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1992, जो 7 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 107 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1992, जो 7 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 108 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1923/92]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (श्रेणी "ख" और "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992, जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 367(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1924/92]

(3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1925/92]

(5) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथा खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथा खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1926/92]

(7) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1927/92]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1928/92]

(11) (एक) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1929/92]

(13) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्या 11)—(वाणिज्यिक) सीएमसी लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1930/92]

हैदराबाद में लाइट रेल परिवहन व्यवस्था के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2049 के 4 दिसम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा उत्तर को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) हैदराबाद में लाइट रेल परिवहन व्यवस्था के बारे में श्री बी० धर्मलिंगम, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2049 के 4 दिसम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1931/92]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): प्रो० पी० जे० कुरियन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1932/92]

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1991-92 में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 120(अ) जो 24 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अन्तर्गत आयुक्त, अपर आयुक्त, उपायुक्त तथा आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों को सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को प्रयोग करने का प्राधिकार दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 9 की उप धारा (3) के अन्तर्गत भोपाल गैस विभीषिका (दावा रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही) संशोधन योजना जो 5 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 310(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1933/92]

(3) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 में हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1934/92]

काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी नई दिल्ली

के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 1935/92]

एण्ड्रयूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग तथा भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौते ज्ञापन

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) एन्ड्रयूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 में हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1936/92]

(2) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 में हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 1937/92]

(3) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1938/92]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) पहला संशोधन नियम, 1992 जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 368(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1939/92]

कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखें ।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1940/92]

1.00 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री प्रबीन डेका (मंगलदाई) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

1.01½ म० प०

कृषि समिति

दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : मैं कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संबंध में कृषि समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

1.01 म० प०

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को सक्रिय बनाने हेतु 'कर्मचारी योजना' के बारे में याचिका

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को पुनरूज्जीवित करने के लिए "कर्मचारी योजना" के बारे में श्री आई० एस० झा, संयोजक, एन० पी० सी० सी० कर्मचारी संयुक्त मंच तथा एन० पी० सी० सी० लिमिटेड के अन्य कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

1.02 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आग की घटनाओं से प्रभावित निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समान योजना बनाने की आवश्यकता

डा० विश्वनाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम) : आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास एक मूल आवश्यकता है । बहुत पुराने कच्चे आवास और झुग्गियां उस समय एक समस्या खड़ी कर देती है जब आग जैसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती हैं । धनाढ्य लोगों के लिए यह नुकसान बहुत कम प्रतीत हो सकता है परन्तु गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए यह हमेशा ही एक बड़ा भारी नुकसान होता है ।

एक पूर्ण रूप से जले हुए घर को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन सहायता के रूप में 1,500 रुपए की राशि घरेलू सामान खरीदने के लिए बहुत कम है और उनमें रहने वाले लोग वर्षा और गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं । समाज कल्याण के उपायों पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं जो कि अधिक समय तक चलने वाले नहीं हैं । अल्पावधि लाभकारी कार्यों पर पूरी राशि व्यय करने की बजाय मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को एक समान योजना के अन्तर्गत पूरे देश को इसके अन्तर्गत लाने के लिए कुछ राशि इस कार्य के लिए निर्धारित करनी चाहिए ताकि सभी समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के घरों के जल जाने के मामले में बीमा के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों की आवासीय कालनियों के लोगों को आम तौर पर दी जा रही सहायता राशि के समान पर्याप्त सहायता राशि दी जा सके ।

इस वर्ष आंध्र प्रदेश में श्रीरकाकुलम में मछुआरों के दो गांव कापासुगुडडू और वनतुरू आग से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे । अभी तक उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है । अपने अपने घरों को घासफूस और ताड के पत्तों से भी नहीं ढक सके क्योंकि इनकी किमतें बढ गई है । अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन गांवों के पीड़ितों को अतिआवश्यक सहायता, ऋण या राजसहायता के रूप में दे जिससे वे लोग अपने घरों की छतों के लिए अग्निरोधी छत सामग्री खरीद सकें ।

(दो) आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के आरोग्यग्राम चिकित्सा केंद्र को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप रेड्डी (राजमपेट) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मदनपल्ली में 340 बिस्तरों वाले आरोग्यग्राम

चिकित्सा केंद्र, जिसे पहले यूनियन मिशन टूबरक्युलोसिस सेनेटोरियम के नाम से जाना जाता था, को 1915 में खोलने की घोषणा की गई थी ।

इसने क्षयरोग के रोगियों की देखभाल, उनके उपचार, उनमे पुनर्वास और इस रोग पर अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित की तथा इससे बहुत से विशेषज्ञ तैयार होकर आए । क्षयरोग और छाती की बीमारियों के बारे में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत में यह पहला संस्थान था, इसने भारत मे बी सी जी टीकाकरण में भी मुख्य भूमिका निभाई, तपेदिक के अलावा यहां पर टापिकल कॉसिनोपिलिन का सबसे पहले यही पर पता लगाया गया था तथा इसका विस्तार से वर्णन किया गया, यहां पर अन्य चिकित्सा सुविधाएं जैसे सामान्य औषधियां, शल्यचिकित्सा, स्त्रीरोग एवं प्रसुति, बाल चिकित्सा, नेत्र संबंधी चिकलागता और सामुदायिक उन्मुख चिकित्सा देखरेख और परिवार नियोजन आदि भी उपलब्ध हैं । इस चिकित्सालय ने अनेक विशेष कार्यक्रम भी चलाए हैं ।

वित्तीय घाटे के कारण यह संस्थान अब बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है । सरकार प्रति रोगी की खुराक के लिए 7 रुपए प्रति दिन के हिसाब से तथा 4,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति रोगी के हिसाब से दवाइयों, नर्सिंग और स्टाफ खर्चों के लिए धन दे रही है ।

इस क्षेत्र में अनेक तरह के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक पूर्ण सामान्य अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ।

मैं केंद्रीय सरकार से इस अस्पताल के लिए एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर करने का अनुरोध करता हूं ।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

कुमारी पद्मश्री कुहुमुला (नेल्लोर) : महोदय, नेल्लोर जिला धान और अन्य वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए प्रसिद्ध है । नेल्लोर शहर मध्य में स्थित है । यह ग्रामीण आबादी से जुड़ा हुआ है और यह एक व्यवसायिक केंद्र भी है । यह बंगाल की खाड़ी तट के बहुत नजदीक स्थित है और यहां पर बहुत अधिक चक्रवात आते हैं । केंद्रीय सरकार इसके पास में ही मुथुकुरु में "कृष्णापटनम समुद्री पतन" नामक बन्दरगाह का निर्माण करवा रही है । मुथुकुरु गांव में ही एक सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने का दूसरा प्रस्ताव है । ऐसे में इसे एक स्थाई संचार तंत्र की आवश्यकता है जो किन्हीं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर सके ।

अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा गुप्त कोड से इसमें किसी भी तरह की तोड़-फोड़ अथवा छेड़छाड़ करके इसका प्रभार नितांत रूप से उपभोक्ता पर डालने से बचने के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को नवीनतम इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली से बदला जाए ।

अत: उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि नेल्लोर में मौजूदा पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर 10,000 लाइनों की क्षमता वाला इलैक्ट्रानिक टेलीफोन स्थापित किया जाए ।

(चार) मैसर्स वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, गजरौला, मुरादाबाद के बहि:स्राव से गंगा के जल के प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : मुरादाबाद, गजरौला में स्थित मै० वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लि० का सारा गन्दा पानी गंगा जी में आता है और गंगाजी के पानी को प्रदुषित करता है, इसके कारण कंचला तीर्थ के निवासियों और तीर्थ यात्रियों को बहुत परेशानी होती है । अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं । इसलिए वहां की जनता और प्रतिदिन जो हजारों तीर्थ यात्री वहां आते हैं उनमें काफी रोष है । कुछ वर्ष पूर्व गंगाजी के पानी को प्रदूषण रहित करने का अभियान सरकार ने चलाया था तथा हरिद्वार एवम् वाराणसी आदि स्थानों पर काफी पैसा खर्च किया गया और इस अभियान का काफी प्रचार किया गया । परन्तु गजरौला में स्थित वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लि० के गंदे पानी को साफ करने के लिए कोई संयंत्र नहीं लगाया गया और न ही इस गंदे पानी को गंगाजी में डालने और प्रदूषण को रोकने के लिए वाम आर्गेनिक कैमिकल्स पर कोई पाबन्दी लगाई गई है ।

अत: मैं केन्द सरकार से मांग करता हूं कि मै० वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लि० द्वारा गंगा के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

(पांच) बिहार के रांची जिले में पीने के पानी और बिजली की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार को धन देने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : बिहार के रांची जिले में पानी तथा बिजली की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है । खासकर रांची शहर जिसकी आबादी नौ लाख की है । साथ साथ कुछ प्रमुख स्थान है जिनकी आबादी 10-15 हजार है । वहां भी पानी मीलों दूर से नदी-नाला से लाकर किसी प्रकार लोग जिन्दा हैं । जैसे रांची के पिठौरीया, सुकूरडू, सितली, इचागढ़, चांडिल, राय, पिस्का नगड़ी राहे और मांझी आदि प्रमुख स्थानों पर भी सभी कुएं सूख गये हैं और जल स्तर काफी नीचे चला गया है । बिजली 10-12 घंटे नहीं रहती जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है । जिससे उद्योग धंधे, विद्यार्थी, किसान सभी वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं और उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और उद्यमी पलायन कर रहे हैं ।

अत: केन्द सरकार से मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार को धन देकर पानी, बिजली की समस्या को शीघ्र हल करने का कष्ट करें ।

(छ:) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में विस्फोट की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, 27 अप्रैल, 1992 को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में बम विस्फोट हुआ जिससे इस कारखाने को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ । ताप विद्युत संयंत्र में स्थित टरबाइन एकक को गोदावरी झींका भट्टी के लिए बेकार गैसें ले जा रही पाइप लाइन अधिक दबाव के कारण टूट गई । कुछ मजदूरों को चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा । ऊर्जा प्रबंधक विभाग का नियंत्रण कक्ष भी दब गया । नाइट्रोजन गैस की पाइप लाइन को भी आंशिक नुकसान पहुंचा । सौभाग्य से कार्बन मोनोआक्साइड गैस पाइप लाइन को नुकसान नहीं पहुंचा । अन्यथा विशाखापत्तनम शहर में अभूतपूर्व

विपत्ति आ सकती थी जैसा कि भोपाल शहर में हुआ था । इससे पहले भी इस्पात संयंत्र में कुछ दुर्घटनाएं और विस्फोट हुए जिससे किसी समय लाखों रुपए का नुकसान हुआ और एक करोड़ रुपए का नुकसान उस समय हुआ जब मोलटन धातु के लेडल से रिसाव हुआ और चार दिनों के भीतर दो बार में सैकड़ों टन कच्ची धातु का नुकसान हुआ । जगाई फेट में पुलवारिसिंग चूना पत्थर यूनिट में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कंपनी और छोटे ठेकेदारों का कार्य निष्पादन इतना खराब था कि उत्पादन कार्य रुक गया । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफल रहा है ।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले की तत्काल जांच की जाए तथा भविष्य में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

(सात) सुन्दरबन में मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को और अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, सुन्दरबन जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र (एस० बी० आर०) 9,630 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें सुन्दरबन का मैनग्रोव वनों का क्षेत्र शामिल है और जिसकी एक अद्वितीय पारिस्थितिकी है । यह केंद्र द्वारा वचनबद्ध राशि न मिल पाने के कारण घट रहा है । यह सुन्दरबन जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र के लिए राज्य स्तर की संचालन समिति द्वारा 10 सूत्री कार्य योजना के लिए सन्धान पर रखे गए निधि स्तर से स्पष्ट हो जाएगा । सुन्दरबन जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र के व्यापक प्रबंधन की कार्ययोजना के लिए वर्ष 1991-92 हेतु अनुमोदित 90.40 लाख रुपए की राशि में से केवल 26.90 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं । 1991-92 से पांच वर्ष की सुन्दरबन मैनग्रोव पारिस्थितिकी के लिए व्यापक योजना के 134.30 लाख रुपए के वार्षिक व्यय के मुकाबले केवल 72 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है । तत्पश्चात, समग्र बंजरभूमि परियोजना के अन्तर्गत सुन्दरबन के पारिस्थितिकी के पुर्नवास नाम की तीसरी योजना के संबंध में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा अभी कार्यवाही की जा रही है और इसमें कुल 430.27 लाख रुपए के कुल व्यय करने पर बल दिया गया है । 45 लाख रुपए की राशि 1991-92 के दौरान प्राप्त होने की संभावना थी वह अभी भी राज्य सरकार को नहीं मिली है ।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि आनेवाली विपत्तियों से सुन्दरबन में मैनग्रोव पारिस्थितिक प्रणाली की सम्पूर्ण वनस्पति और जीव जन्तुओं की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को वचनबद्ध धनराशि दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

1.13 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.20 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.20 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वित्त विधेयक, 1992

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजयराघवन अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन के स्थगित होते समय अपने निर्वाचन क्षेत्र पालघाट की कुछ समस्याओं के बारे में बात कर रहा था, आज मैं अन्य राजनीतिक प्रश्नों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सीधे ही अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करूंगा। कल मैंने पालघाट में सूखे की स्थिति का जिक्र किया था। जब मूल घाटी परियोजना को त्यागा गया था उस समय स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा जी ने आश्वासन दिया था कि कुरियाकुट्टी करूपार परियोजना मंजूर की जायेगी। परन्तु पर्यावरणविदों के विरोध के कारण इसको भी ताक पर रख दिया गया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस परियोजना के सिंचाई से सम्बन्धित भाग को मंजूरी दे दी जाये। इससे फसलें बचेंगी। पालघाट केरल का चावल उत्पादन करने वाला मुख्य क्षेत्र है परन्तु सूखे की स्थिति के कारण किसान दुःख झेल रहे हैं। सन् 1985 में जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने पालघाट का दौरा किया तो उस समय उन्होंने वहां के सूखे से प्रभावित सभी क्षेत्रों का दौरा करने में गहरी रुचि दिखाई थी। उन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया था। इसीलिए उन्होंने पालघाट के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन मंजूर करने की कृपा की थी। पूरे देश में ऐसे 100 मिशनों में से एक मेरे जिले को दिया गया था। उन्होंने पालघाट में मिशन के लिए 4 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे यद्यपि अन्य क्षेत्रों में मिशनों के लिए औसतन केवल 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस मिशन में प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी की आपूर्ति करने पर बल दिया परन्तु दुर्भाग्य से राजनीतिक विचारों से उत्प्रेरित एल डी एफ सरकार ने इस मिशन को सफल नहीं होने दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि केवल 3.15 करोड़ ही व्यय किए गए और लक्ष्य पूरे नहीं किए गए हैं। मिशन की अवधि समाप्त हो गई है। मैं सरकार से इसकी अवधि बढ़ाने और लक्ष्य पूरा करने का अनुरोध करूंगा। इस उद्देश्य के लिए और अधिक निधियां भी आवंटित की जायें।

दूसरा अति महत्वपूर्ण मामला पारामीकुलम अलियार समझौते के बारे में है जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच हुआ था। इस परियोजना को केरल और तमिलनाडु के बीच 1958 में हुए समझौते के आधार पर तैयार किया गया था। पारामीकुलम अलियार परियोजना के समझौते पर 1970 में हस्ताक्षर हुए थे जिसका कुल परिव्यय 138 करोड़ रुपए था। इसे 1972 में पूरा किया गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार 1988 में इसका नवीकरण किया जाना चाहिए था। परन्तु तमिलनाडु सरकार ने इसके नवीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तमिलनाडु का दावा है कि समझौते की शर्तों की समाप्ति के साथ ही पूरी परियोजना उनकी हो गई है। तमिलनाडु ने कभी भी इस समझौते का सम्मान नहीं किया। समझौते के अंतर्गत केरल की 4,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलना चाहिए था। परन्तु तमिलनाडु ने हमें कभी भी पानी का हमारा हिस्सा नहीं दिया। केरल का हिस्सा 38,550 मिलियन क्यूसेक्स है परन्तु निरन्तर रूप से माप करने से यह पाया गया है कि केरल को केवल 10,520 क्यूसेक्स ही पानी मिला। जिले में समस्त कृषि कार्यों को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तमिलनाडु सरकार को समझौते के नवीकरण के लिए राजी करे तथा उसे पर्याप्त पानी छोड़ने के लिए कहे।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दूसरा क्षेत्र जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए वह 'पर्यटन' है । पर्यटन एक उद्योग है । पर्यटन मंत्री जी ने कल पर्यटन के संबंध में सरकार की नीति को उजागर करते हुए एक वक्तव्य दिया । महोदय, केरल प्राकृतिक सौन्दर्य से भरा हुआ है । विशेष रूप से पालघाट जो कि पश्चिमी घाटों के गोद में पड़ता है उसमें पर्यटन की बहुत अधिक संभावना है । नेलीयनपटी, मलारकूल्ला, पारम्बीकुलम, सुक-घाटी तथा और भी बहुत-से स्थानों को बड़े पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है । अतः इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ।

एक और मुद्दा खाद्य-प्रसंस्करण के बारे में है । केरल में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जानी चाहियें । हम अन्नानास उगाते हैं और वास्तव में पलक्कड के पूर्वी हिस्से में हम टमाटर की खेती करते हैं । यदि ऐसी इकाइयां स्थापित की जाती हैं, तो इससे उत्पादकों को सहायता मिलेगी ।

केरल में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अर्थात आई० आई० टी० नहीं है । बड़ी संख्या में विद्यार्थी केरल से बाहर आई० आई० टी० में प्रवेश पाने के लिए जाते हैं । वित्त मंत्री महोदय ने केरलवासियों को, उनके कठिन-परिश्रम और देश के लिए जो विदेशी-मुद्रा वे अर्जित करते हैं, के लिए बधाई दी थी । अगर वास्तव में उन्हें पर्याप्त तकनीकी ज्ञान मिल जाता है, तो वे देश के लिए और अधिक संपत्ति का सृजन कर सकते हैं । अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि केरल में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करें । यह संस्थान पालघाट में भी स्थापित किया जा सकता है क्योंकि पालघाट में अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं । इसी तरह से, मैं मांग करता हूँ कि पलक्कड में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की जाए । महोदय, पालघाट में भारतीय दूरभाष उद्योग की एक इकाई है । इसमें अत्याधुनिक यन्त्र लगे हैं । इस इकाई के द्वितीय-चरण के विकास की बात को संचार मंत्री ने स्वीकार कर लिया है । मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करें ।

अन्ततः, महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । विपक्ष के जिन सदस्यों ने इस विधेयक में संशोधन-हेतु प्रस्ताव किया है, उनसे मैं एक अनुरोध करूँगा । उन्होंने यह संशोधन-प्रस्ताव अभाधुंध राजनैतिक विरोध के फलस्वरूप रखे हैं । जब प्रधान मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से वे संसार के सम्मुख इस देश के गौरव को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके रास्ते में रुकावटें नहीं डाली जानी चाहियें । मैं उनसे यह अनुरोध करूँगा कि वे इन संशोधनों को वापिस लें और इस विधेयक का समर्थन करें ।

श्री राम कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण प्रत्यक्ष कराधान और अप्रत्यक्ष कराधान से सम्बन्धित कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा । प्रत्यक्ष करों में, जहाँ तक आयकर अधिनियम का संबंध है, हम महसूस करते हैं कि इस वित्त-विधेयक से पूर्व हम बेहतर स्थिति में थे । हम पर कम कर लगाये जाते थे और इस वित्त-विधेयक के बाद, हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । एक मुद्दा 80-एल० के बारे में है । मेरा अनुभव यह है कि कुछ महीनों के बाद सरकार समझदार हो गई है ।

पिछले वित्त-विधेयक पर विचार-विमर्श के समय हमने कुछ सुझाव दिये थे, जिसे उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है । ऐसी संभावना है कि जो कुछ हम आज कहेंगे, वे उसे अगले बजट में स्वीकार कर लेंगे । पिछले वर्ष, हमने प्रस्ताव किया था कि सहकारी बैंकों में सावधि-जमा पर ब्याज के माध्यम से 2,500 रुपये से अधिक पर आय-स्रोत पर ही आयकर एकत्रित न किया जाये । वृद्धों, पेंशन-पाने वालों, मध्यम श्रेणी के लोगों तथा सहकारी बैंकों को इससे समस्या का सामना करना पड़ेगा । आपने इसे उस समय स्वीकार नहीं किया था । लेकिन इस वर्ष आपने उसे मान लिया है । पिछले वर्ष, रेस्तरां-कर के बारे में हमने कुछ सुझाव दिये थे

और संशोधन पेश किये थे । यहाँ तक कि सहकारी बैंक के लिये, हम शिष्टमंडल के साथ डा० मनमोहन सिंह से मिले भी थे । लेकिन वह पेश किये गये रेस्तरां-कर संशोधन के बारे में हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे । अब आपने इसे स्वीकार कर लिया है । इस वर्ष मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूँ । मैंने इस महीने की दो तारीख को लोक सभा में एक याचिका पेश की है, जिस पर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं ने हस्ताक्षर किये हैं । उन्होंने माँग की है कि धारा 80-एल०, 80-सी०सी०, 80-सी०सी०बी० तथा धारा-71 को बहाल किया जाये ।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : हो गया ।

श्री राम कापसे : मुरली देवरा जी बोल रहे हैं कि हो गया । क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, वह मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे विश्वास है ।

[अनुवाद]

धारा 80-एल० के बारे में, जहाँ सकल कुल आय जिसमें सरकारी-प्रतिभूतियों, बैंक-जमा-राशियों के जरिए ब्याज से हुई आय सम्मिलित हो, आयकर से छूट के लिए यह आय-सीमा 7,000 रुपये थी । लाभांश और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए 3,000 रुपये तक की आय-सीमा थी । शेयरों के लिए यह आय-सीमा 3,000 रुपये तक थी । इस प्रकार, कुल रियायत 13,000 रुपये तक थी । अब आपने आयकर से छूट की सीमा 28,000 रुपये तक बढ़ा दी है, लेकिन धारा 80-एल० के अंतर्गत केवल 7,000 रुपये तक की सीमा पुनः बहाल की है । अन्य 6,000 रुपये के बारे में क्या हुआ ? हमें उम्मीद थी कि जब आपने आयकर से छूट की सीमा को 28,000 रुपये तक किया था, तो आपने मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा था । यह मुद्रास्फीति अभी भी जारी हुई है और इस रियायत-सहित यह छूट-सीमा पुनः 35,000 रुपये हो जायेगी । लोगों ने सरकार पर विश्वास किया और प्रतिभूतियों में निवेश किया है । अब सीमा 13,000 रुपये से कम करके 7,000 रुपये करना लोगों के विश्वास को तोड़ना है । एक तरीके से यह एक धोखा है । ऐसा क्यों किया गया है ? वास्तव में, 1968 में जब धारा 80-एल० लागू की गई थी, तब यह बचत हेतु एक प्रोत्साहन की रूप में शुरू की गई थी । 23 वर्षों के पश्चात, आपने स्थिति को बदल दिया है । वास्तव में, यह एक स्थाई विशेषता भी बन गई थी । 1980-81 में, 5,000 रुपये तक ब्याज आयकर से मुक्त था । फिर, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये और पुनः 13,000 रुपये तक कर दिया गया था । अब, पुनः इसे कम करके 7,000 रुपये पर ले आये हैं । जहाँ तक बचतों का संबंध है, क्या यह ब्याज आय-सीमा एक प्रोत्साहन का कार्य करेगी ? जहाँ तक उन व्यक्तियों का संबंध है जिन्होंने निवेश किया है, उनके साथ निश्चित रूप से यह विश्वासघात है । प्रोत्साहन, बचतों एवं और अधिक उत्पादकीय उपयोग के लिए दिया जाता है और यह प्रोत्साहन किसी युक्तिसंगत कर योजना के रूप में होना चाहिये । बचत ही पूंजी-निर्माण में सहायता करती है और अब आपको इसकी जरूरत है । बचतों को प्रोत्साहन देना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रतिकारक हथियार है । रियायतों को 7,000 रुपये तक वापिस लाने से बचतों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । मंत्री महोदय से मैं इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ । यदि आप रियायत-राशि 13,000 रुपये से अधिक नहीं कर सकते, तो कम-से-कम इसे जितनी यह थी उतनी तो रहने दीजिये ।

जहाँ तक 80-सी० सी० ए० और 80-सी०सी० बी० का संबंध है, राष्ट्रीय बचत योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन धारा, जीवन अक्षय आदि पर 40,000 रुपये तक शत-प्रतिशत कटौती दी जाती थी । 80-सी० सी० बी० के तहत निम्नलिखित में से किसी भी यूनिट में निवेश पर कटौती दी जाती थी :—

"म्यूचुअल फन्डस, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, केनरा बैंक और सभी बैंक"

और एक तरीके से यह कुछ वर्षों के लिये कर का स्थगन करना था । करदाता इस कर जमा करने को टाल नहीं सकता था । आखिरकार, परिपक्वता के समय पर वह आपको इसे जमा करने जा रहा था । लेकिन 80-सी० सी० ए० और 80-सी० सी० बी० को समाप्त कर दिया गया है और अब आप कहेंगे कि इसे धारा 88 में शामिल कर लिया जायेगा । धारा 88 के अंतर्गत राशि के केवल पाँचवें हिस्से पर ही विचार किया जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि आप इस पर विचार करें कि 80-सी०, 80-सी० सी० बी० और 80 एल० सभी धाराएँ राष्ट्र और व्यक्ति-विशेष दोनों को ही सहायता प्रदान कर रहीं थीं । करदाता परेशान था, क्योंकि उसने सोचा कि उसे कुछ आयकर-रियायत मिलेगी ।

एल० आई० सी० के बारे में, क्या बीमें का पूर्वव्यापि-प्रभाव हो सकता है और इस संबंध में क्या अब कोई आश्वासन दिया जाएगा ? जिन्होंने भा० जी० बी० निगम पर और सरकार पर विश्वास करके तीन वर्षों के लिए निवेश किया है, और

[हिन्दी]

अर्थ व्यवहार में जुबान का कुछ महत्व है या नहीं ? हम कहते हैं कि जान जाये पर वचन न जाये ।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन-अक्षय और जीवन-धारा पॉलिसी-योजना बंद कर दी गई है, पर विज्ञापन आते रहे । इसके तुरन्त बाद, यदि आप महसूस करते हैं कि इसका दुरुपयोग किया गया था, तो आप इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं, परन्तु जिन लोगों ने तीन वर्षों तक भुगतान किया हुआ है, उनके बारे में क्या यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये कि भारतीय जीवन बीमा की ओर से जो भी वायदा था, जीवन धारा और जीवन अक्षय बीमा योजनाओं को जारी रखा जाना चाहिए और उन्हें वापिस नहीं लेना चाहिए ? यह मेरी मांग है । कानून का पालना करने वाले, मध्यम श्रेणी के लोग, वेतनभोगी लोग उत्पादकीय-उपयोग हेतु बचत करते हैं और जो लोग वृध्दावस्था हेतु योजना बना रहे थे, उन पर अनावश्यक ही कर लगाये जा रहे हैं और उन्हें धोखा दिया जा रहा है ।

धारा 71 के बारे में, लोक सभा को दी गई मेरी याचिका के पृष्ठ दो के पैरा-सी पर, हमने यह माँग की है । अब तक :—

> "जब कभी कोई व्यक्ति आवास-ऋण की मदद से कोई मकान बनाता है अथवा फ्लैट खरीदता है, तो चुकता किये गये, संचित ब्याज को मकान-सम्पति पर ऋण के रूप में माना जाता है तथा इसे कर-योग्य आय के प्रतिकर हेतु अनुमत किया जाता है ।"

यदि आप अपने ही घर में रहते हैं, तो उस पर कर नहीं लगाया जाता है । लेकिन यदि आप इसे किसी को किराये पर देते हैं, तो आप पर कर लगाया जायेगा । वास्तव में यह पूंजी ऋण से प्राप्त किया गया एक मकान अथवा एक फ्लैट है । वहाँ ब्याज बढ़ा दिया जाता है । उसे ब्याज देना पड़ता है और पुनः उसे कर देना पड़ता है । कम-से-कम एक मकान अथवा एक फ्लैट पर तो कर नहीं लगाया जाना चाहिए । क्या कारण है ? एक व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था के बारे में सोचता है और वहाँ तक कि उधार ली गई पूंजी से, वह उस संपत्ति को अर्जित करता है । वह उस संपत्ति को उधार ली गई पूंजी से अर्जित करता है । वहाँ वह बहुत अधिक अदा कर रहा है उसे उतना किराया नहीं मिलता है । एक स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो सकती है, जब एक रक्षा-

कर्मी अथवा सरकारी कर्मचारी, जिसने एक फ्लैट अथवा घर लिया हुआ है, वह स्थानांतरित हो जाता है और उसे वहाँ जाना पड़ता है । मेरे विचार से इस सुझाव को भी स्वीकार कर लेना चाहिए । यह प्रत्यक्ष-करों के बारे में है । प्रार्थना की जा चुकी है । यह आपके पास है । कृपया इस पर विचार करें । मैं समझता हूँ कि श्री मुरली देवरा मेरा समर्थन करेंगे ।

श्री मुरली देवरा : मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ । .....(व्यवधान)

श्री राम कापसे : मैं समझता हूं कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं । वह मुम्बई से चुन कर आए हैं ।

उत्पादन-शुल्क के बारे में, मेरे पास कुछ सुझाव हैं । 175/86, 55/92 में संशोधन 31 मार्च को अधिसूचित किया गया था । (व्यवधान) लघु इकाइयों में इसने तहलका मचा दिया है । मुम्बई, ठाणे और हर जगह लघु-इकाइयाँ बंद हो रही हैं । हज़ारों लघु-इकाइयाँ बंद हो जायेंगी । लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे । मेरा सुझाव यह है कि तुरन्त इसे एक वर्ष के लिए स्थगित करें और पंजीकरण करने के बारे में पूरे मामले पर पुनर्विचार करें तथा संशोधन को वापिस लें, क्योंकि जहाँ तक मजदूरों का संबंध है, यह उनके लिए अन्ततः समस्या ही उत्पन्न कर रहा है । कामगारों के लिए भी, आपको उनके हक में फैसला करना चाहिये । यह मेरा प्रथम सुझाव है ।

मेरा दूसरा सुझाव स्रोत पर ही कटौती के बारे में है । लघु उद्योगों के सेल्फ-एजेन्ट समस्या का सामना कर रहे हैं । आप चाय-बागान-एजेन्टों, ट्रेवल-एजेन्टो एवं अनाज-विक्रेताओं के एजेन्टों की भले ही स्रोत पर ही कर-कटौती की अनुमति दे दें, लेकिन जहाँ तक लघु उद्योगों का संबंध है, आप ऐसा न करें । जहाँ तक लघु उद्योगों के एजेन्टों का संबंध है, स्रोत पर कर-कटौती से समस्या पैदा हुई है । अतः चाय-बागान-एजेन्टों के समान सभी अन्यों को जो भी सुविधा उपलब्ध है, उसे लघु उद्योगों के एजेन्टों को भी मुहैया कराया जाना चाहिये । यह मेरा दूसरा सुझाव है । इस प्रकार, मैंने छः सुझाव दिये हैं—चार प्रत्यक्ष करों से संबंधित हैं और दो अप्रत्यक्ष करों के बारे में है । फिर, मैं आपसे एक और अनुरोध करूँगा । पिछले वर्ष से ही, जहाँ तक आयकर सीमा का संबंध है, वृद्धि की मांग करते रहे हैं । हम इसे 48,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं । कृपया, आप इस पर विचार करें और सभी रियायतें, जो कि पहले उपलब्ध थीं, पुनः बहाल की जायें ।

श्री रोशन लाल (खुजी) : महोदय, वित्त-विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं अपना धन्यवाद करता हूं ।

मैं निम्नलिखित कारणों से वित्त-विधेयक का विरोध करता हूं । वित्त मंत्री ने कहा है कि संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है । हम आर्थिक विकास के पुराने विचारों, पुरानी नीतियों और दृष्टिकोण का अन्धानुकरण कर रहे हैं और इसलिए सुधारों की अनिवार्यता को समझने या इसकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है । हम सुधारों के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन हमें इनके क्रियान्वयन की चिंता है । हमें देखना है कि इन सुधारों को किसकी कीमत पर किया जा रहा है । हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लोगों की आय और जीवन स्तर में अन्तर बहुत अधिक है । बहुत ज्यादा बेरोजगारी है जिसके कारण समाज में गड़बड़ हुई है । इस देश में ऐसे लोग, ऐसे वर्ग हैं जो इस लागत को वहन कर सकते हैं । हम जानना चाहते हैं कि इन सुधारों का मुख्य भार किन पर पड़ेगा । क्या यह उन पर पड़ेगा जो काला धन कमा रहे हैं, देश के बाहर धन की तस्करी कर रहे हैं और विदेशी बैंकों में गुप्त खाते रखे हुए हैं ? अथवा क्या सुधारों का यह मुख्य भार कालाबाजारियों या कर चोरी के आदी लोगों पर पड़ेगा ? वित्त मंत्री के बजट भाषण में थोड़ा-सा भी संकेत नहीं है कि इन सुधारों का भार एकदम इन लोगों पर पड़ेगा । वित्त मंत्री

द्वारा समर्थित और पेश इस विशेष सुधार के प्रति मेरी आपत्ति है कि उन वर्गों पर भार पड़ा है जो इसका वहन सबसे कम कर सकते हैं । इसके विनाशकारी परिणाम होंगे । यह समझना कठिन है कि यह खुली नीति किस प्रकार अपनाई जाएगी, क्या विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों और आयात की नीति समाज, भारतीय समाज की अनिवार्यताओं को पूरा करेगी ? हम भुगतान संतुलन के संकट की बात कर रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति को इसकी चिंता है । लेकिन आयात पर सभी सीमा शुल्कों में अत्यधिक कमी करके आप कैसे इस भुगतान संतुलन के संकट पर काबू पाएंगे ? क्या वित्त मंत्री हमें यह स्पष्ट करेंगे कि आयात के मूल्य में वृद्धि करके और इसके बराबर निर्यात न बढ़ा कर आप इस भुगतान संतुलन के संकट पर कैसे काबू पाएंगे ? मेरे विचार से तो इसके विपरीत परिणाम होंगे ।

आयात की उदार नीति का हमारे घरेलू उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह नीति इन सभी विदेशी उद्योगों और बहुराष्ट्रीय निगमों को किसी प्रतिबन्ध के बगैर ही भारत में आने देगी । उन्हें बताया गया है कि उन्हें भारतीय उद्योगों के समान माना जाएगा । वित्त मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया है । उन पर निर्यात का कोई दायित्व नहीं होगा । जब ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी और उत्पादन शुरू करेंगी तो उन पर कोई निर्यात दायित्व नहीं होगा । सरकार ने यह आश्वासन दिया है । हमारे कितने घरेलू उद्योग, जो अत्यधिक त्याग और लागत पर अनेक वर्षों के बाद विकसित हुए हैं इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से स्पर्धा कर सकेंगे ? हमारे लघु उद्योगों का क्या होगा ?

वित्त मंत्री इस देश के विख्यात अर्थशास्त्री हैं मैं नहीं समझता, जैसा मैंने पिछले वर्ष आपको बताया, उन्होंने वित्त विधेयक को बनाने में अपने लम्बे अनुभव का उपयोग नहीं किया है । वह गत वर्ष की तरह नौकरशाही की निष्क्रियता से बंधे हुए हैं । मुझे यहां पर उर्दू का एक शेर याद आ रहा है—

[हिन्दी]

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो एक कतराये खून निकला ।"

अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत आने लगी तो क्या होगा ? हमारे उद्योग बन्द हो जाएंगे । श्रमिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि भारत में विदेशी कम्पनियां स्थापित होंगी और वे अपने कर्मचारी रखेंगे । हमारे श्रमिकों का क्या होगा ? इसके कारण श्रमिक वर्ग में बेरोजगारी होगी और देश बेरोजगारी की समस्या का सामना करेगा । वित्त मंत्री ने इस पहलू को एकदम से नहीं छुआ है ।

हमारे देश में लघु क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है और लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है । लघु क्षेत्र के निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन के आंकड़े किसी भी तरह से बड़े संगठित क्षेत्र से कम नहीं हैं । कुछ मामलों में यह उन से बेहतर है । जब किसी पाबन्दी के बिना ही भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अप्रवासी भारतीयों को अपने उद्योग लगाने की अनुमति दे दी गई तो लघुक्षेत्र का क्या होगा ? हमारे अपने उद्योग, कामगारों और लोगों का क्या होगा ? इसके फलस्वरूप लगभग तीन लाख लघु उद्योग बन्द हो जाएंगे और लगभग तीन करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे । फिर, सामाजिक कल्याण संबंधी बजट में लगभग 16 प्रतिशत की कटौती की गई है । इस कटौती से लगभग नौ करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे । जवाहर रोजगार योजना समाज के ग्रामीण विकास के लिए है, गांवों में हमारे 70 प्रतिशत लोग रहते हैं, इसमें भी 10-15 प्रतिशत की कटौती की गई है । इसके कारण पुनः बेरोजगारी की समस्या विकराल हो जाएगी । नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे । हाल ही में रेलवे द्वारा एक घोषणा की गई, रेलवे सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र है इसमें प्रति वर्ष सात लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, इस घोषणा के अनुसार 30-35 प्रतिशत की कटौती की

गई है । इससे समस्या और बिगड़ जाएगी । इसलिए ऐसा बजट आया है और वित्त मंत्री ने इस सभा और देश के सम्मुख ऐसा विधेयक रखा है ।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के पृष्ठ 2 पैरा 6 में कहा है कि हमने संरचनात्मक सुधार का मध्यम अवधि कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में नई पहल की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग की कुशलता, उत्पादकता और अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सुधार करना है । हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य उत्पादन की ऐसी पद्धति विकसित करना है जो श्रमिक उन्मुखी हो और उत्पादक उच्च आय के नौकरियों के अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करे और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच आय और धन की असमानता को कम करें । जो कुछ हो रहा है और जो होने जा रहा है वह इसके पूर्णतया विपरीत है । इस सभा के सम्मुख और बाहर भी हरेक के समक्ष यह स्थिति है ।

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे । उन्होंने सामान्यत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल और चीनी जैसी बुनियादी या आवश्यक सप्लाई की मदों के मूल्य बढ़ा दिए है । महोदय, आप नहीं जानते कि वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में नहीं जानते । गरीब और कमजोर वर्ग ही सार्वजनिक वितरण केन्द्रों पर जाते हैं । ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं और उनके मूल्य बढ़ाए गए हैं । मूल्य बढ़ गए हैं और ऐसी वितरण प्रणाली का क्या उद्देश्य है ? यह वस्तुस्थिति के पूर्णतया विपरीत है । मैं आपके माध्यम से इस सभा को बताना चाहता हूं । यह मान्य तथ्य है कि इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार राजसहायता में कटौती करनी है । (व्यवधान)

महोदय आप सभा में इस पक्ष के सदस्यों को अधिक समय दें क्योंकि उस पक्ष के सभी सदस्य तो यही कहेंगे कि वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री अपनी नीतियों से देश को स्वर्ग बना रहे हैं । लेकिन यह पक्ष ही बता सकता है कि हम स्वर्ग में नहीं नरक में जा रहे हैं । इसलिए हमें और अधिक समय मिले । हमें बताना चाहिए कि सरकार की नीतियों में क्या कमजोरियां हैं जिनके द्वारा हमारा भारतीय समाज कठिनाई का सामना करेगा, हमारे वेतनभोगी लोग प्रभावित होंगे और हमारे श्रमिक और हमारा देश प्रभावित होंगे । इसलिए महोदय, यह स्वाभाविक ही है कि आप और अधिक समय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : रोशन लालजी, इस पक्ष में भी अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री रोशन लाल : अन्य वस्तुओं पर राजसहायता में कटौती करने की बात ही समझ में आती है लेकिन अगर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बाहर के अन्य ऋण दाता मित्रों के कथनानुसार कमजोर वर्गों की सहायतार्थ खाद्य पर राजसहायता को कम कर दिया जाता है तो ये नीतियां, यह बजट और यह विधेयक भारतीय जनसंख्या के 70-80 प्रतिशत की कैसी सेवा करेंगे ? इस बजट से कौन खुश होगा ? हमारे लोगों का छोटा वर्ग केवल 10 करोड़ लोग ही इस बजट से खुश होंगे । कौन खुश होगा ? अप्रवासी भारतीय खुश होंगे, बहुराष्ट्रीय निगम खुश होंगे । क्या आम लोग खुश होंगे ? क्या श्रमिक खुश होंगे ? क्या गांवों में रहने वाले लोग खुश होंगे ? अथवा क्या कृषक या किसान खुश होंगे ?

उन्हें अनुमति नहीं दी गई है अथवा उन पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं । भारतीय खाद्य निगम 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मूल्य तय कर रहा है । इसलिए कोई भी किसान भारतीय खाद्य निगम को गेहूं नहीं बेच रहा । यह एक उद्देश्य के तहत किया गया है । क्यों ? ऐसा करके सरकार यह कहेगी कि हमारे किसान गेहूं नहीं दे रहे इसलिए हम बाहर से गेहूं आयात करेंगे । उन्होंने यह स्थिति उत्पन्न की है । यह

अच्छा नहीं है और इससे हमारी जनसंख्या के बड़े भाग का 80 प्रतिशत के हितों को लाभ नहीं होगा ।

फिर, निजीकरण की नीति आती है । यह भी बहुत खतरनाक है । इसमें भी अप्रवासी भारतीय या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आएंगी और निजी क्षेत्र को ले लेंगी । वे अपने कर्मचारी या श्रमिक रखेंगे । फिर भारत से श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा । निजीकरण का यह परिणाम होगा ।

मैंने अमेरिका से गेहूं आयात करने की सरकार की नीति के बारे में बताया है । इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है । वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत विभिन्न मदों के मामले में आत्मनिर्भर है, इसमें गेहूं भी शामिल है । फिर गेहूं आयात करने की क्या जरूरत है ? यह तो उनके सम्मुख स्वयं को समर्पित करना है । यह तो एक प्रकार से अमेरिका के आदेशों के सम्मुख झुकना है । इसका परिणाम क्या होगा ? इसके दोतरफा परिणाम होंगे । (एक) इसकी गुणवत्ता भारतीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है; (दो) एक वर्ष के बाद भूमि का उपजाऊपन पूर्णतया या आंशिक रूप से कम हो जाएगा इसके फलस्वरूप भारतीय किसान ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि गेहूं का कोई उत्पादन नहीं होगा और इस प्रकार वे बाहर से गेहूं का आयात करेंगे । सरकार की नीति यही है और मैं पूर्णतया इसका विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस नीति को वापस ले ले ।

प्रत्यक्ष करों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री ने आय कर की सीमा 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दी है । अगर वह मूल्यवृद्धि के आंकड़ों की तुलना करें तो यह कुछ नहीं है । मूल्यों में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है । लेकिन उन्होंने छूट सीमा में केवल 6,000 रुपये की वृद्धि की है । यदि आप मूल्यवृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखें तो यह 7,000 या 8,000 रुपये होगा इसलिए यह पूर्णतया नकारात्मक है ।

फिर उन्होंने धारा 80 एल के तहत केवल 7,000 रुपये की छूट सीमा तय की है । उन्होंने क्या किया है ? यह केवल हेराफेरी है; यह केवल भ्रम उत्पन्न किया गया है । उन्होंने अपना भाषण जनता को एक जादू की कड़ी दिखाते हुए शुरू किया और उन्होंने कहा कि यह नकली सोना है । उनका कहना है कि नकली सोना 22 केरेट आभूषण का होगा । बात यही है । वह उस पक्ष की बात भी करते हैं और दूसरे का पक्ष भी लेते हैं । अत: मैं माननीय वित्त मंत्री को यह सुझाव देता हूं कि वह छूट की सीमा 36,000 रु० तक बढ़ा दें और धारा 80 एल, 80 सी सी ए, 80 सी सी बी के अंतर्गत जिस दर पर छूट पहले दी गई थी वह पुन: दे दें ।

3.00 म० प०

वित्त विधेयक में मूलत: तीन गलतियां हैं । उन्होंने मानक छूट बढ़ाने के लिए महिलाओं और पुरुषों में भेद किया है । उन्होंने ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिया है । यह प्रावधान है कि ऐसा उपबंध किया जा सकता है लेकिन ऐसा कुछ तर्कों के आधार पर करना चाहिए । उन्होंने ऐसे कोई तर्क नहीं दिए । अत: यह गैर-कानूनी है । इससे बचा जाना चाहिए ।

उन्होंने बिक्री पर 1400 रुपये कर की राशि निश्चित कर एक अजीब योजना शुरू की है । माननीय वित्त मंत्री अभी यहां नहीं है लेकिन श्री दलबीर सिंह और श्री रामेश्वर ठाकुर यहां है । मेरे विचार से वे इस बारे में जानते हैं । उन्होंने बिक्री कर और आय कर के बीच अन्तर नहीं किया है । वित्त विधेयक आय कर के लिए होता है न कि बिक्री कर के लिए । उन्होंने बिक्री के बारे में यह कहा है । यह आवश्यक नहीं है । 5

लाख रु० से अधिक की बिक्री होने के बारे में नियम है । मैं उस विभाग में रहा हूं । मैं कराधान के बारे में जानता हूं । यह गैर-कानूनी है । इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी ।

तीसरे, उन्होंने बकाया प्रणाली को शामिल करने के लिए एक प्रावधान किया है । आय-कर अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत पहले ही ऐसा प्रावधान है । यह मान्य प्रावधान है । यह प्रतीत होता है कि इसका एक स्पष्ट प्रावधान है । वह आय क्या है ? इस संबंध में प्रावधान हैं । कौन सी आय को आय माना जाए ? इस संबंध में प्रावधान पहले ही है ।

इसी प्रकार किसी व्यक्ति की आय, जिस पर कर नहीं लगाया जाना है, उसे माता अथवा पिता की आय में शामिल कर लिया जाएगा । इसकी क्या आवश्यकता है ? इस पर घोर आपत्ति की गई है । एक अव्यस्क व्यक्ति को उपहार मिल सकता है । वह अपनी पूंजी जमा कर सकता है । यदि वह अपनी राशि कुछ कंपनियों आदि में जमा कर देता है तब इससे उसे आय प्राप्त होगी । यह उसकी आय का स्रोत है और यह उसकी अपनी आय है । हमें कराधान पद्धति का पता लगाना है । हम ही संपूर्ण कर ढांचे का प्रबंधन कर रहे है । हम जानते हैं कि सही आय क्या है—चाहे वह 'क' की आय हो अथवा 'ख' की आय हो । जो व्यक्ति आय-कर का प्रबंधन कर रहे हैं वह इसको अच्छी तरह से जानते है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । न्यायालय द्वारा इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि पहले ही मान्य प्रावधान हैं जिसके अनुसार अव्यस्क व्यक्ति की आय किसी के साथ जोड़ी जाएगी । अत: इससे पहले कि कोई न्यायालय इसे गैर-कानूनी घोषित करे इसे वापिस ले लेना चाहिए ।

संपदा कर के अंतर्गत कुछ छूटें दी गई हैं । यह किन लोगों के लिए है ? यह बड़ी कंपनियों और बड़े व्यक्तियों के लिए है न कि कमजोर वर्गों और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है । वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए क्या किया गया है ? मेरा सुझाव है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए इसे 25,000 रु० तक बढ़ा देना चाहिए । मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त राहतें नहीं दी गई है ।

जिन व्यक्तियों और व्यापारियों की आय एक लाख रुपये है उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है बल्कि जिन व्यक्तियों और व्यापारियों की आय 2 लाख रुपये है केवल उन्हें कुछ राहत दी गई है । आप जानते हैं कि आयकर के अंतर्गत कुल आय का 15% भाग 85% करदाताओं द्वारा दिया जाता है । कुल कर का 85% भाग 15% से लिया जाता है । यह 15% कौन से व्यक्ति हैं । यह बड़े व्यापारी हैं । अत: यदि आप मानक कटौती को 25,000 रु० तक और छूट की सीमा को 36,000 रु० तक बढ़ाते है तो वित्त मंत्री अथवा यहां बैठे वित्त राज्य मंत्री यह कहेंगे कि इससे घाटा होगा । निश्चित रूप से इससे घाटा होगा । लेकिन उनके पास साधन हैं । उन्होंने तीन दरों के बारे में बताया है । हम इसे 20,000 रु० से 25,000, 30,000 रु० से 35,000 रु० और 40,000 रु० से 45,000 रु० तक बढ़ा सकते हैं । उच्च आय वर्ग के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है । मुझे यही आपत्ति है । अत: मानक कटौती को 25,000 रु० तक बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इस कदम से वेतनभोगी व्यक्तियो पर अधिक प्रभाव पड़ेगा । धारा 80 एल, 80 सी सी ए और 80 सी सी बी को पुन: लागू किया जाना चाहिए ।

सरकार ने कालाधन समाप्त करने के लिए प्रावधान किए हैं । उन्होंने पांच कि० ग्रा० स्वर्ण आयात करने की अनुमति दी है । इसके विपरीत वित्त मंत्री ने गरीब लोगों और कमजोर वर्गों के लिए कौन से प्रावधान किए हैं ? यदि वे ऋण लेकर घर बनाते हैं तब सरकार उन्हें गिरा देती है । ऐसे मामलों में घर गिराने वालों को कुछ सजा दी जानी चाहिए । यह ठीक बात नहीं है । यह उस व्यक्ति, जिसने घर बनाया है, की व्यक्तिगत हानि नहीं है बल्कि राष्ट्र की हानि है । अत: मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री को यह संशोधन

प्रस्तुत करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है उसे गिराना नहीं चाहिए । मैं उन्हें खुर्जा का एक मामला याद दिलाना चाहता हूं जहां 80 लाख रु० व्यय किए गए थे और 1990 में घर बनाने के कार्य को स्वीकृति दी गई थी । हाल ही में उसे गिरा दिया गया । न्यायालय के आदेश के बावजूद कश्मीरस्तान की 30 दुकानों को गिरा दिया गया । क्या सरकार की यही नीति है ? वित्त मंत्री ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि यदि निर्धन व्यक्तियों ने कोई निर्माण किया है, चाहे उसे स्वीकृति प्राप्त है या नहीं, उन्हें गिराना नहीं चाहिए । माननीय शहरी विकास मंत्री महोदया यह कह रही थी कि वह अनाधिकृत कालोनियों को नियमित कर रही है । यदि सही दिशा में यह कार्य किया जा रहा है तब इसे जारी रखना चाहिए । एक ओर आप पांच कि० ग्रा० स्वर्ण लाने की अनुमति दे रहे हैं और दूसरी ओर श्रमिकों तथा कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के घर गिराए जाते हैं, यह ठीक नीति नहीं है । क्या सरकार की यही नीति है ? महोदय, आप देश में कमज़ोर वर्ग की प्रतिशतता जानते हैं । कम आय वर्ग के 70 करोड़ लोग श्रमिक और कृषक हैं तथा केवल दस करोड़ लोग अन्य श्रेणियों में आते हैं और उन्हें बजट से कुछ लाभ मिलता है ।

मेरा अंतिम मुद्दा आय कर अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में है, इसे मैंने पिछले वर्ष भी उठाया था । वित्त मंत्री आय कर विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं ? क्या आप जानते हैं कि जो आयकर अधिकारी सर्वेक्षण करने और छापा मारने जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ? उन पर आक्रमण किया जाता है । आप जानते हैं कि कश्मीर में महिला अधिकारियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और अनेक लोगों के समक्ष उनके हाथ व सिर तोड़ दिए गए । पिछले वर्ष भी मैंने यह बात उठाई थी कि देहरादून में उपायुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही उसे छोड़ा गया । वित्त मंत्री आय कर अधिकारियों के सम्मान की रक्षा के लिए क्या कर रहे है ? महोदय, मेरा सुझाव है कि उपायुक्त के कार्यालय में एक सब-इंस्पेक्टर के साथ चार कांस्टेबल नियुक्त किए जाएं । एक आयुक्त के अधीन चार उपायुक्त होते हैं, इस प्रकार उनके अधीन 20 व्यक्ति होगें । इन पुलिस कर्मियों की एक या दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए ।

दूसरे, उन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जानी चाहिएं जो छापा मारने जाते है । एक बार मैं छापुड़ में छापा मारने गए दल का सदस्य था और मुझे अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा । हम उस अमूल्य सामान को ढूंढने में सफल हो गए थे जिसे छुपाया गया था । लेकिन जिन व्यक्तियों के विरुद्ध छापा मारा गया था उन्होंने हम पर लाठियों, राइफलों और अन्य हथियारों से आक्रमण करने का प्रयास किया । किसी प्रकार से हमने वह सामान इकठ्ठा कर मेरठ के आय कर कार्यालय में रखा । ऐसी स्थिति होती है । मुझे समझ नहीं आता की मंत्री महोदय अपने व्यक्तियों की सुरक्षा की ओर ध्यान क्यों नहीं देते । इसीलिए मेरा यह कहना है कि इन अधिकारियों को पुलिस सहायता तथा मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जानी चाहिए । जब वे सर्वेक्षण के लिए जाते हैं तब उन्हें हथियारों से लैस करना चाहिए । यदि यह कदम उठाए जाएं तब उन कर अपवंचकों, तस्करों और अन्य व्यक्ति व व्यापारी जिनके घरों में छापा मारा जाता है, का यह साहस न होगा कि वह छापा मारने वाले व्यक्तियों पर आक्रमण करें । यदि ऐसे उपाय किए जाते हैं तब हमारा राजस्व दुगुना हो जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कर्नल राम सिंह, क्या आप बोलना चाहेंगे ?

श्री राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : क्या मेरा नाम सूची में है ? कल मैंने एक नोट भेजा था और मेरा नाम सूची में था । लेकिन यदि अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं तब मैं अपना अवसर छोड़ दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते है ।

श्री राव राम सिंह : अपना भाषण शुरू करने से पहले क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आपने घंटी कितनी बार बजाई ? मेरे विचार से माननीय सदस्य के लिए आपने दस बार घंटी बजाई । उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक समय चाहिए क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है और उन्हें नरक में । शायद मैंने उनकी बात सही समझी है । मेरा उनसे कहना है कि स्वर्ग और नरक की दूरी बराबर है ।

छोड़िए इस बात को, महोदय, मैं कितनी देर तक बोल सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप दस मिनट तक बोल सकते है ।

श्री राव राम सिंह : धन्यवाद ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को सही रास्ता अपनाने, संसाधन बढ़ाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के लिए बधाई देता हूं । मेरे विचार से पिछली सरकारों ने दो या तीन वर्षों के अपने शासन काल में अर्थव्यवस्था की जो दयनीय स्थिति कर दी थी उसमें सुधार करने के लिए इन उपायों से सहायता मिली है । मैं वित्त मंत्री तथा उनके मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली बार सरकारी तौर पर सोने का आयात करने की अनुमति दी । उन्होंने सोने के आयात पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया, इससे गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत मिलेगी क्योंकि वे विवाह आदि प्रयोजनों के लिए सोना खरीद सकेंगे ।

मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि वित्तीय मामलों में मैं विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन शायद इसके लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है । मेरे विचार से यह मामले साधारण विचारों से परे नहीं है । मेरे विचार से यह वैसा ही है जैसे एक घर चलाने वाला व्यक्ति अपने अकेले की आय के अनुपात में व्यय करता है । हम इतना अधिक फिजूल खर्च कर रहे हैं कि राष्ट्र को ऋण लेना पड़ रहा है । हम कितना ऋण लेंगे ? मेरे विचार से करों का ढांचा स्वयं एक बोझ बन गया है और जब तक हम इस बात से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक देश का भविष्य अंधकारमय रहेगा ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं केवल जोन्सस की बराबरी करने, न कि किसी अन्य प्रयोजनार्थ रोलस रॉयस खरीदना चाहता हूं पर दुर्भाग्यवश मैं उसे खरीद नहीं सकता । तब मैं कहता हूं कि "ठीक है, मैं पुरानी भारतीय कार एम्बेसडर से गुजारा कर लूंगा ।" मेरे विचार से एम्बेसडर भी वही कार्य करती है जो रोलस रॉयस कर सकती है । उद्देश्य एक निर्धारित समय में स्थान 'क' से 'ख' तक जाने का है । इसलिए पूरे देश की पृष्ठभूमि में यदि हम विदेशी वस्तुओं का भार वहन नहीं कर सकते हैं तो हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए । इसलिए मैं व्यय में अत्यधिक कटौती किये जाने का परामर्श दूंगा और मैं यहां तक कहूंगा कि गैर योजना और योजनागत दोनों ही प्रकार के व्यय में कटौती की जानी चाहिए ।

जहां तक गैर योजना व्यय का सम्बन्ध है किसी भी व्यक्ति को यह परामर्श देने में परेशानी होगी कि योजना व्यय में कटौती की जाए लेकिन हमें जीवन की सच्चाईयों का सामना करना चाहिए अर्थात् यदि हम इतने व्यापक व्यय का वहन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ विदेशों से ऋण ले कर और कर्ज के बोझ तले दब जाना सिर्फ दिखावटी विकास है जो हम अपने देश में कर रहे हैं ।

योजना व्यय में भी जहां एक रुपया खर्च होता है और वास्तव में सिर्फ चार आना या 25 पैसे ही वास्तविक खर्च होता है और करीब 12 आना तो बीच में खाने वालों में बंट जाता है । इसलिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं वित्त सम्बन्धी मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मैं सोचता हूं कि संसद और जनता के प्रतिनिधित्व होने के नाते हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ऋण के फंदे में नहीं फंसेंगे और इन सभी

संस्थाओं से ऋण लेना बन्द कर देंगे, जिसका भुगतान हमें असंभव प्रतीत हो रहा है । यही मेरा सुझाव है और इसकी जाँच करना विशेषज्ञों का कार्य है ।

जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार एक समझदार गृह स्वामी अपने बजट को संतुलित करता है उसी प्रकार भारतीय वित्त मंत्री जी को सम्पूर्ण देश के गृह स्वामी के रूप में बजट संतुलित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम अपने साधनों से अधिक व्यय नहीं करें ।

संसाधनों में वृद्धि करने सम्बन्धी इन उपायों के अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वेतन भोगी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने हेतु उदारवादी रवैया अपनाया है । साथ ही कदाचार को रोकने के लिए भी बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गयी है । देश में तस्करी द्वारा इतनी अधिक मात्रा में सोना लाया जा रहा है परन्तु इस बात पर आश्चर्य होता है कि सरकार सोने के अधिकृत आयात की अनुमति क्यों नहीं देती है । यदि इसकी आवश्यकता है तो ऐसा किया जाना चाहिए । भारत में लोगों को शादी-ब्याह के मौकों पर अत्यधिक सोने की आवश्यकता होती है और वे किसी न किसी तरीके से उसे प्राप्त करते हैं । कोई भी कार्य की शुरूआत करने के लिए उसे ऊपर के स्तर से शुरू करना होगा । हम देखते हैं कि किसी भी समारोह के लिए गाड़ियों का काफिला सुरक्षा की गाड़ियाँ, अंगरक्षक और सैंकड़ों पुलिस बल तैनात किये जा रहे हैं । निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि हमें अपने महत्वपूर्ण स्थानों, प्रमुख व्यक्तियों की रक्षा करना चाहिए परन्तु आजकल इसे और कुछ नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । इन कुछ तथाकथित प्रमुख स्थानों की रक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की इतनी बड़ी संख्या है जो मेरे विचार से मन को झकझोर कर रख देती है । सख्ती से इसमें कमी किये जाने की आवश्यकता है ।

कारों के काफिले हैं सुरक्षा कर्मियों की भारी संख्या और भारी संख्या में टेलीफोन हैं । मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि विगत कुछ दिनों में हजारों टेलीफोन वापस किये गये हैं । मैं समझता हूँ कि अभी भी ऐसे हजारों टेलीफोन हैं जिन्हें सिर्फ प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । इन्हें आसानी से वापस किया जा सकता है । इन सबों का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है ।

फिर निजि सहायक, निजि सचिव, वैयक्तिक सचिव तथा अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । जब भी आप किसी कार्यालय में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वे मेजों पर पैर रखकर बैठे हुए हैं और चाय का प्याला ले कर गपशप कर रहे हैं ।

मैं आपको राष्ट्रीयकृत बैंकों का इसी प्रकार का उदाहरण देता हूँ । आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाईये । उस बैंक में देश में स्थित किसी भी विदेशी बैंक में हो रहे कार्य का 10 प्रतिशत काम भी नहीं हो रहा है । इस तरह की बातें हम दिल्ली में ही देख सकते हैं । आप किसी विदेशी बैंक में जाईये और वहाँ की कार्यक्षमता देखिए । आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाईये और वहाँ की कार्यक्षमता देखिए । विदेशी बैंक में आप अधिक से अधिक 10 से 20 कर्मचारी देखेंगे । वहाँ पर जितना काम किया जाता है वह उसके साथ ही स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में जहाँ कम से कम 50 कर्मचारी होंगे और सभी चाय के प्याले के साथ बैठे रहते हैं, में किये जा रहे काम से कहीं अधिक होगा, फिर आप उनका व्यवहार देख सकते हैं । वह बहुत ही खराब है । हमेशा से मेरी यह धारणा थी कि ग्राहक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मुझे मेरे पैसे जमा करना और मेरी सेवा करना बैंक की जिम्मेवारी है । लेकिन हर बार जब भी मैं बैंक जाता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि वे मेरा कार्य कर के मुझ पर अहसान कर रहे हैं । मैं समझता हूँ जिस प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों का व्यवहार, उनकी अशिष्टता, वहाँ व्याप्त गन्दगी शर्मनाक है । मैं समझता हूँ बहुत ही आसानी पूर्वक कम से कम इसके आधे खर्च में कमी लाई जा सकती है । दलबीर सिंह जी, मुझे खेद है मैंने

सिर्फ बैंकों की बात कही है लेकिन मैं सोचता हूं कि अन्य सरकारी संस्थाओं में भी इसी प्रकार होता है। किसी एक विशेष कार्यालय के बारे में कहना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक भारत के लोगों को अफसरशाही के चंगुल से मुक्त नहीं किया जाता, यह देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। यहां सभी मंत्रीगण और सभी राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि वे देश पर शासन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वे देश पर शासन नहीं कर रहे हैं। अफसरवर्ग देश पर शासन कर रहा है। वे नीति तैयार करते हैं। वे उसे लागू करते हैं। मंत्रीगण और राजनीतिज्ञ सिर्फ कोरी बातें ही करते हैं। हम पूरी तरह से अफसरशाही के चंगुल में हैं और जब तक हम इससे नहीं छूटते हैं यह संभव नहीं है। एक बार फिर मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हजारों अफसरों पर "गोल्डन हैंड शेक" या इसी प्रकार की कोई योजना लागू की जा रही है। मेरे पास अभी सही आंकड़े नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि करीब 10 या 15 वर्ष पूर्व हरियाणा में कुल करीब 100 या इसी के लगभग भा० प्र० से० के अधिकारी थे परन्तु आज मैं समझता हूं कि उनकी संख्या लगभग 500 या अधिक होगी। यद्यपि माननीय प्रधान मंत्री जी उनकी संख्या कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं परन्तु कहानियों के बेन अबु ऐडहम के कबिले की भांति इनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी। उनकी संख्या कम करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वे अपने लिए अधिक से अधिक पदों का सृजन कर लेते हैं और उनके द्वारा सृजित पदों को भरने के लिए कार्य में विस्तार किया जायेगा।

मैं सोचता हूं कि हम में भी त्रुटियां हैं। हम भी इस मिथ्याचार में लिप्त हैं। मिथ्याचार से मेरा अभिप्राय यह है कि हम वास्तव में वह बातें कहते हैं वह केवल सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए होता है। और इस बातों को कहने में हम इसकी चिन्ता नहीं करते हैं कि इस प्रकार से हम कितने ईमानदार लोगों की छवि धूमिल कर रहे हैं।

मैं प्रत्यक्ष रूप से इस विषय से सम्बन्धित नहीं हूं परन्तु मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। हमारे एक बहुत ही योग्य सेनाध्यक्ष, जो कि एक कुशल कमांडर हैं लाखों लोगों की फौज का नेतृत्व करते हैं। उनकी छवि यहां धूमिल की जा रही थी। क्यों ? क्योंकि उन्होंने यहां 'रिश्वत' शब्द का इस्तेमाल किया था। सेना में हम रोज दिन 'रिश्वत' शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई गलत अर्थ नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के लिये उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्हें इस पर कोई आपत्ति होगी। लेकिन यहां यह कहते हैं कि कैसे एक सैन्याधिकारी ने इस शब्द का इस्तेमाल हमारे मित्रों के लिए किया। यह सोचा गया कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि वे दस लाख लोगों की सेना का नेतृत्व करते हैं। उन्हें उन लोगों का सम्मान प्राप्त है और यदि हम उन्हें यहां बदनाम करते हैं तो इसका सेना के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मुझे इसके लिए खेद है कि मेरा अभिप्राय और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री और उनके दल ने पर्याप्त राहत प्रदान कर दी है। मैं समझता हूं कि 'पर्याप्त' शब्द से मेरा तात्पर्य यह नहीं है लेकिन उन्होंने वेतनभोगी वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत दी है और मैं समझता हूं कि वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को बेहतर राहत प्रदान करने हेतु बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और अनेक माननीय सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि छूट सीमा बढ़ाकर कम से कम 36,000 रुपये अर्थात् 3000 रुपये प्रतिमाह की जानी चाहिए। मेरे विचार से यह बहुत ही उचित मांग है और छूट की सीमा 28,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये की जानी चाहिए।

मैं यह भी महसूस करता हूँ कि इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों को कम किया जाए क्योंकि यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि यदि करों को कम कर दिया जाता है तो अनुपालन बेहतर होगा और यदि पर्याप्त कमी की जायेगी तो सम्पूर्ण राजकोष को लाभ पहुँचेगा । अधिक दर पर करों में हमेशा बेईमानी उत्पन्न होती है । कराधान जितना अधिक होगा बेईमानी उतनी ही आवश्यकता बन जाती है । इसलिए मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी को भी बढ़ावा देना, हमारे ऊपर, माननीय वित्त मंत्री जी पर निर्भर करता है और यह करों की दर में और छूट दे कर किया जा सकता है ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूँगा, मैं इसे क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं बल्कि एक प्रबल परिवर्तन कहूँगा और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सैन्य बलों के लिए आयकर को पूरी तरह से समाप्त किये जाने के प्रश्न की समीक्षा करने का अनुरोध करूँगा और यह एक शुरूआत होगी । एक आदर्श समाज वह होगा जहाँ कोई कर नहीं होगा । यह हम कम से कम आगामी 50 वर्षों के लिए तो आशा नहीं कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक शुरूआत तो की जा सकती है और यह शुरूआत सैन्य बलों के लिए आयकर समाप्त करके की जानी चाहिए ।

मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई वित्तीय भार अथवा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सी० बी० ई० आयकर कार्यालय और जी० एच० क्यू० आयकर कार्यालय में इतने अधिक कर्मचारी हैं कि यह अपने आप में एक फौज है और सैन्य बलों में कर चुकाने वालों की संख्या बहुत ही सीमित है । यदि छूट की सीमा बढ़ा कर 36,000, रुपये या 48,000 रुपये कर दी जाती है तो इसमें और कमी आ जायेगी और जी० एच० क्यू० आयकर कर्मचारी तथा रक्षा लेखा नियंत्रक कर्मचारियों की इस फौज पर होने वाले व्यय को बचाया जा सकता है । सैन्य बलों के कर्मियों से आयकर की वसूली पर हुआ व्यय लगभग उतना ही है जितना कि आय अथवा वसूल किया गया कर । अत: मैं सोचता हूँ कि यदि गम्भीरता पूर्वक कदम उठाया और इस सुझाव को स्वीकार किया जाए तो शुरूआत तो हो सकती है । यदि कोई यह कहता है कि यह हास्यापद सुझाव है जिस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है तो इसे रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है और इस पर विचार न किया जाये ।

फिर कर सम्बन्धी कानूनों का प्रश्न आता है । हमारे देश में कर कानून बहुत ही जटिल हैं और संशोधन तथा संशोधनों के संशोधन बहुत ही अधिक हैं । पहले तो एक संशोधन होता है और फिर संशोधन का संशोधन किया जाता है ।

मुझे युद्ध के समय का एक व्यंग्यचित्र (कार्टून) याद है, जिसमें एक संदेशवाहक कबूतर एक बिजली के खम्भे पर बैठा है और दूसरा संदेशवाहक कबूतर उसके पीछे से उड़कर आता है और पहले कबूतर से पूछता है कि क्या वह युद्ध कार्यालय का अमुक अमुक पत्र ले जा रहा है तथा उससे इस पत्र को शीघ्र पहुंचाने को कहता है, क्योंकि दूसरा कबूतर पहले कबूतर द्वारा ले जाए जा रहे संशोधन का संशोधन ले जा रहा था । इसी प्रकार यहां भी संशोधन पर संशोधन हो रहे हैं । इससे केवल आयकर वकीलों और आयकर विवरणियां तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को लाभ हो रहा है । यह सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं ।

यदि कानून सरल होंगे, तो यह अच्छा रहेगा । मुझे कहा गया है कि राजा चल्लैया समिति ने कुछ उत्कृष्ट सिफारिशें की हैं । यह केवल अफवाह है, मैंने सुना है कि सभा के बहुत से सदस्यों ने राजा चल्लैया समिति की सिफारिशों की सराहना की है । यदि यह सिफारिशें इतनी अच्छी हैं तो हम एकदम नए कानून क्यों नहीं बना लेते और इन संशोधन पर संशोधनों की स्थिति को दूर क्यों नहीं करते, ताकि नागरिकों के जीवन को

थोड़ा-बहुत सुखी बनाया जा सके। यह उन्हें और अधिक ईमानदार नागरिक बनने में सहायक होगा ?

दूसरा मुद्दा चुंगी का है। मेरे विचार से चुंगी हमारे देश के लिए शर्म की बात है। हम केवल जबान से यह कहते हैं कि यातायात निर्बाध गति से चलना चाहिए परन्तु फिर भी हम चुंगी लगाते हैं। यदि कोई वाहन यहां से जयपुर जाता है तो उसे छह शहरों में सौ जगहों पर रुकना पड़ता है। इससे कई वाहन-घण्टों और मानव-घण्टों की बर्बादी होती है। चूंकि हम समय को कम महत्व देते हैं, इसलिए इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। परन्तु बर्बाद हुए वाहन-घण्टों और मानव-घण्टों की संख्या एक आपराधिक बर्बादी है। किसी भी माल वाहक वाहन का बहुत सारा समय टर्मिनल कर और चुंगी का भुगतान करने में नष्ट हो जाता है।

डीजल की बचत करने के प्रश्न पर समितियां बनी हुई हैं। यह समितियां यह सुनिश्चित करने के लिए बनी हैं कि डीजल की बचत किस तरह से की जाए। चुंगी और टर्मिनल टैक्स के भुगतान करने की वजह से लाखों लीटर डीजल बेकार होता है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इससे भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ता है। इसे 'प्रवेश' के नाम पर वसूल किया जाता है। इसके लिए वह सौ रुपये देता है। किस लिए ? यह प्रवेश देने के लिए दिया जाता है। प्रवेश का मतलब है टर्मिनल टैक्स पोस्ट पर चुंगी देना। जब वह सौ रुपये देता है तो वह कहता है ठीक है जाओ। यूरोपीय समुदाय का उदाहरण लीजिए, जहां यातायात निर्बाध गति से चलता है। वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई कर नहीं लगता है, कोई चुंगी नहीं लगती है, वहां पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है। परन्तु यहां पर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए हमें टर्मिनल टैक्स, पोस्ट पर चुंगी देनी पड़ती है। मुझे मालूम नहीं है कि इसे समाप्त करने में क्या कठिनाई है। इसे समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता है ? मैं समझता हूं कि कुछ राज्यों ने चुंगी समाप्त कर दी है। मुझे इस बारे में पक्का विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि कर्नाटक राज्य ने चुंगी समाप्त कर दी है। यदि जब कुछ राज्य चुंगी समाप्त कर सकते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अन्य राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ? इसका मतलब है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि इन टर्मिनल टैक्स और चुंगी केंद्रों पर होता है। मैं वित्त मंत्री से राज्यों के साथ परामर्श करके इस मुद्दे की जांच करने का अनुरोध करता हूं। दूसरा बहाना यह बनाया जा रहा है कि यह राज्यों का विषय है। जब कुछ राज्य ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे राज्य क्यों नहीं कर सकते हैं ? यदि केंद्र सरकार को इस से किन्हीं विशेष नगर निगमों और अन्यों को प्रतिपूर्ति करनी है तो उसे इसके लिए दर निर्धारित करके उनकी प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। मैं समझता हूं आज जिस रूप में चुंगी प्रथा मौजूद है वह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है।

फिर, बिक्री कर एक और मुद्दा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। अतः मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा।

दूसरा सुझाव वित्त मंत्री जी द्वारा विचार करने के लिए डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में अन्तर कम करने के बारे में है। फिलहाल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई और मिट्टी के तेल की कीमत कम कर दी गई थी। हम प्रकट रूप से यह कहते हैं कि चूंकि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें उनके लिए मिट्टी का तेल और आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए। क्यों ? ऐसा कीमतों में अन्तर के कारण है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पूरा मिट्टी का तेल परन्तु 75 प्रतिशत मिट्टी के तेल में मिलावट है और कीमतों में अत्यधिक अन्तर होने के कारण इसे डीजल में मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि किसी शहर में मिट्टी के तेल के सौ टैंकर्स आते हैं तो उनसे 50 टैंकर्स सीधे ही पैट्रोल पम्पों पर खाली हो जाते हैं और इनमें से मुश्किल से 50 टैंकर्स ही

समाज के गरीब लोगों में वितरित किए जाते हैं । यदि डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में जो अन्तर है उसे कम किया जाता है, तो मिलावट-खोरी लाभकारी नहीं रह जाएगी तथा गरीब लोगों को मिट्टी का तेल और अधिक आसानी से उपलब्ध होगा और सभी डीजल इंजनों की कार्य-क्षमता बढ़ जाएगी । आज इस मिलावट-खोरी के कारण ट्रैक्टर इंजन या ट्रक इंजन का जीवन काल अधिक नहीं तो कम से कम 25 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है । मैं वित्त मंत्री से इस बारे में अपने इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ।

ये कुछ बातें थी जिन्हें मैं कहना चाहता था । महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वित्त विधेयक पर बोलने से पहले मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो संसाधनों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वित्त विधेयक से सीधे नहीं जुड़े हैं ।

प्रथमत: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को बचत बैंक जमाओं पर 6 प्रतिशत ब्याज देने की अनुमति दी है । अब हमें यह भी मालूम है कि बचत बैंक खाते डाकघरों में भी खोले जाते हैं । इतने लम्बे समय से स्थिति ऐसी थी कि डाकघर बचत बैंक खातों पर ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों के बचत बैंक खातों से अधिक थी । अब उनकी दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम है । बैंकों में ब्याज की दर 6 प्रतिशत और डाकघर में साढ़े पांच प्रतिशत है । मैंने वित्त मंत्री से बात की है । उनकी भावना यह है कि डाकघर दरें कुछ कर छूट के साथ सुलभ कराई गई हैं । यह एक ऐसा तर्क है जो पूर्णत: मान्य नहीं है । क्यों ? ऐसा नहीं है कि उनका वक्तव्य झूठा है, लेकिन सत्य यह है कि जिन लोगों के डाकघरों में खाते हैं वह आय कर दाता नहीं हैं । ऐसे लोग पूरे देश में हैं । वह लघु बचत करने वाले हैं और करदाता नहीं हैं । डाकघर बचत बैंक में खाता खोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है । कर छूट उनके लिए असंगत बात है । डाकघर बचत बैंक खातों की राशि राज्यों के लिए ऋण के रूप में भी उपलब्ध होती है । इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि उत्तर देते समय या उससे पहले उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि डाकघर बचत बैंक खातों की ब्याज दरें 6 प्रतिशत से अधिक है, जो कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए मौजूदा दर है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है, यद्यपि यह वित्त विधेयक से सीधे ही जुड़ी हुई नहीं है यह उसी तरह से अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत ही संसाधन जुटाने से संबंधित है । वह एक संदर्भ है जो कि चल्लैय्या समिति की रिपोर्ट में भी है । मैं माल पर कर का जिक्र कर रहा हूं । यह कर बड़े राज्यों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 100 करोड़ रुपए कर राजस्व पैदा कर सकता है । इस तरह से उन सभी बड़े व्यावसायिक लोगों को पकड़ा जा सकता है जो बिक्री कर देने से बचते रहते हैं, क्योंकि वह इसे बिक्री नहीं कहते हैं बल्कि माल कर का अन्तरण कहते हैं और माल कर के जरिए 15 करोड़ रुपए एकत्र किए जा सकते हैं, जिसका लाभ पूर्ण रूप से राज्यों को प्राप्त होगा ।

मेरी तीसरी बात एक बहुत ही आसान मांग है । सरकार को इस किताबी बजट को तत्काल वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी आंकड़े गलत दिए गए हैं । मैं आंकड़े आपको पढ़कर सुनाता हूं । मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने इसमें झांकने की जरूरत समझी है । मैं दो दस्तावेजों की तुलना कर रहा हूं । एक प्राप्ति बजट है और दूसरा 'बजट—एक दृष्टि में' है । यदि यह गलती हो तो मैं इसमें ऐसी गलती के कारण समझता हूं । क्योंकि मैं समझता हूं कि जानबूझ कर झूठे आंकड़े तैयार किए गए हैं, ताकि आत्मसंतोष के लिए देश को झांसा दिया जा सके । बजट में निगम कर के लिए 8125 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया गया है

और प्राप्ति बजट में यह आंकड़ा 7800 करोड़ रुपए दिया गया है । आयकर के लिए 7870 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया गया है और प्राप्ति बजट में यह राशि 7300 करोड़ रुपए दी गई है । इसी तरह से इसमें सारी शृंखला है । व्यय कर के मामले में दूसरी तरह की त्रुटि है । इसमें 50 करोड़ रुपए की और प्राप्ति बजट में 150 करोड़ रुपए की त्रुटि है । सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सभी अन्य मदों पर इस पुस्तिका में 50 करोड़ रुपए के अलावा सभी आंकड़ें बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए हैं, आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर देने के कुछ कारण हो सकते हैं । साथ ही मैं यह मांग करता हूं कि इस पैम्पलेट बजट को "सरसरी निगाह से" परिचलन से समाप्त किया जाए । (व्यवधान) यदि आप चाहें तो इसे तत्काल वापस लिया जा सकता है ।

इस वित्त विधेयक और वित्त विधेयक के इस दृष्टिकोण पर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । काम क्या था ? काम संसाधन जुटाना था । थोड़े समय के लिए हम संकट में है । यह बात हमें बार-बार बताई जा रही है । उस संकट को एक तरह से घाटे में, बजट में दिखाया गया था और दूसरी तरह से हमारे विदेशी व्यापार घाटे के संतुलन में दिखाया गया है । ये अल्पावधि की महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जिनका कीमतों की अल्पावधि समस्या और बेरोजगारी की गंभीर अल्पावधि समस्या के अलावा उत्तर दिया जाना है ।

अब मैं बताता हूं कि उन लोगों का कैसे इसका सामना करने का विचार है । अभी कुछ मिनट पहले हमारे विद्वान साथी श्री जार्ज फर्नान्डीज हम से पूछ रहे थे कि आप कितनी मात्रा में अतिरिक्त संसाधन जुटा रहे हैं । शायद वह क्षण भर के लिए यह भूल गए थे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुदेश घाटे के संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि खर्च में मितव्ययता के प्रयास किए जाने के संदर्भ में थे । वित्त विधेयक के जरिए निवल संसाधन जुटाना 570 करोड़ रुपए का घाटा है । यह एक साहसिक प्रयास है । संसाधन जुटाने के बजाय उन्होंने वित्त विधेयक के माध्यम से उन्हें गवा दिया है । जार्ज जी क्या आप यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ? ठीक है । उन्होंने यह कैसे किया मैं इस बात पर आऊंगा । उन्होंने 570 करोड़ रुपए छोड़ दिए हैं । खर्च में कटौती को हम जानते हैं । मैंने अपने बजट भाषण के दौरान यह उल्लेख किया था कि यह एक खतरनाक रास्ता है क्योंकि खर्च में प्रत्येक कटौती किसी की आय में कटौती है जिसको कि उस व्यय का लाभ मिलना था, यह लघु उद्योग क्षेत्र हो सकता है, यह सचिवालय का एक कर्मचारी हो सकता है, यह आई०आर०डी० की अथवा जवाहर रोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर रहा कोई श्रमिक हो सकता है ।

3.49 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

महोदय, मैं समझता हूं कि वक्ता को समय देने में आप उपाध्यक्ष महोदय से कम उदार नहीं हैं । अब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं ।

हम जानते हैं कि हमारे पास संसाधन हैं । लेकिन उन संसाधनों का उत्पादन करने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इस शक्ति को हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सकता है । उसकी शर्तें संसाधन जुटाना है । मैंने एक मैक्रो ढांचे के आधार पर यह संकेत दिया है कि बजट भाषण के दौरान 570 करोड़ रुपए का निवल घाटा था । अब दो घोषणाओं के बाद बजट के समय उत्तर देते समय और वित्त विधेयक लाते समय आपने उस घाटे को इसमें जोड़ दिया है अथवा दूसरे के द्वारा केंद्र के लिए 400 करोड़ रुपये राजस्व अर्जन को लगभग नकार दिया है । यद्यपि आपके वित्त विधेयक के माध्यम से यह घाटा एक हजार करोड़ रुपए का हो सकता था ।

आप ऐसा कैसे कर सके ? यह बात बहुत रोचक है । यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो तो मैं कहूंगा कि आपके बजट का पूरा दृष्टिकोण विदेशी शक्तियों के दबाव के अलावा, अमीर लोगों को छूट देने के संदर्भ में है । ऐसा नहीं है कि डा० मनमोहन सिंह को तथ्यों की जानकारी नहीं है । परन्तु फिर देश में एक धनी व्यक्ति की परिभाषा क्या है ? क्या हम बजट भाषण से या वित्त विधेयक से और इसके प्रावधानों से इस परिभाषा का कोई मतलब निकाल सकते हैं ? मैं सभा और सरकार को और शायद विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों को भी याद दिला दूं कि हमारे देश में 10 प्रतिशत परिवारों की उतनी आय है जितनी कि शेष 90 प्रतिशत परिवारों की आय है । क्या आप उससे सहमत हैं ? मैं केवल इसका उदाहरण दे सकता हूं ।

हमारी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष लगभग 5,000 रुपए है । कृपया इसे पांच से गुणा करें तो यह प्रति परिवार औसत आय 25,000 रुपए बैठती है । यह औसत है । हमारी गरीबी रेखा 12,000 रुपए प्रति वर्ष की आय पर निर्धारित है । अब यदि यह मान लिया जाए कि हमारे देश में प्रत्येक परिवार में एक आय कर दाता है और आयकर में छूट की सीमा 25,000 है तो हमारे देश में आयकर दाताओं की संख्या देश के औसत से अधिक है । ऐसे लोग हजारों की तादाद में हैं । हमारे देश में लगभग 17 करोड़ परिवार हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट-भाषण में यह जो 70 लाख आय-कर दाताओं की संख्या बतायी है, यह संख्या गलत है । यह सही नहीं है । व्यक्तियों तथा हिन्दु अविभाजित परिवारों के कर दाताओं की संख्या 52 लाख के लगभग है । ये लोग निर्धारती हैं । मैं यह भी सोच सकता हूं कि गैर-निर्धारिती कर दाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है । ऐसे लोग कार्यालयों में कार्य करते हैं जिन्हें विवरणी प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी वे कर अदा करते हैं । कुल मिलाकर उनकी संख्या एक करोड़ के आसपास हो सकती है ।

हमारे यहां परिवारों की संख्या 17 करोड़ है । एक करोड़ परिवार आय-कर अदा करते हैं । यह संख्या छः प्रतिशत है । आप कृषि-क्षेत्र से 4 प्रतिशत और जमा करें । इस प्रकार 10 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनकी कर-योग्य आय इतनी होती है जितनी शेष 90 प्रतिशत परिवारों की होती है क्योंकि प्रति-व्यक्ति प्रति-परिवार की आय का यही अर्थ निकलता है और इन 10 प्रतिशत में भी कौन लोग धनाढ्य हैं ? यदि आप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) की रिपोर्टों का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि इस 10 प्रतिशत में से भी एक प्रतिशत से भी कम लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी आय है जोकि शेष नौ प्रतिशत परिवारों की आय से काफी अधिक है ।

कौन लोग धनाढ्य हैं ? आप किन पर कर लगायेंगे ? किन लोगों को आप छूट देंगे ? जरा देखते हैं कि आपने क्या किया है । आपने शुल्क में छूट की व्यवस्था की है । यह भी इस का एक हास्यास्पद पहलू है । बजट भाषण में तो यह कहा गया था कि हम आयात-शुल्क घटाना चाहते हैं ताकि हम अधिकाधिक आयात कर सकें जिससे निर्यात के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को लागत-प्रभावी बन सकें ।

यहां कई प्रश्न पैदा होते हैं । क्या माननीय मंत्री इस बारे में इस सभा को अवगत करायेंगे कि हीरों और आभूषणों को छोड़कर हमारे इन आयातों का हमारे निर्यातों पर किस हद तक प्रभाव पड़ता है ? आपने पूंजीगत वस्तुओं के लिए काफी रियायतें दी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पूंजीगत पदार्थों के आयात से, के फलस्वरूप, हमारा निर्यात अगर नगण्य नहीं है, तो कितना है ?

महोदय, तर्क यह दिया गया था कि आयात-शुल्क पर जो छूट है, वह बहुत ही उदार है, जिससे आयात-शुल्क में 1500 करोड़ रुपये की कमी हो जाती है । अब यह पूरा भाषण ही विरोधाभास से परिपूर्ण है, क्योंकि स्वभावतः ही, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई०एम०एफ०) के दबाव में आकर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते । इसलिए प्रत्येक अनुच्छेद में आपने परस्पर विरोधाभासी ढंग से ही चलना है । इसलिए, एक ओर तो

यह तर्क दिया गया है कि 'आयात को पहले से सस्ता बनाने के लिए मैंने शुल्क लगाया है' और फिर कुछ अनुच्छेदों के बाद, आपने इस तर्क पर रुपये में परिवर्तनीयता का प्रस्ताव किया हुआ है कि इनसे आयात घटेगा और आयात मंहगा हो जायेगा । अब जरा कल्पना कीजिये, कि ये वित्त मंत्री तथा सभी मंत्री यहां तक कि जोकि उनको सहायता देते हैं, ये नहीं बता सकेंगे कि आयात में कमी करने और रुपये में 60 प्रतिशत तक की परिवर्तनीयता करने का, जिनसे, इनका तर्क है, कि आयात पहले से अधिक महंगे हो जायेंगे, असली प्रभाव क्या पड़ेगा । हंसी रोचक बात यह है कि काम तो संसाधनों का दोहन करने का था । परिवर्तनीयता के जरिये आयातों को और अधिक महंगा करने की कोशिश करने की बजाय सरकार को 1500 करोड़ रुपये तक की ड्यूटी-राहत देने की बात नहीं करनी चाहिये थी । और उन्होंने वही कर दिखाया है । ये लोग आंकड़ों की बात कर रहे हैं । मैं उस पर भी आता हूं । महोदय, भले ही आप पहले से ही मेरी ओर देख रहे हैं, आप इसके लिये, मुझे कुछ और समय दीजिये । मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय : निर्मलदा, बात यह है कि मंत्री जी सायं 4-30 बजे इसका उत्तर देने जा रहे हैं ।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, यह असंभव है । (व्यवधान) यह बिलकुल ही असंभव है ।

सभापति महोदय : अभी और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । इसलिये मैं यह अनुरोध करूंगा. . . .

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, आपको सरकार की तरह विरोधजनक बात नहीं करनी चाहिए । वस्तुत: यही कारण है कि वित्त मंत्री सायं 4-30 बजे नहीं बोल सकते । इसलिये हमें अपनी बात जारी रखने दें । (व्यवधान)

सभापति महोदय : निर्मलदा, मुझे यही सूचना दी गई है कि विभिन्न दलों के सभी नेता इस बात से सहमत हुए है कि वित्त मंत्री जी सायं 4-30 बजे अपना उत्तर देंगे । सभी नेता इसी बात पर सहमत हुए है और यही सूचना मुझे मिली है ।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : हो सकता है । महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सरकार इस बात में सक्षम रही है. . . .

सभापति महोदय : मुझे केवल आपसे यही निवेदन करना है कि बहुत से सदस्य और कुछ अति वरिष्ठ सदस्य भी बोलना चाहते हैं ।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : मैं जानता हूं कि जार्ज जी ने बोलना है ।

सभापति महोदय : मैं केवल आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : ठीक है, मैं यथासंभव संक्षिप्त बात कहने का प्रयास करूंगा ।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह वायदा किया है कि वे वित्त विधेयक पर बोलने के लिये यथासंभव अधिकाधिक सदस्यों को अनुमति प्रदान करेंगे । अत: इस वायदे को निभाया जाना चाहिये ।

श्री अन्नाराशु इरा (मद्रास सैन्ट्रल) : 4-00 बजे के बजाय हम माननीय वित्त मंत्री जी को 5-00 बजे उत्तर देने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : पांच बजे नहीं बल्कि 6-00 बजे दिया जाना चाहिए। हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री अन्नाराशु इरा : हम लोग बैठने के लिये तैयार हैं।

सभापति महोदय : यह सभा सर्वोच्च है। जो इस सभा का निर्णय होगा वही किया जा सकता है।

श्री अन्नाराशु इरा : महोदय, सूची में बहुत से वक्ता हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : लेकिन फिर भी वक्ताओं से मैं यह अनुरोध करूंगा कि हर कोई दस मिनट का समय ही ले ताकि प्रत्येक सदस्य बोल सके।

श्री अन्नाराशु इरा : महोदय, जिन सदस्यों को पहले पुकारा गया है, उन सभी को आधा घंटा अथवा 45 मिनट का समय दिया गया है। लेकिन हमें अब आखिर में समय मिला है तो हमारा समय घटा कर 5 मिनट अथवा 10 मिनट कर दिया जाता है। महोदय, यह तो अन्याय है।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं?

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : इन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अन्नाराशु इरा : इन्हें कम से कम पन्द्रह मिनट तक बोलने दिया जाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इस तरह समय व्यर्थ करने की बजाये मैं अपनी बात जारी रखना चाहूंगा।

महोदय, मैं सभा में समक्ष कुछ बहुत ही दिलचस्प उपायों का जिक्र करना चाहता हूं। व्ययकर के बारे में जो प्रस्ताव हैं, उनकी बात करना चाहूंगा। इसमें दो प्रस्ताव हैं। एक तो यह है कि चूंकि मुम्बई में मतदाताओं ने कांग्रेस (आई) के पक्ष में मतदान किया है, इसलिये वातानुकूलित रेस्तरों पर लगने वाला व्यय कर वापिस ले लिया गया है। अब, मैंने इस बात को मूल प्रश्न शुरू किया था कि हमारे देश में कौन लोग धनाढ्य हैं? इसका उत्तर अभी मिलना शेष है: कौन इन वातानुकूलित रेस्तरों में जाता है?

4.00 म० प०

ऐसे लोग तो 10 प्रतिशत लोग भी नहीं जाते। वहां तो केवल वही एक प्रतिशत धनी लोग ही जाते हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिये। ये किन लोगों को रियायतें दे रहे हैं। होटलों के बारे में एक और व्ययकर भी था और वह यह है कि यदि किसी भी होटल का कमरे का किराया 400/-रुपये से अधिक है, तो उन्हें कर अदा करना पड़ेगा। अब चूंकि मुद्रा-स्फीति पैदा हो गई है, इसलिये काफी विरोधाभास की मुद्रा में डा० मनमोहन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि कमरे का किराया 400/- रुपये से अधिक होने की बजाये 200/- रुपये से अधिक होना चाहिये। यदि वह इस तर्क को स्वीकार करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के इस तर्क को स्वीकार करने से उन्हें कौन कोई रोक सकता है कि अधिकतर तो आयकर होना ही नहीं चाहिये, अथवा आयकर में छूट की सीमा बहुत अधिक होनी चाहिये? वह इस तर्क का कैसे प्रतिवाद कर सकते हैं? जिस होटल के एक कमरे का किराया 400/- रुपये है, ऐसे होटल में कौन जाता होगा? इस वित्त विधेयक में यही आन्तरिक पक्षपात निहित है।

अब हम उत्पाद शुल्क पर नज़र डालते हैं । पहली बात तो मैंने यह कही है कि आयात शुल्क के बारे में जब कि बात केवल संसाधनों के दोहन के बारे में थी तो जिससे परिवर्तनीयता के द्वारा निर्यात और भी कठिन बनाकर इन्होंने छूट दी है । यह तो एक प्रश्न हुआ जिसका उत्तर दिया जाना है । इन्होंने अपने संसाधनों को त्याग दिया और परिवर्तनीयता के द्वारा आयात को प्रभावित क्यों किया है ? उनके कर-प्रस्तावों में इस तरह का दृष्टिकोण है । उत्पाद-शुल्क के बारे में भी, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि देश के निर्धन वर्ग से संबंध रखता है, अपनी तर्कशक्ति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि साधारण सीमेंट पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया जाये परन्तु सफेद सीमेंट पर उत्पाद शुल्क घटा दिया जाये ? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं ? सफेद सीमेंट कौन इस्तेमाल करता है और साधारण सीमेंट कौन इस्तेमाल करता है ? क्या सफेद सीमेंट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता साधारण सीमेंट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की अपेक्षाकृत निर्धन है ? सीमेंट के बारे में उन्होंने इस तरह के प्रस्ताव किये हैं । केवल यही बात ही इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है । मैं बहुत से उदाहरण रख सकता हूं लेकिन मैं केवल एक अथवा दो उदाहरणों का उल्लेख ही करूंगा ।

महोदय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित होकर हमें सम्मान दिया है ।

सभापति महोदय : कृपया यह जानकर बात को नये सिरे से मत शुरू कर दीजिये कि वित्त मंत्री जी अभी पधारे हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो समय की उपलब्धता के हिसाब से दौड़ रहा हूं ।

अब, यह देखिये कि लोहे की छड़ों सलाखों आदि के मामले में भी उत्पाद शुल्क में वृध्दि कर दी गई है जब कि स्टेनलेस-स्टील के मामले में उत्पाद शुल्क कम किया गया है । स्टेनलेस-स्टील का कौन इस्तेमाल करता है और साधारण लोहे की सलाखों की किसको जरूरत होती है ? मैं एक अन्य वस्तु का भी उदाहरण दे सकता हूं । स्टेपल-फाइबर और पोलियस्टर-फाइबर के बारे में गीता जी ने पहले भी उल्लेख कर दिया है । प्रोफेसर महलोनोबिस ने मुझे काफी समय पहले बताया था कि पोलियस्टर नहीं बल्कि नायलोन ही केवल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वास्तव में जिसका विकास किया जा सकता है और गरीब लोगों द्वारा इसका सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है । इन्होंने पोलियस्टर फिलामेंट पर तो टैक्स कम कर दिया है जबकि स्टेपल फाइबर उत्पाद पर टैक्स बढ़ा दिया है । इस प्रकार ये कुछेक उदाहरण हैं ।

अगली बात यह है कि क्या वित्त मंत्री जी को घड़ियों की कोई जानकारी नहीं है । वह कहते हैं कि उन्होंने घड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है । अब आप टाइटन, एच० एम० टी तथा अन्य सजावटी घड़ियों की बात लीजिये । लेकिन उन सभी घड़ियों पर एक समान कर क्यों लागू किया जाये ? प्लास्टिक की बनी कुछ इस तरह की घड़ियां भी है जो 40/- रुपये अथवा 50/- रुपये में मिलती हैं । आप इनके लिए भी एक ही तरह की टैक्स-दर क्यों नहीं निर्धारित करते ? इसके बाद फैशनेबल घड़ियां भी है जोकि एक खास किस्म की है । इन घड़ियो पर अन्य घड़ियों के अपेक्षाकृत काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिये । लेकिन वित्त मंत्री ने इन पर कर लगाने में कोई भी भेद नहीं किया है । उनके सामने हर चीज अस्पष्ट है, कुछ तो इसलिये भी कि उन पर दबाव पड़ रहा है । अब आंकड़ों में जो मिथ्या बातें हैं, उन पर चर्चा करते हैं । उन्होंने जो अनुमान लगाये हैं जोकि पैरा 61 परम्परागत ढंग से आये है, इसमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की टैक्स राहत का उल्लेख किया है । उन्होंने गैर-व्यावहारिक ढंग से यह अनुमान लगाया है जिससे यह छूट समाप्त हो जाती है । इसके बाद पैरा 77 में, जिसमें उन्होंने सीमा-शुल्क में होने वाले घाटे की बात की है, उन्होंने वही बात की है कि परम्परागत अनुमान के आधार पर, इसमें 1700 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है । लेकिन इसका भी

उन्होंने गैर-व्यावहारिक ढंग से अनुमान लगाया है। परन्तु इसी बीच, इस अनुमानों पर नज़र डालिए। आंकड़े यहां मौजूद हैं।

उत्पाद-शुल्क के मामले में भी इस वित्त-विधेयक के द्वारा किसी माध्यम से नकारात्मक धनार्जन किये जाने के बावजूद भी, इन्होंने गलत किस्म के उत्पाद-शुल्क लगाकर यथासंभव अधिक शुल्क एकत्रित करने का प्रस्ताव किया है। जब आप यह कहते हैं कि 2305 करोड़ रुपये के लगभग अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क इकट्ठा किया जायेगा, जोकि वर्ष 1991-92 के पुनरीक्षित अनुमानों और वर्ष 1992-93 के बजट-अनुमानों के अन्तर में साफ दिखाई देता है, तो यह आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प प्रतीत होता है। बात तो यह है कि उत्पाद-शुल्क से जो कर राशि इकट्ठा होगी, वह उस अतिरिक्त आयात से मिलने वाले कर से अधिक नहीं होगी जिसकी उत्पाद-शुल्क में छूट दी गई है। क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि ऐसा लगता है कि इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास नहीं हो सकेगा। यह दोनों आंकड़े एक दूसरे से मेल खाते हैं। संसाधनों के दोहन के अल्पकालीन लक्ष्य, आयात और निर्यात में सन्तुलन तथा कीमतों में कमी लाने के प्रयास संबंधी अल्पकालीन लक्ष्य तथा रोज़गार जिसका उन्होंने दीर्घकालीन उपाय के रूप में अनुमान लगाया है—मेरे पास इन सभी बातों को बताने का समय नहीं है—के अलावा, वर्ष 1992-93 में कोई भी आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा।

लेकिन यह काफी नहीं है:

यद्यपि उनकी बजट नीतियों के कारण यह यथार्थवादी है, इसके साथ ही, शेष आंकड़ों में पारदर्शन 1992-93 के लिए संग्रहण के अन्य आंकड़ों से सुस्पष्ट है। सीमा-शुल्क में सकल घाटे के आंकड़े यह हैं, जिन्हें उन्होंने कहा है कि इनकी गणना पारम्परिक तौर पर की जाती है। 1992-93 में संग्रहण का अनुमान कितना है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1991-92 के अनुभव के बावजूद भी, यह अनुमान संशोधित दरों से 5,000 करोड़ रुपये और अधिक है। उन्होंने शुल्क कम किया है। फिर, वह कहते हैं कि आपको इतना अधिक और आयात करना पड़ेगा कि 1500 करोड़ रुपये के लगभग कमी न करने के अतिरिक्त, संशोधित अनुमानों की तुलना में, उनके पास 5,000 करोड़ रुपये फालतू होंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय यह है कि हमारे व्यापार-संतुलन की स्थिति को नियंत्रित करने की बजाय, वह अपनी यह इच्छा जाहिर कर रहे हैं—शायद दबाव में आकर—कि निर्यात को और अधिक उदार बनाया जाये और वह हमारे भुगतान-संतुलन की स्थिति को विकृत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों पर भी एक पारम्परिक तरीके से राहत रही है।

सभापति महोदय: आपने लगभग आधे घंटे का समय ले लिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें। केवल 10 मिनट का ही समय दिया जाता है।

इस ओर से कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं। उस ओर से कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): अगर सभा आठ बजे के बाद तक चलती है, तो हम इसके लिए तैयार हैं। अन्यथा, एक ही माननीय सदस्यगण इस प्रकार से बोलते रहना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं कुछ मुद्दे और रखूंगा।

सभापति महोदय: आज के लिये कार्यसूची में और भी कार्य सूचीबद्ध है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं कुछ मुद्दे और रखूंगा।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अगर यह माननीय सदस्यगण एक घंटा लेते हैं, तो अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं मिलेगी ।

सभापति महोदय : इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बात समाप्त करें ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह ऐसा सुझाव दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : वे यह सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें भी बोलने के लिये आधे-घण्टे का समय दिया जाना चाहिये ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आयकर-संग्रहण पर भी नज़र डालिये । वास्तव में जब आयकर-राहतें दी जा चुकी हैं, पूर्वानुमान यह है कि वे व्यक्तिगत आयकर में 400 करोड़ रुपये अथवा 500 करोड़ रुपये और निगमित कर में 500 करोड़ रुपये और अधिक जुटाने में सफल होंगे । पूर्वानुमान अपारम्परिक अनुपालना है : न्यून-दर होने के कारण आज तक कोई भी अनुभवजन्य-अध्ययन यह साबित नहीं कर पाया कि आयकर कम करने से अधिक राजस्व प्राप्त होता है । मैं यह दावा कर रहा हूं और फिर भी गणना के उस अपारम्परिक ढंग से, इस प्रकार का पूर्वानुमान लगा रहे हैं ।

चूंकि आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैं अपने इन वक्तव्यों के आधार पर यह दावा करता हूं कि घाटे के सभी आंकड़े गलत हैं और वे बनावटी हैं । संग्रहण के आंकड़ों में हेराफेरी हुई है । अनुमान--मैंने पहले ही कहा है उस समय आप यहां नहीं थे कि आपको इन्हें वापिस ले लेना चाहिए, इस पुस्तिका को वापिस लिया ही जाना चाहिए क्योंकि इसकी तुलना में बिल्कुल गलत आंकड़े बताती है । सभी आंकड़े लगभग गलत हैं ।

अतः यह रोजगार-उन्मुख नहीं होगा । सीमा-शुल्क संग्रहण में, जैसा अनुमान लगाया गया है, यह विकासोन्मुख नहीं होगा । आयात-शुल्क-संग्रहण और सीमा-शुल्क-संग्रहण में जैसा संकेत किया गया है, यह निर्यात-प्रोत्साहक होगा । उन्होंने कोई योजना तैयार नहीं की है । योजनाबद्ध रोजगार, योजनाबद्ध उत्पादन—के विस्तार का कोई लक्ष्य नहीं है और इन आंकड़ों से केवल इतना ही एकत्रित किया जा सकता है कि यह वित्त विधेयक रोजगार-विरोधी, मूल्य-वृद्धि करने वाला और विकास-विरोधी है, जिसका कोई भी व्यक्ति अपने विवेक से केवल विरोध ही करेगा ।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपका आभारी हूं । मैं मंत्री महोदय का उनके इस नवीनतम कदम के लिए स्वागत करता हूं । हालांकि, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मुझे आशा है कि मेरी बात पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा ।

मेरा प्रथम सुझाव गोवा को दिये गये अनुदान के बारे में है ।

गोवा बड़ी कठिनाइयों में पड़ा है । पिछले अनेक वर्षों से जो अनुदान गोवा को दिये जाते थे, वो अचानक 23.53 अथवा 24 प्रतिशत नीचे आ गये हैं । पिछले कई वर्षों से, गोवा को पर्याप्त अनुदान दिये जाते हैं । मैं संघ-शासित-क्षेत्र के बारे में नहीं बोल रहा हूं—इसके साथ ही यह अनुदान शत प्रतिशत थे, बल्कि गोवा के राज्य बनने के बाद भी 1987-88 के लिए अनुमोदित योजना 79.75 करोड़ रुपये की थी और केंद्रीय सहायता भी इतनी ही थी ।

1988-89 से यह 92 करोड़ रुपये की थी और केन्द्रीय सहायता 86 करोड़ रुपये थी ।

1989-90 के लिए 110 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता 100 करोड़ रुपये थी।

1990-91 के लिए यह अनुमोदित योजना 130 करोड़ रुपये की थी और केन्द्रीय सहायता केवल 10 करोड़ रुपये थी।

1991-92 के लिए अनुमोदित योजना 170 करोड़ रुपये की थी और केन्द्रीय सहायता 42 करोड़ रुपये थी।

1992-93 के दौरान 150 करोड़ रुपये की अनुमोदित योजना थी और केन्द्रीय सहायता 49 करोड़ रुपये थी।

महोदय, मुझे हैरानी है कि लेखनी की नोक पर यह सहायता 100 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कैसे कर दी गई। अचानक एक नया सूत्र तैयार किया गया है और पिछले दो वर्षों से यह सहायता घटाकर 25 प्रतिशत पर ला दी गई है।

गोवा एक नया विकासशील राज्य है। इसे 1961 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यह राज्य दो पंचवर्षीय योजनाओं से चूक गया है। यह राज्य केंद्रीय राजकोष को काफी धनराशि प्रदान कर रहा है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि यह राज्य उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क, आयकर, संपत्ति-कर, उपहार-कर और निर्यात-शुल्क के माध्यम से 300 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि केन्द्रीय राजकोष को दे रहा है। इस राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाक-बचतों, यू० टी० आई०, एल० आई० सी० में 1500 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा है। यह राज्य खनिज-पदार्थों, काजू और झींगा के निर्यात से 500 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य पर्यटन के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से भी अधिक की विदेशी मुद्रा प्रदान कर रहा है। अतः विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, निर्यात-आय के लिए, केन्द्रीय राजकोष में कराधान-आय प्रदान करने के लिए, स्वाभाविक ही है कि मूलभूत ढांचा अति आवश्यक है। पानी और सड़कों जैसे मूलभूत ढांचे अत्यावश्यक हैं। विद्युत आवश्यक है। अतः, ये सभी चीजें बहुत-बड़ी धनराशि व्यय किये बिना प्राप्त नहीं हो सकतीं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि आप राज्य को सहायता प्रदान करते हैं, तो इससे प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप अनुदान में कटौती करना ही चाहते हैं, यदि आप किसी सूत्र का प्रयोग करना ही चाहते हैं, तो फिर आपको धीरे-धीरे चलना होगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जितना आप ज्यादा खिलाओगे उतना ज्यादा अंडा देगी। उसको काटो मत, वह अपने आप ऊपर बढ़ेगी। ऐसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बहुत कम होती है। गोवा उस में से एक है।

[अनुवाद]

इसे स्वयं ही अपने पांवों पर खड़ा होना चाहिये। अतः मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस बारे में किये गये अन्याय से अवश्य ही सहमत होंगे। आप एक ही सूत्र सभी राज्यों पर लागू नहीं कर सकते। यदि आप कोई कमी करना ही चाहते हैं, तो आप इसे आहिस्ता-आहिस्ता और धीरे-धीरे कीजिये। आप 5—10 वर्षों के बाद यानि आठवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कम कर सकते हैं।

अत: आप धीरे-धीरे अपना सूत्र प्रयोग कर सकते हैं—जो भी सूत्र आप लागू करना चाहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे।

दूसरे, आज शिक्षा में बहुत-सी विसंगतियां हैं। अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा, जो शिक्षा हम प्रदान करते हैं, उसके कारण है। शिक्षा के लाभ गरीब वर्गों तक नहीं पहुंच रहे हैं। शहर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा का अधिक हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के लाभ समाज के धनी वर्गों को मिल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्गों को नहीं पहुंच रहे हैं। इस मतभेद का समाधान करना है। आज, नवोदय विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए प्रतिभा बहुत आवश्यक है। प्रतिभा प्रवेश पाने तथा स्नातक-स्तर तक के पाठ्यक्रमों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके पास वैसा माहौल नहीं है। उन्हें अवसर नहीं मिलते। आज धनी वर्गों के लोग सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और व्यापारी वर्ग अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन करते हैं। बच्चों में प्रतिभा का विकास किया जाता है और उन्हें सभी अवसर मिलते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिये।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैंने अपनी बात अभी शुरू भी नहीं की है। मेरे पास बहुत-से मुद्दे हैं।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छी प्रकार से बोल चुके हैं।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : लेकिन बहुत-सी बातें कहनी हैं। मुझे बोलने के लिए और अधिक समय दीजिये। मैं काफी देर के बाद बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : एक ही वाक्य सोने की मुर्गी ने सब कुछ कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मुझे गरीब लोगों के बारे में बात करने दें। आज जो कुछ हो रहा है उसका मूल कारण शिक्षा की कमी है। आज नींव बड़ी कमज़ोर है। हमें आधार बनाना है। यह नींव तब तक नहीं बन सकती, जब तक कि शिक्षा गरीब वर्ग तक नहीं पहुंचती। पचहत्तर-प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। **(व्यवधान)** क्योंकि आपने घंटी बजा दी है, अत: मैं अपने भाषण को संक्षिप्त करूंगा। मंत्री महोदय सम्भवत: यह कह सकते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है। लेकिन वित्त आपका विषय है। जब तक आप वित्त प्रदान नहीं करते आवसीय स्कूल नहीं बन सकते। केवल आवसीय स्कूलों से ही, गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके लिये आप विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपका दस मिनट का समय समाप्त हो चुका है। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : अन्त में मैं यह कह सकता हूं कि आप एक्कोहल तथा महंगे जूते जैसी विलासिता की वस्तुओं तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं।

तीसरी बात फिल्मों के बारे में है । मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि आज फिल्मों का सम्पूर्ण व्यापार-निर्माण, प्रदर्शन और वितरण—बड़े संकट में है । आप ही ने कहा है कि उन्हें सहायता की जरूरत है । हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय ने कहा है, "यदि हम साहित्यिक चोरी रोकना चाहते हैं, यदि हम केबल टी० वी०, स्टार-टी० वी० से स्पर्धा में डटे रहना चाहते हैं, तो केवल एक ही तरीका है कि फिल्मों को सारे देश में एक साथ रिलीज करना होगा ।" ऐसा केवल तभी किया जा सकता है यदि फिल्मों के प्रिंट उचित लागत पर उपलब्ध हों । यदि आप फिल्मों पर कराधान कम करते हैं, यानि, कच्चा-माल, तो ये प्रिंट बड़ी संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं । आज, एक फिल्म पर 60,000 रुपये की लागत आती है और उसमें से 30,000 रुपये कराधान में चले जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि फिल्में अगर 30,000 रुपये में उपलब्ध होती हैं तो इन्हें एक ही साथ सभी जगहों पर रिलीज करवायी जा सकती है और उन्हें रिलीज करने से कम से कम 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रदर्शनी क्षेत्र बन्द हो जाएगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे इसे समाप्त करूं । मैं तो सिर्फ मुद्दों पर ही बात करना चाहता हूं । (व्यवधान) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस तो वस्तुतः इस उद्योग को मदद करने के लिये है . . .(व्यवधान)

लेकिन वह तो परजीवी बन गया है । वह तो अब निर्माताओं और फिल्म उद्योग का खून निचोड़ रहा है ।

मेरे पास हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स में हो रही घटनाओं के संदर्भ में कहने को बहुत सारी बातें हैं । पिछले ग्यारह साल से वहां एक चेयरमैन बैठे हुए हैं लेकिन वह कुछ कर नहीं रहे है । आज जो ये सुविधा-लाभ हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को दे रहे, वही इन्हें निर्माताओं को भी देना पड़ रहा है ताकि फिल्म उद्योग चलता रहे । और आज मुझ पर विश्वास करें, इन्हें जो आज मनोरंजन कर के जरिये 1200 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, उसमें कम से कम 200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी अगर ऐसा कर दिया जाता है । 10 लाख से भी अधिक परिवार फिल्म उद्योग पर आश्रित हैं बल्कि और दूसरे लोग भी उस पर आश्रित हैं । अतः इस उद्योग को कृपया बचायें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि वित्त मंत्री 4-30 म० प० जवाब देंगे और उसके बाद हम मतदान करा लेंगे ताकि हम इसे आज ही के दिन पूरा कर लें । सभी दलों के बीच इस पर मतैक्य था । इसलिये, मेरा अनुरोध है कि किसी भी हालत में वित्त मंत्री का जवाब 5 बजे तक आ ही जाना चाहिए, उसके बाद नहीं (व्यवधान) । इसको आगे बढ़ाना संभव नहीं है । अन्यथा इसको आगे खींचना पड़ेगा । यह उसकी अधिकतम सीमा है और इसी पर निर्णय हुआ था ।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का कहना है कि हालांकि वित्त मंत्री 4-30 म० प० जवाब देने वाले थे लेकिन अब वे 5 बजे जवाब देंगे । अगर यह बात है तो हम आगे बढ़ सकते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, वित्त मंत्री 6-30 म० प० जवाब दे सकते हैं । बहुत सारे सदस्यों को अभी बोलना है ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : वित्त विधेयक को पारित करवाने के लिये कम से कम तीन घंटे चाहिए । और इतना ही समय उसके लिये निर्धारित भी है । इसके अतिरिक्त उसमें बहुत सारे संशोधन भी हैं और यह आज खत्म नहीं हो पायेगा (व्यवधान)

श्री याइमासिंह शुमताम (आंतरिक मणिपुर) : एक सदस्यीय पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया जाता है ? ऐसा करना नियम है या यह संसदीय कार्य मंत्री के इच्छा पर निर्भर है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बात पर सहमती हो चुकी है कि वित्त मंत्री 5 बजे जवाब देंगे । अब श्री आर० जी० विलियम्स बोलेंगे । श्री विलियम्स, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री आर० जी० विलियम्स (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह द्वारा 30 अप्रैल, 1992 को प्रस्तुत वित्त-विधेयक, 1992-93 का समर्थन करता हूँ ।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 1992-93 के केन्द्रीय सरकार का बजट 29 फरवरी, 1992 को प्रस्तुत करते समय दिए गए अपने भाषण के पैरा 59 में जो कुछ भी कहा था, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ :

> "कर की दरों को कम करने से उच्च आय-कर दाताओं को अनेक प्रकार की छूट मिल जाती है, जो कि न्याय संगत नहीं है ।"

यह भावना निःसंदेह प्रशंसनीय है । लेकिन वास्तव में माननीय वित्त मंत्री द्वारा सुझाये गये नये प्रत्यक्ष कर उपायों और वर्तमान में प्रस्तावित संशोधनों की सहायता से उच्च आय-कर दाताओं पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन मौलिक रूप से इस प्रस्ताव से आर्थिक गाज पूर्ण रूप से निम्न आय वर्ग के कर दाताओं और वदनसीब पेंशनभोगियों पर गिरेगी जो पहले से ही वित्तीय तनाव झेल रहे हैं ।

महोदय, जैसा कि इस सत्र के दौरान पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वित्त मंत्री आय-कर में छूट की अधिकतम सीमा 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये करके प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं । 6,000 रुपये की रियायत बहुत ही स्वागत-योग्य है । जबकि, धारा 80 एल० को खत्म करके 13,000 रुपये की तत्कालीन कर रियायत को समाप्त कर दिया गया था । अपने हाल के संशोधन में उन्होंने 7,000 रुपये की छूट का प्रावधान करके धारा 80 एल० को आंशिक रूप से पूर्वस्थिति में लाने की कोशिश की है । महोदय, एक हाथ से तो उन्होंने 6,000 रुपये की कर में राहत दी लेकिन दूसरे हाथ से उन्होंने 6,000 रुपये की पहले से मिल रही छूट छीन ली । जहाँ तक मध्यम आय वर्ग के लोगों का सवाल है, उन्हें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है और उन्हें बढ़ती महँगाई और खासकर सेवा काल के अन्तिम दिनों की बढ़ती पारिवारिक जिम्मेवारियों के मँझधार में वित्तीय रूप से असहाय छोड़ दिया है ।

महोदय, ब्याज और लाभांश आय के सन्दर्भ में धारा 80 एल० के अन्तर्गत 7,000 रुपये की सामान्य कटौती को पूर्वस्थिति में लाने के अतिरिक्त मैं उनसे 6,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती, जिनमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इन्डिया के यूनिटों, म्युच्युअल फंडों और दूसरे सार्वजनिक कम्पनियों से प्राप्त ब्याज की 3,000 रुपये तक की राशि शामिल है, को पूर्वस्थिति में लाने पर पुनर्विचार करने का विनम्र अनुरोध करता हूँ । आगे, लाभांश शेयरों और राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज से प्राप्त आय के सन्दर्भ में 3,000 रुपये की कटौती शेष रह जाती है ।

महोदय, अनेक वर्षों से मध्यम आय वर्ग के कर दाताओं को बहु प्रचारित आकर्षक प्रोत्साहनों के माध्यम से अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित अल्प बचत को उपर्युक्त राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश करने के लिए

प्रोत्साहित किया जा रहा था। लेकिन अब अचानक बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से बिना कोई विश्वसनीय कारण बताये इन कर से सम्बन्धित रियायतों को समाप्त कर दिया गया है। और अब निम्न आय वर्ग के कर-दाताओं को कड़ी परिश्रम से अर्जित अपने धन को स्टॉक और शेयरों में लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है जो कि वर्तमान क्षण में सीधे-सादे और नौसिखिये लोगों के लिये सबसे ज्यादा संकट और जोखिम भरा कार्य है।

महोदय, इन्होंने वयोवृद्ध नागरिकों द्वारा झेले जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों के बारे में मेरे द्वारा पहले दिए गए सुझावों पर कोई विचार नहीं किया है। उन्होंने ऐसे नागरिकों को जो 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों और जिनकी कुल सकल वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम हो, कुल कर अदायगी में दस प्रतिशत की छूट दी है, जो कि मेरी राय में अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। इस प्रकार करों में छूट का प्रावधान वयोवृद्ध नागरिकों के बीच वैयक्तिक रूप से भेद डालने के अतिरिक्त उन्हें वर्तमान में मिलनेवाली कर-रियायत का पूरा लाभ उठाने से भी वंचित करता है क्योंकि वे करों में छूट पाने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

महोदय, कई वर्ष पहले या कहिये कि 1975 में सरकार ने आवश्यक जमा योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत सभी कर-दाताओं को अपनी कर योग्य आय का एक निश्चित प्रतिशत सरकार के पास तीन से आठ वर्षों की अवधि के लिये जमा कराना अनिवार्य था। उस योजना के अन्तर्गत भी 70 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले वृद्धों को पूरी छूट प्रदान की गई थी। उसमें दो व्यक्तियों के बीच अलग-अलग सकल कुल आयों के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया गया था बल्कि वह छूट 70 वर्ष और उसके ऊपर की आयु वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती थी।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे पहले की उस उदार व्यवस्था के अनुरूप 65 या 70 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी वृद्धों को उनकी कुल सकल आय को ध्यान में रखे बगैर प्रस्तावित कर छूट को उन पर लागू करें।

अन्त में मैं उनसे एक बार फिर धारा 54(ई) को जो कि मध्यम आय वर्ग के कर-दाताओं की, खासकर उनके जीवन के अन्तिम चरणों में जब उनके सामने अपने आपको एक नई जिन्दगी में डालने की समस्यायें होती हैं, वित्तीय योजना का वर्षों से एक प्रमुख कारक रहा है, बहाल करने का अनुरोध करता हूँ। इस सुरक्षित धारा की सहायता से वे आवांछित भारी आयकर की अदायगी के बिना ही अपनी जिन्दगी के अधिकांश बचतों को निवेश करने में सक्षम हो जाते थे।

आप संपत्ति-कर दाताओं को उदारतापूर्वक कर-रियायतें और भारी छूट देकर प्रसन्न हो रहे हैं जबकि यह सिर्फ उच्च कर-दाताओं और समाज के संपन्न वर्गों पर ही लागू हो सकेंगे। मैं इन कर प्रस्तावों का पूर्ण रूप से स्वागत और समर्थन करता हूँ, साथ ही कठिनाई झेल रहे मध्यम आय वर्ग के लोगों और पेंशनभोगियों के कर-बोझ को हल्का करने के सन्दर्भ में और अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी अनुरोध करता हूँ।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के वित्त विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, फाइनेंस बिल हमारे समक्ष आ गया है और बिल्कुल अंतिम दौर में है, माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री राजीव गांधी जब इस देश

के प्रधान मंत्री थे और श्रीमान वी० पी० सिंह जी उनके वित्त मंत्री थे तो बड़े जोर-शोर से इस बात को कहा गया था कि अब फाइनेंशल डिसिप्लीन रखने के लिए एक नेशनल पालिसी टैक्सेशन को इवाल्व की जाएगी और उस में हर साल फ्लक्चुऐशन नहीं रहेगा जिससे लोगों को कोई अनिश्चितता का वातावरण न रहे, टैक्सपेयर के मन में वे अपने सेविंग्स को किस प्रकार से नियोजित करें, उसके बारे में, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हर प्रधान मंत्री और हर वर्ष एक नया परिवर्तन लेकर के आता है जिसके कारण लोगों में एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि राजा चेलैया कमेटी भी इसीलिए बनाई गई थी लेकिन उस कमेटी की रेकोमेंडेशंस को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और कोई लगातार कांसटेंट एप्रोच रहे इसका दिग्दर्शन हमें इस नीति में नहीं मिलता है ।

मैं कहना चाहूंगा कि करों का जो कराधान का सिस्टम हो उसके अन्दर एक नियोजन होना चाहिए । एक राष्ट्रीय मान्यता हम लोगों की रहे कि भई, इस मामले में एक मतैक्य है और उसमें कोई चेंजिस नहीं होंगे, चेंजिस होने के कारण लोग अपने धन का ठीक प्रकार से नियोजन नहीं कर पाते ।

समय कम है इसलिए मैं संक्षिप्त में दो-तीन बातें रखना चाहूंगा । पहली बात यह है कि राजा चेलैया कमेटी की जो रेकोमेंडेशंस है एचयूएफ के मामले में, तो उसमें एचयूएफ के बारे में उन्होंने जो रेकोमेंडेशंस दी हैं वे स्वीकार नहीं की गई हैं । इस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर एचयूएफ का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसलिए एचयूएफ को भी इनडिविजुअल इन्कम के समकक्ष किया जाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स की लिमिट 48,000 रुपये की जानी चाहिए । यह इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ी है, रुपये की क्रय शक्ति गिरी है, रुपये का मूल्य एक पैसा रह गया है, इस देश के आजाद होने के बाद, बल्कि उससे भी कम है, लेकिन मैं उसे एक पैसा मानता हूं । इतनी महंगाई बढ़ने के कारण इन्कम टैक्स लिमिट 48,000 रुपए किया जाना अति-आवश्यक है ।

इसके अलावा भत्तों का जो पैसा मिलता है कर्मचारियों को, उस भत्ते को आयकर के अन्तर्गत आय में नहीं लिया जाना चाहिए । इसको आय से बाहर रखा जाना चाहिए । उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि भत्ते आय के अन्दर नहीं आते हैं । इसके साथ ही चेलैय्या कमेटी ने जिस प्रकार की रिकमेंडेशन्ज की हैं कि करों की दरें घटायी जानी चाहिएं, वह उस डिसाब से नहीं घटायी गयी है । इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी का जिस प्रकार से ढांचा बनाया गया है वह इस प्रकार का है कि विदेशी कम्पनियों को राहत मिलती है, आयात को राहत मिलती है, लेकिन जो स्थानीय स्वदेशी उत्पादन करता है उनको कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है । वह इस झटके को नहीं झेल पाएगा । हमारे देश की, समूचे देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी । वित्त मंत्री जी इस बात से प्रसन्न होंगे कि एम० आर० आई० से बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन यह पैसा कर्जे में मिल रहा है । इनडिजिनस प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, इसको देखने की कोशिश करें ।

इस वर्ष के जो आंकड़ें मुझे प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार आज हमारा औद्योगिक उत्पादन गिरा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी गिरावट आयी है । यह भी गिरावट की ओर है । सूखा आने से अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त है । ऐसी स्थिति में यहां देखना होगा कि जो हमारी लेबर ओरिएंटिड इण्डस्टरीज हैं, जिनका प्रोडक्ट बाहर निर्यात होता है, उसे संरक्षण प्रदान कर सकें । कंज्यूमर्स गुड्स पैदा करने वाली इण्डस्टरीज हैं, उनको देश के अन्दर संरक्षण प्रदान कर सकें । इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो चमड़ा उत्पाद हैं पिछले वर्ष उसके निर्यात में 50 प्रतिशत की गिरावट आयी है । अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो इस देश के

अन्दर लाखों चमड़ा उद्योग से जुड़े कर्मचारी और व्यापारी पहले ही मुखमरी के शिकार हो चुके हैं, अब और भी हो जायेंगे । इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी । गलीचे का उत्पादन है वह भी दस्तकार लोग करते हैं । इससे लाखों लोगों को रोजी-रोटी मिलती है, ऐसा ही शिल्पियों का काम है । मैं आंकड़े देख रहा था जितना इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जो निर्यात किया है उससे ज्यादा हमने ज्वैल्स का, जो दस्तकार बनाते हैं उसका निर्यात किया है । ऐसी लेबर ओरिएंटिड इण्डस्ट्रीज हैं, जो निर्यात करती हैं, उनको संरक्षण देने के संबंध में नहीं सोचा गया है ।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि लेबर ओरिएंटिड इण्डस्ट्रीज को न केवल एक्साइज ड्यूटी से मुक्त किया जाए बल्कि इंसेंटिव देने की जो पुरानी पॉलिसी थी, उसको एडाप्ट किया जाए । वित्त मंत्री जी ने लेबर प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट को 10 परसेंट से 5 परसेंट कर दिया है और वाह-वाही लूटने का प्रयास किया है । मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत कम है, यह जले पर नमक छिड़कना है । इसलिए इसको टोटली वापस किया जाए और इंसेंटिव देने की बात सोची जाए ।

काले धन का सर्जन रोकने के लिए सकारात्मक और दृढ़ता के साथ कदम उठाने होंगे । इसके लिए वित्त मंत्री जी को मैंने गतवर्ष भी सुझाव दिया था, इस बार फिर देना चाहूंगा, सेल्स टैक्स की चोरी से काले धन का सर्जन होता है । इसलिए सरकार पहल करे, सेल्स टैक्स को बदल कर सेल्स टैक्स को या तो दूसरे प्रकार के टैक्स में कन्वर्ट किया जाए या विभिन्न प्रदेशों में सेल्स टैक्स में एकरूपता लाने के लिए सरकार अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग करे, जिससे काले धन का सर्जन समाप्त हो । काले धन का जो दुष्चक्र है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी आदि सबको मिला कर सर्जित होता है । इसलिए इस विषयक सर्कल को तोड़ने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है । सरकार ने अब तक काले धन के मामले में जो कदम उठाए हैं उन कदमों से वांछित सफलता नहीं मिल सकी है । मुझे आपकी घण्टी का ध्यान है, इसलिए मैं, आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि टैक्स के नेट को बढ़ाने की बात वित्त मंत्री जी ने कही है, टैक्स का नेट तब बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़ेगा । जब उत्पादन बढ़ेगा, लोगों में खुशहाली आएगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका टैक्स नेट बढ़ेगा । इसलिए वित्त मंत्री जी ऐसी नीति अपनाइये जिससे लोगों में खुशहाली आए और देश का उत्पादन बढ़े ।

[अनुवाद]

श्री अन्बाराशु इरा (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित नयी आर्थिक नीतियों का स्वागत करता हूं । नये उपायों से देश की हालत में सुधार होगा जिससे लोगों को निश्चय ही लाभ मिलेगा । लेकिन इस नई नीति की फसल काटने में कुछ समय जरूर लगेगा ।

महोदय, आयकर और इसकी छूट की सीमा बढ़ाने, स्वर्ण-बन्धपत्र, संपत्ति-कर तथा अन्य कई चीजों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । लेकिन महोदय, हम आम आदमियों की बात को बिल्कुल ही भूल चुके हैं और गलियों में रहने वाले आम आदमियों की हालत में सुधार की कोई योजना नहीं है ।

मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए जोरदार आह्वान की याद आ रही है । उनका कहना था कि किसी भी योजना के बारे में सोचते समय हमें हमेशा सबसे गरीब के बारे में पहले सोचना चाहिये । मुझे नहीं मालूम कि हमारे योजनाकारों में से कितने लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं । महोदय, इस देश की 50 प्रतिशत से भी अधिक आबादी गरीबी-रेखा के नीचे रह रही है । कितने सारे हमारे लोग गंदी बस्तियों में बिना दो वक्त की रोटी के निवास कर रहे हैं । मेरे मद्रास मध्य संसदीय चुनाव-क्षेत्र में ही करीब 14,000 गंदी बस्तियां हैं ।

चाहे यह बम्बई हो या कलकत्ता या भारत का कोई अन्य शहर, वहाँ 50 प्रतिशत से भी अधिक लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं । लेकिन मुझे इस देश के गरीब बहुसंख्यक लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने की कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती ।

जो निर्धन हैं और जिनकी कोई आय नहीं है, उनकी बात करनेवाला कोई नहीं है । इस देश के जनसाधारण के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिये हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।

4.47 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

समाज कल्याण मंत्रालय से संबन्धित अनुदानों की माँगों को गिलोटिन किया गया था और उन पर बहस नहीं हो सकी थी, इसलिये मैं-इस अवसर का उपयोग मंडल आयोग पर दो शब्द कहने के लिये करूँगा । मंडल आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख आते ही शंका उत्पन्न हो जाती है । ऐसा इसलिये होता है कि इसे बिना सही परिप्रेक्ष्य के अनावश्यक रूप से अत्यधिक प्रचारित किया गया है । महोदय, इस रिपोर्ट पर संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया और तत्कालीन प्रधान मंत्री, जो संयोगवश प्रधान मंत्री बन गये थे, के द्वारा इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया था ।

यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान प्रधान मंत्री पिछड़े वर्गों के वास्तविक मसीहा हैं, जिन्होंने अपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान पिछड़े वर्गों के लाभ के लिये अनेक योजनाएँ लागू की थी । उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये चुनावों में स्थान सुरक्षित करने की नीति को लागू किया है । अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का अनुरोध करता हूँ । अगर यह रिपोर्ट नहीं, तो कम से कम संविधान के अनुच्छेद 16 में अवश्य ही संशोधन किया जाये ताकि इसमें आर्थिक मानदण्ड को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सके । मैं एक बार फिर नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की नीति को शीघ्र लागू करने का अनुरोध करता हूँ ।

महोदय, अब मैं बैंकों द्वारा किए गए कुछेक घोटालों का उल्लेख करना चाहूँगा । इनमें करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है । मैं कुछेक आंकड़े दे सकता हूँ । सिर्फ छः महीने की अवधि में करीब 600 करोड़ रुपये के घोटाले हुए है । कृपया 1990-91 की "व्यापार और भारत में बैंकिंग प्रगति" पर रिजर्व-बैंक की रिपोर्ट देखें । मैं सिर्फ 4 या 5 बैंको का उल्लेख करूँगा जिनमें घोटाले हुए हैं । वे इस प्रकार है :—बैंक ऑफ इंडिया—56 करोड़, केनरा बैंक—71 करोड़, सिंडिकेट बैंक—44 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक—31 करोड़ रुपये । अगर हम सिर्फ इन बैंकों द्वारा किए जानेवाले इन घोटालों को रोक दें और उस रकम की वसूली कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने बजट-घाटे की भरपाई कर सकते है । मैं चाहता हूँ कि इन राष्ट्रीयकृत बैंको की कार्य-प्रणाली पर समुचित नियंत्रण हो ।

महोदय, हमारे देश में संसाधन हैं, प्रतिभा है और पूँजी भी है लेकिन विडम्बना सिर्फ एक है कि इनका उचित उपयोग नहीं हो पाता है । गरीबो और दलितों की सहायता को मद्देनजर रखते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था । मुझे अभी भी तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री जनार्दन पुजारी द्वारा गरीबों और दलितों के लिये लायी गई बृहत ऋण योजना याद है । उस योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए थे लेकिन तब बैंक अधिकारियों द्वारा बहुत ही हाय-तौबा मचाई गई थी कि गरीबों को जारी किए गए ऋण की वापसी नहीं हो पायेगी । लेकिन अब इन घोटालों के सम्बन्ध में उनका क्या कहना है ? मेरा कहना है कि बैंकिंग संस्थाओं को गरीबों और दलितों की मदद करनी चाहिए । उन्हें गरीब लोगों के लिये योजनाएं बनानी चाहिए ।

बैंकिंग क्षेत्र में जो चिंता का दूसरा कारण है वह है अधिकारियों के द्वारा कमीशन पाने के लिए स्वयं ही एफ० डी० एन० आर० ऋण का संचालन करना । वे उन पैसों को 6 महीने या साल भर के लिये सावधिजमा खाता में डाल देते है और उन खातों के बन्द होने के एक या दो महीने के भीतर ही कमीशन पा जाते हैं । इस प्रकार के जमाखातों के विरूद्ध जाँच होनी चाहिए ।

बैंक घोटालों को टालने के लिये मैं वित्त मंत्री से निम्नलिखित अनुरोध करना चाहूँगा :

गलत ऋण जारी करने के मामले में अधिकारियों की जिम्मेवारी नियत की जानी चाहिए ।

बैंकों की लेखा परीक्षा तथा सतर्कता सम्बन्धी कार्य सरकार के सीधे नियंत्रण में किसी स्वतंत्र प्राधिकरण को सौंप दी जानी चाहिए या बैंकों को लोक लेखा समिति के दायरे में लाया जाना चाहिए या उनके खातों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा करवायी जानी चाहिए ।

वेतनमान 4 और उसके ऊपर के बैंक अधिकारियों का स्थानान्तरण कम से कम तीन साल में एक बार एक बैंक से दूसरे बैंक में होना चाहिए । किसी भी अधिकारी को एक बैंक में तीन साल से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए ।

घाटे में चल रही शाखाओं विशेषकर विदेशों में स्थित शाखाओं, जो कि निरन्तर घाटे में चलती हो, को शीघ्र ही बन्द कर दिया जाना चाहिए या उनका विलय कर देना चाहिए ।

गैर-प्राथमिक क्षेत्रों को भारी मात्रा में जारी किए गए ऋणों की जाँच होनी चाहिए । किसी भी गलत ऋण के मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों को सजा देने के अतिरिक्त उनकी संपत्ति भी जब्त कर लेनी चाहिए । विधि मंत्री सभा में उपस्थित हैं । मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अपराध-विधि और भारतीय दंड-संहिता में संशोधन करके बैंक घोटालों के लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारियों के लिए भयप्रद दण्ड दिया जाना चाहिए । मैं तो कहूँगा कि उन्हें सड़कों पर पीटने तक की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि वे लोग हमारी अर्थ-व्यवस्था को ही खोखला कर रहे हैं । अतः मेरा सुझाव है कि अपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता में भी समुचित संशोधन होने चाहिए ।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वैधानिक स्तर की पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के संबंध में निर्णय दिया है जिसके अन्तर्गत बैंकों में वेतनमान 1 से 7 तक के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को क्रमशः 15 और साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । लेकिन मात्र एक बैंक ने ही उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू किया है । सिंडिकेट बैंक और दूसरे बैंकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अवसर मुहैया कराने से इन्कार कर दिया है । मैं माननीय वित्त मंत्री से इन बैंक अधिकारियों से उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने हेतु समुचित निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ ।

ग्राहक सेवाओं के बारे में गोईपारिया समिति की रिपोर्ट बहुत ही स्पष्ट है वह रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है । मेरा अनुरोध है कि ग्राहक सेवाओं के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट को लागू किया जाए ।

मैं वित्त मंत्री को बताना चाहूँगा कि इंटक से सम्बद्ध बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों के पदाधिकारी कई बैंकों में निरन्तर भेद-भाव का शिकार बनते हैं । सभी बैंक अधिकारी कांग्रेस (ई०) और इंटक के विरुद्ध हैं । वे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के **को हड़ताल और अन्य गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित करते रहते हैं । (व्यवधान) ।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है (**व्यवधान**) इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा ।

श्री अन्बाराशु इरा : मैंने यहाँ उपस्थित किसी भी माननीय सदस्य को **कहकर नहीं पुकारा है । मैंने तो उन्हीं लोगों का नाम लिया है जो इस गरिमामय सदन के बाहर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के **जो दबाव के अन्तर्गत हड़ताल करते हैं । वे बैंक कर्मियों की पिटाई तक कर चुके है ।

श्री लोकनाथ चौधरी : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अन्बाराशु इरा : मैंने माननीय सदस्यों को . . . नहीं कहा है । मैंने तो सदन के बाहर के लोगों—इनकी पार्टी के बारे में यह कहा है । मैं एकबार फिर कहता हूँ कि मैंने पार्टी का नाम लिया है न कि माननीय सदस्यों का ।

महोदय, इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह हंटक से सम्बद्ध यूनियनों के पदाधिकारियों को मान्यता देने के लिये समुचित निर्देश दें और जब भी आवश्यक हो उन्हें बातों के लिये बुलाये ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अगर आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते रहे तो सदन का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा । हमें बार-बार . . . . . कहा गया । (**व्यवधान**)

श्री अन्बाराशु इरा : महोदय, श्री आर० गोडबोले को भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में 14 वर्षों तक रहने दिया गया । यह कैसे किया गया ? उन्हें चौदह से भी अधिक वर्षों तक निदेशक अधिकारी के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी गई ।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ । किसी भी सदस्य को दूसरे पर आक्षेप करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये । यहाँ, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ है । अगर आप किसी सदस्य दूसरी पार्टियों के उपस्थित सदस्यों जो सदन में अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते है, को . . . (**व्यवधान**)

श्री अन्बाराशु इरा : मैंने इन्हें यह कभी नहीं कहा ।

श्री लोकनाथ चौधरी : हाँ, इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को. . . . कहा है, जिस पर मुझे आपत्ति है । ये यह कह सकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का प्रभाव है या वे यह कार्य कर रहे हैं । उन्हें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है लेकिन उन्हें सदन में किसी की अवमानना करने वाले शब्द का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ । इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं । उनके द्वारा कहे गये ये शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे । मैं इन्हें ऐसे शब्द ही प्रयोग करने का सुझाव देता हूं जिन पर किसी को आपत्ति न हो । अब आप अपना भाषण जारी रख सकते है ।

श्री अन्बाराशु इरा : मैं माननीय वित्त मंत्री से बैंक अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी करने और इंटक से सम्बद्ध यूनियनों के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु बुलाने का अनुरोध करता हूं । जब भी वार्ता होती है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है । मैं माननीय वित्त मंत्री के पास कई बार जा चुका हूं । मैं उन्हें इंटक बैंकिंग यूनियनों के प्रतिनिधियों को वार्ता में बुलाने के लिये अभ्यावेदन दे आया हूं । माननीय मंत्री ने तो बैंक अधिकारियों को ऐसा निर्देश देने में काफी सदाशयता दिखलायी किन्तु उन्होंने उस निर्देश का पालन नहीं किया । नौकरशाही एक अपरिहार्य बुराई है । इससे बैंकों का प्रशासन दूषित हो रहा है ।

महोदय, इसलिये मैं माननीय बैंकिंग मंत्री, श्री बलवीर सिंह से अधिक दृढ़ निश्चयी बनने और बैंक कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं । उन्हें बैंकिंग प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि श्री आर० गोडबोले को सारे बैंकिंग नियमों और विनियमों की अवहेलना करते हुए चौदह से अधिक वर्षों तक भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में रहने की अनुमति क्यों दी गई ? जब किसी को भी उसमें तीन वर्ष से अधिक रहने का प्रावधान नहीं है, तो उन्हें इतने लम्बे समय तक क्यों रहने दिया ? यह भी बैंकिंग विनियमों के विरूद्ध है ।

इसलिये मैं बैंकिंग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें निदेशक मंडल से हटाने हेतु शीघ्र कदम उठाये और उनकी जगह नियमानुसार समुचित प्रक्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नामांकित करें ।

सूचना प्रसारण मंत्री महोदय ने धारावाहिक रद्द करने के बारे में हाल ही में जो कार्रवाई की है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । चयन-समिति द्वारा कुछ धारावाहिक चुने गये थे । उन पर अनेकों आरोप लगाये गये थे । धारावाहिकों के चयन के विरूद्ध धोखेबाजी, भ्रष्टाचार और इसी प्रकार के कुछ आरोपों के बारे में बताया गया था । उन्होंने उन धारावाहिकों को ठीक ही रद्द किया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के आदेश दिये हैं । लेकिन, महोदय, मुझे पता चला है कि मंत्री महोदय पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच वापिस लेने के लिए अधिकारी-तन्त्र की ओर से दबाव डाला जा रहा है । मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि दबाव के आगे डगमगायें अथवा झुकें नहीं और इस धोखेबाजी की जांच करवायें । आपको केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच जारी रखने की अनुमति देनी चाहिये और अपराधियों को दण्डित किया जाना चाहिये ।

महोदय, अन्ततः, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा ।

5.00 म० प०

श्री राजीव गांधी एक बम विस्फोट में मारे गये थे । उनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता भी इसी बम विस्फोट में मरे थे । उनकी मृत्यु के पश्चात यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी पत्नी को रोजगार प्रदान किया जायेगा और कुछ मुआवजा दिया जायेगा तथा उनके परिवार को भी उसी घर में रहने की अनुमति दे दी जायेगी ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप वित्त विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री अन्ध्यारासु हरा : गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं की गई है। उन्हें एक साथ मतदान के लिए रखा गया था। अतः, मैं यहां सभा में यह उद्घाटित करना चाहता हूं। आश्वासन दिये जाने के बावजूद, मैंने पाया है कि समाचार-पत्र में कल एक खबर छपी है कि उसे (श्री गुप्ता की पत्नी को) घर खाली करने का नोटिस दिया गया है और उसे कोई रोजगार भी नहीं दिया गया है। अतः, यहां पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आदमी की यादगार बहुत थोड़े समय की होती है। महान् नेता बम विस्फोट में मारे गये और जो व्यक्ति उनके जीवन की रक्षा कर रहा था वह भी उसी बम विस्फोट में मारा गया था। अतः, हमें उसके परिवार के लिए कुछ करना चाहिये।

पिछले दिनों श्री राम नाईक बता रहे थे कि प्रत्येक संसदीय-निर्वाचन-क्षेत्र को, लोगों की मांगों को पूरा करने और उन्हें मूल-सुविधायें प्रदान करने के लिए, दो करोड़ रुपये दिये जाने चाहियें और समाचारपत्रों में यह छपा था कि सांसद दो करोड़ रुपये परिलब्धियों के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं चाहा; यहां से कोई भी सांसद दो करोड़ रुपये परिलब्धियों के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहता है; हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमारे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिये जायें। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

पिछले सप्ताह, जब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था, तो लोग मुझे याचिकाओं सहित यह कहते हुए मिले कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और हर जगह मच्छर फैले हुए हैं। प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में लोगों की ये आम समस्याएं हैं। अतः, इन मांगों को पूरा करने के लिए, निगम अथवा नगर-पालिका को धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये। लेकिन, उस निर्वाचन-क्षेत्र का सांसद स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अथवा पहचान करने वाला प्राधिकारी होना चाहिये। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र को, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवंटित करने का एक प्रावधान करें।

जब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा कर रहा था, तमिलनाडु विधानसभा के एक सदस्य, जोकि अब तमिलनाडु सरकार में विधि मंत्री है, विधान सभा में बोले और विरोध किया कि मुझे अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का उनकी अनुमति के बिना दौरा नहीं करना चाहिये। (व्यवधान) वह तमिलनाडु विधानसभा में खुलेआम बोले कि उनकी अनुमति के बिना मुझे निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा नहीं करना चाहिये। दुर्भाग्यपूर्ण, जब कभी भी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के लिये जाता हूं, मुझे तंग किया जाता है। मैं केंद्र सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और यह सुझाव देता हूं कि राज्य सरकार को उचित दिशानिर्देश जारी किये जायें तथा जब कभी एक सांसद अथवा विधायक अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा करते हैं, राज्य सरकार को उनसे संबंधित आचार-संहिता की पालना करनी चाहिये। आचार-संहिता क्या है? नयाचार क्या है?

माननीय मंत्री महोदय श्री पी० चिदम्बरम को भी कुछ लोगों द्वारा तंग किया गया था। ऐसा व्यवहार होता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अन्ध्यारासु हरा : इन शब्दों के साथ, मैं अध्यक्ष महोदय का मुझ से नाराज न होने के लिए आभारी हूं। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं तो इस वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विरोध करने के जो कारण हैं, वह केवल इस बजट में मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, वहीं तक सीमित नहीं हैं, हालांकि जो आपके टैक्सेशन के कारण हैं जिनको लेकर कुछ संशोधन भी हैं इनकम टैक्स वगैरह को लेकर, तो हम यह जानते हैं कि आपका जितना भी इस बार का टैक्सेशन है, वह इस देश के गरीबों के ऊपर ही आपने करों को बढ़ाकर लगाने का काम किया है । विदेशी कम्पनियों को भारत में आने के लिये आपने कस्टम्स को मिटाकर या कम करके, उनकी मदद की है । ऐसे बजट का हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का समर्थन होना बिल्कुल ही संभव नहीं है । मैं उस बहस में भी नहीं जाऊंगा कि कहां कितना कम किया जाए, उस पर अभी क्लौज-बाई-क्लौज कंसीडरेशन चलेगा, अलग अलग प्रस्तावों पर और कुल प्रस्तावों पर यहां बहस हो ही जायेगी, लेकिन सुबह से 3-4 मैम्बर्स ने कांग्रेस पार्टी के नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का नाम यहां पर लिया । राजीव गांधी जी ने कुछ साल पहले एक बयान दिया था । उनका बयान था कि हिन्दुस्तान के विकास के लिये जो पूंजी लगायी जाती है, उसमें से मात्र 15 प्रतिशत ही लोगों तक पहुंच पाती है और शेष 85 प्रतिशत ऊपर से लेकर नीचे तक, बीच में जितने बिचौलिये हैं, वे सियासी बिचौलिये भी हो सकते हैं, वे नौकरशाह बिचौलिये भी हो सकते हैं, वे ठेकेदार बिचौलिये भी हो सकते हैं, इन बिचौलिये लोगों की जेबों में जाता है । मुझे अफसोस है कि सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले दोनों बजटों में, क्योंकि आपकी सरकार के द्वारा यहां पर अब तक दो बजट प्रस्तुत किये गये हैं, दोनों बजटों में आपने अपने नेता के जिस नेता का आपने अपने पहले बजट में नाम भी लिया था और जिनका नाम आप बार-बार लेते हो, उनके बयान का आपने कोई ख्याल नहीं रखा बल्कि आपने काले धन को सफेद करने के अनेक तरीके देश के सामने रखकर उन तमाम लोगों को आज देश में मान-सम्मान का स्थान देना पसन्द किया ।

अध्यक्ष जी, यह बजट ऐसे विचारों के ऊपर आधारित है और इसलिये हम इसका सख्त विरोध करते हैं । मैं दो-तीन ऐसी ही बातों को यहां आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

उनमें से एक विषय वह है जिसकी चर्चा अभी चन्द दिनों पहले सदन में हुई, बाहर भी हुई और अभी तक वह चर्चा खत्म नहीं हुई है—वह है स्टॉक एक्सचेंज वाला मामला और उसके साथ साथ जुड़े हुए, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हो, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक हो, विदेशी बैंकों में सिटी बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, ग्रिण्डलेज बैंक हो, देश के बैंकों में वैश्य बैंक हो, आन्ध्रा बैंक हो, इन सारे बैंकों का जो स्टॉक एक्सचेंज के मामले के साथ रिश्ता है, उसका अभी तक कोई आपकी तरफ से स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है और न कोई स्पष्ट कदम उठाने की बात आपने अभी तक की है । लेकिन उस पर जाने के पहले अध्यक्ष जी, मैं कुछ और बातें आपके और सदन के सामने रखना चाहूंगा ।

मैंने जैसे आपसे पहले ही इजाजत मांगी है, इजाजत का मतलब, मैंने आपको नोटिस दिया है और सम्बन्धित मंत्री को मैंने चिट्ठी भी देने का काम किया है । आज सुबह सदन में जब शून्यकाल के समय कुछ बातें हो रही थीं तो श्री मनोरंजन भक्त जी ने एक सवाल को यहां पर छेड़ा था । उन्होंने कहा कि श्री पी० के० थुंगन यहां पर बैठे हैं और मारूति कम्पनी के बारे में वे चाहते थे, जिस बात को लेकर पिछले एक अर्से से सदन के भीतर और बाहर लोगों ने प्रश्न उठाये, उनका कुछ खुलासा मंत्री जी यहां पर करने का काम करें लेकिन उनकी बात को हंसी मजाक में लिया गया । मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि उस बात को यहां पर हंसी मजाक में लिया गया लेकिन मारूति कम्पनी का मामला हंसी मजाक में लेने वाला मामला नहीं है । मैं दो बातें सदन के सामने रखूंगा ।

इस कम्पनी का जिस तरह से काम हो रहा है, एक असत्य को फैलाने की बात शुरू से चलती रही कि

मारूति कम्पनी हम लोगों के लिये विदेशी मुद्रा लाकर देने का काम कर रही है । मगर, अध्यक्ष जी, मारूति कम्पनी कोई विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान में नहीं लायी है बल्कि पिछले 9 सालों में इस कम्पनी ने हिन्दुस्तान से 1,536 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को हिन्दुस्तान से बाहर भेजने का काम किया, जापान को भेजने का काम किया, जहां से यह गाड़ियों के पुर्जों को लाने का काम कम्पनी करती है । विदेश से जो भी आमदनी इस गाड़ी को लेकर हो, वह आमदनी, मैं कम्पनी के बैलेंस शीट के हिसाब से बातें आपके सामने रख रहा हूं—मात्र 143 करोड़ रुपया—और उस 143 करोड़ रुपये में भी ऐसी रकम है जो विदेशी मुद्रा के तौर पर नहीं आयी बल्कि काउन्टर ट्रेड के तौर पर हंगरी के साथ, युगोस्लाविया के साथ, पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के साथ आपका जो व्यापार रहा, उसके साथ जुड़ा हुआ यह मामला है । पिछले 9 सालों में, अध्यक्ष जी, जब से यह गाड़ी बननी शुरू हुई, उसके बाद से अब यह चौथा मॉडल बनाने का काम शुरू हो गया है । वाई-ई०-2 मॉडल को तैयार करने के लिए, जो डीलिंग का काम होना है, मात्र उसके ऊपर 800 करोड़ रुपए खर्च होने हैं । कुछ कम हो सकता है, 50-60 करोड़ कम हो सकता है, लेकिन यह जो इतनी बड़ी रकम खर्च हो रही है, कन्वर्टीबिलिटी का मामला है, डॉलर और रुपए का या येन और रुपए का, उसका एक कारण है । यानी एक कार को बनाने के लिए, जो एशियन डिवेलपमेंट बैंक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हमें इतना कर्ज वहां से मिलना चाहिए और दूसरी ओर हांगकांग से एशियन डिवेलपमेंट बैंक की मीटिंग में, उस कर्ज को जो आप वहां से लेकर आओगे जापान पहुंचाने का भी रास्ता आप पहले ही बनाने का काम करते हो और इस देश को तबाही में लाने का काम पहले ही हो रहा है। इसको अध्यक्ष जी, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ।

सुजूकी हर तरीके से आपको डिक्टेट करने का काम कर रही है । पहला मॉडल, दो साल नहीं हुए, दूसरा मॉडल, फिर 2 साल नहीं हुए, तीसरा मॉडल और फिर 2 साल नहीं हुए, अब आपका वाई० ई०-2 चौथा मॉडल आ रहा है । यानी 9 सालों में 4 मॉडल आकर पहुंचे हैं और इस गरीब देश का पैसा, विदेशी मुद्रा इस प्रकार की अय्याशी वाली चीजों में कर रहे हैं । हमें यह चीज बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और इसलिए आपका यह जो विधेयक है, यह इन सारी बातों के बारे में काम कर रहा है, हमें यह चीज मंजूर नहीं है ।

अध्यक्ष जी, जो दूसरी चीज मुझे इस कम्पनी के बारे में कहनी है, वह आज सुबह यहां पर उठाई गई, अब आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इस कम्पनी के जो सबसे बड़े अफसर हैं, उन पर दो किस्म के आरोप हैं । ये आरोप ऐसे नहीं हैं कि किसी संसद सदस्य ने खड़े होकर लगा दिए हैं या किसी अखबार वाले ने कुछ लिखा है ।

अध्यक्ष जी, यह एक जमीन का मामला है जिसमें साढ़े 3 करोड़ रुपए इस कम्पनी की तरफ से बाहर निकालने का काम किया । हरियाणा में 100 एकड़ जमीन खरीदी गई । ये हरियाणा अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी के पास नहीं गए । एक अनिल भल्ला कर के दिल्ली में ऐसा ठेकेदार है, उस ठेकेदार के माध्यम से इस कम्पनी के बड़े अफसरों की "साजिश" हो गई । "साजिश" शब्द मेरा नहीं है । "साजिश" शब्द विजिलेंस का है । हरियाणा की विजिलेंस ने जांच कर ली । आकायदा चार्जशीट हो गई । वहां के एक आई० ए० एस० अफसर सस्पेंड होकर 2 साल हो गए । वहां के नीचे तक के अफसर सस्पेंड होकर 2 साल हो गए । उन पर क्रिमिनल मुकदमें चल रहे हैं और एक नहीं अनेक बार उद्योग मंत्रालय से इजाजत मांगने का काम हुआ कि जो मारूति उद्योग कम्पनी के अफसर हैं, जिनके ऊपर दफा 420 और 120, आई० पी० सी०, इंडियन पीनल कोड, के अन्तर्गत मुकदमोस दर्ज हैं उनको गिरफ्तार कर के उनके ऊपर मुकदमें चलाने की इजाजत दी जाए । लेकिन सी० बी० आई० के मंत्री हैं, प्रधान मंत्री, उद्योग मंत्री हैं, प्रधान मंत्री । प्रधान मंत्री का दाहिना हाथ कहता है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इजाजत चाहिए और शाम को बायां हाथ कहता है, उद्योग मंत्री के नाते की इजाजत नहीं दी जाएगी । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोक क्या कर रहे हैं ?

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : आपको कैसे मालूम है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमारे पास ये सारे सुबूत हैं, दस्तावेज हैं, रिपोर्ट हैं । विजिलेंस की रिपोर्ट से लेकर सी० बी० आई० तक की रिपोर्ट हैं, दस्तावेज हैं । इस प्रकार अध्यक्ष जी, एक तो यह जमीन का मामला है और इस जमीन के मामले के अलावा अनेक ऐसे घोटाले हुए हैं इस कम्पनी में जिनमें कई ऐसे नाम हैं, जिनके नाम मैं यहां पर नहीं लूंगा, वरना उन नामों को उस तरफ के लोग सुनेंगे, तो उनके बाल एकदम खड़े हो जाएंगे । इसलिए मैं व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति अभी भी हैं, जो नामी हैं । नामी इस मायने में हैं कि आज से 15 साल पहले से लेकर दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर आयात-निर्यात से लेकर, उद्योग बनाने तक के मामले में जिनके रिश्ते, राजनीतिक जुड़े हुए हैं और सी० बी० आई० ने बाकायदा लिखित चार्जशीट फाइल की है, उसके बाद भी आप कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं । इसलिए मेरी आज सरकार से मांग है कि आप तत्काल इन लोगों के खिलाफ, जिनके नाम इसमें दिए गए हैं, एम० यू० एल० के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर, आर० पी० भार्गव, ये चार्जशीट में लिखे हुए नाम हैं, एस० मुखर्जी, एस० एम० सहगल, एस० के० अग्रवाल, आर० एस० भास्कर राहू और एस० नटराजन अनिल मल्ला के साथ षडयन्त्रकारियों के रूप में जुड़े हैं । इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने चाहिए और अगर आप यहां पर इसका ऐलान करोगे, इनकी गिरफ्तारी करने या इनके ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत आपकी सरकार अगर कल दे देगी, तो फिर मैं इस विधेयक के बारे में पुनर्विचार करने के लिए तैयार हूं ।

दूसरा एक मामला आपके सामने रखना चाहता हूं । वह मामला एक सार्वजनिक उद्यम के साथ संबंधित है । उसका नाम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स है । आर० सी० एफ० का मामला, जो बात मैंने मारुती की छेड़ी, उससे अधिक गंभीर मामला है । वहां पर एक सी० एम० डी० 1988 में नियुक्त हुए । मई 1990 में उनको सस्पेंड करके बाहर निकाला । सी० बी० आई० ने उन पर छः मुकदमें दर्ज किए । एफ० आई० आर० फाइल हो गई । उस आदमी ने उस कम्पनी के करोड़ों रुपये अनेक चीजों में बरबाद करने का काम किया । यहां तक कि कम्पनी का पैसा कैनपैप, केनरा बैंक का जो फाईनेंशल कार्पोरेशन है, उसमें जो सीधा जमा होना था वह एक दलाल के माध्यम से जमा करवाकर 20 लाख रुपये वहां से भी बाहर निकालने का काम किया । पेंट करने का कॉनट्रैक्ट एक करोड़ बीस लाख में होने वाला तीन करोड़ पचास लाख में करवा दिया । फैक्स मशीन 80 हजार में मिलने वाली 1 लाख 20 हजार में खरीद ली । एक नहीं बीस फैक्स मशीनें जो काम में आने वाली नहीं थीं । जहां भी मिला, जिस तरह से भी मिला, पैसा निकाला । सस्पेंड हो गए । 1990 मई में सस्पेंड हुए मार्च महीने में बिना कोई मुकदमा आगे चलाए, कर्मचारियों का विरोध होने के बावजूद, उनके फाटक पर बैठने के बावजूद आपकी सरकार ने आदेश दिए और पुलिस की मदद से उनको कारखाने में बैठाने का काम किया । आप यहां पर, पैसा कहां से जमा करें, किस वर्ल्ड बैंक से लाएं, कैसे पब्लिक सैक्टर के घाटे को रोकें, इन सारी बातों की यहां चर्चा छेड़ रहे हैं ।

अभी एक सदस्य बोलकर गए कि मार्क्सवादी और विरोधी दल के ट्रेड यूनियन के नेता कैसे होते हैं । लेकिन मुझे खुशी है कि आर० सी० एफ० में तमाम दलों के लोग, इंटक, एटक, सीटू, एच० एम० एस०, सारे संगठनों के लोगों ने एक होकर उस कारखाने में बेईमानी को मिटाने की दिशा में कदम उठाया है । कैमिकल एंड फर्टिलाईजर्स, वित्त मंत्री जी, आपने किसानों पर सबसिडी को घटाने का काम किया क्योंकि आपके कारखाने घाटे मे चल रहे हैं । चावल और गेहूं का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का दाम बढ़ाने का काम किया क्योंकि खरीद में आपको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है । आर० सी० एफ० के एक व्यक्ति की तरफ से पिछले पांच सालों में करोड़ों रुपये निकालने का काम हुआ तो उसको मान-सम्मान के साथ वहां पर बिठा दिया । यहां पर रक्षा मंत्री बैठे हैं, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उनके लोग भी इस आन्दोलन का

नेतृत्व कर रहे हैं । आप मंत्रीमंडल में बैठे हैं और इसपर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं । अक्टूबर महीने की 12 तारीख को उनको पुलिस के बंदोबस्त में काम पर बिठा देते हैं ।.....(व्यवधान) ये शक्ल से खुश बताते हैं लेकिन मन में इनको जरूर तकलीफ होगी क्योंकि इनके लोग भी उस आन्दोलन को चला रहे हैं, यह इनको मालूम है । यह तो पब्लिक सैक्टर कार्पोरेशन की बात थी ।

आपकी जो नीतियां हैं वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ला रही हैं । मैं दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी यहां पर जिक्र करना चाहता हूं । इस सदन में उस मामले को हमने पहले उठाया है । उस पर इस सदन में हमने बहस छेड़ने का काम किया है । अध्यक्ष जी, आपका अनुभव भी यही हो क्योंकि आप सदन चला रहे हैं, हमको तो पिछले 8--10 महीनों में यह अनुभव हुआ है कि यहां जो भी मसला छेड़े उसपर किसी भी प्रकार का आगे फैसला नहीं होता है । 1988 में जब पेप्सी-कोला को देश में आने को इजाजत दी, उस इजाजत के समय पेप्सी-कोला का पूरा काम हिन्दुस्तान में 22 करोड़ में खड़ा करने की बात थी । 1989, एक साल में, 22 करोड़ की रकम 80 करोड़ की हो गई । मैंने सबूत पेश किए इस सदन में अनेक सदस्यों ने प्रश्न पूछे और मंत्रियों का जवाब है कि जांच चल रही है । ओवर-इनवायसिंग हो गया, 2·5 मिलियन यू० एस० डालर का ओवर-इनवायसिंग हो गया केवल मशीनरी को देश में लाने के लिए । 2·5 मिलियन अमरीकी डालर का मतलब आज के हिसाब से लगभग सात-साढ़े सात करोड़ रुपये है । देश के भीतर इसमें जो गफलत हुई वह अपनी जगह पर है । आपकी जांच चल ही रही है, पेप्सी-कोला मनमानी चला रहा है, उसको बहुत घमण्ड है, चीन के राष्ट्रपति को बुलाने में हम लोग खड़े थे तो यह हिन्दुस्तान कौन सी चीज है, इसका उसको घमंड है ।

आप आज कोका-कोला को देश में ला रहे हैं, किस के माध्यम से ला रहे हो ? कोका-कोला के पीछे मैं जानता हूं कि आपकी सरकार के बहुत बड़े-बड़े लोग खड़े हैं, लेकिन कोका-कोला जिस व्यक्ति के नाम से हिन्दुस्तान में आ रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन इतना बताऊं कि मेरे पास यहां पर वह चार्जशीट है, उस एफ० आई० आर० का दस्तावेज है, जिनका सी० बी० आई० ने सात करोड़ रुपये का लूट किया था । इसलिये उस व्यक्ति को टैकल किया है जिसके नाम से कोका-कोला आज हिन्दुस्तान में आ रहा है । इंडियन ओवरसीज बैंक और राजन पिल्ले ये दो नाम हैं, इनके सहयोगियों ने मिलकर—(व्यवधान)—मैं ओरिजनल दे दूंगा । यह दस्तखत के साथ सी० बी० आई० का है । आपने एफ० आई० आर० फाइल किया है और अगस्त, 1990 को शाम को सवा 6 बजे आपने इसमें लिखा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का सात करोड़ रुपये का गफलत हो गया ।

[अनुवाद]

"भ्रष्टाचार—निरोधी-अधिनियम की कतिपय धाराओं के साथ पठित धारा 420 और 120 के तहत, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन और प्रबंध-निदेशक भी इसमें संलिप्त हैं । अतः वे भी अभियुक्तों में शामिल हैं ।"

[हिन्दी]

आज इस व्यक्ति के नाम से आप कोका-कोला को हिन्दुस्तान में ला रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार के सिगनल्स, क्योंकि आज सिगनल्स जाते हैं, आपके हर निर्णय पर सिगनल्स जा रहे हैं । अमेरिकियों को क्या सिगनल्स भेज रहे हैं, अपने लोगों को क्या सिगनल्स भेज रहे हो, बैंक के अफसरों को क्या सिगनल्स भेज रहे हो, किस को क्या सिगनल्स भेज रहे हो, हम सरकार से चाहेंगे कि आप इस पर कुछ स्पष्ट यहां ऐलान करिये । अब आज ऐलान कर सकते हो तो अवश्य ऐलान करो । पिछले एक अर्से से हम

लोगों ने ही नहीं इस मसले को छेड़ा बल्कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी इसको वहां से छेड़ा लेकिन आपने हंसी-मजाक में इन सब को दबाने का काम किया है । मैं जानना चाहूंगा कि इस पर आप लोग किस प्रकार का कदम उठायेंगे ? ये सारे फंसे हुए लोगों को कहां और कैसे सजा देने का काम करेंगे ?

अंत में मैं उस बात पर आ रहा हूं जिस को सबसे पहले मैंने छेड़ा, वह है आपके स्टाक एक्सचेंज का । मेरी 2—4 रोज पहले वित्त मंत्री जी से बात हुई थी । मैंने यहां इस बहस को छेड़ते हुए कहा था कि बम्बई का सबसे बड़ा तस्कर जो आजकल—(व्यवधान)—

एक माननीय सदस्य : बड़ा सांड़—(व्यवधान)—

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बड़ा सांड़ तो वह ब्रोकर है, बिग बुल । जब मैं हिन्दी में बोलता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं । कहते हैं कि यह शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो ? बिग बुल का हिन्दी में क्या तर्जुमा हो सकता है, बड़ा सांड़ छोड़कर ।

[अनुवाद]

सांड़ो और रीछों को नाचने और खेलते रहने दीजिये । प्रयुक्त शब्द 'खेल' है । सांड और रीछ स्टाक-बाजार में खेलते हैं ।

[हिन्दी]

बड़ा सांड बोलने पर कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है । परसों सदन के बाहर जाने के बाद कई मित्रों ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिये । मुझ से वित्त मंत्री जी ने पूछा कि आपका इशारा किस की ओर था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा । यह बिल पास होते ही आपको बता दूंगा कि किस के बारे में मेरा इशारा था क्योंकि वह बम्बई का बड़ा तस्कर मात्र नहीं है बल्कि दुनिया के बड़े तस्करों में है । वह अब एक अरब देश में बैठा है । वहां से पत्र व्यवहार और व्यापार को चलाने का काम करता है । सरकार को मालूम है कि उसका पैसा इस वक्त बम्बई के स्टाक एक्सचेंज में काम कर रहा है, लेकिन एक क्षण के लिये अगर बड़ा सांड़ और सबसे बड़े तस्कर दोनों में रिश्ते हो जाते हैं तो उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन रिश्ते हो जाते हैं, स्टेट बैंक आफ इंडिया से, रिश्ते हो जाते हैं, यूको बैंक से, रिश्ते हो जाते हैं, आन्ध्रा बैंक से जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, रिश्ते हो जाते हैं वैश्य बैंक से । कौन सा काम इन लोगों ने नहीं किया ?

आपने उस दिन कहा कि पैसे वापिस आ चुके हैं, 614 करोड़ रुपये वापिस आ गये, कैसे आ गये, कहां से आ गये क्या आपने पूछताछ की ? यहां सदन में कोई बहस नहीं हो पाती है । आपने पूछताछ की । अगर सिक्योरिटीज़ पर पैसा लिया, तो सिक्योरिटीज पर मात्र 25 परसेंट पैसे मिल सकते हैं । दो हजार करोड़ रुपए जमा करने पर आपको पांच सौ करोड़ रुपए मिलेंगे—मैं जानना चाहता हूं, इतना पैसा उस व्यक्ति के पास कहां से आया ? वह आदमी एक नहीं दो बार, सन् 1982 से लेकर 1988 तक, दिवालिया निकला था । इन्होंने बैंकरप्सी घोषित की थी और फिर भी वह खेल खेलता है । वित्त मंत्री जी जब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा था, इस सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी आपने कहा—मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, यह तो आप जानते होंगे—स्टाक मार्केट किस तरह से खेली जाती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है । मैं मानता हूं, वह भी आपको मालूम नहीं है और उसकी जानकारी रखना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि दुनिया में इसी प्रकार होता रहता है । मैं पूछता हूं—क्या दुनिया में ऐसा होता है ? इसी सप्ताह की यह इकोनोमिस्ट किताब है । इसके संपादक डिवेलपमेंट के बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को हर साल लिखते हैं । उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है, जिसका नाम है—"इकोनोमिस्ट-इकोनोमिक" । इस

छोटी सी किताब के 52वें पन्ने पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको आप पढ़ लीजिए कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को मैनीपुलेट किया जाता है । जिसको ईमानदारी से अपने पैसे को कहां रखना है, उसको स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं जाना चाहिए—यह लंदन एकोनोमिस्ट एडिट है और वर्ल्ड बैंक की एन्युअल रिपोर्ट को लिखने वाले ये व्यक्ति हैं । उस किताब के 52वें पन्ने को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, उम्मीद है आपके पास वह किताब ज़रूर होगी । लेकिन मैं कुछ सबूत यहां सदन में रखने के लिए उस किताब को लाया हूं ।

[अनुवाद]

यह विश्व के बलों के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों में हैं । गत वर्ष में, विश्व के स्टॉक बाजारों का एक वर्ष में कुल अन्तर—4.7 प्रतिशत था ।

[हिन्दी]

जबकि हिन्दुस्तान में यह एक साल में 400 परसेंट बढ़ गया है ।

[अनुवाद]

विश्व के स्टॉक बाजारों में—4.7 प्रतिशत, अमेरिका में 4.1 प्रतिशत, ब्रिटेन में 4.9 प्रतिशत, स्विटज़रलैंड में 11.7 प्रतिशत, जर्मनी में 9.4 प्रतिशत, फ्रांस में 11.1 प्रतिशत, कनाडा में 3.5 प्रतिशत, और आस्ट्रेलिया में 5.1 प्रतिशत की वृध्दि हो चुकी है । और विश्व बाजार में 4.7 प्रतिशत की वृध्दि हुई ।

[हिन्दी]

कुछ ही महीनों में यह ऊपर जाता है, फिर भी वित्त मंत्री जी आपकी सरकार इस के बारे में कुछ सोचने को तैयार नहीं है । इस पर आप लोग ही नहीं सोचिएगा, तो कौन सोचेगा । उस गरीब का क्या होगा, जिसको आज बेवकूफ बनाकर जिसका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में पड़ा हुआ है । मेरे पास यहां पर—अध्यक्ष जी, मुझे लगा कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए मैंने सब कागज इधर-उधर रख दिए । ...(व्यवधान) ... अध्यक्ष जी, मैं केवल आप के सामने एक बड़े सांड की बात और रखना चाहता हूं । "इकोनोमिक-पोलिटिकल-डेली"—इनको दी गई मुलाकात में वे स्वयं बोलते हैं कि आज मार्केट का सारा काम चालू है । यह इसलिए नहीं हो रहा है कि शेयर में कोई दम है । यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि इसमें क्रेज़ बन गया है—एक धुन सवार है और हम उस पर खेल रहे हैं । यह खुद बड़ा सांड बोलता है कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं । खेल चल रहा है । उस खेल में हम सब लोगों को घसीट कर ला रहे हैं । वित्त मंत्री जी, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आज देश में अगर करोड़ों लोगों का पैसा इसमें चला जाएगा, तो देश की जनता की स्थिति क्या होगी । अध्यक्ष जी, मैं एक छोटे से गांव मिर्जापुर से पौने दो सौ किलोमीटर दूर अनपारा, जो कि एक आदिवासी इलाका है, वहां मुझे लोगों ने कहा—यह आपने सब किस लिए किया, पार्लियामेंट में इतना चिल्लाए, यह सब घट गया है । जैसे कि हमने पाप किया है । मैं कहता हूं कि हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आप यह समझ लीजिए, आप इसमें पैसा मत डालिए, पैसा डालना है तो सरकारी डिबेंचर्स में डालिए और सरकारी कंपनियों के शेयर्स में डालिए । लेकिन यह स्टाक एक्सचेंज में खेलने के लिए नहीं जाइए । यह लोगों को कहना कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है और जब इस प्रकार के ये सट्टे वाले लोग, ये बड़े ब्रोकर, जिनको कहा जाता है ये बड़े दलाल हैं जब ये इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं तो क्या सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से दो-तीन मांगे हैं । ये सारा पिछले दिनों जो खेल हो गया नं०-1 वे विदेशी बैंकों की तत्काल जांच करवाइए, जिन विदेशी बैंकों ने इस सट्टे के अन्दर अपने को जोड़ने का काम किया ।

मैं तीन बैंकों का सीधे नाम लेता हूं और सिटी बैंक का जब मैं नाम लेता हूं तो मैं यह भी आपको बता दूं कि वी० बी० देसाई एण्ड कम्पनी, बम्बई का सबसे पुराना स्टाक ब्रोकर, उसकी एक कम्पनी को सिटी बैंक ने स्वयं खरीद लिया है और उसको खरीद कर उसके जरिए आज यह सारा सट्टा खेलने का काम सिटी बैंक अमरीका का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा बैंक आज इस काम में लगा हुआ है, हमारे देश में, यानी हम लोगों की हर तरफ से तबाही होगी । तो सिटी बैंक और बैंक आफ अमरीका की जांच हो, ग्रेंडलेज़ की जांच हो सट्टा तक, मैं यह नहीं कह रहा हूं उनकी बाकी क्या चीजें हैं वे तो आप अपने नियम के अनुसार करते रहते हैं यह हमको मालूम है ।

[अनुवाद]

लेकिन जाली बैंक-रसीदें जारी की गई हैं । मैं इस सभा में निर्विवाद रूप से यह आरोप लगाता हूं कि इनमें से कुछ बैंकों द्वारा बहुत बड़ी धनराशियों के लिए रकम की जाली-बैंकर-रसीदें जारी की गई हैं । उन जाली-बैंकर-रसीदों के आधार पर इनमें संलग्न व्यक्तियों द्वारा उनकी जालसाजी करके, उन्हें बेचकर और उन्हें उपयोग में लाकर बहुत-सारा धन इकट्ठा किया गया है ।

[हिन्दी]

तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी जांच हो, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, वैश्य बैंक और अगर कोई और बैंक है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि सात बैंक हैं, सारे नाम मेरे पास पहुंच नहीं पाए । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नेशनल हाउसिंग बैंक भी है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, नेशनल हाउसिंग बैंक, यह तो बड़ा अहम मामला है आज की अखबारों में छपा है नेशनल हाउसिंग बैंक आपने बना दिया और यह कह कर बना दिया कि गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं । आपने लोगों से कहा कि आप पैसा वहां जमा करो तो काला धन भी सफेद किया जाएगा, अब काले को सफेद करने की जगह पर काले को डबल काला, चार सौ गुना काला बनाने के काम में वह पैसा लग गया है, यह नेशनल हाउसिंग बैंक का कितना जुल्म है ।

तो इसलिए अध्यक्ष जी, ये सब चीजों की जांच हो और यह जांच नहीं मैं आरबीआई की जांच को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं । आरबीआई एक बहुत जिम्मेदार संस्था है, आरबीआई के नाम पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने अपनी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया है यह मुझे यहां पर पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ कहना है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सीबीआई का जांच करवाएंगे । आप उन सारे बड़े सांड़ों को अपना धंधा करने से रोक लगाइए, इनवेस्टीगेशन के अन्दर उनको डाल दीजिए ।

[अनुवाद]

आप उन्हें स्टॉक बाजार में काम करने और उससे खिलवाड़ करने से रोकें ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आपको मालूम ही हैं कि मात्र 7 स्टाक्स हैं ।

[अनुवाद]

सूचकांक के 70 प्रतिशत का ~~प्रतिनिधित्व~~ केवल सात स्टाक्स रखते हैं और ये लोग उनमें हेराफेरी कर देते हैं। वे हेराफेरी करके भ्रान्ति फैलाते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है जिससे कि आम-आदमी, मध्यम वर्ग के लोग जिनमें इस सचिवालय यानी लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल हैं, इस जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने मुझे स्वयं ही बतलाया है कि उन्होंने अपने भविष्य निधि लेखे से पैसे निकलवाकर उन लोगों के पास जमा करवा दिये है। उन्होंने मुझ से कहा कि आप इसके बारे में पता लगायें। महोदय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हंसी की मुद्रा में यह बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने इस कार्यालय के भविष्य निधि से पैसा उधार लिया है और इसे स्टाक बाजार में निवेश किया है।

[हिन्दी]

तो इन लोगों का क्या होगा और आपकी जो जिम्मेदारी इस मामले में है वह जिम्मेदारी आप ठीक ढंग से निभाओ। मैं एक और नाम आज लेना चाहता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिश्ता केवल एक बड़े सांड के साथ नहीं था। एक नाम जो वैसे तो कभी सामने आता ही नहीं था—एल० के० पांडेय, यह हंस रहे हैं इनको मालूम है, दो सौ करोड़ रु० स्टेट बैंक ने उस एक छोकर को दे दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, कुछ नहीं है? (व्यवधान) करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ की कुछ कीमत नहीं है तो हम यह चाहेंगे कि इन सब चीजों की जांच आपकी तरफ से हो और मैं मंत्री जी से यही प्रार्थना करता हूं कि सी बी आई का इनवेस्टीगेशन हो। ये बड़े जो खिलाड़ी हैं इन लोगों को खेल करने से बन्द कर दिया जाए उसके लिए जो कुछ आप लोगों को करना चाहिए वह आप करिए।

मेरा कहना यह भी है कि इन सारे बैंकों पर आप तत्काल कार्यवाही शुरू करिए। आर बी आई की जो गलतियां हुई हैं उनको दुरूस्त करने के लिए, उसमें और गलतियां न हों, इसके लिए भी कुछ करिए। आपसे तो कोई चीज छिपी नहीं है, वित्त मंत्री जी, आपको तो सब कुछ मालूम है। मगर आप दब कर बैठते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं कि इन सांड़ों ने मंत्रिमण्डल के लोगों से भी रिश्ते जोड़ने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे (नागपुर): मंत्रिमण्डल का नाम ले रहे हैं, क्या प्रूफ है। ये गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह गलत नहीं है। आपके मंत्रियों ने मुझे कहा है, हमारे पास आए, हमने कहा चले जाओ।

अध्यक्ष जी सिक्योरिटी स्कैम-4 जो है, सेबी, उसको जो काम करना है उसमें रूकावट डालने का प्रयास चल रहा है। उसमें रूकावट न आने दीजिए। सेबी को हर तरह से समर्थन दीजिए। यहां पर हमारे पास एक फैक्स मैसेज है। . . . (व्यवधान) . . . रघुवीर सिंह, उसने यह कापी मुझे भेजी है। वह कहता है कि कैसे उसको 20 लाख रुपये के नुकसान में एक छोकर ने डाल दिया। इसका ओरिजनल आपके पास गया था, मेरे पास तो कापी आयी है। इसलिए सेबी को शक्ति देने का काम कीजिए।

अन्त में, मेरी आपसे प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है, नीतियों को आपने चलाया, जिन नीतियों को लेकर अमेरिका हम लोगों का गला घोंटने और हम लोगों को खत्म करने का काम कर रहा है, उन नीतियों से अपने को मुक्त कीजिए और दुनिया के तमाम लोगों को फिर से उठाइये। जिसको ग्रुप ऑफ 77 माना जाता है, जो साउथ के देश माने जाते हैं, जो साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे, साउथ कमीशन के जो लोग हैं, उनको उठाइये। हर क्षेत्र में अमेरिका हम लोगों को मार रहा है, लूट रहा है, केवल हिन्दुस्तान को नहीं, दुनिया के सभी गरीब देशों को, हमारे जैसे देशों को लूट रहा है, मार रहा है। उसका सामना करने के लिए जो

हिन्दुस्तान का वर्तमान है, उस वर्तमान को निभाने के लिए फिर एक बार सरकार को खड़ा करें । अगर मंत्री जी, मैंने जो प्रस्ताव यहां पर रखे, उनका समर्थन करेंगे तो मैं इनके विधेयक के बारे में बोलने के लिए तैयार हूं वर्ना मैं इनके विधेयक का विरोध करता हूं और इस विधेयक का पूरा सदन विरोध करे, यह प्रार्थना करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुन: हमारी संसद के कार्यकरण और हमारे लोकतंत्र के भविष्य के बारे में गम्भीर और बुनियादी महत्व के एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं । 30 अप्रैल, बुधवार की सांझ को लोक सभा ने राजकोष अर्थात सरकारी खर्च पर, एक निकटवर्ती और उद्देश्यपूर्ण नजर रखने के अपने मुख्य उत्तरदायित्व से व्यापक रूप से विमुख रही है । गिलोटिन में एक ही बार में, हमने 80 मंत्रालयों और विभागों से संबन्ध चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय के लिए जनता की 2.3 लाख करोड़ रुपये की धनराशि बिना किसी चर्चा के व्यय करने हेतु मतदान कर दिया । इस प्रक्रिया में लोक सभा ने एक इतिहास रच दिया । लेकिन महोदय, यह एक ऐसा इतिहास था जिस पर कोई भी संसदीय लोकतंत्र गर्व नहीं कर सकता । मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में, हमने संसदीय लोकतंत्र का एक तरह से उपहास किया है ।

संसद की सबसे बड़ी शक्ति और उपयोगिता इसकी राजकोष पर शक्ति में निहित है । बहुत-से लोगों को आज यह स्मरण नहीं होगा कि लोकतंत्र का पहला महायुध्द ब्रिटेन में राजा द्वारा स्वेच्छा से कर लगाने के अधिकार के सवाल पर लड़ा गया था ।

एक लम्बे और कठिन संघर्ष के अन्त में ब्रिटेन के लोग खुशीपूर्वक इस युध्द में विजयी हुए थे । तब हमारे विश्व में लोकतंत्र का सूत्रपात हुआ । बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं होगा । अमेरिका का स्वतंत्रता-संग्राम भी इसी मूलभूत मुद्दे—कर लगाने के अधिकार पर लड़ा गया था । इस सिध्दांत को सभी संसदीय लोकतांत्रिक देशों में दृढ़ता से लागू किया जाता है । वास्तव में, पिछले अनेक वर्षों से ब्रिटेन और अन्य लोकतांत्रिक देशों ने राजकोष पर संसद के नियंत्रण को मजबूत करने में नयी पहल की है । एक तीव्र और दु:खद विरोधाभास में, राष्ट्रीय-बजट पर हमारी संसद का नियंत्रण कदम-दर-कदम, वर्षानुवर्ष फिसलता गया है । इसके लिए किसे दोषी ठहरायें ? इसके हम सभी दोषी हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि आप स्वयं सभा को अपना कार्य करते हुए देखने के बहुत इच्छुक रहे हैं । मैं यह भी जानता हूं कि प्रधान मंत्री और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री भी जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं, उन सभी पर चर्चा करवाने के इच्छुक रहे हैं । किसी भी सरकार के लिए बिना किसी बहस के अपनी मांगों पर मतदान करवाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता । विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी खुशीपूर्वक इस सभा के सम्मुख कार्य को पूरा करने का पक्ष लिया है । यह दु:ख की बात है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिये था । इस अधिवेशन के दौरान सभा का अधिकतर समय असंगत विषयों पर लगा है । मुझे बताया गया है कि हमने इनमें से कुछ मुद्दों पर लगभग 60 घंटे पहले ही व्यतीत कर दिये हैं । इन 60 घंटों में हम कम-से-कम दस मंत्रालयों और विभागों पर चर्चा आसानी से कर सकते थे ।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह इतना ही काफी नहीं होगा । हमें अपने आपसे एक प्रश्न पूछना ही चाहिये : क्या सरकारी खर्च पर नजर रखने के लोक सभा के उत्तरदायित्व का ईमानदारी से पालन करना सुनिश्चित करने और इन मामलों में सुधार करने के लिए कुछ किया जा सकता है । उत्तर सकारात्मक है । हम इसका एक लम्बी और साथ ही साथ एक दीर्घकालीन अवधि में समाधान कर सकते हैं । महोदय, लम्बी अवधि के बारे में हमें ब्रिटेन अनुभव में से एक पृष्ठ निकाल लेना चाहिये । हमें समिति-पध्दति लागू करने के

प्रश्न पर गहराई से विचार करना चाहिये । विशेष तौर पर मैं इस बात की वकालत करता हूँ कि हमारी संसद को अपनी प्रक्रिया पर एक ताजा नज़र डालनी चाहिये और बदलती मांगों के अनुरूप उन्हें अंगीकार करना चाहिये, जैसा कि ब्रिटेन ने 1976 में सविवेक किया था । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रक्रिया संबंधी प्रवर समिति गठित करनी चाहिए जैसा कि 'हाउस ऑफ कामन्स' की गयी है, जो इसके और अधिक कारगर ढंग से कार्य निष्पादन के लिए सिफारिशें देगी ।

ब्रिटेन में आज सरकारी कोष और सरकार पर संसदीय नियंत्रण कुल मिला कर फिलहाल पहले की 11 अन्य समितियों जैसे लोक लेखा समिति सहित 14 समितियों के द्वारा किया जा रहा है ।

प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी ने इस बारे में अपेक्षित स्पष्टीकरण दिया तथा प्रयास किया । 1989 के मध्य में उनके दिशा निर्देश से कृषि, पर्यावरण एवं वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर तीन स्थाई समितियां गठित की गई थीं । अन्त में संसद में लाए गए इस व्यापक सुधार से हम सभी को काफी प्रसन्नता हुई थी ।

पिछली लोक सभा ने इन तीनों समितियों समान उत्साह से लिया । वास्तव में पिछली लोक सभा में मैंने नियम समिति की सदस्यता स्वीकार की थी । ताकि समिति प्रणाली को व्यापकता मिल सके । सिर्फ तीन समितियों की नियुक्ति ही मेरे लिए काफी नहीं थी । संयोगवश हम नियम समिति को सात अन्य स्थाई समितियां स्थापित करने का निर्णय ले पाने में सफल रहे जिसके गृह, सुरक्षा और विदेश कार्यों पर एक-एक समितियां शामिल हैं ।

दुर्भाग्य से अभी थोड़े समय पहले इनकी शक्तियों के बारे में गलत राय व्यक्त की गई । इन नई समितियों की स्थापना करने का विरोध करते हुए अनेक मंत्रियों ने संशोधन पेश किए । मुख्य रूप से इसका कारण पहले यह देखना था कि यह तीन समितियां कैसे कार्य करती हैं और वह किस सीमा तक सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाती हैं । तथापि, आन्तरिक रूप से मंत्रियों में से कुछ मंत्री अधिकारों के विकेंद्रीकरण के लिए तैयार थे और शक्तियां को बांटना चाहते थे । हम में से कुछ लोग उस पर प्रतिकार करने को तैयार हो गए । परन्तु यह सब हो पाता, तभी नौवीं लोक सभा भंग हो गई ।

अब हम इतने थोड़े समय अर्थात तत्काल एक साथ मतदान के लिए रखे गए मंत्रालयों से निपटने के लिए भारत में क्या कर सकते हैं ? संक्षेप में हम उसे अपना सकते हैं जिसे मैं नेहरू माडल कह सकता हूं । भारत के प्रथम प्रधान मंत्री और सदन के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी क्षुब्ध थे जब कुछ विभागों की मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी थी इनमें परमाणु ऊर्जा विभाग भी था जो कि उनके अधीन था और इस मांग पर भी गिलोटीन लागू करना पड़ा था । तब नेहरू जी ने प्रस्ताव किया था कि सभी गिलोटीन किए गए मंत्रालयों और विभागों पर सदन की तदर्थ समितियों द्वारा उनके वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर चर्चा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मैंने यह मामला पिछले साल भी साथ उठाया था । मैंने आपको लोक सभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक अपील भी दी थी जिसके नेहरू माडल को अपनाने का सुझाव दिया गया था । अन्त में इस बात पर सहमति हुई थी कि उन अनेक मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों पर अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों द्वारा चर्चा की जाएगी जिन्हें गिलोटीन किया गया था । सदस्यों को सूचित करने के लिए एक नोटीस भी जारी किया गया था कि वे किसी भी अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं जिसमें उनकी रूचि हो ।

कुछ सदस्य इस बात से प्रसन्न थे कि कम-से-कम समिति प्रणाली की दिशा में हमने कुछ प्रगति की है। परन्तु गत वर्ष हम व्यवहारिक कठिनाई में पड़ गए। अनेक सदस्यों को उन अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने से भी रोक दिया गया था जिसके वे सदस्य थे। इसका क्या कारण था? सदस्यों को सूचित किया गया था कि बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि इन बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दोनों ही देने के संबंधी नियमों में संशोधन किया जाए। मुझे विश्वास है कि यह धनराशि उन धनराशियों के एक बहुत ही थोड़े भाग से अधिक नहीं होगी जिन पर हमने बिना चर्चा के ही मतदान कर दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय व्यापक पैमाने पर देश और लोक सभा के हित में संभावनाओं को अंतिम रूप दे सकते हैं तथा इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेताओं से परामर्श कर सकते हैं।

वास्तव में हमें इस दिशा में एक कदम और आगे बढना चाहिए तथा कार्यपालिका पर संसदीय निगरानी मजबूत करने के लिए नेहरू द्वारा लाए गए दूसरे स्वस्थ अभिनव परिवर्तन के तरीकों को कार्यान्वित करना चाहिए। 1956 में कार्य यंत्रणा समिति ने पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक तदर्थ संसदीय समिति स्थापित करने का निर्णय लिया था। तदनुसार इन समितियों का गठन दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों पर विचार करने के लिए किया गया था। लेकिन उसके बाद इन समितियों का विचार छोड़ दिया गया था। हमें निश्चित रूप से उन समितियों को पुनर्जीवित करने के बारे में पहल करनी चाहिए तथा सदस्यों को सक्रिय रूप से योजनाओं में शामिल करना चाहिए।

मैं आप से यह भी अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सदन संसद की मौजूदा प्रथा और प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करने के व्यापक मुद्दे की ओर ध्यान दें और इस उद्देश्य के लिए प्रक्रिया संबंधी एक प्रवर समिति का गठन करें जैसा कि संसद के कार्यों का कारगर ढंग से निष्पादन के लिए सिफारिशें देने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में किया गया। इस संबंध में मैं यह भी कहूंगा कि प्रक्रिया संबंधी समस्या के अनेक क्षेत्र हैं जैसे शून्य काल, विधेयकों की छंटनी, प्रश्न, कार्यवाही वृत्तांत से निकालने की शक्ति, अध्यक्ष की शक्तियां और उसका निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करने पर भी नए सिरे से विचार करना।

मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हाउस ऑफ कामन्स 300 वर्षों के बाद भी फल-फूल रहा है। हमें अपने सदन के विकास को 40 वर्ष में ही नहीं रोकना चाहिए। हमें संसदीय लोक तंत्र को मजाक नहीं बनाना चाहिए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, समयाभाव के कारण मैं सदन का अधिक बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। परन्तु मैं केवल दो बातों पर जोर देना चाहूंगा। एक केंद्रीय निवेश वितरण का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। उत्तर 4.30 सायं शुरू होना था। अब 6 बजने वाले हैं।

श्री ई० अहमद : मैं केवल तीन मिनट का समय लूंगा। मुझे केवल यह दो बातें कहनी हैं।

उद्योगों की स्थापना में केंद्रीय निवेश के लिए भारत सरकार ने 1,29,713 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे जिसमें चार दक्षिणी राज्यों को केवल 11,707.32 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु को 7,139 करोड़ रुपए अर्थात 5.5 प्रतिशत दिया गया था। पाण्डिचेरी को केवल 17.35 करोड़ रुपए दिए गए। कर्नाटक को

2,693.24 करोड़ अर्थात 2.08 प्रतिशत दिया गया था । केरल को 1,852.69 करोड़ अर्थात 1.43 प्रतिशत दिया गया था ।

अत: मैं कह सकता हूं कि 1,29,713.09 करोड़ रुपए में से इन चारों दक्षिणी राज्यों को केवल 8.52 प्रतिशत दिया गया । मेरे हिसाब से केंद्रीय निवेश वितरण में यह असंतुलन है । सरकार को इसे ठीक करना चाहिए ।

31-3-91 की स्थिति के अनुसार माननीय मंत्री ने इस सदन में आज सुबह यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ।

मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में है । सरकार नीति निर्धारित कर रही है । क्या मैं सरकार के माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि इसमें कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रतिनिधित्व है ?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें, कोई नई बात नहीं है ।

श्री ई. अहमद : सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों में सभी वर्गों के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान बनाने की कृपा करनी चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री याइमा सिंह गुमनाम मैंने तीन बार आपका नाम पुकारा है ।

श्री याइमा सिंह गुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं सदैव एक पूर्ण वाद-विवाद के लिए और उसमें भाग लेने के लिए तैयार था लेकिन मुझे सदन में केवल दो या तीन मिनट का समय दिया गया ।

सभापति महोदय : आपने समय के बारे में शुरू में ही क्यों नहीं पूछा ?

श्री याइमा सिंह गुमनाम : अब मैं केवल तीन मिनट का समय लूंगा । मैं आप के साथ सहयोग करूंगा । अत: मुझे सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी । मैं केवल अपने गृह राज्य से संबंधित बातों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा ।

मैं माननीय वित्त मंत्री को सुझाव दे रहा हूं कि छोटे राज्यों को और अधिक निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को पूरा किया जा सके । छोटे राज्यों से मेरा मतलब है मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और देश के कुछ अन्य क्षेत्र । सरकार और वित्त मंत्रालय का इन छोटे राज्यों के बारे में विशिष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए । संवैधानिक प्रावधानों के तहत निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि राज्य भिखारियों की तरह केंद्र के पास मांगने के लिए न आएं । अब वह यहां पर भिखारियों की तरह मांगें रख रहे हैं, वह केंद्र की दया पर निर्भर हैं क्योंकि वह व्यवहार्य नहीं हैं । वे भीख पाने के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं । वह देश के लिए एक देवता बन गए हैं । अत: मैं यह सुझाव देना चाहूंगा और यह हमारी मांग भी है कि इस श्रेणी के राज्यों के लिए पृथक बजट होना चाहिए जैसा कि रेलवे के लिए होता है ।

महोदय, आप जानते हैं कि इन छोटे राज्यों के पास बहुत कम संसाधन हैं । ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई संसाधन नहीं हैं । उनके पास अपने ही संसाधन हैं । परन्तु वनों, जल और अन्य संसाधनों को काम लाने के लिए उनका दोहन करने के लिए पर्यटन संसाधनों को काम में लाने के लिए निधि को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है । यदि इन संसाधनों को काम में लाने और उनका दोहन करने के लिए निधि

उपलब्ध करायी जाती है तो इससे आय होगी । घरेलू आय होने से यह बहुत स्वभाविक है कि वह अपने पैरों पर खड़े हो पाने में समर्थ होंगे । परन्तु मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वह हमेशा कर्जदार बने रहेंगे वह आने वाले कई वर्षों तक ऐसे ही बने रहेंगे । यह सब स्वीकार्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अब अपनी बात समाप्त करें । आपने केवल तीन मिनट का समय मांगा था ।

श्री याइमा सिंह गुमनाम : मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा । पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की है लेकिन इसमें मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया है इनका इसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । मणिपुर में पर्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य है । यहां पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कई स्थान हैं । प्रतिवर्ष कई सैकड़ों सैलानी मणिपुर की सैर करते हैं क्योंकि यह स्थान उनके लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है [illegible], लाखों यात्रियों ने पिछले विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री याइमा सिंह गुमनाम : मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं ।

श्री एम० ओ० एच० मुर्सि (विशाखापट्टनम) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया । मेरे केवल थोड़े ही मुद्दे हैं । सभी वरिष्ठ सदस्यों ने कई बातें कही हैं । लेकिन मैं भी केवल एक या दो बातें कहूंगा । संक्षेप में कहते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अपनी बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, सभी छोटे व्यापारी लोगों पर उन्होंने एक कर लगाया है जिसे अनुमानित कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि इससे छोटे व्यापारिक समुदाय को नुकसान होगा । पहले ही बहुत से नियंत्रण और प्रतिनियंत्रण हैं । अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से व्यापारिक समुदाय को नुकसान होगा, मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर गौर करें ।

पहले भी कई कांड हुए हैं । भारत के लोगों में बैंकिंग क्षेत्र और इससे संबंधित कई बातों के बारे में कहा है । मैं माननीय वित्त मंत्री को सुझाव दूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया जाए और इसे मुम्बई में न रखा जाए । ऐसी बात नहीं है कि मैं दिल्ली या किसी अन्य स्थान का पक्ष ले रहा हूं । बल्कि यदि यह दिल्ली में होगा तो कम-से-कम वित्त मंत्री इस पर ज्यादा नियंत्रण रख सकेंगे । जब सारे अन्य मुख्यालय दिल्ली में हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में क्यों है ? साथ ही सेबी का मुख्यालय भी मुम्बई में है । अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में गौर करें ।

अन्त में, मैं छंटनी संबंधी नीति के बारे में बोलना चाहता हूं । यहां छंटनी संबंधी नीति है । इस पर दोबारा विचार करना चाहिए । अथवा काफी लोग अपना रोजगार खो बैठेंगे । आप केवल अनिवासी भारतीयों की निधि पर निर्भर कर रहे हैं । वित्त मंत्री सोच रहे हैं कि सभी उद्योगों को केवल अनिवासी भारतीय लोगों द्वारा ही शासित होना चाहिए । कम-से-कम वित्त मंत्री को इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए ताकि छंटनी नीति देश के हित को नुकसान न पहुंचाये । इसके साथ ही यहां आबंटन में काफी आर्थिक असंतुलन भी है । इन मामलों में आन्ध्र प्रदेश पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम-से-कम पोलावरम् बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करें । यह मेरा अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय: श्री भोगेन्द्र झा।

आप हमेशा हमें अंतिम समय में अपना नाम देकर परेशानी में डालते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): महोदय, हम इसी तरह के केवल दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहते हैं।

इस सभा में, मैंने अपने भाषण के दौरान यह उल्लेख किया था कि मेरे पास 23 व्यक्तियों से अधिक की रसीदें हैं जिनके ऋण रद्द किए गए थे लेकिन जिन्होंने बिहार के दरभंगा जिले के जलिया ब्लॉक और सहारपुर ग्राम पंचायत में कभी एक भी पैसे का ऋण नहीं लिया है। लेकिन अब तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सामान्यतः, मधुबनी जिले में खजोली की स्टेट बैंक शाखा ने लगभग चालीस अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित निर्धनतम व्यक्तियों को एक भी पैसे का ऋण नहीं दिया। जब मैंने इस बारे में श्री दलबीर सिंह को शिकायत की तो कोई व्यक्ति यहां से चला गया और उनकी सहायता से बिना उन व्यक्तियों की उपस्थिति के न्यायालय में एक झूठा शपथ-पत्र दिखा दिया था। मैं केवल यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री कुछ मज़बूत कदम उठायें। एक ओर तो एक भी पैसा नहीं दिया गया था और दूसरी ओर उन व्यक्तियों के ऋणों को रद्द कर दिया गया था जिन्होंने कभी ऋण नहीं लिया था। मेरे पास इस बारे में रसीदें हैं। मैंने रसीदें भी दिखाई हैं।

छंटनी संबंधी नीति अपना किसी अन्य मुद्दे के संबंध में मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जिस किसी को भी रोज़गार छोड़ने पर मजबूर किया जाए, उसे लाभकर स्वरोजगार के लिए संसाधन प्रदान किए जाएं ताकि आज अथवा कल वे श्रमिक की बजाए मालिक बन जाएं यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री पी० सी० थॉमस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं केवल दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है।

पहला कोको पर लगने वाले कर के संबंध में। कोको के संबंध में कर में वृद्धि कर दी गई है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कृषि उत्पादों को बहुत कम मूल्य मिल रहे हैं। अब उत्पादन लागत इतनी अधिक बढ़ गई है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह मामला आयात-निर्यात नीति से संबंधित है क्योंकि आयात न किए जाने वाली वस्तुओं में कोको को शामिल नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस पर समुचित रूप से विचार किया जाए।

दूसरा मुद्दा केरल में राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों के संबंध में है। जैसा कि आप जानते हैं कि केरल राज्य राज सहायता के रूप में और अधिक राशि व्यय करने की स्थिति में नहीं है। केरल राज्य राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले चावल के लिए वार्षिक सहायता के रूप में 180 करोड़ रु० प्रति वर्ष व्यय कर रहा है जो कि बहुत आवश्यक है क्योंकि राशन के चावल का मूल्य राज सहायता की कमी के कारण बढ़ गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

मेरा अन्तिम मुद्दा बैंकों द्वारा दिये जा रहे कृषि ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर के संबंध में है। वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया है। मैं इस मामले की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि नाबार्ड 10,000 रु० की राशि तक के लिए 6.5 प्रतिशत और 50,000

रू० तक की राशि के लिए 7.5 प्रतिशत और दो लाख रू० तक की राशि के लिए 10.5 प्रतिशत और दो लाख रू० से ऊपर की राशि के लिए 4.5 प्रतिशत की दर पर बहुत कम ब्याज अदा कर रहा है । तथापि कुछ बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर इसके अनुपातिक नहीं है । इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं और उनका ब्यौरा दिया गया है । लेकिन अनेक बैंक इनका पालन नहीं कर रहे हैं । एक बैंक के संबंध में मैं यह बात वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाया था और वित्त मंत्री ने तत्काल कार्यवाही की थी । मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया है । मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लिया । चूंकि, वित्त विधेयक में बजट के एक भाग के रूप में कर प्रस्ताव शामिल होते हैं इसलिए इस चर्चा में एक बार फिर समग्र वार्षिक नीतियों और बजटीय नीतियों के स्वरूप पर विचार करने का अवसर दिया गया है ।

6-00 म० प०

मैंने पहले ही इस विषय का उल्लेख कर दिया है और इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा । इस बजट के मूल सिद्धांत को आसानी से समझाया जा सकता है । हमारे देश के समक्ष पहला तथा महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय स्थिरता तथा वित्तीय दृढ़िकरण स्थापित करना है । मैं ईमानदारी से ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हम अर्थव्यवस्था का विकास करने, क्षेत्रीय असमानता को कम करने, पूर्वोत्तर राज्यों तथा बिहार जैसे अन्य पिछड़े राज्यों तथा हमारे देश के ऐसे क्षेत्र तथा वर्ग जिनको विकास का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है, की सहायता करने के लिए वचनबद्ध हैं । परन्तु मैं इस माननीय सभा को बता दूं कि यह सब कार्य खाली सरकारी खज़ानों के आधार पर नहीं किए जा सकते हैं । यदि आप नासिक मुद्रणालय के आधार पर इन सब न्यायसंगत खर्चों के लिए धन का प्रावधान करें तो मैं समझता हूं कि आपने हमारे देश में अनियंत्रित मुद्रा स्फीति को खुली छूट दे दी होती तो वह एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी होती ।

इसलिए मैं सम्मान के साथ इस सम्मानीय सभा में कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था आज जिस स्थिति में है, उसमें राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे तथा बजट घाटे को कम करना हमारी पहली राष्ट्रीय प्राथमिकता है । यदि आप इसमें सफल होते हैं, जैसा कि हमने पिछले दस महीनों के दौरान काफी प्रगति कर ली है, यदि इसी तरह प्रगति होती रही तो मैं समझता हूं कि एक वर्ष के समय में हम सामान्य विकास दर प्राप्त कर लेंगे । यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि इस बात का खतरा है कि अधिमुद्रास्फीति हमारे जीवन का सत्य बन जाएगी, जैसा कि यह लैटिन अमरीका और अफ्रीका के बड़े भाग के लोगों के जीवन का सत्य बन गया है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की कम उत्पादकता के मूलभूत कारणों से निपटें । मैं अधिकांश माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश की समस्याओं का कोई अन्तर्राष्ट्रीय समाधान नहीं है । न तो विदेशी सहायता और न ही विदेशी निवेश से देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । आज, हमें कुछ मदद की आवश्यकता है लेकिन यह केवल एक आधार ही प्राप्त करेगा । विकास की समस्याओं का बुनियादी रूप से समाधान करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था की कम उत्पादकता के मूलभूत कारणों को दूर करना चाहिए । हम अपने देश में राष्ट्रीय आय का लगभग 20-23 प्रतिशत बचत करते हैं । लेकिन इतनी बचत के साथ उत्पादन अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है । यह निश्चय ही इस बात का परिचायक है कि हम अपने संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र में यह बात बिल्कुल सत्य है; निजी

क्षेत्र में भी यह बात सत्य है । इसलिए हमारे देश में आधारभूत सुधार तभी हो सकता है जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था के कम उत्पादकता के इन मूलभूत कारणों को दूर करें । इसलिए औद्योगिक नीति में सुधार करने कि आवश्यकता है । प्रतिस्पर्धा अधिक होनी चाहिए ताकि लोग लाइसेंसिंग प्रणाली का उल्लंघन करके तथा आयात नीति का उल्लंघन करके लाभ न कमा सकें, बल्कि उत्पादकता तथा कार्यकुशलता के आधार पर ही लाभ अर्जित करें । यही कारण है कि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए । औद्योगिक नीति में सुधार का यही तर्क है । निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार नीति में सुधार करने की जरूरत है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें विदेशियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए । मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं । लेकिन यदि आप इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में आत्म-निर्भर बनना चाहते हैं तो हमें आयात तथा निर्यात में अंतर को कम करना होगा जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में व्याप्त है । मैं समझता हूं आज भारत के लिए आयात को कम करना बहुत ही कठिन है । थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है लेकिन आयात में भारी कमी सम्भव नहीं है ।

उदाहरण के तौर पर इस वर्ष हमारी लगभग 20 बिलियन डॉलर के निर्यात की योजना है । उसमें से लगभग 6 बिलियन डॉलर केवल तैल उत्पादकों के आयात में चला जाएगा । हमारी पैट्रोल की खपत 8-10 प्रतिशत की दर पर प्रति वर्ष बढ़ रही है । जब तक देश का निर्यात नहीं बढ़ेगा तब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं होगी । हम पिछले अनेक वर्षों से आत्म-निर्भरता की बात कर रहे हैं । लेकिन जब तक इस देश की निर्यात नीति को तेजी से प्राप्त नहीं किया जाता या इस पर अधिक जोर नहीं दिया जाता, तब तक मैं समझता हूं कि प्रगति नहीं होगी जैसा कि पिछले कुछ समय से हो रहा है और इसलिए व्यापार नीति में सुधार करने की आवश्यकता है ।

इसी तरह से वित्तीय प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है । मेरा विचार है, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बैंकिंग प्रणाली तथा शेयर बाजार के मामले उठाए हैं । मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि हमें अपनी वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण की जाँच करने की आवश्यकता है । हमें अधिक पारदर्शिता की ओर जाने की आवश्यकता है । हमें एक ऐसी प्रणाली की ओर जाने की आवश्यकता है जहाँ बैंकिंग प्रणाली में अधिक उत्पादकता हो ।

जहाँ तक कि शेयर बाज़ार में हुई घटनाओं के पीछे उत्पन्न विभिन्न मुद्दों का संबंध है मैं स्थिति को इस सभा में विस्तार से रखूंगा । जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि मैंने एक उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित कर दी है जो कि इस घोटाले में शामिल सभी बैंकों तथा अन्य संस्थानों की भूमिका की जाँच करेगी और उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगी । मैं अपराधी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी तथा विश्वसनीय कार्यवाही करूँगा । मैं यह आश्वासन देता हूँ ।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग): इसकी कोई समय सीमा भी होगी? आप कब तक यह कार्यवाही करेंगे?

श्री मनमोहन सिंह: अब मैं कुछ अन्य मुद्दों का उल्लेख करूँगा । केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों की भूमिका के संबंध में, अनेक माननीय सदस्यों ने केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर पुनर्विचार किए जाने का उल्लेख किया है । वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । लेकिन मुझे अपने साथ स्पष्ट होने दीजिए । यदि आप किसी निष्कर्ष पर आना चाहते है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधनों के लिए बड़ी राशि प्रदान की जा रही है । केन्द्र सरकार को वर्ष 1992-93 के बजट में लगभग 14,000 करोड़ रु० का राजस्व घाटा हुआ है । यदि इस वर्ष राज्यों को केन्द्र द्वारा स्वविवेक आधार पर

की जाने वाली राशि पर भी विचार किया जायें तो यह घाटा 22,000 करोड़ रु० से भी अधिक हो जायेगा । घाटे की इतनी बड़ी राशि को केन्द्रीय सरकार राज्यों को दी जाने वाली राशि में कटौती करके ही कम कर सकती है । लेकिन, इससे कोई हल नहीं निकलेगा । इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य क्षेत्र में भी निवेश की कम उत्पादकता के कारणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरा विचार है कि श्री चन्द्राकर, श्री मोहन सिंह और अनेक अन्य माननीय सदस्यों ने भी राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्यकरण तथा सिंचाई विभाग के तथा संसाधनों के गलत उपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है ।

यदि इस तरह की ही प्रवृत्ति बनी रहती है तो केवल केन्द्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन से ही हमें ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे जिनके पिछड़ेपन की समस्या तथा गरीबी और अल्प-रोजगार की समस्या से निपटने की हमें आवश्यकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं कर नीतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आता हूं । आज हमें मूल संरचनागत सुधारों के अतिरिक्त अंग के रूप में कर-ढांचे में सुधार लाने की आवश्यकता है । मैं सोचता हूं कि श्री जसवंतसिंह जी ने भी यह कहा था कि हमें ऐसे विवेकपूर्ण न्यायसम्मत और मानवीय कराधान की आवश्यकता है । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमें एक ऐसी कर प्रणाली ही चाहिये जो कि इन आदर्शों द्वारा प्रेरित हो । हमने इस दिशा में पहला कदम उठाया है । व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में सुधार किया गया है । निगमित कर प्रणाली में भी जो सुधार किये जायेंगे उन के संबंध में भी सभा को सूचित किया जायेगा । सीमा शुल्क के बारे में भी कुछ कदम उठाये गये है । इसी प्रकार उत्पाद शुल्क में सुधार करने के बारे में भी कुछ कदम उठाये गये हैं । यह तीन से पांच वर्ष तक का एक कार्यक्रम है । मुझे आशा है कि इसके समाप्ति पर मैं सोचता हूं कि एक ऐसी कर प्रणाली हम लागू करेंगे जिससे बचतों और निवेश को उचित प्रोत्साहन मिल सकेगा तथा इसके साथ-साथ वह एक न्यायसंगत तथा प्रगतिशील कर प्रणाली बन सकेगी ।

श्री जसवंत सिंह ने भी यह मुद्दा उठाया था कि एक राष्ट्र-व्यापी मूल्य संवर्धित कर नीति होनी चाहिये । मैं भी उनसे सहमत हूं कि अब ऐसा समय आ गया है जब हमें, समूचे विश्व में इन्हीं बातों को ध्यानपूर्वक रख कर विचार करना चाहिये । यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं का कोई अर्थ ही नहीं है; शुल्क शून्य अंक तक घटाये जा रहे हैं; घटा दिये गये है । वहां पर पूंजी और श्रम का मुक्त प्रचलन है । आप देखिये कि पश्चिमी यूरोप में 350 मिलियन लोग रहते हैं और वहां पर कोई कर नहीं है । आज भारत को एक ऐसी विश्व व्यवस्था के साथ संयुक्त पश्चात्य यूरोप टैरिफ-फ्री युरोप के साथ प्रतियोगिता करनी है । एशिया में भी साझाबाजार विकसित हो रहा है, लेटिन अमरीका में भी साझा बाजार विकसित हो रहा है ।

हम एक विखण्डित अर्थव्यवस्था के आधार पर इस तरह के कदम नहीं उठा सकते । इसलिए, एक साझा बाजार होने के नाते इसका अधिक लाभ न उठा सकने की यह जो पुरानी विचार धारा है, यह जो हमारे देश में विखंडित अप्रत्यक्ष कराधार प्रणाली विकसित हो गयी है, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये । लेकिन केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों को लेकर इसमें पुनर्विचार और व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिए हमें एक पृष्ठ भूमि तैयार करनी होगी । किन्तु यह एक दीर्घकालीन प्रयास है, एक लम्बा मार्ग है जिस पर हमें चलना होगा ।

अब मैं उन विशिष्ट मुद्दों पर आता हूं जोकि विभिन्न कर-प्रस्तावों के संबंध में उठाये गये हैं । इस सभा के कुछ सदस्यों ने, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों ने यह कहा है कि व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 48,000 रुपये कर दी जानी चाहिये । मैंने निम्न आय वर्ग के लोगों की मांगों को पहले भी काफी हद तक पूरा किया है । मुझे निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आयवर्ग के लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है क्योंकि

मुद्रास्फीति बढ़ने से उन्हें कष्ट होता है । लेकिन इस तमाम परीप्रेक्ष्य मे मैं सभा से सादर निवेदन करूंगा कि हमें एक सन्तुलन और समानुपात बनाये रखने की आवश्यकता है । कराधान इस समीकरण का केवल एक ही रूप है । अनिवार्य खर्च की आवश्यकता से भी बचा नहीं जा सकता । मैंने यह अनुमान लगाया है कि छूट की सीमा में प्रत्येक 1000 रुपये की राशि के परीणाम-स्वरूप 85 करोड़ रुपये के कर-संसाधन कम हो जाते है । अत: यदि हम छूट की सीमा को बढ़ाकर 48,000 रुपये कर देते है तो इससे राजस्व की भारी हानि होगी । इसका अधिकांश भाग—यानि 85% राजस्व हानि तो राज्यों को होगी । कुल मिलाकर 1,700 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी ।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जो आज बता रहे हैं, मैनीफैस्टो में लिखने से पहले सोचना चाहिए था । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : जब हम यह शिकायत करते है कि हमारे देश में लोगों की बुनयादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक नहीं है, हमारे देश में शिशु-मृत्यु दर सर्वाधिक है, जब इस तरह की सख्त जरूरतें हैं, तो यदि राज्य सरकारों के पास साधन ही पर्याप्त नहीं होंगे, तो आप इन सख्त जरूरतों को किस तरह से पूरा कर सकते है ? इसलिये जो लोग यह दलील देते है कि आयकर में छूट की सीमा को बढ़ा दिया जाये, मैं उनसे सादर निवेदन करूंगा कि उन्हें 1,700 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि के परिणामों पर भी नजर डालनी चाहिये । राज्यों का क्या होगा ? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का क्या होगा । मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों ने अचानक ही अंत्योदय कार्यक्रम के गुणों की बात की है । अब यदि ये लोग अंत्योदय स्कीम के बारे में वास्तव में ही सोचते हैं तब उन्हें छूट की सीमा को बढ़ाने के परिणामों पर विचार करते हुए इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि इससे देश के अति गरीब लोगों का कल्याण कैसे संभव हो सकता है । **(व्यवधान)**

अब मैं धारा 80-एल तथा 80-सीसीए के संबंध में दी जाने वाली रियायतों पर आता हूं । जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और इस सभा में बताया है कि धारा 80-एल के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली रियायतों को 7,000 रुपये तक सीमित कर दिया है । मैं तो इससे अधिक करना चाहता था । लेकिन उसी विचार धारा ने जिसने मुझ पर इस आशय का दबाव बनाये रखा कि छूट की सीमा को और अधिक न बढ़ाया जाये, मुझे इस बात के लिए भी विवश कर दिया कि इस रियायत को 7,000 रुपये तक ही सीमित रखा जाये ।

इसी प्रकार धारा 80-सीसीए तथा अन्य धाराओं के संबंध में, मैंने धारा 88 के लिए पात्र आस्तियों में पूंजी निवेश करने की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया है । इससे मेरे विचार से उन अधिसंख्यक लोगों को जिनको इन रियायतों को वापिस लेने के कारण नुकसान होने जा रहा था, वह नुकसान अब नहीं होगा ।

इस चर्चा में कई अन्य मुद्दे भी उठाये गये है । श्रीमती गीता मुखर्जी तथा कई अन्य गणमान्य सदस्यों ने सीमा शुल्क मे दी गई छूट की आलोचना की है । मैंने सीमा शुल्क को घटा कर किसी किस्म की गलती नहीं की है । यदि आप हमारे देश में जो सीमा शुल्क दर है उस पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि वे विश्व के सबसे अधिक सीमा शुल्क दरों में से है ।

मैंने कहा है कि इस सभा में बैठने से पूर्व जब हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर बैठे, जब लोगों ने यह देखा कि हमारी दरें 300 प्रतिशत से 400 प्रतिशत तक ऊंची है, तो हमें इस दृष्टि से देखा गया जैसे कि हम मंगल ग्रह के लोग हों। पूरे विश्व भर में शुल्क दरें कम होती जा रही हैं। यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाजनक बनाना चाहते हैं, यदि हम अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण करना चाहते है और दुनिया के उद्योगों के समान कुशल बनाना चाहते हैं, तो हमें उत्तरोत्तर सीमा शुल्क को धीरे धीरे कम करना होगा। मैं यह चाहता हूं कि अगले तीन वर्षों में सीमा शुल्क दर में औसतन 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के लगभग कम कर दिया जाये क्योंकि इससे हमारे उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए सशक्त प्रोत्साहन मिल सकेगा। इसके साथ-साथ मैं इस सभा को यकीन दिलाता हूं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचे: हम भारतीय उद्योगों को उनके आधुनिकीकरण के लिए सभी सुविधायें मुहैया कराएंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगें कि सीमा शुल्क में कमी करने अथवा किसी भी युक्तिसंगत कार्य से यदि किसी कामगार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे पर्याप्त सहायता प्रदान की जायेगी और मैं भी यह प्रतिज्ञा करता हूं—प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है और मैं उसे दोहरा देता हूं—कि यदि ढांचा गत समायोजन कार्यक्रम से कोई कामगार प्रभावित होता है और यदि कामगार काम करने का इच्छुक है, काम करना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि हमारा यह दायित्व होगा कि इस बात को देखें कि उसे वह अवसर मिल सके। इन वर्षों में भारत के इतिहास में पहली बार हमनें राष्ट्रीय पुनर्निमाण निधि की स्थापना कर इसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है। मैं सोचता हूं कि यदि इस निधि का उचित ढंग से प्रयोग किया जाता है तो इससे हम अपनी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने, कार्यक्रमों को लागू करने, कार्य-बल को अक्षुण रखने और अतिरिक्त श्रमिकों को पुनः रोजगार में लगाने आदि कार्यों के लिये एक शक्तिशाली अभियान चला सकेंगे। इससे हम बिना किसी हानि के आधुनिकीकरण कर सकेंगे। अतः इस बात को लेकर किसी किस्म का भी भय नहीं होना चाहिये कि यह एक श्रमिक-विरोधी नीति है।

उत्पाद शुल्क में दी गई रियासतों के बारे में भी कुछ आलोचना की गई थी। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है और दोहरा भी देता हूं कि उत्पाद शुल्क में किये गये परिवर्तनों में यह विशेष ध्यान रखा गया है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भार आम उपभोक्ता वस्तुओं पर न पड़े। उदाहरण के लिए विशेष उत्पाद शुल्क को बढ़ाते हुए मैंने चाय, चीनी, मिट्टी का तेल और माचिस जैसी वस्तुओं को इससे पूर्णतया मुक्त रखा है। कुछ सदस्यों ने हथकरघा बुनकरों की बात कही है। मैं उन माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जहां तक सूत के धागे का संबंध है, इसे उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखा गया है और यह उत्पाद शुल्क से मुक्त ही रहेगा।

मैं समझता हूं कि श्रीमती गीता मुखर्जी नागरिक विमानन और अन्तर्देशिय विमान सेवाओं में हो रहे तेजी से विस्तार के संबंध में, गत वर्ष उनकी बात का उत्तर न दे सकने के लिए मुझे क्षमा करेंगी। यह सही है कि नागरिक विमानन में भी दुर्लभ पैट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया जाता है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे देश में तेल संकट की समस्याओं का समाधान इस बात में है कि देश में ही पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाया जाये और तेल संरक्षण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाये। इस संदर्भ में हमारे तेल उद्योग में इस तरह की घटनायें हो रही हैं कि तेल का उत्पादन बढ़ने की बजाये कम होता जा रहा है और यह एक बहुत ही चिन्ताजनक बात है। मैं सभा से यह भी निवेदन करता हूं कि देश में सापेक्ष कीमतों का ढांचा इस तरह का है कि वह राजनैतिक कारणों, जनसंख्या का प्रश्न आदि जैसे कई कारणों से, जिन पर मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, दुर्लभ पैट्रोलियम पदार्थों के उचित उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है। आज जहां तक इस देश में मिट्टी के तेल की कीमतों का संबंध है, हम लोग, गरीब लोगों के नामपर अपने

देश में लगभग 1,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की काली आय उत्पन्न कर रहे हैं । गांवों में गरीब लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता और उनके नाम पर सारा का सारा मिट्टी का तेल काले बाजार में बेचा जा रहा है । यदि उचित कीमत प्रणाली तैयार की जाती है तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकेगी और फिर इस राशि का तेल उद्योग के विकासार्थ प्रयोग किया जा सकता है । इसलिए मेरा सभा से सादर निवेदन है कि अब ऐसा समय आ गया है जब कि तेल विकास, तेल संरक्षण तथा तेल उत्पादों की कीमत की उचित प्रणाली संबंधी तमाम समस्याओं पर नजर डाली जानी चाहिये । यदि हम इस मामले में सावधानी नहीं बरतते तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भुगतान सन्तुलन की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी । यदि कोई एक मात्र कारण ऐसा है जोकि आठवीं योजना को बर्बाद कर सकता है, तो यह तेल का क्षेत्र ही है । अतः यदि हम आत्म-निर्भरता की बात को गंभीरता से लेते हैं, तो वर्तमान प्रवृत्ति में बदलाव की आवश्यकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वर्ण आयात शुल्क में दी जाने वाली छूट की यह कह कर आलोचना की है कि इससे तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा । मेरा सादर निवेदन है कि यह बिल्कुल ही विपरीत बात है । मैंने तस्करी से मिलने वाले प्रोत्साहनों को कम करने का कार्य किया है । रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता और आयात शुल्क में कमी इन दोनों बातों के द्वारा हवाला बाजार और काला बाजारियों के साथ सख्ती से निपटा गया है । इसलिये मैं यह सोचता हूं कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि स्वर्ण के बारे में मैंने जो कदम उठायें हैं, उनसे तस्करों को किसी तरह का प्रोत्साहन मिल सकेगा । यह तो इससे बिल्कुल ही विपरीत बात है ।

लेकिन सदस्यगणों से मैं इस बात पर सहमत हूं कि काले धन को पैदा करने वाले मूल कारणों को अंकुरित होते ही कुचल देना होगा । यह कारण कौन-कौन से हैं । मैं समझता हूं कि इनमें से पहला कारण तो लाईसेंस परमिट प्रणाली है जोकि नियंत्रण से बाहर है और जोकि सीमापार काले धन को पैदा करने का एक साधन है । दूसरा कारण व्यापार नीति है जिससे विगत वर्षों में काफी मात्रा में काला धन पैदा हुआ है; इसके बाद विनिमय नियंत्रण प्रणाली है जोकि लागू नहीं की गई थी और जिसने बड़े पैमाने पर हवाला लेन-देन को बढ़ावा दिया; और फिर कर प्रणाली आती है जिससे लोगों को प्रोत्साहन दिये गये ताकि कर से बच सकें । हमनें काले धन को पैदा करने वाले इन बुनियादी कारणों से निपटने के लिये एक प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

यदि हम अपनी इस शुरुआत पर कायम रहते हैं, तो मुझे यकीन है कि कुछ समय के पश्चात्, हम काले धन को पैदा करने में प्रोत्साहक बातों को दृढ़ता के साथ कम कर सकेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : काले धन की राशि के बारे में आपका क्या अंदाजा है ।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे खेद है । मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि किसी को इसका पता होगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कृत्रिम धागे, मोटर वाहनों और कुछ अन्य क्षेत्रों के मसले उठाये हैं । मैं यह मानता हूं कि इन क्षेत्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । हम उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहेंगे और उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समुचित कदम उठायेंगे । यद्यपि मोटर वाहन उद्योग एक विलासी उद्योग हो सकता है, जैसा कि जार्ज फर्नान्डीज जी मुझे स्मरण कराते रहे हैं, यह रोजगार से जुड़ा प्रश्न है और इसलिये हम इस पर असंवेदनशील नहीं रह सकते । हम इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के प्रति सजग रहेंगे ।

श्री मोहन सिंह ने अत्यधिक मुकदमेबाजी की समस्याओं का उल्लेख किया है । मैं भी उनसे सहमत हूं कि हमारे देश में अत्यधिक मुकदमे बाजी है । गत सप्ताह आयोजित उपायुक्तों की बैठक में, मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि अत्यधिक मुकदमेबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता । इसके बदले हमें करों को बकाया राशि घटाने में सहायता करनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि श्री के० पी० सिंह देव ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का उल्लेख किया है । वह यह जानते हैं कि हमारी सरकार इस मामले में गहरी रुचि रखती है । माननीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वह कुछ कर दिखाया जिसका हमने वायदा किया था अर्थात् एक रैंक-एक पेंशन की समस्या का नये तरीके से समाधान । यह एक कठिन निर्णय था । लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा और उनके द्वारा की गयी सेवाओं की सराहना के प्रतिक के रूप में हमने यह निर्णय लिया है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सिर्फ कहते हैं और करते कुछ नहीं है ।

श्री मनमोहन सिंह : हम इसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहेंगे । मैं यह बात दुहराता हूं, हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहेंगे । जिन लोगों ने हमारी सीमाओं की रक्षा करने में अपने जीवन का बलिदान कर दिया है उनके प्रति राष्ट्र अपनी कृतज्ञता का ऋण कभी भी चुका नहीं सकता है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने लघु उद्योगों की समस्याओं से सम्बन्धित मुद्दा उठाया है । मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार बहुत ही गम्भीरतापूर्वक हर संभव तरीके से लघु उद्योगों की सहायता का कार्य कर रही है । लेकिन नम्रतापूर्वक मैं यह अनुरोध करता हूं कि हमारे देश की कर प्रणाली के विश्लेषण से मुझे पता चलता है कि लघु उद्योगों की जो भी समस्यायें हैं वे कर से सम्बन्धित नहीं हैं । लघु उद्योगों को व्यापक छूट दी गयी है । श्री जसवंत सिंह ने एक विशेष अभिसूचना मेरे ध्यान में लायी है जिसमें कुछ समस्यायें हैं । मैंने उनसे वायदा किया है कि इसमें छान-बीन की जायेगी । वित्त विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् भी इसे देखा जा सकता है ।

मेरे दृष्टिकोण से लघु उद्योगों की आधारभूत समस्यायें—विपणन की समस्या प्रौद्योगिकी सुधार की समस्या और लघु उद्योग के कारखानों के आसपास अनेक निरिक्षकों द्वारा चक्कर लगाते रहने की समस्या है । इन सभी क्षेत्रों में हमें नये तरीके से समाधान ढूंढने की आवश्यकता है । लेकिन कराधान कोई समस्या नहीं है । यद्यपि यह सही है कि 30 से 40 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन लघु उद्योगों द्वारा होता है और जैसा कि मैंने गणना की है कि कर प्रणाली में उनका सम्पूर्ण योगदान 300 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है । मैं विनम्रतापूर्वक यह भी कहता हूं कि लघु उद्योगों की समस्याओं का समाधान कराधान के क्षेत्र में नहीं मिलेगा बल्कि मैंने अभी जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया है उसमें मिलेगा ।

श्री चन्द्रशेखर चड्ढा : एस० आई० डी० सी० आई० नहीं । एस० आई० डी० सी० आई० द्वारा वास्तव में सहायता नहीं प्रदान की जा रही है । कृपया इस मामले पर ध्यान दीजिए ।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं सोचता हूं कि जिन मुद्दों को उठाया गया है करीब-करीब मैं सभी के बारे में बोल चूका हूं ।

एक अन्तिम मुद्दा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में सुधार, जिसका उल्लेख श्री जसवंत सिंह ने किया है, के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में सुधार से सम्बन्धित विधेयक ला रहे हैं ।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सेबी का उल्लेख करना चाहूँगा । मैंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया है । एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था । उस समय जिन मुद्दों को उठाया गया था मैं सभी के बारे में बोल चूका हूँ । मैं पुन: एक बार इस सम्मानीय सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि निवेशकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में हम सेबी को हर प्रकार का समर्थन देंगे । लघु उद्योग क्षेत्र में कदाचार में जो भी दोषी होगा हम उसके विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही करेंगे ।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और सभा से इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूँ ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ग्रामीण क्षेत्रों के धनी लोगों पर कर लगाने के बारे में आप क्या कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

खण्ड 2—आयकर

खंड 2 संशोधन पेश किये गये हैं । श्री मोरेश्वर सावे, क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं ?

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"अड़ाईस हजार रुपये" के स्थान पर

"उनतालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 46,—

"अड़ाईस हजार रुपये" के स्थान पर

"उनतालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मोरेश्वर सावे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सी० थामस जी, क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं ?

श्री पी० सी० थामस : जी नहीं, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"अड़ाईस हजार रुपये" के स्थान पर
"अड़तालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (130)

पृष्ठ 3, पंक्ति 46.—

"अड़ाईस हजार रुपये" के स्थान पर
"अड़तालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (131)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 130 और 131 को स्वीकृत किया जाए।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हाँ" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "हाँ"।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया "नहीं" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "नहीं"।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "हाँ" वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गाँधीनगर) : महोदय, ये संशोधन आयकर में छूट की सीमा 28,000 रुपये से बढ़ा कर 48,000 रुपये किये जाने के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें.....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 130 और 131 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 26.—

"अड़ाईस हजार रुपये" के स्थान पर
"अड़तालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (130)

पृष्ठ 3, पंक्ति 46.—

"अड़ाईस हजार रुपये" के स्थान पर
"अड़तालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (131)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 17 **पक्ष में** **समय** : 6.35 म०प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द
अवैद्य नाथ, महन्त
*अहमद, श्री ई०
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कनोजिया, डा० जी० एल० (लखीमपुर खेरी)
कनोडिया, श्री महेश कुमार (पाटन)
कमल, श्री श्याम लाल
कच्छवां, श्री राम सिंह
कापसे, श्री राम
कालकादास, श्री (करोलबाग)
कुमार, श्री पी० धनंजय
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती
कोरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)
खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द
खनोरिया, श्री डी० डी०
खन्दूरी, श्री भुवन चन्द
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डा० परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गोडिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी
गौड, श्री के० वेंकटगिरि
गौतम, श्री शीश
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौहान, श्री चेतन पी० एस०
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)
छटवाल, श्री सरताज सिंह
जसवंत सिंह, श्री (चित्तोड़गढ़)
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डूंगरीमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
टंडेल, श्री डी० जे०
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०
ठाकुर, श्री गामाजी मंगाजी (कपड़वंज)
तोमर, श्री रमेश चन्द
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
दास, श्री द्वारकानाथ

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धूमाल, प्रो० प्रेम
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र (सिलचर)
प्रेम, श्री जी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
बंडारु, श्री दत्तात्रेय
बलियान, श्री नरेश कुमार
बाला योगी जी० एम० सी०, श्री
बेरवा, श्री राम नारायण (टोंक)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)
महाजन, श्री सुमित्रा (इन्दौर)
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मुण्डा, श्री कड़िया
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राणा, श्री काशीराम
रामदेव राम, श्री
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा० लाल बहादुर (डायरक्ट)
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकरजी लक्ष्मणजी
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, श्री सुशीलचन्द्र (भोपाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वेकारिया, श्री एस० एन०
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
शाह, श्री मानवेन्द्र
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
संघानी, श्री दिलीप भाई
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, डा० छत्रपाल सिंह
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री सत्यदेव

*गलती से 'पक्ष' में मतदान किया।

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)
अन्नाराशु इरा, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेनकासी)
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)
इस्लाम, श्री नुरुल (धुबरी)
उपाध्याय, श्री स्वरूप (सेजपुर)
उम्बे, श्री लाईता
उर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
एन्थनी, श्री फ्रेंक
ओडेयर, श्री चन्नैया
कमल नाथ, श्री

करेंदुला, कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुहुमुला, श्री पद्मश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केमिथी, डा० विश्वानाथम
केवलसिंह, श्री
कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोनाथाला, श्री रामकृष्ण
कौर, श्रीमती सुखबंस
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)
खां, श्री त्रययूब
खां, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतुभाई
गालिब, श्री गुरचणसिंह
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गावीत, श्री माणिकराव डोंडल्या (नन्दुरबार)
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुंडेवार, श्री विलास राव
गुडाडिन्नी, श्री बी० के०
गामांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
चाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारागथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री के० वी० आर०
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापूहरि
जनार्दनन, श्री एम० आर० (तिरुनेलवेली)
जवाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)
जयमोहन, श्री ए०
जांगडे, श्री खेलन राम
जाटव, श्री भारे लाल (मुरेना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनम)
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिणडिवणम, श्री के० राममूर्ती
टोपे, श्री अंकुशराव
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह
डामौर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रवीन
डेनिस, श्री एन०
तंगाबालु, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारादेवी, श्रीमती डी० के० (चिकमंगलूर)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहुर, श्री गुरचरण सिंह

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिघे, श्री शरद (मुंबई-उत्तर-मध्य)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)
देवड़ा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, महारानी बिमु कुमारी
देशमुख, श्री अनंतराव
देशमुख, श्री अशोकराव आनंदराव
नवले, श्री विदुरा विथोबा
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबासचन्द्र
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्धप्पा भीमप्पा
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल्ल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पवार, डा० वसंत निवृत्ती
पवार, श्री शरद
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, कुमारी सूर्यकांता
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटील, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पुसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पेरुमान, डा० पी० बल्लाल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

प्रभु झात्ये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री आस्कर
फारुक, श्री एम० ओ० एच०
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्री जगमीतसिंह
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री जालौर
भक्त, श्री मनोरंजन
भडाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती विल कुमारी
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दनलाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोसले, श्री तेजसिंहराव
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा० आर०
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिर्धा, श्री रामनिवास
मीणा, श्री भेरू लाल (सलम्बर)
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरुगेसन, श्री एन०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्त
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
यशपाल, श्री
रथ, श्री रामचन्द्र
राजुलु, डा० आर० के० जी०
राजू, श्री बी० विजयकुमार
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राममूर्ति, श्री के०
राम सिंह, राव
रामास्वामी, श्री आर०
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डय्या यादव, श्री के० पी०
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री गड्डम गंगा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बा रामा
रेड्डी, श्री मुद्दासमुदम ज्ञानेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर (करनूल)
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, श्री राजा रवि (पोल्लायी)
वर्मा, कु० विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, मे० ज० आर०जी०
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिवप्पा, श्री के० जी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरन, श्री आर०
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
संगमा श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सावुल, श्री धर्मण्णा मेंडियया
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय, श्री ए० प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संतराम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिलवेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री देवी बक्स
सिंह देव, श्री के० पी०
सिंह, श्री मनफूल (बीकानेर)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश (श्री कोडिकुनील)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोढ़ी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सोन्धम, डा० (श्रीमति) के० एस०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
हुडडा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हरचन्द सिंह, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, 8* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 98
विपक्ष में : 235

संशोधन संख्या 130 और 131 अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री सुरेन्द्र पाल पाठक; श्री बृजभूषण शरण सिंह; श्री विश्वनाथ शर्मा; श्री चिन्मयानन्द स्वामी; श्री सुरेशानन्द स्वामी ।

विपक्ष में : डा० चिन्ता मोहन; श्री ए० वेंकट रेड्डी; श्री ई० अहमद; श्री के० तुलसिऐया वान्डयार ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4—धारा 10 का संशोधन

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 7,—

पंक्तियां 8 से 13 का लोप किया जाए (8)

किये गये संशोधन

पृष्ठ 6, पंक्ति 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

(1) "लोक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित" शब्दों के पश्चात "अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा" (48)

पृष्ठ 6, पंक्ति 49 में,

'अध्यादेश' के स्थान पर 'अधिनियम' रखें । (49)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत—उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 और खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 और खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 श्री मोरेश्वर सावे द्वारा संशोधन संख्या 3 और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत किये गये हैं ।

खण्ड 7—धारा 16 का संशोधन

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 7,—

खण्ड 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

'7. आयकर अधिनियम की धारा 16 में, खण्ड (i) के स्थान पर 1 अप्रैल, 1993 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) वेतन के चालीस प्रतिशत के बराबर या पन्द्रह हजार रुपये, जो भी कम हो, की रकम की कटौती;" ।' (3)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 7, पंक्तियां 31 और 32

"जो महिला है और जिसकी कुल आय इस खण्ड के अधीन कोई कटौती करने के पूर्व पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं है" का लोप किया जाए । (9)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 9 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 और 9 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 10 पर श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री राम कापसे द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं ।

खण्ड 10—धारा 24 में संशोधन

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

'(2) उपधारा (2) में, परन्तुक में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । (10)

श्री राम कापसे (थाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(2) उपधारा (2) में, परन्तुक में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । (129)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 10 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 127 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 127 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड, 11, श्री मनमोहन सिंह ।

खण्ड 11, धारा 28 में संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 8, पंक्ति 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो :

परंतु जहां कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या उसका कोई भाग धारा 40 के खण्ड (ख) के अधीन कटौती किए जाने के लिए अनुज्ञात

नहीं किया गया है वहां इस खण्ड के अधीन आय का उस रकम की मात्रा तक जो कटौती किए जाने के लिए इस प्रकार अनुज्ञात नहीं की जाती है, समायोजन किया जाएगा।" (50)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13—नयी धारा 34 का अंत:स्थापन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 8, पंक्ति 19.—

"दो-तिहाई" के स्थान पर
"90 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये। (23)

[अनुवाद]

प्रो० राजा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 8, पंक्ति 20.—

"दो तिहाई" के स्थान पर
"अस्सी प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (133)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 13 पर संशोधन संख्या 23 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 13 पर संशोधन संख्या 133 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 133 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 और 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 16—धारा 40 में संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 9, पंक्ति 37 से पंक्ति 43 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(क) बही लाभ के प्रथम 1,00,000 रु० पर या किसी हानि की दशा में	50,000 रु० या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो;
(ख) बही लाभ के अगले 1,00,000 रु० पर	60 प्रतिशत की दर से;
(ग) बही लाभ के अतिशेष पर	40 प्रतिशत की दर से;
(2) किसी अन्य फर्म की दशा में,—	
(क) बही लाभ के प्रथम 75,000 रु० पर या किसी हानि की दशा में	50,000 रु० या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो;
(ख) बही लाभ के अगले 75,000 रु० पर	60 प्रतिशत की दर से;
(ग) बही लाभ के अतिशेष पर	40 प्रतिशत की दर से;

परंतु 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान भागीदार को इस खंड के अधीन किसी संदाय के संबंध में, भागीदारी विलेख के निबंधनों में, उक्त पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे संदाय के लिए उपबंध किया जा सकेगा"। (51)

पृष्ठ 10, पंक्ति 3 से पंक्ति 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'स्पष्टीकरण 3—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "बही लाभ" से अभिप्रेत है अध्याय 4घ में अधिकथित रीति से संगणित किए गए सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में दिखाया गया शुद्ध लाभ जैसा कि फर्म के सभी भागीदारों को संदत्त या संदेय पारिश्रमिक की संकलित रकम को बढ़ाकर आए यदि ऐसी रकम की शुद्ध लाभ की संगणना करते समय कटौती की गई है।'

स्पष्टीकरण 4—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "कार्यकारी सदस्य" से ऐसा व्यष्टि

अभिप्रेत है जो ऐसी फर्म के जिसका वह भागीदार है, कारबार या वृत्ति के संचालन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है"। (52)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 से 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 24—धारा 48 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किये गये

पृष्ठ 11, पंक्ति 35 में,
"आस्ति का विक्रय" के स्थान पर "आस्ति का अंतरण" रखें। (53)

पृष्ठ 11, पंक्ति 39 में,
"आस्ति का विक्रय" के स्थान पर "आस्ति का अंतरण" रखें। (54)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26—धारा 53 का लोप

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11,—

खण्ड 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

आयकर अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर 1 अप्रैल, 1993 से निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"53 धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी ऐसे अंतरिती की दशा में, जो एक व्यष्टि है किसी ऐसी दीर्घकालीन पूंजी आस्ति के अन्तरण से जो ऐसे भवनों या उनसे अनुलग्न भूमियों के रूप में है और जो ऐसा कोई निवास गृह है जिसकी आय "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, उद्भूत पूंजी अभिलाभ जो दो सौ हजार रुपये तक होता है, को धारा 45 के अंतर्गत प्रभारित नहीं किया जायेगा।" (24)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 26 पर संशोधन संख्या 24 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 24 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 से 29 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 30—धारा 54(ङ) का संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 12, पंक्ति 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"30. आय-कर, अधिनियम की धारा 54ङ में,—

(i) उपधारा (1) में,—" (55)

पृष्ठ 12, पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें— (30)

'(ii) उपधारा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी मूल आस्ति के जिसकी बाबत निर्धारिती ने 29 फरवरी, 1992 को या उसके पूर्व अग्रिम के रूप में कोई रकम प्राप्त की थी और ऐसी संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का पश्चातवर्ती तारीख को

या उसके पूर्व नई आस्ति में विनिधान या निक्षेप किया था, 31 मार्च, 1992 के पश्चात् किए गए अंतरण से उद्भूत होता है वहां उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंध ऐसे विनिधान या निक्षेप की दशा में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के अधीन विनिधान या निक्षेप की दशा में लागू होते हैं।" (56)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31—धारा 54च में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरीधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

खण्ड 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"31 आयकर अधिनियम की धारा 54च की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में "पन्द्रह हज़ार रुपये" शब्दों के स्थान पर "तीस हज़ार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।" (25)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 31 पर संशोधन संख्या 25 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 और 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 और 33 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 34—धारा 55 में संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 12, पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखें— (34)

(ii) "निर्धारिती के विकल्प पर आस्ति के उस दिन के उचित बाजार मूल्य को अर्जन की लागत माना गया है" शब्दों का लोप किया जाएगा।' । (57)

पृष्ठ 12, पंक्ति 16 से पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) में, '1974' अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, '1981' अंक रखे जाएंगे;" । (58)

(श्री मनमोहन सिंह)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 34, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 35—धारा 64 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 13,—

पंक्ति 16 से 32 तक का लोप किया जाये । (26)

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 12,—

(एक) पंक्ति 32 का लोप किया जाए ।
(दो) पंक्ति 35 से 38 तक का लोप किया जाए । (34)

पृष्ठ 13,—

पंक्ति 33 और 34 का लोप किया जाए । (35)

श्री मनमोहन सिंह : यह विशेष मामला अब कर सुधार समिति के समक्ष है । अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मैं इस मामले पर पुनर्विचार करूं । इसलिए, मैं वित्त विधेयक, 1992 के खण्ड, 59 का लोप करने का प्रस्ताव करता हूं ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 13,—

पंक्तियां 27 से 34 का लोप किया जाये । (142)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं खण्ड 35 में के संशोधन संख्या 26 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 35 में संशोधन संख्या 34 और 35 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 34 और 35 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 35 में संशोधन संख्या 142 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 142 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 12, पंक्ति 26 से पंक्ति 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(ii) खंड (iii) और खंड (v) का लोप किया जाएगा;" (59)

पृष्ठ 12, पंक्ति 33 में,

"(iv)" के स्थान पर "(iii)" रखें । (60)

पृष्ठ 12, पंक्ति 35 में,

"(v)" के स्थान पर "(iv)" रखें । (61)

पृष्ठ 12, पंक्ति 37 में,

"(vi)" के स्थान पर "(v)" रखें । (62)

पृष्ठ 12, पंक्ति 38 में,

"(vii)" के स्थान पर "(vi)" रखें । (63)

पृष्ठ 12, पंक्ति 40 में,

"(viii)" के स्थान पर "(vii)" रखें । (64)

पृष्ठ 12, पंक्ति 48 में,

"(ix)" के स्थान पर "(viii)" रखें । (65)

पृष्ठ 12, पंक्ति 49 में,

"(x)" के स्थान पर "(ix)" रखें । (66)

पृष्ठ 13, पंक्ति 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(ख) ऐसे क्रियाकलाप से, जिसमें उसके कौशल, प्रतिभा या विशेषज्ञीय ज्ञान और अनुभव का उपयोग हुआ है," (67)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 36 से 38 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 36 से 38 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 39—धारा 75, 76 तथा 77 का लोप

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, खंड 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

धारा 75, धारा 76 और धारा 77 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।	'39. आय-कर अधिनियम की धारा 75, धारा 76 और धारा 77 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 1993 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—
फर्म की हानियां ।	"75. जहां निर्धारिती फर्म है वहां 1 अप्रैल, 1992 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई ऐसी हानि, जिसका मुजरा फर्म की किसी अन्य आय के प्रति नहीं किया जा सका है और जो फर्म के किसी भागीदार को प्रभाजित की गई है किंतु 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पूर्व ऐसे भागीदार द्वारा मुजरा नहीं की जा सकी है, फर्म की आय के प्रति इस शर्त के अधीन रहते हुए कि भागीदार उक्त फर्म में बना रहता है, मुजरा किए जाने के लिए और धारा 70, धारा 71, धारा 72, धारा 73, धारा 74 और धारा 74क के अधीन मुजरा करने के लिए अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।" (68)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 39. संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 39, संशोधित रूप, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 40 और 41 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 40 और 41 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 42. श्री जसवंत सिंह जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, चूंकि मेरे संशोधन का मुद्दा माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : महोदय, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 42 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 43. श्री जसवन्त सिंह ।

श्री जसवन्त सिंह : यहां भी महोदय, चूंकि मेरे संशोधन का मुद्दा स्वीकार कर लिया गया है, अतः मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 43 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 44 और 45 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 44 और 45 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 46—धारा 80 ज० ज० ग० में संशोधन

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

पृष्ठ 14,— पंक्ति 42,— अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

'और वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"परन्तु यह और कि जहां भारत के बाहर निर्यात उस सामान अथवा व्यापारिक माल का होता है जो निर्धारिती द्वारा विनिर्मित होता है अथवा व्यापार माल का होता है और विदेश में पूरी की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में है निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ के सौ प्रतिशत के बराबर कटौती की अनुमति दी जायेगी ।" (128)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अन्ना जोशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 128 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 46 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 47 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 48—धारा 80(ठ) का लोप

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

पृष्ठ 14,—

'48. आयकर अधिनियम की धारा 80ठ के स्थान पर 1 अप्रैल, 1993 से निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"80ठ यदि निर्धारिति को सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित प्रतिभूतियों तथा लाभांश से आय प्राप्त होती है तो उसे धारा 88 में उपबंधित के अतिरिक्त तेरह हजार रुपये तक बीस प्रतिशत की कर-छूट दी जाएगी ।" ।। (४)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, डा० मनमोहन सिंह का वैसा ही संशोधन है—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके पास बोलने के लिए काफी समय था । आपको कल बोलना था, आपको संशोधन पर भी बोलना है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह प्राविधिक मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, यह वास्तव में बहुत ही गलत है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इन संशोधनों का क्या अर्थ है (व्यवधान) धारा 88 में, 13,000 रुपयों को आय के रूप में अनुमति दी जानी थी. . .

अध्यक्ष महोदय : आपको कल अपने संशोधन को स्पष्ट करने का मौका मिला था ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने उन्हें स्पष्ट करने की अनुमति क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह उनका तर्क था कि यह छूट. . . (व्यवधान) उन्होंने अभी कहा है कि 7,000 रुपये दिये हैं । उनका तर्क है कि यह छूट अस्वीकार कर दी गई थी, क्योंकि जो व्यक्ति 40 प्रतिशत आय कर योग्य रखता है, उसे 5,200 रुपये का लाभ होगा लेकिन 20 प्रतिशत पर उसे 2,600 रुपये का कर-लाभ होगा । इस दलील के बावजूद उन्होंने संशोधन पुरःस्थापित किया है कि 13,000 रुपये के स्थान पर यह 7,000 रुपये होने चाहिए और इसे परिवर्तित कर दिया । मेरा प्रस्ताव है कि इसे परिवर्तित करने के बजाय 13,000 रुपये की अनुमति दी जाये, लेकिन धारा 88 के अनुसार जिस व्यक्ति की आय कर स्तर से अधिक है, उसे केवल 2,600 रुपये का लाभ मिलेगा और जिसकी आय 3,000 रुपये है उसे भी 2,600 रुपये का ही लाभ मिलेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने यह सब कल क्यों नहीं स्पष्ट किया ? आप काफी समय तक बोले थे ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं माननीय वित्त मंत्री से उनके अपने संशोधन के बजाय अपने संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरिधारी लाल भार्गव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री गिरिधारी लाल भार्गव : जी, नहीं, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं एक मिनट लूंगा ।

मेरा पूर्व-संशोधन धारा 80-सीसीए और 80-सीसीबी से संबंधित है । यह धारा 80-एल के बारे में है । माननीय वित्त मंत्री ने मेरे वरिष्ठ नेताओं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और मेरे साथ विचार-विमर्श किया और उस चर्चा में सरकार ने इस मुद्दे पर जो लघु बचत से संबंधित है, सहमति व्यक्त की, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ ।

संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

पृष्ठ 14, खंड 48 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

धारा 80ठ का संशोधन । "48. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) के पहले और दूसरे परंतुकों का, 1 अप्रैल, 1993 से, लोप किया जाएगा ।" । (69)

(श्री मनमोहन सिंह)

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप स्पष्ट करें कि आप मेरा संशोधन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं । आप 1,00,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 2,800 रु० दे रहे हैं. . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए । मैं आपका आभारी होऊंगा । अब मैं खण्ड 48 में संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

7-00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 48, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 48, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 49 और 50 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 49 और 50 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 51—धारा 88 में संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 15, पंक्ति 22 में से
"1 अप्रैल, 1993 से," का लोप करें । (70)

पृष्ठ 15, पंक्ति 23 में,

"परन्तुक" के पश्चात् "1 अप्रैल, 1993 से," अंत:स्थापित करें। (71)

पृष्ठ 15, पंक्ति 31 में,

"अक्षर" के पश्चात् "1 अप्रैल, 1993 से," अंत:स्थापित करें। (72)

पृष्ठ 15, पंक्ति 33 में,

"शब्द" के पश्चात् "1 अप्रैल, 1993 से," अंत:स्थापित करें। (73)

पृष्ठ 15, पंक्ति 34 में,

"निम्नलिखित खंड" के पश्चात् "1 अप्रैल, 1993 से," अंत:स्थापित करें। (74)

पृष्ठ 15, पंक्ति 40 में,

"अभिदायस्वरूप है" के पश्चात् "जो दस हज़ार रुपये से अधिक नहीं होगा" अंत:स्थापित करें। (75)

पृष्ठ 15, पंक्ति 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"पेंशन निधि में" शब्द, 1 अप्रैल, 1993 से, अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) खंड (xv) के उपखंड (ग) की मद (7) में, "स्थानीय प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या सहकारी सोसाइटी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे; (76)

पृष्ठ 15, पंक्ति 46 से पंक्ति 50 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'(iii) उपधारा (6) में, 1 अप्रैल, 1993 से,—

(क) खंड (i) में, "जो लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है) है, चौदह हज़ार रुपये" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर "जिसकी लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाल भी है) के रूप में वृत्ति करने से व्युत्पन्न आय उसकी कुल आय का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक है, सत्रह हज़ार पांच सौ रुपए" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "दस हज़ार" शब्दों के स्थान पर "बारह हज़ार" शब्द रखे जाएंगे।'। (77)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52—नई धारा 88ख का अंत:स्थापन

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16, पंक्ति 2,—

"पचास हजार रुपए" के स्थान पर

"एक लाख रुपए" प्रतिस्थापित किया जाएगा । (28)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 52 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 52क (नया)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16,—पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

'52क. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङङक की उपधारा (2) के खंड (ख) में उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(iii) जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और ऐसे स्थानीय निकायों" ।' । (143)

आधे मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । **(व्यवधान)**

महोदय, मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा तब पूरी सभा मुझे समर्थन देगी । यह वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए कुछ राशि में कटौती करने के बारे में है । एसोसिएशनों और संस्थानों के संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति दी जाती है । संशोधन में मेरा प्रस्ताव है कि जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि आप पंचायती प्रणाली का समर्थन करते हैं, जिला परिषद बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यस्त हैं और नगरपालिकाएं भी वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए अपने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे रही हैं । महोदय, ऐसी कटौती को स्वीकार क्यों नहीं किया जाएगा ? मेरा संशोधन उस उद्देश्य के लिए है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्तिजी, हमेशा की तरह आप चुप रहकर ही मेरी सहायता कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 143 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 143 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

खंड 53—नई धारा 112 का अंत:स्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 16, पंक्ति 23 में से,

"फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय," का लोप करें । (78)

पृष्ठ 16, पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

'परंतु किसी साहसिक पूंजी कंपनी को साहसिक पूंजी उपक्रमों के साधारण अंशों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में, उपखंड (ii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "चालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "बीस प्रतिशत" शब्द रखे गए हों;' (79)

पृष्ठ 16, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें —

'स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "साहसिक पूंजी कंपनी" से अभिप्रेत है ऐसी कंपनी, जो साहसिक पूंजी उपक्रमों के साधारण अंशों को अर्जन करके या, यदि परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो तो, ऐसे उपक्रमों को उधार देकर, उनका वित्तपोषण करने के काम में मुख्यत: लगी हुई है और जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है;

(ख) "साहसिक पूंजी उपक्रम" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसे विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित करे, अर्थात् :—

(1) कंपनी में कुल विनिधान दस करोड़ रुपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से अधिक नहीं है जो विहित की जाए;

(2) कंपनी के पास ऐसी परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं जिन्हें प्रारंभ करने के लिए वह वृत्तिक या तकनीकी रूप से अन्यथा समर्थ है;

(3) कंपनी ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है जिसका परिणाम भारत में किसी क्षेत्र में विद्यमान प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सुधार करना होगा और ऐसी प्रौद्योगिकी में विनिधान करने में बहुत जोखिम है ।' (80)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 53 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 54 और 55 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 54 और 55 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 56—नई धारा 115कग का अंत:स्थापन

संशोधन किए गए

पृष्ठ 17, पंक्ति 7 से पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'(क) भारतीय कंपनी के ऐसे बंधपत्रों या शेयरों पर जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पुरोधृत किए जाते हैं और जो विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए जाते हैं, ब्याज या लाभांश के रूप में आय; या' (81)

पृष्ठ 17, पंक्ति 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

(iii) आय-कर की वह रकम जो अनिवासी पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट' । (82)

पृष्ठ 17, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

'(4) किसी अनिवासी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा यदि—

(क) उसकी कुल आय जिसकी बाबत वह पूर्व वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, केवल उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आय से मिलकर बनती है; और

(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय से कटौती कर ली गई है ।' (83)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 57 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 57—विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 58—नए अध्याय बारह-ग का अंत:स्थापन

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 18, पंक्तियां 7 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(ग) ऐसे व्यक्ति की, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान, खुदरा व्यापार के कारबार से आय से भिन्न कर से प्रभार्य कोई आय, आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी स्रोत से पांच हजार से अधिक नहीं है ।" (12)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, वित्त मंत्री द्वारा किए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17, पंक्ति 42,—

"सात प्रतिशत" **के स्थान पर**
"चार प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाएगा ।** (29)

संशोधन किए गए

पृष्ठ 17, पंक्ति 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'खुदरा व्यापार आदि के संबंध में विशेष उपबंध' । (84)

पृष्ठ 17, पंक्ति 41 से पंक्ति 43 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'धारा लागू होती है, जो—

(क) किसी माल या वाणिज्य के खुदरा व्यापार का कारबार कर रहा है और जो उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण देता है, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रकम के सात प्रतिशत के बराबर राशि ऐसे व्यक्ति को खुदरा व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी;

(ख) भोजन स्थान को चलाने का कारबार कर रहा है या किसी व्यवसाय में लगा हुआ है और जो उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण देता है, पैंतीस हजार रुपए की राशि ऐसे व्यक्ति को ऐसे कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।' (85)

पृष्ठ 18, पंक्ति 5-15 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो,—

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट है, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान खुदरा व्यापार के कारबार से उसका आवर्त पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है और उस वर्ष के दौरान ऐसे कारबार से उसकी आय पैंतीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, भोजन स्थान चलाने के कारबार या व्यवसाय से उसकी आय सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान पैंतीस हजार रुपए से अधिक नहीं है; और

(ग) ऐसे व्यक्ति की कुल मिलाकर पांच हजार रुपए से अधिक की ऐसी कोई आय नहीं है जो खुदरा व्यापार के कारबार से या भोजन स्थान चलाने के कारबार से या किसी व्यवसाय से हुई आय से

भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाले किसी स्रोत से कर के लिए सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्रभार्य है ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे यह धारा लागू होती है, उपधारा (1) के अधीन मानी गई आय पर और उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अन्य आय पर कर का संदाय सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में अग्रिम कर की संगणना के लिए विनिर्दिष्ट दर पर करने के दायित्वाधीन होगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विवरण,—

(क) विहित प्ररूप में होगा, उसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, उसका पता, कारबार या व्यवसाय की प्रकृति और उसके द्वारा यह घोषणा होगी कि,—

(i) जहां वह 'खुदरा' व्यापार का कारबार कर रहा है, वहां सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यापार से उसका;

(ii) जहां वह भोजन स्थान चलाने के कारबार कर रहा है या किसी व्यवसाय में लगा हुआ है वहां सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे कारबार या व्यवसाय से उसकी आय पैंतीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

और ऐसा विवरण विहित रीति में सत्यापित भी किया जाएगा ।

(ख) सुसंगत पूर्ववर्ष की 31 मार्च को या उसके पूर्व, उपधारा (3) में निर्दिष्ट कर की रकम के संदाय के सबूत के साथ, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसने उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विवरण दिया है, सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान उसके' (86)

पृष्ठ 18, पंक्ति 18 में,
'(5)' के स्थान पर '(6)' रखें । (87)

पृष्ठ 18, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

'स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यवसाय" के अन्तर्गत दर्जी का काम, बाल काटना, कपड़े धोना, टाइप करना, फोटो-कापी निकालना, किसी प्रकार का मरम्मत का काम और समरूप प्रकृति की अन्य सेवाएं है ।' (88)

पंक्ति 18, पंक्ति 23 में, "अध्याय 6क" के पश्चात्
"(धारा 80ठ को छोड़ कर)" अंत:स्थापित करें । (89)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 29 को सभा के मतदान हेतु रखूंगा ।

संशोधन संख्या 12 और 29 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 58, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 58, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 59

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं सुझाव देता हूं कि इस खंड 59 को वापस ले लिया जाए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वित्त मंत्री वित्त विधेयक में इस खंड पर जोर क्यों नहीं दे रहे ? यह बहुत असामान्य है । (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, वित्त विधेयक के खंड 59 में कुछ तलाशियों के संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 132 के संशोधन का प्रावधान है । कर सुधार समिति ने कहा है कि उसने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है । इस समिति की रिपोर्ट के लम्बित होने तथा अनेक माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए आवेदनों के तहत मैं इस खंड को वापस ले रहा हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इसे वापस नहीं ले सकते ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : जब तक पूरी सभा सहमत न हो, इसे वापस नहीं लिया जा सकता । इसलिए उन्होंने स्वयं ही इसे नकार दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस खंड को पुनः मतदान के लिए रख रहा हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्त विधेयक के एक खंड के अस्वीकृत हो जाने का प्रभाव पड़ता है । सरकार कैसे बनी रह सकती है ? सभा में वित्त विधेयक के खंड के अस्वीकृत होने का क्या प्रभाव पड़ता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : यह सुविदित है । इसकी परम्परा है । पहले, वित्त विधेयक के खंड 49 को मतदान हेतु रखा गया था । इसका एक खंड अस्वीकृत हो गया था । जैसा आप चाहते हैं वैसे सरकार नहीं गिरती । अगर आप विधेयक को विफल कर दें तो सरकार नहीं गिरती । यह परम्परा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह ऐसे निर्णय दे रहे हैं जैसे वह उच्चतम न्यायालय है ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इस सभा में पूर्व उदाहरण का उल्लेख कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सन्देह दूर करने के लिए श्री सोमनाथ जी तथा श्री चिदम्बरम जी का धन्यवाद करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कोई कार्यवाही करने से पूर्व इस पर विचार करें । यह स्वयं की निंदा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पुनः रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 59 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड 60—धारा 13 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि :

पृष्ठ 18, खण्ड 60 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा

60 आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1क) के स्थान पर 1 अप्रैल 1993 से निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात :—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को उस उपधारा के अन्तर्गत अपनी आय की विवरणी देने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि पूर्व वर्ष के दौरान उस की आय केवल ऐसी आय से मिलकर बनती है जो "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य है ।" (30)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 30 को सभा के मतदान हेतु रखूंगा ।

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 60 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 60 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 61 और 62 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 61 और 62 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 63—धारा 155 में संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 19, खंड 63 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

63. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में, 1 अप्रैल, 1993 से,—

(क) उपधारा (1) के प्रारम्भिक पैरा में, "जहां किसी फर्म के किसी भागीदार के किसी

संपूरित निर्धारण की बाबत—" शब्दों के स्थान पर, "जहां 1 अप्रैल, 1992 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए किसी फर्म के किसी भागीदार के किसी संपूरित निर्धारण की बाबत—" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां किसी फर्म के किसी संपूरित निर्धारण की बाबत—

(क) फर्म के निर्धारण या पुन:निर्धारण पर, या

(ख) इस धारा, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन फर्म की आय में कोई कमी या वृद्धि करने पर, या

(ग) फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश पर, यह पाया जाता है कि किसी भागीदार का कोई पारिश्रमिक धारा 40 के खंड (ख) के अधीन कटौती योग्य नहीं है वहां निर्धारण अधिकारी उस रकम की उस सीमा तक, जो इस प्रकार कटौती योग्य नहीं है, भागीदार की आय का समायोजन करने की दृष्टि से भागीदार के निर्धारण आदेश का संशोधन कर सकेगा और धारा 154 के उपबन्ध यावत्शक्य उसे लागू होंगे, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की उस वित्तीय वर्ष के अंत से गणना की जाएगी जिसमें फर्म की दशा में अन्तिम आदेश पारित किया गया था।" (90)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 63, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 63, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब खंड 64 लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 64 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64 विधेयक में जोड़ लिया गया।

खंड 65—अध्याय 15 में उप-शीर्षक का प्रतिस्थापन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

पृष्ठ 19,—पंक्ति 11-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"व्यक्तियों को लागू रूप में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर"। (31)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : मद्दोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

पृष्ठ 19,—पंक्ति 11 तथा 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"167क. किसी ऐसी फर्म की दशा में जो फर्म के रूप में निर्धारणीय है, उसकी कुल आय पर निम्नलिखित दर से कर प्रभारित किया जाएगा :—

(1)	जहां कुल आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है।	कुल आय का 30 प्रतिशत
(2)	जहां कुल आय 50,000 रुपए से अधिक है।	15,000 रुपए धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रुपए से अधिक है। (148)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 31 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 148 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 148 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 65 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 66 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 66 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 67—नई धारा 184, 185 तथा 186 का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 19, पंक्ति 29 और 30 का लोप करें। (91)

पृष्ठ 19, पंक्ति 31 में '(4)' के स्थान पर '(3)' रखें। (92)

पृष्ठ 19, पंक्ति 35 में '(5) के स्थान पर '(4)' रखें। (93)

पृष्ठ 19, पंक्ति 38 में '(6)' के स्थान पर '(5)' रखें। (94)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 67, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 से 71 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 68 से 71 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 72—धारा 197क में संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 20, पंक्ति 16 से पंक्ति 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(ग) उपधारा (3) के खंड (vii) और खंड (viia) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—" (95)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 72 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 72, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 73 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मनमोहन सिंह : वित्त विधेयक के खण्ड 74 में 194घघ के अन्तर्गत आयकर अधिनियम में एक नयी धारा अन्त:स्थापित की गयी है, ताकि किसी फर्म के भागीदार को भुगतान किये जाने वाले ब्याज और वेतन से स्रोत पर ही कर की कटौती की जा सके । मुझे बताया गया है कि इस प्रस्तावित संशोधन से फर्म का कार्य बढ़ जायेगा और कई व्यवहारिक कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी । अत: यह प्रस्ताव किया गया है कि इस खण्ड को अस्वीकृत कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 74 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 75 से 77 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 75 से 77 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 78—धारा 197 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20-21.

खंड 74 को अस्वीकार करें ।

पृष्ठ 21.

पंक्ति 43में,—

'धारा 194घघ' का लोप करें । (96)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 78, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 79 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 79 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 80—धारा 198 से धारा 200, धारा 202 से 203क और धारा 205 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 4-8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

'धारा 205 में, 1 जून, 1992 से' और धारा 196ख 'शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर,', धारा 196ख और धारा 196ग 'शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।'; (97)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 80, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 80, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 81—धारा 206 ग में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

'का अधिकार अभिप्राप्त करता है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

(i) पब्लिक सैक्टर कंपनी,

(ii) ऐसे विक्रय के अनुसरण में अभिप्राप्त ऐसे माल के आगे विक्रय का कोई क्रेता, या

(iii) कोई क्रेता, तब जब ऐसा माल उसके द्वारा नीलामी के रूप में अभिप्राप्त नहीं किया गया है और जब विक्रेता द्वारा विक्रय किए जाने वाले ऐसे माल की विक्रय कीमत किसी राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन नियत की गई है;'। (98)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 81, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 81, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 82 से 86 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 82 से 86 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 87—धारा 253 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 23, 15,—

"एक हजार पांच सौ रुपए" के स्थान पर

"पांच सौ रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए ।"

(32)

मेरा निवेदन यह है कि जो अपील वाला अधिकार है वह एक लाख तक 250 रुपये है । इस पर 1500 रुपये कर देना अन्याय है । इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि इसमें 1500 की बजाए 500 रुपये रखा जाए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 87 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 87 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 88 और खण्ड 89 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 88 और 89 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 89क (नया)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 23,—पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"89क. आय-कर अधिनियम की धारा 291 का लोप किया जाएगा ।"

महोदय, इस संशोधन के पीछे कारण यह है कि इस संशोधन के जरिये मै आयकर अधिनियम की धारा 291 को हटाना चाहता हूं । यह आयकर अधिनियम की बहुत ही आपत्तिजनक धारा है । क्योंकि इससे जो अपराधी आयकर का अपवंचन करता है उसका अभियोजन से बचाव होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको नहीं बोलना है । यह ठीक नहीं है । आप काफी लंबा समय लेगें । यदि प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहता है तो काफी अधिक समय लग जायेगा ।

श्री रूपचन्द पाल : माननीय मंत्री ने काले धन के बारे में काफी कुछ कहा है । वह व्यक्ति जो कर का अपवंचन करता है, जांच के समय सबूत सहित भी पकड़े जाने पर उसे अभियोजन से प्रतिरक्षा हासिल हो

जाती है। यह प्रावधान धारा 291 में है। मै चाहता हूँ कि इसे आयकर अधिनियम में से हटा लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 144 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 144 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 90—परिणामिक संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24,

पंक्ति 11 और पंक्ति 12 का लोप करें।

(99)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 90, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 90, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 91—धारा 2 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

पृष्ठ 24,—पंक्ति 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"नगर भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो, कृषि भूमि क्षेत्र में स्थित नहीं है।

(13)

मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

पृष्ठ 24—

पंक्ति 16 और 17 का लोप किया जाये।

(45)

श्री जसवन्त सिंह : मै प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 25,—पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

"परन्तु खण्ड (ङक) की मद (1) एक रिहायशी आवास जो स्वत: मालिक के कब्जे में है, पर लागू नहीं होगी।" (41)

पृष्ठ 25,—पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

"परन्तु जहां शासन के अधिकार में एक से अधिक भवन हैं खंड (ङक) की मद (1) के उपबंध ऐसे भवनों में किसी एक भवन पर लागू नहीं होंगे जिसे शासन इस सम्बन्ध में अपने विकल्प से विनिर्दिष्ट करें।" (42)

मै यही चाहता हूँ कि यह रिहायशी सम्पत्ति स्वयं अपने लिए इस्तेमाल की जाती है तो इसे सम्पत्ति कर से मुक्त किया जाना चाहिए और इस संशोधन के अन्य भाग स्वयं ही सुस्पष्ट हैं क्योंकि संसद में यह आश्वासन एक पिछली सरकार ने दिया था।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24, पंक्ति 29 में 'किराए पर चलाने के लिए' के स्थान पर

'किराए पर चलाने के लिए या व्यापार स्टाक के रूप में रखें।' (100)

पृष्ठ 24, पंक्ति 30-31 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"(iii) आभूषण, सोना-चांदी और फर्नीचर, बर्तन या कोई अन्य ऐसी वस्तु जो पूर्णत: या भागत: सोने, चांदी प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या ऐसी बहुमूल्य धातुओं की एक या अधिक धातु से युक्त किसी मिश्रधातु की बनी है :

परंतु जहां उक्त आस्तियों में से किसी का प्रयोग निधारिती द्वारा व्यापार स्टाक के रूप में किया जाता है वहां ऐसी आस्ति को इस उपखंड में विनिर्दिष्ट आस्तियों से अपवर्जित माना जाएगा; " (101)

पृष्ठ 24, खंड 59 में,

'किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य वस्तु में जड़े गए हों या नहीं या' शब्दों का लोप करें। (102)

पृष्ठ 25, पंक्ति 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

'में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, किंतु इसके अन्तर्गत वह भूमि, जिस पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भवन का निर्माण उस क्षेत्र में अनुज्ञेय नहीं है जिसमें ऐसी भूमि स्थित है या किसी ऐसे भवन के, जिसका निर्माण समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से हुआ है, अधिभोग में की भूमि या कोई ऐसी उपयोग में न लाई गई भूमि जो निधारिती द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उसके द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए धारित है, नहीं है,' (103)

पृष्ठ 25, पंक्ति 7 में, 'पर प्रतिभूत है, या जो उक्त आस्तियों के संबंध में उपगत' के स्थान पर

"के संबंध में उपगत" शब्द रखें। (104)

(श्री मनमोहन सिंह)

प्रो॰ राजासिंह रावत (अजमेर) : मै प्रस्ताव करता हूँ।

पृष्ठ 24,—पंक्ति 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"(ख) 'नगर भूमि' से वह भूमि अभिप्रेत है जो कृषि भूमि या चरागाह या सार्वजनिक उपयोग में नहीं है ।" (135)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : मै प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 24,—पंक्ति 21 से 28 के स्थान पर

"(i) कोई अतिथि-गृह" प्रतिस्थापित किया जाए । (149)

पृष्ठ 24,—

पंक्ति 29 का लोप किया जाए । (150)

अध्यक्ष महोदय : अब मै खण्ड 91 के संशोधन संख्या 13 और 45 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 13 और 45 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मै खण्ड 91 में संशोधन संख्या 41 और 42 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 41 और 42 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मै खण्ड 91 में संशोधन संख्या 135 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ

संशोधन संख्या 135 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मै खण्ड 91 में संशोधन संख्या 149 और 150 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 149 और 150 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 91 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 91, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 92—धारा 3 में संशोधन

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 25, पंक्ति 16 और 17,—

"प्रत्येक व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और तत्सम्बन्धी मूल्यांकन तारीख को कम्पनी" के स्थान पर "प्रत्येक व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब तत्सम्बन्धी मूल्यांकन तारीख" प्रतिस्थापित किया जाए । (46)

मैं इस आशा से नहीं बोल रहा हूँ कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मै खण्ड 92 की संशोधन संख्या 46 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 46 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड संख्या 92 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 92 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 93—धारा 4 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'(ii) खंड (ख) में,—

(1) प्रारम्भिक भाग में, 'फर्म या संगम में उसके हित' शब्दों के स्थान पर, 'फर्म या संगम की आस्तियों में उसके हित' शब्द रखे जाएंगे।

(2) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्'— (105)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 93, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 93, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 94—धारा 5 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 94 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

'94. धन-कर अधिनियम की धारा 5 में 1 अप्रैल, 1993 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) प्रारम्भिक भाग में आने वाले

'(i) उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,' शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा,

(ii) खंड (xiv) और खंड (xxxiii) को खंड (iv) और खंड (v) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और विद्यमान खंड (iv) से लेकर खंड (xiii), खंड

(xv) से लेकर खंड (xxxii) और खंड (xxxiv) का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपधारा (1क) से लेकर उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।' (106)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 94, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 94, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 95 से 100 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 95 से 100 तक विधेयक में जोड़ दिए गये ।

खण्ड 101

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, कर सुधार समिति ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के परिसरों की तलाशी हो रही है, उनकी निरन्तर उपस्थिति के प्रश्न पर भी वह सम्पूर्ण रूप से विचार कर रही है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में सिफारिशें की जायेंगी । इस मुद्दे पर भी उस रिपोर्ट के प्रकाश में विचार किया जायेगा ।

इसलिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि वित्त विधेयक, 1992 के खण्ड 101 को अस्वीकृत किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 101 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड 102—धारा 45 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27, पंक्ति 18 में

'(च)' के स्थान पर '(ङ)' रखें । (107)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 102, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 102, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 103 से 106 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 103 से 106 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 107—धारा 5 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 27, पंक्ति 42,—"बैंककारी का कारोबार करने में लगी हुई है," शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

"या सदस्यों को ऋण सुविधायें प्रदान करना" (14)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 107 की संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 14 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 107 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 107 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 108 तथा 109 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 108 तथा 109 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 110—धारा 5 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 3-4 में '1 जून, 1992 से पहले' के स्थान पर 110

'1 अक्तूबर, 1992 से पहले' रखें । (108)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 110, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 110, संशोधित रूप, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 111 से 120 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 111 से 120 तक विधेयक में जोड़ दिए गये ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन अनुसूचियों पर विचार करेगा । अनुसूचियों में भी संशोधन के प्रस्तावित है ।

प्रथम अनुसूची

[हिन्दी]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 30 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(1)	जहां कुल आय 39,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 39,000 रु० से अधिक है किन्तु 50,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिसमें कुल आय 39,000 रुपये से अधिक है ।" (5)

श्री० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 30 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(1)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक है किन्तु 75,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिसमें कुल आय 48,000 रुपये से अधिक है;
(3)	जहां कुल आय 75,000 रुपये से अधिक है किन्तु 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	5,400 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 75,000 रु० से अधिक है;
(4)	जहां कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक है	12,900 रु० धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक है ।" (6)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 30 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(1)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक है परन्तु 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस राशि का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं है;
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक है परन्तु 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	40,400 रुपये जमा उस राशि का 40 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक हो।" (7)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 35, पंक्ति 41 से 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(1)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक है किन्तु 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस राशि का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 48,000 रुपये से अधिक हो;
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक है	10,400 रुपए जमा उस राशि का 30 प्रतिशत जिसके कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक हो।" (15)

पृष्ठ 36,—पंक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए —

"परन्तु यह और कि आय-कर पर अधिभार की गणना केवल 1,00,000 रुपए से अधिक कुल आय पर देय अतिरिक्त आय-कर पर होगी।" (16)

पृष्ठ 36,—

पंक्तियां 12 से 25 का लोप किया जाए। (17)

पृष्ठ 36 और 37,—

पंक्ति क्रमश: 37 से 41 और 1 से 3 का लोप किया जाए। (18)

पृष्ठ 37,—पंक्ति 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(2) जहां कम्पनी ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है—

(क)	जहां कुल आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 20 प्रतिशत;
(ख)	जहां कुल आय 50,000 रुपए से अधिक है परन्तु 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए जमा उस राशि का 30 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 50,000 रुपए से अधिक हो;
(ग)	जहां कुल आय 1,00,000 रुपए से अधिक हो	25,000 रुपए जमा उस राशि का 50 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय

1,00,000 रुपए से अधिक हो ।" (19)

पृष्ठ 32,—पंक्ति संख्या 12 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा —

"पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आयकर की दरें

(1)	जहां कुल आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल रकम का 6 प्रतिशत;
(2)	जहां कुल आय 50,000 से अधिक है किन्तु 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	3000 रुपए धन उस रकम का 12 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रुपए से अधिक है;
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रुपए से अधिक है	9000 रुपए धन उस रकम का 22 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रुपए से अधिक है ।" (33)

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 36,—पंक्ति 40 और 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"आयकर की दरें

(1)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 48,000 रुपये से अधिक है किन्तु 75,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 48,000 रुपये से अधिक है;
(3)	जहां कुल आय 75,000 रुपये से अधिक है किन्तु 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	5,400 रुपये धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिनके द्वारा कुल आय 75,000 रुपये से अधिक है;
(4)	जहां कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक है	12,900 रुपये धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक है ।" (44)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 37, पंक्ति 30-31 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"इस पैरा या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में जिसकी कुल आय पचहत्तर हजार रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।" । (109)

(श्री मनमोहन सिंह)

श्री पी० जी० थामस : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

[हिन्दी]

प्रो० राजा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 36, पंक्ति 25 के पश्चात् जोड़ा जाये, प्रतिस्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि अधिभार की संगणना केवल 1,00,000 रुपये से अधिक की कुल आय पर देय अतिरिक्त आयकर पर की जायेगी ।" (137)

पृष्ठ 36,—

पंक्ति 12 से 20 का लोप किया जाये । (138)

पृष्ठ 36,—

पंक्ति 21 से 25 का लोप किया जाये । (139)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मोरेश्वर सावे द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुसूची में संशोधन संख्या 5 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 5 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० प्रेम धूमल द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुसूची में संशोधन संख्या 6 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 6 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मदनलाल खुराना द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुसूची में संशोधन संख्या 7 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 7 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुसूची में संशोधन संख्या 15, 16, 17, 18, 19 और 33 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 15 से 19 तथा 33 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुसूची में संशोधन संख्या 44 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 44 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० राजा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुसूची में संशोधन संख्या 137, 138 और 139 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 137, 138 और 139 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

दूसरी अनुसूची

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 41, पंक्ति 14 में "0802.12", **के पश्चात्** "0802.90", "0804.10" **अंत:स्थापित करें;** (110)

पृष्ठ 41, पंक्ति 16 और पंक्ति 17 **के स्थान पर,** निम्नलिखित रखें—

'(ii) उपशीर्ष सं० 0802.11, 0802.12 और 0806.20 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों **के स्थान पर,** क्रमश: "65% **धन** 50 रुपए प्रति किलोग्राम" और "55% **धन** 50 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां **रखी जाएंगी;**

(iii) उपशीर्ष सं० 0802.90 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) की प्रविष्टियों **के स्थान पर,** क्रमश: "65% **धन** 20 रुपए प्रति किलोग्राम" और "55% **धन** 20 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां **रखी जाएंगी;**

(iv) उपशीर्ष सं० 0804.10 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) की प्रविष्टियों **के स्थान पर,** क्रमश: "65% **धन** 25 रुपए प्रति किलोग्राम" और "55% **धन** 25 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां **रखी जाएंगी;**

(v) उपशीर्ष सं० 0806.10 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) की प्रविष्टियों **के स्थान पर,** क्रमश: "110%" और "100%" प्रविष्टियां **रखी जाएंगी;'** (111)

पृष्ठ 41, पंक्ति 27 और पंक्ति 28 **के स्थान पर,** निम्नलिखित रखें—

'(v) उपशीर्ष सं० 0906.10, और 0906.20 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों **के स्थान पर,** क्रमश: "65% **धन** 50 रुपए प्रति किलोग्राम" और "57.5% **धन** 50 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां **रखी जाएंगी;**

(vi) उपशीर्ष सं० 0907.00 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) की प्रविष्टियों **के स्थान पर,** क्रमश: "65% **धन** 75 रुपए प्रति किलोग्राम" और 57.5% **धन** 75 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां **रखी जाएंगी;**

(vii) उपशीर्ष सं० 0908.10 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "65%" और "57.5%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;' (112)

पृष्ठ 41, पंक्ति 29 में, "(vi)" के स्थान पर, "(viii)" रखें (113)

पृष्ठ 41, पंक्ति 30 में, "(vii)" के स्थान पर, "(ix)" रखें. (114)

पृष्ठ 41, पंक्ति 32 में, "(viii)" के स्थान पर, "(x)" रखें (115)

पृष्ठ 45, पंक्ति 47 और पंक्ति 48 में, "8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91, 8482.99", का लोप करें (116)

पृष्ठ 45, पंक्ति 48 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमतः स्थापित करें—

'(iv) उपशीर्ष सं० 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50 और 8482.80 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "110% धन 300 रुपए प्रति बेयरिंग" प्रविष्टि रखी जाएंगी;

(v) उपशीर्ष सं० 8482.91 और 8482.99 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "110% धन 300 रुपए प्रति नग" प्रविष्टि रखी जाएंगी;' (117)

(श्री मनमोहन सिंह)

सभाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 48, पंक्ति 11, पंक्ति 45 के स्थान पर, से निम्नलिखित रखें—

'(ख) सभी उपशीर्ष सं० के सामने आने वाले स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, "15% धन 3,000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएंगी;' (118)

पृष्ठ 48, पंक्ति 46, पंक्ति 52 के स्थान पर, से निम्नलिखित रखें—

'(क) उपशीर्ष सं० 7301.10, 7301.20, 7302.10, 7302.20, 7303.00, 7304.10, 7304.90, 7305.10, 7305.90, 7306.10, और 7306.90 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% अन 3,000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएंगी;

(ख) उपशीर्ष सं० 7308.40 में, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"—तख्ताबंदी, पाड़, टेक या गर्तटेक के लिये उपस्कर";

(ग) उपशीर्ष सं० 7325.10, 7325.20, 7325.30, 7325.90 और 7327.00 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% अन 3,000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएंगी;' (119)

पृष्ठ 48, पंक्ति 53 से पंक्ति 60 का लोप करें (120)

पृष्ठ 48, पंक्ति 65 में "15%" के स्थान पर, "15% अन 10,000 रुपये प्रति टन" रखें (121)

पृष्ठ 49, पंक्ति 1 में "15%" के स्थान पर, "15% अन 10,000 रुपये प्रति टन" रखें (122)

पृष्ठ 49, पंक्ति 7 में "15%" के स्थान पर, "15% अन 5,000 रुपये प्रति टन" रखें (123)

पृष्ठ 49, पंक्ति 11 में "15%" के स्थान पर, "15% अन 8,000 रुपये प्रति टन" रखें (124)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड I, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड I, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय कृपया यह प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।" **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

घंटियां खाली कर दी जायें—

अब घंटियां खाली हो गयी हैं :

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

मैं माननीय सदस्यों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि मत-विभाजन के लिये जोर न दें।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय हम तो मत-विभाजन पर जोर देते हैं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या : 18] **पक्ष में** **[समय : 7.50 म० प०**

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री०
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्बे, श्री लाईता
उर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
एन्थनी, श्री फ्रैंक
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
कर्रेहल्ला, कमला कुमारी
कडाडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालिया पेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव
कासु, श्री वेंकटकृष्ण रेड्डी
कड़मुल्ला, श्री पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केनिथी, डा० विश्वनाथम
केवलसिंह, श्री
कैरो, श्री सुरेन्द्रसिंह
कोनाथाला, श्री रामकृष्ण
कौर, श्रीमती सुखबंस
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खां, श्री अय्यूब
खां, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गगोई, श्री तरुण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई
गालिब, श्री गुरुचरणसिंह
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुंडेवार, श्री विलास राव
गुडाडिन्नी, श्री बी० के०
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकार, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौरे, श्री बापूहरि
जनार्दनन, श्री एम० आर०
जवाली, डा० बी० जी०
जयमोहन, श्री ए०
जांगडे, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिण्डिवणम, श्री के० राममूर्ती
टोपे, श्री अंकुशराव
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
तंगाबालु, श्री के० पी०
तारा सिंह, श्री
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
देवराजन, श्री बी०
देवी, महारानी बिभु कुमारी
देशमुख, श्री अनंतराव
देशमुख, श्री अशोकराव आनंदराव

नवले, श्री विदुरा विथोबा
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुभासचन्द्र
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पटेल, श्री उत्तममाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पवार, डा० वसंत निवृती
पवार, श्री शरद
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, कुमारी सुर्यकांता
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री विजय नवल
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पाल, डॉ० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रभु झांत्ये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री आस्कर
फारुक, श्री एम० ओ० एच०
फेलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्री जगजीत सिंह
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री जालौर
भक्त, श्री मनोरंजन

महाना, श्री अवतार सिंह
मण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
मान्ये गोवर्धन, श्री
माटिया, श्री रघुनन्दन लाल
मूरिया, श्री दिलीप सिंह
मोंसले, श्री तेजसिंहराव
मोंसले, श्री प्रतापराव बी०
मोई, डा० कृपासिन्धु
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा० आर०
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिर्धा, श्री रामनिवास
मीणा, श्री मेरु लाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरुगेसन, श्री एन०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
यशपाल, श्री
रघ, श्री रामचन्द्र
राजलु, डा० आर० के० जी०
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राममूर्ति, श्री के०
राम सिंह, राव
रामास्वामी, श्री आर०
राय, श्री कल्पनाथ
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डयण यादव, श्री के० पी०

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री गद्दाम गंगा
रेड्डी, श्री मुद्दासमुद्रम ज्ञानेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, श्री राजा रवि
वर्मा, कु० विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री पी० एस०
विलियम्स, मे० जे० आर० जी०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिवप्पा, श्री के० जी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, श्री आर०
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सावुल, श्री धर्मण्णा मेडिय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संतराम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिलवेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री देवी बक्स
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कोढ्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोढ़ी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सोन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हरचन्द सिंह, श्री

विपक्ष में

अंजलोज, श्री टी० जे०
अंसारी, श्री मुमताज
अवैद्य नाथ, महन्त
आचार्य, श्री बसुदेव
खां, श्री सुखेन्दु
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा०, राम चन्द्र
तोपदार, श्री तरित वरण
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
पटनायक, श्री शिवाजी
पाल, श्री रूपचंद
पासवान, श्री राम विलास
प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन

फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मंजय लाल, श्री
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुबर्त
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरमु, श्री रूप चंद
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
राम, श्री प्रेमचन्द्र
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री रामनिहोर
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
रेड्डी, श्री बी० एन०
रोशन लाल, श्री
थाहडे, श्री शोमनाद्रीश्वर राव
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री हरि किशोर
हुसैन, सैयद मसूदल

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 227

विपक्ष में : 69

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: सहयोग करने के लिये आप सभी का धन्यवाद और सभी के लिये शुभ-कामनायें।

यह सभा अब गुरुवार दिनांक 7 मई, 1992 को 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित की जाती है।

7.50 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार 7 मई, 1992/17 वैशाख, 1914 (शक०) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया:।

पक्ष में: श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ, श्री कार्तिकेश्वर पात्र, डा० (कुमारी) पद्मा, श्री एम० सुब्बारामा रेड्डी तथा श्री के० तुलसिऐयावान्डायार।